

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

[सं० 420] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 21, 1983/भाद्र 30, 1905
[No. 420] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPT. 21, 1983 BHADRA 30, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 1983

का०आ० 678(अ):—केंद्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन)
अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की प्रांग 29ख की उपप्रांग (1) द्वारा,
प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3
उपखण्ड (ii) तारीख 14 जनवरी, 1982 के पृष्ठ 52 पर प्रकाशित भारत सरकार
के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ०
20(अ) तारीख 14 जनवरी, 1982 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में—

- (1) विद्यमान प्रविष्टि को क्रमसंख्यांक “(1)” के रूप में संख्यांकित किया जाएगा; और
- (2) इस प्रकार संख्यांकित क्रमसंख्यांक (1) के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—
 - “(2) अतिमूक्ष्म और सूक्ष्म जलविद्युत प्रणाली के लिए उपस्कर;
 - (3) विद्युत यान।”

[फा०सं० 10/91/81-एल पी]

एस० एल० कपूर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 1983

S.O. 678(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 20(E) dated 14th January, 1982, published at page 52 of the Gazette of India Extraordinary Part II-Section 3-Sub-section (ii) dated the 14th January, 1982, namely :—

In the Schedule to the said notification—

- (1) The existing entry shall be numbered as serial number “(1)” thereof ; and
- (2) after serial number (1) as so numbered, the following shall be added, namely :—
 - “(2) Equipment for mini and micro hydel systems ;
 - (3) Electric vehicles.”

[File No. 10|91|81-LP]

S. L. KAPUR, Jt. Secy.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

अधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 421] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 21, 1983/भाद्र 30, 1905
No. 421] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPT. 21, 1983/BHADRA 30, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वार्णिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

आदेश सं० 29/83

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 1983

का०आ० 679(अ):—आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947
(1947 का 18) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा खुले सामान्य लाइसेंस आदेश सं० 1/83 दिनांक 15
अप्रैल, 1983 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपर्युक्त खुले सामान्य लाइसेंस की अनुसूची 3 में, प्रविष्टि सं० 14 को इस प्रकार संशोधित किया जाएगा :—

“विस्कोस फिलागेंट धागा (प्रथम किस्म) 600

डेनियर से कम”

[मिनिस्त्र सं० आईपीसी/3/1/83]

प्र०च० जैन, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

ORDER NO. 29/83

New Delhi, the 21st September, 1983

S.O. 679(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following amendment to OGL Order No. 1/83, dated the 15th April, 1983 :—

In part III of the Schedule to said Open General Licence, entry No. 14 shall be amended as :—

“Viscose Filament Yarn (first quality) below 600 denier”.

[File No. IPC/3/1/83]

P. C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 422] नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, सितम्बर 22, 1983/भाद्र 31, 1985
No. 422] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 22, 1983/BHADRA 31, 1985

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1983

सं. 269/83-सीमाशुल्क

का.आ. 680(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962
का 52) की धारा 7 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बंगलौर
विमान पत्तन को, आयातित माल के उतारने के और निर्यातित माल के या ऐसे

माल के किसी वर्ग के लादने के प्रयोजनों के लिए सीमाशुल्क विमान पत्तन नियत करती है ।

[फा. सं. 481/20/83-सी. श्र. 7]

ए. के. छाबड़ा, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 1983

NO. 269/83-CUSTOMS

S.O. 680(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby appoints Bangalore Airport as a Customs Airport for the purposes of unloading of imported goods and the loading of export goods or any class of such goods.

[F. No. 481/20/83-CUS.VII]

A. K. CHHABRA, Dy. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 423]
No. 423]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 26, 1983/आश्विन 4, 1905
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 26, 1983/ASVINA 4, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(विकास आनुवंशिक/ओषधि) का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 26 सितम्बर 1983

का० आ० 681 (अ).—केंद्रीय सरकार ओषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के, यथास्थिति, तत्कालीन पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं० 8 (89)/79 ओषधि II तारीख 25 फरवरी, 1981 तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 607 (अ), तारीख 23 अगस्त, 1983 को अधि-क्रांत करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट कीमतों को, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट ऐसे प्रयुज ओषधि की बाबत जिसका स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्माताओं द्वारा उत्पादन किया जाता है, प्रतिधारण कीमत के रूप में और उक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट कीमतों को, प्रत्येक प्रयुज ओषधि का बाबत सामान्य विक्रय कीमत के रूप में नियत करते हैं :-

सारणी

क्रम सं.	प्रयुज ओषधि का नाम	ऐसे विनि- र्माताओं के नाम जिनसे यह संबंधित है।	प्रतिधारण कीमत (रु०/ कि. ग्रा.)	सामान्य विक्रय कीमत (रु०/कि० ग्रा०)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	विटामिन "सी" (साधारण)	साराभाई एम कैमिकल्स	154.69	154.69
2.	विटामिन "सी" (साधारण)	जयंत विटा- मिन्स लिमिटेड	200.37	200.37
3.	विटामिन "सी" (लेपित)	साराभाई एम कैमिकल्स	160.69	160.69
4.	विटामिन "सी" (लेपित)	जयंत विटा- मिन्स लिमिटेड	206.37	206.37

[सं० 8 (20)/83. बी. II]

ई० एन० मूर्ति, उप सचिव,

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**(Office of Development Commissioner (Drugs))****ORDER**

New Delhi, the 26th September, 1983

S.O. 681(E).—In exercise of the powers conferred by paragraph 4 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979 and in supersession of the orders of the Government of India in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No. 8(89)/79-D. II, dated the 25th February, 1981 and in the Ministry of Chemicals and Fertilizers No. S.O. 607(E), dated the 23rd August, 1983, the Central Government hereby fixes the prices as specified in column (4) of the Table below to be the retention price in respect of the bulk drugs specified in the corresponding entry in column (2). of the said Table, produced by the manufacturers specified in corresponding entry in column (3) and the prices specified in column (5) of the Table to be the common sale price in respect of each of the bulk drugs :—

TABLE

Sl. No.	Name of the Bulk Drug	Name of the Manufacturers to whom it is relevant	Retention price (Rs./kg.)	Common sale price (Rs./kg.)
1	2	3	4	5
1.	Vitamin 'C' (Plain)	Sarabhai M. Chemicals	154.69	154.69
2.	Vitamin 'C' (Plain)	Jayant Vitamins Limited	200.37	200.37
3.	Vitamin 'C' (Coated)	Sarabhai M. Chemicals	160.69	160.69
4.	Vitamin 'C' (Coated)	Jayant Vitamins Limited.	206.37	206.37

[No. 8(20)/83. DII]

E.N. MURTHY, Dy. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 424] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 26, 1983/अश्विन 4, 1905
No. 424] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 26, 1983/ASVINA 4, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1983

का० आ० 682 (अ).—केन्द्रीय सरकार, तस्कर और
विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम,
1976 (1976 का 13) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय
(राजस्व और बीमा विभाग) के आदेश सं० का० आ०
41 (अ) [सं० 1205 फा० सं० 414/2/76-आई०टी०
(आई०एन० वी० III)] तारीख 15 जनवरी, 1976 को भागतः
उपांतरित करते हुए, यह निदेश देती है कि सक्षम प्राधि-
कारी, कलकत्ता इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यक्ति
के संबंध में कृत्यों का पालन करेगा।

814-G.I./83

अनुसूची

क्रम सं०	व्यक्ति का नाम	पता
1.	श्रीमती रामेश्वरी देवी, पत्नी श्री अनन्त राम शर्मा	19, अकारिया स्ट्रीट, कलकत्ता/नागोरीफालसा स्टेशन रोड़, मारवाड़, राजस्थान।

[5410 फा० सं० फोरफीचर/8/78-सफेमा]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

ORDERS

New Delhi, the 26th September, 1983

S.O. 682(E).—In exercise of the powers conferred by section
5 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (For-
feiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976), and in partial modi-
fication of the Order of the Government of India in the Minis-
try of Finance (Department of Revenue and Insurance) No.

S.O. 41(E) [No. 1205/F.No. 414/2/76-IT (INV. III)], dated the 5th January, 1976, the Central Government hereby directs that the Competent Authority, Calcutta, shall perform the functions in respect of the person specified in the Schedule attached hereto.

SCHEDULE

S. No.	Name of person	Address
1.	Smt. Rameshwari Devi W/o Shri Ananta Ram Sharma	19, Zakaria Street, Calcutta/ Nagorifalsa, Station Road, Marwar, Rajasthan.

[5410/F.No. Forfeiture/8/78-SAFEMA]

का० आ० 683(अ).—केन्द्रीय सरकार, तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) के आदेश सं० का० आ० 41 (अ) [सं० 1205/का० सं० 414/2/76-आई० टी० (आई० एन० बी०)] तारीख 15 जनवरी, 1976 को भागतः उपांतरित करते हुए, यह निदेश देती है कि सक्षम प्राधिकारी, मुम्बई इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के संबंध में कृत्यों का पालन करेगा।

अनुसूची

क्रम सं०	व्यक्ति का नाम	पता
1.	फ्लाइट लेफ्टीनेंट एम० एच० खान	ए-15, आर्मी आफिसर्स फ्लैट्स, होलीडे कैंप, कोलाबा, मुम्बई-400005।

[5411/का० सं० प्रशा०/7/83 आई० टी० (आई० एन० बी० III)]
के० डी० गुप्ता, उप सचिव

S.O. 683(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976), and in partial modification of the order of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 41 (E), [No. 1205/F.No. 414/2/76-IT (INV.)] dated the 15th January 1976, the Central Government hereby directs that the Competent Authority, Bombay shall perform the functions in respect of the person specified in the Schedule attached hereto.

SCHEDULE

S. No.	Name of person	Address
1.	Flt. Lt. M.H. Khan	A-15, Army Officers' Flat Holiday Camp, Colaba Bombay-400005.

[5411/F.No. Admn./7/83-IT (INV. III)]
K.D. GUPTA, Dy. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 430]
No. 430]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 1983/आश्विन 7, 1905
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 1983/ASVINA 7, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1983

का० आ० 693(प्र)/18कक/उ०वि०वि०अ०/83 :—
भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के (समय-समय पर यथासंशोधित) आदेश सं० का० आ० 22(अ)/18कक/उ० वि० वि० अ०/73, तारीख 15 जनवरी, 1973 द्वारा श्री जानकी शुगर मिल्स एण्ड कम्पनी, दोड़वाला, जिला देहरादून (उत्तर प्रदेश) नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक की उपधारा (1) के अधीन 30 सितम्बर, 1983 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था,

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकाहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम, उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबन्ध के अधीन 31 मार्च, 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की और अवधि के लिए बना रहे;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा-18-क की उपधारा (2) के परन्तुक के साथ पठित धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि ऊपर वर्णित आदेश 31 मार्च, 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहे।

[का० सं० 2(2)/80-सी यू एस]

ए० पी० सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 29th September, 1983

S.O. 693(E)/18AA/IDRA/83.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 22(E)/18AA/IDRA/73, dated the 15th January, 1973 (as amended from time to time), the management of the industrial undertaking known as Shri Janki

Sugar Mills and Company, Doiwala, District Dehradun (Uttar Pradesh) was taken over under sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period upto and inclusive of 30th September, 1983 and the Uttar Pradesh State Sugar Corporation Limited was authorised to take over the management of the said industrial undertaking ;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the Uttar Pradesh State

Sugar Corporation Limited for a further period of six months upto and inclusive of 31st March, 1984 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA read with the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the Order mentioned above shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of 31st March, 1984.

[File No. 2(2)/80-CUS]
A. P. SARWAN. Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 431]
No. 431]

नई दिल्ली, गुरुवार, सितम्बर 29, 1983/अश्विन 7, 1905
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 1983/ASVINA 7, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1983

का० आ० 694 (अ) 18 क/आई डी आर ए/83.—
भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)
के आदेश सं० का० आ० 218 (अ)/18क/आई डी आर
ए/78, तारीख 29 मार्च, 1978 द्वारा (जिसे इसमें
इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) कलकत्ता स्थित
मेसर्स आलोक उद्योग वनस्पति एण्ड प्लाईवुड लिमिटेड नामक
औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध, तारीख 29 मार्च, 1978
से पांच वर्ष की अवधि के लिये ग्रहण किया गया था और
वेस्ट बंगाल फोरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 6ए,
राजा सुबोध मलिक स्क्वेयर, आठवीं मंजिल, कलकत्ता-
700013 को प्राधिकृत नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया
गया था ;

और, केन्द्रीय सरकार ने अपनी यह राय होने पर कि
लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश पूर्वोक्त पांच
वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी बना रहे,
30 सितम्बर, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी

सम्मिलित है, और अवधि के लिए ऐसे बने रहने के लिए
निर्देश जारी किए थे (देखिए भारत सरकार के उद्योग
मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) का आदेश सं०
का० आ० 234 (अ)/18क/आई डी आर ए/83, तारीख
28 मार्च, 1983) ;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित
में यह समीचीन है कि उक्त आदेश 31 दिसम्बर, 1983
तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और अवधि के
लिए प्रभावी बना रहे ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और
विनियम) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा
18 क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि तारीख 29
मार्च, 1978 का उक्त आदेश, 31 दिसम्बर, 1983 तक की,
जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए
प्रभावी बना रहेगा ।

[फा० सं० 2(25)/74 सी०यू०एस०]
ए० पी० सरबन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 29th September, 1983

S.O. 694(E)/18A/IDRA/83.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 218(E)/18A/IDRA/78, dated the 29th March, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the Industrial Undertaking as Messrs Alok Udyog Vanaspati and Plywood Limited, located at Calcutta, has been taken over for a period of five years with effect from 29th March, 1978, and the West Bengal Forest Development Corporation Limited, 6A, Raja Subodh Mallick Square, 7th Floor, Calcutta-700013, was appointed as the authorised controller ;

And whereas, the Central Government, being of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect

after the expiry of the period of five years aforesaid, had issued directions for such continuance for a further period upto and inclusive of the 30th September, 1983 vide Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 234(E)/18A/IDRA/83, dated the 28th March, 1983 ;

And whereas, the Central Government, is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st December, 1983;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order dated the 29th March, 1978 shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st December, 1983.

[File No. 2(25)/74-CUS]
A. P. SARWAN, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 432]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 1983/ आश्विन 7, 1905

No. 432]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 1983/ASVINA 7, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असंग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1983

का०आ० 695 (अ)/18कक/उ० वि० वि० अ०/83:—
केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और
नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश
सं० का० आ० 319 (अ)/18कक/उ० वि० वि० अ०/76,
तारीख 27 अप्रैल, 1976 द्वारा (जिसमें हममें हमके पश्चात
उक्त आदेश कहा गया है), मैसर्स प्लाईवुड इंडस्ट्रीज
लिमिटेड, पाम्पेर, जम्मू-काश्मीर नामक सम्पूर्ण औद्योगिक
उपक्रम का प्रबंध 26 अप्रैल, 1981 तक की, जिसमें यह
तारीख भी सम्मिलित है, पांच वर्ष की अवधि के लिए
ग्रहण करने के लिए जम्मू-काश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड को
प्राधिकृत किया था ;

और, केन्द्रीय सरकार ने, अपनी यह राय होने पर कि
लोक हित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश पूर्वोक्त पांच
वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात प्रभावी बना रहे,
30 सितम्बर, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी
सम्मिलित है, और अवधि के लिए ऐसे बने रहने के लिए
समय-समय पर निदेश जारी किए थे (देखिए भारत सरकार

833 GI/83

के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश
सं० का० आ० 318 (अ)/18 कक उ० वि० वि० अ०/81,
तारीख 25 अप्रैल, 1981 का आ० 287 (अ)/18कक
उ० वि० वि० अ० 82, तारीख 26 अप्रैल, 1982 का० आ०
763 (अ)/18कक/उ० वि० वि० अ०/82, तारीख 25
अक्तूबर, 1982 और का०आ० सं० 233 (अ)/18कक/
उ० वि० वि० अ०/83, तारीख 28 मार्च, 1983) ;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकार्हात में
यह समीचीन है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1984 तक की,
जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए
प्रभावी बना रहे :

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और
विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा
18 क की उपधारा (2) के परन्तुक के साथ पठित धारा
18 कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 31 मार्च,
1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और
अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[का० सं० 2(6)/81-सी यू एक्स]

ए० पी० सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 29th September, 1983

S.O. 695(E)/18AA/IDRA/83.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 319 (E)/18AA/IDRA/76, dated the 27th April, 1976 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government had authorised the Jammu and Kashmir Industries Limited to take over the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs Plyboard Industries Limited, Pampore, Jammu and Kashmir, for a period of five years, that is, upto and inclusive of the 26th April, 1981 ;

And whereas, the Central Government being of the opinion that it is expedient in public interest that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of five years aforesaid, had issued directions from time to time for

such continuance for a further period upto and inclusive of the 30th September, 1983 (vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. 318(E)/18AA/IDRA/81, dated the 25th April, 1981, S.O. 287(E)/18AA/IDRA/82, dated the 26th April, 1982, S.O. 763(E)/18AA/IDRA/82, dated the 25th October, 1982 and S.O. 233(E)/18AA/IDRA/83, dated the 28th March, 1983 ;

And whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1984 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA read with the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1984.

[File No. 2(6)/81-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 433]
No. 433]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 29, 1983/आश्विन 7, 1905
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 1983/ASVINA 7, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1983

का० आ० 696 (अ)/18कक/उ० वि० वि० अ०/83—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 825 (अ)/18कक/उ० वि० वि० अ०/76, तारीख 23 दिसम्बर, 1976 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) में मैनर्स, कावेरी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, पुदुकोट्टई नामक संपूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधिन 23 दिसम्बर, 1976 से पांच बरों की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और उक्त संपूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने के लिए तमिलनाडु वस्त्र निगम को प्राधिकृत किया गया था;

और, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 906 (अ)/18कक/उ० वि० वि० अ०/82, तारीख 22 दिसम्बर, 1981 द्वारा उक्त

आदेश की अवधि 22 जून, 1982 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है छह मास की और अवधि के लिए बढ़ा दी गई थी;

और, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 437 (अ)/18कक/उ० वि० वि० अ०/82 तारीख 22 जून, 1982 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 30 सितम्बर, 1982 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी.

और, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 699 (अ)/18कक/उ० वि० वि० अ०/82 तारीख 30 सितम्बर, 1982 द्वारा उक्त आदेश की अवधि, 31 मार्च, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी;

और, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 272 (अ)/18कक/उ० वि० वि० अ०/83, तारीख 31 मार्च, 1983 द्वारा उक्त आदेश की अवधि, 30 सितम्बर, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में यह समीचीन है, कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहे;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा० सं० 3(9)/81-सो०यू०एस०]

ए० पी० सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 29th September, 1983

S.O. 696(E)/18AA/IDRA/83.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 825(E)/18AA/IDRA/76 dated the 23rd December, 1976 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs Cauvery Spinning and Weaving Mills Limited, Pudukottai, was taken over under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of five years from the 23rd December, 1976, and the Tamil Nadu Textile Corporation was authorised to take over the management of the whole of the said industrial undertaking;

And whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department

of Industrial Development) No. S.O. 906 (E)/18AA/IDRA/81, dated the 22nd December, 1981, the period of the said Order was extended for a further period of six months upto and inclusive of the 22nd June, 1982;

And whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 437(E)/18AA/IDRA/82, dated the 22nd June, 1982, the period of the said Order was extended upto and inclusive of the 30th September, 1982;

And whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 699(E)/18AA/IDRA/82, dated the 30th September, 1982, the period of the said Order was extended upto and inclusive of the 31st March, 1983;

And whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 272(E)/18AA/IDRA/83, dated the 31st March, 1983 the period of the said Order was extended upto and inclusive of the 30th September, 1983;

And whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1984.

[File No. 3(9)/81-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 434]
No. 434]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 1983/आश्विन 7, 1905
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 1983/ASVINA 7, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1983

का० आ० 697 (अ)/18कक/उ० वि० वि० अ०/83:-
भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास
विभाग) के आदेश सं० का० आ० 752 (अ)/18कक/उ० वि०
वि० अ०/77, तारीख 4 नवम्बर, 1977 (जिसे इसमें
इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा, मैसर्स सांभा-
सुन्दरम स्पिनिंग मिल्स, मुथनेन्दल, रामनाथपुरम जिला,
तमिलनाडु नामक संपूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध उद्योग
(विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का
65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खंड (अ) के
अधीन 4 नवम्बर, 1977 से पांच वर्ष की अवधि के लिए
ग्रहण किया गया था और उक्त संपूर्ण औद्योगिक उपक्रम
का प्रबंध ग्रहण करने के लिए तमिलनाडु वस्त्र निगम को
प्राधिकृत किया गया था।

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास
विभाग) के आदेश सं० का० आ० 778 (अ)/18कक/उ० वि०
वि० अ०/82 तारीख 3 नवम्बर, 1982 द्वारा, उक्त आदेश
की अवधि 3 मई, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी
सम्मिलित है, छह मास की और अवधि के लिए बढ़ा दी
गई थी;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक
विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 350 (अ)/18कक/
उ० वि० वि० अ०/83-तारीख 2 मई, 1983 द्वारा, उक्त
आदेश की अवधि 30 सितम्बर, 1983 तक, जिसमें यह
तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय कि लोकहित में यह
समीचीन है कि उक्त आदेश, 31 मार्च, 1984 तक की
जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और अवधि के लिए
प्रभावी बना रहे;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फाइल सं० 3(14)/77-सी० यू० एस०]
ए० पी० सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 29th September, 1983

S.O. 697(E)/18AA/IDRA/83.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 752(E)/18AA/IDRA/77, dated the 4th November, 1977 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs Somasundram Super Spinning Mills, Muthanendal, Ramanathapuram District Tamil Nadu, was taken over under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of five years from the

4th November, 1977, and the Tamil Nadu Textile Corporation was authorised to take over the management of the whole of the said industrial undertaking;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 778(E)/18AA/IDRA/82, dated the 3rd November, 1982, the period of the said Order was extended for a further period of six months upto and inclusive of the 3rd May, 1983;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 350(E)/18AA/IDRA/83, dated the 2nd May, 1983, the period of the said Order was extended upto and inclusive of the 30th September, 1983;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of 31st March, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1984.

[File No. 3(14)/77-CUS]
A. P. SARWAN, Jt. Secy.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

[सं० 426] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 27, 1983/आश्विन, 5, 1905
[No. 426] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 27, 1983/ASVIN 5, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

नौवहन और परिवहन संग्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1983

का०आ० 689(अ).—दिल्ली परिवहन निगम (सदस्य) नियम, 1973 के
नियम 3 के साथ पठित सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का
64) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
केन्द्रीय सरकार श्री ए०एन० सुक्सेना, निदेशक (वित्त) नौवहन और परिवहन
मंत्रालय को दिल्ली परिवहन निगम का सदस्य नियुक्त करती है और भारत

सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या का०आ० 305 (अ) दिनांक 4 मई, 1982 (अधिसूचना सं० 727 (अ) दि० 11-10-1982, 327(अ) दि० 23-4-1983, 476(अ) दि० 27-6-1983 और 551 (अ) दि० 3-8-1983 द्वारा यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में सब संख्या (iv) में निम्नलिखित प्रविष्टि की जाए :—

“(iv) श्री ए०एन० सक्सेना,
निदेशक (वित्त)
नौवहन और परिवहन मंत्रालय नई दिल्ली”

[फा०सं० टी जो डी (22)/82]

गोविन्द जी मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 1983

S.O. 689(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Road Transport Corporation Act, 1950 (64 of 1950) read with rule 3 of the Delhi Transport Corporation (Members) Rules, 1973, the Central Government hereby appoints Shri A. N. Saksena, Director (Finance), Ministry of Shipping and Transport, as Member of the Delhi Transport Corporation Board and make the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing), No. S.O. 305 dated 4th May, 1982, (as amended vide Notification Nos. 727-E dated 11-10-82, 327-E

dated 23-4-1983, 476-E dated 27-6-1983 and 551-E dated 3rd August, 1983), namely :—

In the said notification in para 1 against item (iv), the following shall be inserted :

“(iv) Shri A. N. Saksena,
Director (Finance),
Ministry of Shipping and Transport,
New Delhi.”

[File No. TGD(22)|82]
G. J. MISRA, Jt. Secy.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

[सं० 427] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 28, 1983/आश्विन 6, 1905
[No. 427] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 28, 1983/ASVINA 6, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1983

का. अ. 690(अ).—अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 16 के द्वारा सतत रूप से लागू कोलियरी नियंत्रण आदेश, 1945 के खंड 3 के अनुसरण में, और कोयला संरक्षण और विकास सलाहकार समिति की सिफारिश के अनुसार, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा विहित करती है कि लोहा-पट्टी कोलियरी के कोयले का वगीकरण तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित होगा :—

(1) नं. 4 इन्क्लाइन का भूरनिया टाप सीम कोयला—कोककर कोयला

(2) नं. 2 इन्क्लाइन का लोहापट्टी मिडिल सीम कोयला—अर्द्ध कोककर कोयला ।

[फाइल सं. 15014/1/83-सीआरसी]

ल. ना. लड्डहा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 1983

S.O. 690(E).—In pursuance of clause 3 of the Colliery Control Order, 1945, as continued in force by section 16 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), and as recommended by the Coal Conservation and Development Advisory Committee, the Central Government hereby prescribes that the coal in the Lohapatti Colliery shall be categorised as follows with immediate effect :—

- (i) the Bhurangia Top Seam coal of No. 4 incline—Coking Coal.
- (ii) the Lohapatti Middle Seam coal of No. 2 incline—Semi Coking Coal.

[File No. 15014/1/83-CRC]

L. N. LADDHA, Jt. Secy.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 428] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 28, 1983/आश्विन 6, 1905
No. 428] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 28, 1983/ASVINA 6, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1983

का. आ. 691(अ).—एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की संख्या-61) की धारा 5 की उपधारा (2) (डी) के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में सेवा करने हेतु दिल्ली नगर निगम के पार्षदों तथा नगर प्रमुखों द्वारा अपने में से सर्वश्री बलवान सिंह सोलंकी, इ. मूकुन्द लाल बिन्दा तथा श्री आर. के. त्यागी को चुन लिया है।

[सं. 5(1)/79-एम. सी.]

नाथू राम, सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

Delh, the 28th September, 1983

S.O. 691(E).—It is hereby notified that in pursuance of Clause (d) of sub-section (2) of Section 5 of the Delhi Development Act, 1957(61 of 1957), the councillors and aldermen of the Municipal Corporation of Delhi have, from among themselves, elected S|Shri Balwan Singh Solanki, Hari Chand Verma, Mukand Lal Bindra and R. K. Tyagi to serve as members of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[F. No. 5(1)|79-M.C.]
NATHU RAM, Secy.
Delhi Development Authority

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 429] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 29, 1983/आश्विन 7, 1905
No. 429] NEW DELHI, THURSDAY, SEPT. 29, 1983/ASVINA 7, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असंग्रह संकलन के रूप में
रखा जा सके

*Separate Page/ing is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation*

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(शेयर बाजार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1983

का. आ. 692(अ).—केन्द्रीय सरकार, हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड,
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उपर्युक्त एक्सचेंज कहा गया है) के द्वारा प्रतिभूति
संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42 वां) की धारा 3 के अन्तर्गत
मान्यता के लिए दिए गए आवेदन पत्र पर विचार करने और इस बात से सन्तुष्ट

होने के बाद कि ऐसा करना व्यापार के हित में तथा लोकहित में भी होगा, प्रति-भूति सचिवा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42 वां) की धारा 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा इस एक्सचेंज को उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत स्थाई आधार पर प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में ऐसी अन्य शर्तों के अनुसार जो बाद में निर्धारित की जाएंगी अथवा लागू की जाएंगी, मान्यता प्रदान करती है ।

[सं. एफ. 1/36/एस.इ./83]

नीतीश सेनगुप्त, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Stock Exchange Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 1983

S.O. 692(E).—The Central Government, having considered the application for recognition made under section 3 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), by the Hyderabad Stock Exchange Limited, Hyderabad (hereinafter referred to as the said Exchange) and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), recognition to the said Exchange under section 4 of the said Act, on a permanent basis, in respect of contracts in securities, subject to such conditions as may be prescribed or imposed hereafter.

[No. F. 1/36/SE/83]

N. K. SENGUPTA, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 435] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 29, 1983/आश्विन 7, 1905
No. 435] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 1983/ASVINA 7, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1983

का० आ० 698 (अ)/18क/आई० डी० आर० ए०/83-
भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश
सं० का० आ० 608 (अ)/18क/आई० डी० आर० ए०/72,
तारीख 18 दिसम्बर, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त
आदेश कहा गया है) द्वारा मैसर्स इण्डियन रबर मेन्युफैक्चर्स
लि०, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण 17
दिसम्बर, 1977 तक की अवधि के लिए जिसमें यह तारीख
भी सम्मिलित है, किया गया था;

और भारत सरकार के आदेश सं० का० आ० 638 (अ)/
18क/आई० डी० आर० ए० 77, तारीख 26 अगस्त, 1977
द्वारा उक्त आदेश को 17 सितम्बर, 1979 तक की और
अवधि के लिए जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है विस्तारित
किया गया था।

और भारत सरकार के आदेश सं० का० आ० 520 (अ)/
18क/आई० डी० आर० ए०/79, तारीख 17 सितम्बर, 1979,
का० आ० 704 (अ)/18क/आई० डी० आर० ए०/81,
तारीख 17 सितम्बर, 1981, का० आ० 138 (अ)/18क/
आई० डी० आर० ए०/82, तारीख 17 मार्च, 1982, का० आ०
674 (अ)/18क/आई० डी० आर० ए०/82, तारीख 17
सितम्बर, 1982, का० आ० 867 (अ)/18क/आई० डी०
आर० ए०/82, तारीख 31 दिसम्बर, 1982 तथा का० आ०
271 (अ)/18क/आई० डी० आर० ए०/83 तारीख 31 मार्च,
1983 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 30 सितम्बर, 1983
तक की और अवधि के लिए जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित
है और बढ़ा दी गई थी।

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में यह
समीचीन है कि उक्त आदेश 31 अक्टूबर, 1983 तक की
और अवधि के लिए प्रभावी बना रहना चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन)
अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क के

परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त आदेश 31 अक्टूबर, 1983 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है प्रभावी बना रहेगा।

[फा० सं० 2(13)/80-सी० यू०एस०]
ए० पी० सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 29th September, 1983

S.O. 698(E)|18A|IDRA|83.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 608(E)|18A|IDRA|72, dated the 18th September, 1971 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the industrial undertaking known as the Indian Rubber Manufacturers Limited Calcutta, has been taken over for a period upto and inclusive of the 17th September, 1977;

And, whereas by the Order of the Government of India No. S.O. 638(E)|18A|IDRA|77, dated the 26th August, 1977 the said Order was extended for a further period upto and inclusive of the 17th September, 1979;

And, whereas by the Order of the Government of India No. S.O. 520(E)|18A|IDRA|79, dated the 17th September, 1979, No. S.O. 704(E)|18A|IDRA|81, dated the 17th September, 1981, No. S.O. 138(E)|18A|IDRA|82, dated the 18th September, 1982, No. S.O. 867(E)|18A|IDRA|82, dated the 31st December, 1982, and No. S.O. 271(E)|18A|IDRA|83, dated the 31st March, 1983, the duration of the said Order was further extended for a further period upto and inclusive of the 30th September, 1983;

And, whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of 31st October, 1983;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the provision of the section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st October, 1983.

[File No. 2(13)|80-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 436]
No. 436]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 1983/अश्विन 7, 1905
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 1983/ASVINA 7, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1983

का०आ० 699 (अ)/18 कक/आई० डी० आर० ए०/83:—
यतः, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास
विभाग) के आदेश संख्या 293(अ)/18कक/आई० डी० आर०
ए०/78 दिनांक 1 मई, 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात
उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा एल्यूमीनियम कारपोरेशन
आफ इंडिया लि०, कलकत्ता के आसनसोल के समीप जे०के०
नगर में स्थित औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उद्योग (विकास
और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की
धारा 18कक की उपधारा (1) के अधीन 30 अप्रैल,
1979 तक (जिसमें यह दिन भी शामिल है) एक वर्ष की
अवधि के लिए ग्रहण किया गया था तथा भारत एल्यूमी-
नियम कंपनी लि० को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध करने के
लिए प्राधिकृत किया गया था।

और, यतः, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्यो-
गिक विकास विभाग) के आदेशों दिनांक 25 अप्रैल, 1979
के का०आ० संख्या 224(ई), दिनांक 29 अप्रैल, 1980
का का०आ० 286(ई), दिनांक 31 अक्टूबर, 1980 का
का०आ० 869(ई)/18कक/आई० डी० आर० ए०/80, दिनांक
30 अप्रैल, 1981 का का०आ० 325(ई)/18कक/
आई० डी० आर० ए०/81, दिनांक 30 अप्रैल, 1982 का
का०आ० 290(ई), दिनांक 31 जुलाई, 1982 का का०आ०
539(ई) तथा दिनांक 28 मार्च, 1983 का का०आ०
235(ई)/18कक/आई० डी० आर० ए०/83, द्वारा उक्त आदेश
की अवधि समय-समय पर 30 सितम्बर, 1983 तक बढ़ा
दी गई थी।

और, यतः, केन्द्र सरकार की राय में लोक हित में यह
समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम को 31 मार्च, 1984
तक 6 महीने की और अवधि के लिए भारत एल्यूमीनियम
कंपनी लि० के प्रबन्ध में बना रहने दिया जाना चाहिए।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक (विकास और
विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा

18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए निदेश देती है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1984 तक, जिसमें यह दिन भी शामिल है, 6 महीने की आगामी अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फाइल सं० 4(1)/80-सी०यू०एम०]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 29th September, 1983

S.O. 699(E)|18AA|IDRA|83.—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. 293(E)|18AA|IDRA|78, dated the 1st May, 1978 (hereinafter referred to as the said order), the management of the industrial undertaking located at Jaykaynagar near Asansol belonging to the Aluminium Corporation of India Limited, Calcutta, was taken over under sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of one year upto and inclusive of the 30th April, 1979, and the Bharat Aluminium Company Limited was authorised to take over the management of the said industrial undertaking;

And, whereas, by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 224(E), dated the 25th April, 1979, No. S.O. 286(E), dated the 29th April, 1980, No. S.O. 869(E)|18AA|IDRA|80, dated the 31st October, 1980, No. S.O. 325(E)|18AA|IDRA|81, dated the 30th April, 1981, S.O. 290(E), dated the 30th April, 1982, S.O. 539(E), dated the 31st July, 1982 and S.O. 235(E)|18AA|IDRA|83, dated the 28th March, 1983, the duration of the said Order was extended from time to time for a further period upto the 30th September, 1983;

And, whereas, the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the Bharat Aluminium Company Limited for a further period of six months upto the 31st March, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of six months upto and inclusive of the 31st March, 1984.

[File No. 4(1)|80-CUS.]

का० ग्रा० 700(अ)/18चख/आई०डी०आर०ए०/83.—

यतः भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के दिनांक 2 मई, 1978 के का०आ० संख्या 302(अ)/18एफ०बी०आई०डी०आर०ए०/78 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-चख की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रदत्त ऐसी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण, पत्रों, करारों, समझौतों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों, जिनका एल्युमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लि. कलकत्ता के आसन्नमोल के समीप जे०के० नगर स्थित औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है, या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम पर लागू हो सकते हों, का प्रवर्तन एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे।

और, यतः, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग के दिनांक 25 अप्रैल, 1979 के का०आ० संख्या 225(अ)/18 चख/आई०डी० आर०ए०/79, दिनांक 29 अप्रैल, 1980 का का०आ० संख्या 287/18चख/आई०डी० आर०ए०/80 दिनांक 31 अक्तूबर, 1980 का०आ० संख्या 870(अ)/18चख/आई०डी०आर०ए०/80, दिनांक 30 अप्रैल, 1981 का का०आ० संख्या 326(ई)/8चख/आई०डी०आर०ए०/81 दिनांक 30 अप्रैल, 1982 का का०आ० संख्या 291(अ), 31 जुलाई, 1982 का का०आ० संख्या 540(अ), दिनांक 28 मार्च, 1983 का का०आ० संख्या 236(अ)/18चख/आई०डी०आर०ए०/83 और 28 मई, 1983 का का०आ० संख्या 380(अ) द्वारा उक्त आदेश की अवधि समय-समय पर 30 सितम्बर, 1983 तक की आगामी अवधि के लिए और बढ़ा दी गई थी।

और, यतः, केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि उक्त आदेश की अवधि और 6 महीने यानी 31 मार्च, 1984 तक, जिसमें यह दिन भी शामिल है, बढ़ा देनी चाहिए।

अब, अतः, केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए उक्त आदेश की अवधि 31 मार्च, 1984 तक, जिसमें यह दिन भी शामिल है, बढ़ाती है।

[फाइल सं० 4(1)/80-सी०यू०एम०]

ए० पी० सरवन, सयुक्त सचिव

S.O. 700(E)|18FB|IDRA|83.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 302(E)|18FB|IDRA|78, dated

the 2nd May, 1978, (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), had declared that the operation of all contracts, assurances of property agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order to which the industrial undertaking located at Jaykaynagar near Asansol and belonging to the Aluminium Corporation of India Limited, Calcutta, is a party or which may be applicable to the said Industrial undertaking, shall remain suspended for a period of one year and that all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for a period of one year;

And, whereas by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 225(E)|18FB|IDRA|79, dated 25th April, 1979, No. S.O. 287(E)|18FB|IDRA|80 dated the 29th April, 1980, S.O. 870|18FB|IDRA|80 dated the 31st

October, 1980, No. S.O. 326(E)|18FB|IDRA|81, dated 30th April, 1981, No. S.O. 291(E), dated 30th April, 1982, S.O. 540(E), dated the 31st July, 1982, S.O. 236(E)|18FB|IDRA|83 dated the 28th March, 1983 and S.O. 380(E) dated the 28th May, 1983 the duration of the said Order was further extended from time to time for a further period upto the 30th September, 1983;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of six months upto and inclusive of the 31st March, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 31st March, 1984.

[File No. 4(1)|80-CUS.]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 437] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 1983/आश्विन 7, 1905
No. 437] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 1983/ ASVINA 7, 1905

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय
(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1983

का० आ० 701(अ)—देशीय सरकार मोटरवाहन अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 109, उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तालाब निधि योजना 1982 को संशोधित करते हुए निम्नलिखित स्कीम बनाने हैं: अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) यह स्कीम तालाब निधि (संशोधन) योजना, 1983 है। यह तुरन्त प्रभावी होगी।

2. तोषण निधि योजना, 1982 में,

(1) खंड 2, उपखंड (ग) में "राज्य" शब्द के बाद "या ऐसा कोई अन्य अधिकारी जो सब डिवीजनल आफिसर या तहसीलदार से नीचे के आहूदे से कम न हो, जैसा भी राज्य सरकार निर्दिष्ट करे" शब्द रहेंगे;

(2) खंड 2, उपखंड (घ) में "राज्य" शब्द के बाद "या ऐसा कोई अन्य अधिकारी जो जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त या कलेक्टर के आहूदे से कम न हो, जैसा भी राज्य सरकार निर्दिष्ट करे" शब्द रहेंगे।

[फा०सं०टी डब्ल्यू/टीजीएम (28)/82]

गोविन्द जी मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 1983

S.O. 701(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 109 C of the Motor Vehicles Act, 1939, (4 of 1939), the Central Government hereby make the Scheme to amend the Solatium Fund Scheme, 1982, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) This Scheme may be called the Solatium Fund (Amendment) Scheme, 1983. (2) It shall come into force with immediate effect.

2. In the Solatium Fund Scheme, 1982;

(i) in sub-clause (c) of clause 2, after the word "State" the words "or such other officer not below the rank of a Sub-Divisional Officer or of a Tehsildar, as may be specified by the State Government" shall be inserted;

(ii) in sub-clause (d) of clause 2, after the word "State", the words "or such other officer not below the rank of a District Magistrate or of a Deputy Commissioner or of a Collector, as may be specified by the State Government" shall be inserted.

[F. No. TW/TGM(28)|82]

G. J. MISRA, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 438]
No. 438]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 1983/अश्विन 8, 1905
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 1983/ASHVINA 8, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(वैकिंग प्रमाण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1983

का० अ० 702 (अ):—बैंकारी कंपनी (विधि व्यवसायियों के मुवकिलों के खाते) अधिनियम, 1949 (1949 का 46) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक अक्टूबर, 1983 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिससे कि उक्त अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों पर लागू होंगे, अर्थात् :—

राज्य :

1. आंध्र प्रदेश
2. असम
3. बिहार
4. गुजरात
5. हरियाणा

संघ शासित क्षेत्र :

1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
2. भरणाचल प्रदेश
3. चण्डीगढ़
4. दिल्ली

राज्य :

संघ शासित क्षेत्र :

6. हिमाचल प्रदेश
7. जम्मू तथा कश्मीर
8. कर्नाटक
9. केरल
10. मध्य प्रदेश
11. महाराष्ट्र (जहां अधिनियम पहले से लागू है, राज्य के उस भाग के अलावा)
12. मणिपुर
13. मेघालय
14. नागालैण्ड
15. राजस्थान
16. तमिलनाडु
17. त्रिपुरा
18. उत्तर प्रदेश
19. पश्चिम बंगाल

[सं० एफ० 18/8/82-ओ० ओ०-1]

वी० के० सिबल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—उड़ीसा में यह अधिनियम भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, पृष्ठ 278 पर प्रकाशित दिनांक 12 जुलाई, 1950 की अधिसूचना सं० सा० आ० 270 के अंतर्गत पहली अगस्त, 1950 से और पंजाब राज्य में भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, पृष्ठ 1597 पर प्रकाशित दिनांक 18 सितम्बर, 1951 की अधिसूचना संख्या सं० सा० आ० ० 1431 के अंतर्गत पहली अक्टूबर, 1951 से प्रवृत्त किया गया था।

इस अधिनियम के विस्तार को 1963 के विनियम 6, धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा संघ शासित क्षेत्र दादरा और नगर हवेली तक और 1963 के विनियम 7, धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा पांडिचेरी तक बढ़ा कर वहाँ प्रवृत्त किया गया और इसके विस्तार को 1963 के विनियम 11, धारा 3 और अनुसूची द्वारा गोवा, दमन और दीव और 1965 के विनियम 8, धारा 3 और अनुसूची द्वारा लक्षद्वीप मिनीकाय और अमीन-दीव द्वीप समूह तक बढ़ाया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 1983

S.O. 702(E)—In exercise of the powers conferred by subsection (3) of section 1 of the Banking Companies (Legal Practitioners' Clients' Accounts) Act, 1949 (46 of 1949), the Central Government hereby appoints the 1st day of October, 1983 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force in the following States and Union territories, namely:—

States	Union Territories
1. Andhra Pradesh	1. Andaman and Nicobar Islands
2. Assam	2. Arunachal Pradesh
3. Bihar	3. Chandigarh
4. Gujarat	4. Delhi
5. Haryana	

States	Union Territories
6. Himachal Pradesh	
7. Jammu & Kashmir	
8. Karnataka	
9. Kerala	
10. Madhya Pradesh	
11. Maharashtra (except the Part of the State to which the Act is already in force)	
12. Manipur	
13. Meghalaya	
14. Nagaland	
15. Rajasthan	
16. Tamil Nadu	
17. Tripura	
18. Uttar Pradesh	
19. West Bengal	

[No. F. 18/8/82-B.O.]

V. K. SIBAL, Joint Secy.

Note:—The Act was brought into force in Orissa on 1st August, 1950, vide Notification No. S.R.O. 270, dated the 12th July, 1950, Gazette of India, Pt. II, Sec. 3, p. 278, and in the State of Punjab on the 1st October, 1951, vide Notification No. S.R.O. 1431, dated 18th September, 1951, Gazette of India, Pt. II, Sec. 3, p. 1597.

The Act was extended to and brought into force in the Union Territories of Dadra and Nagar Haveli by Reg. 6 of 1963, s. 2 and Sch. 1 and Pondicherry by Reg. 7 of 1963, s. 3 and Sch. 1 and extended to Goa, Daman and Diu by Reg. 11 of 1963, s. 3 and Sch. and Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands by Reg. 8 of 1965, s. 3 and Sch.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 439] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 1 1983/आश्विन 9, 1905
No. 439] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 1, 1983/ASVINA 9, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 1983

आदेश सं. 30/83

का.आ.703(अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत में आयातित किसी रूप में किसी भी पशु मूल की चर्बी, बसा और/या पिघलाए हुए, बिना पिघलाए हुए तेल या जो अन्यथा रूप से हों के घरेलू उपभोग के लिए निकासी पर प्रतिबन्ध लगाती है।

[मिमिल सं. आईपीसी/4/3/(37)/34/83-84]

प्रकाश चन्द जैन, मुख्य नियंत्रक

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 1st October, 1983

ORDER NO. 30/83

S.O. 703(E).—In exercise of the powers conferred under subsection (3) of section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby publishes the clearance for home consumption of tallow, fat and/or oils rendered, unrendered or otherwise of any animal origin, in any form, imported into India.

[File No. IPC/4/8(37)/34/83-84]

P. C. JAIN, Chief Controller

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 440] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 1, 1983/आश्विन 9, 1905
No. 440] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 1, 1983/ASVINA 9, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 1983

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का. आ. सं. ई(सी)ओ, 1977/एएम (274) :—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण)
अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग
करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में और
आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

- (1) इस आदेश की निर्यात (नियंत्रण) 21वां संशोधन आदेश, 1983 की
संज्ञा दी जाए ।

(2) निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में, खूले सामान्य लाइसेंस-3 की अनुसूची 3, कॉलम-4 में,

(1) क्रम सं. 1 के सामने शर्त सं. 3 को हटाया जाएगा ।

(2) क्रम सं. 2 के सामने शर्त सं. 2 को हटाया जाएगा ।

[मिसिल सं. 34(4)/83-ई-2 से जारी]

प्रकाश चन्द जैन, मुख्य नियंत्रक,
आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 1st October, 1983

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. No. E(C)O, 1977/AM(274).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947, (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Export (Control) Order, 1977, namely :—

(1) This order may be called the Export (Control) Twenty first Amendment Order, 1983.

(2) In the Exports (Control) Order, 1977, in OGL : 3 of schedule-III, in Column 4 :—

(i) The condition No. (iii) against Serial No. 1 shall be deleted.

(ii) The condition No. (ii) against Serial No. 2 shall be deleted.

[Issued from F. No. 34(4)/83-E II]

P. C. JAIN,
Chief Controller of Imports & Exports.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 441]
No. 441]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 3, 1983/ अश्विन 11, 1905
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 3, 1983/ASVINA 11, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 1983

का. आ. 705(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार प्रथमदृष्ट्या इस मत की है कि “दि एन्टिटी” (अंग्रेजी) नामक फिल्म में आतंक और क्रूरता के दृश्य हैं, जिनका दर्शकों पर घृणित और डरावना प्रभाव पड़ता है, तथा महिलाओं के नग्न वृश्य और यौन-क्रिया के दृश्य हैं जो मानवीय संवेदनशीलता को क्षुब्ध करते हैं, और यतः इस प्रकार यह फिल्म इस मंत्रालय की अधिसूचना सं. एफ. 5/5/77-एफ (सी.), दिनांक 7-1-78 (यथा संशोधित) के अंतर्गत जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के पैरा 2(3) और 2(4) में उल्लिखित हिंसा, क्रूरता, आतंक, अशुष्टता और अभद्रता से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांतों की अवहेलना करती है और इस प्रकार चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) (इसके बाद इसको उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 5-ख(1) के अर्थ के अन्दर “शुष्टता या नीतिकता” और “किसी अपराध को करने के लिए उद्दीपन” से संबंधित उपबंधों का उल्लंघन करती है और यतः इस फिल्म का प्रदर्शन करते रहने से दर्शकों पर घृणित प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, इसलिए केन्द्रीय सरकार यह आवश्यक समझती है कि जनता को इस फिल्म को देखने से तत्काल बचाया जाए।

अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह निदेश देती है कि “दि एन्टिटी” (अंग्रेजी) नामक फिल्म, जिसको केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, बम्बई द्वारा “ए प्रमाण-पत्र सं. ए-5063, दिनांक 27-5-83 प्रदान किया गया था का प्रदर्शन इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो महीने की अवधि के लिए निलम्बित कर दिया जाए।

[संख्या 809/24/83-एफ. (सी.)
वी. एस. जाफा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND
BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 1983

S.O. 705(E).—Whereas the Central Government is prima facie of the opinion that the film “The Entity” (English) contains scenes of horror or cruelty having a disgusting and horrifying impact on the viewers and scenes of nudity of female body and sexual scenes which are offensive to human sensibilities and whereas the film thus offends the

guidelines relating to violence, cruelty, horror, vulgarity and obscenity mentioned in para-2(iii) and 2(iv) of the guidelines issued under this Ministry's notification No. F.5/5/77-F(C) dated 7-1-78 (as amended) and thus contravenes the provisions relating to "decency or morality" and "incitement to the commission of any offence" within the meaning of Section 5B(1) of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952) (hereinafter called the said Act) and whereas the continued exhibition of the film is likely to have an unsavoury impact on the audience, the Central Government, therefore, feels it necessary to protect the public at large immediately from exposure to the film :

Therefore, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the exhibition of the film entitled "The Entity" (English) which was granted 'A' certificate No. A-5063 dated 27-5-83 by the Central Board of Film Certification, Bombay, be suspended for a period of two months with effect from the date of issue of this Notification.

[No. 809/24/83-F(C)]

V. S. Jafa, Jt. Secy



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 442]

No. 442]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 4, 1983/अश्विन 12, 1905
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 1983 /ASVINA 12, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1983

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

Office of the Development Commissioner (Drugs)

ORDERS

New Delhi, the 29th September, 1983

का० आ० 706 (अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण)
आदेश, 1979 के पैरा 13 के उपपैरा (6) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पेट्रोलियम,
रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश
सं० का० आ० 603 (अ), तारीख 22 जुलाई, 1981 का निम्नलिखित
संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त आदेश के नीचे की सारणी में क्रम संख्यांक 16 और उससे
संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ
रखी जाएंगी, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"16.	डॉक्सिसाइक्लिन कैप्सूल	100	6 का	7.54"।
		मि० आ० पत्ता/बोतल		
		/कैप्सूल		

S.O. 706(E).—In exercise of the powers conferred by clause
(a) of sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices
Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes
the following amendment in the Order of Government of India
in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers
(Department of Chemicals and Fertilizers) No. S.O. 603
(E), dated the 22nd July, 1981, namely:—

In the Table below the said Order, for serial number 16 and
the entries relating thereto, the following serial number and
entries shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"16.	Doxycycline 100mg/capsule	6's strip/bottle		7.54"
	Capsules			

[सं० 9 (31)/82-औषधि-II]

[No. 9 (31)/82-D-II]

का० आ० 707 (अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 13 के उपपैरा (6) के खंड (क) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं० का० आ० 548 (अ), तारीख 8 जुलाई, 1981 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त आदेश के नीचे की सारणी में, क्रम संख्यांक 7, 8, 9, 10, और 11 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

7. डाक्सीसाइक्लिन कैप्सूल 100 मि० ग्रा०/कैप्सूल 10 की बोतल/पट्टी	12.82
8. डाक्सीसाइक्लिन कैप्सूल 100 मि० ग्रा०/कैप्सूल 4 की बोतल/पट्टी	5.34
9. डाक्सीसाइक्लिन कैप्सूल 100 मि० ग्रा०/कैप्सूल 2 की शीशी/पट्टी	3.52
10. डाक्सीसाइक्लिन कैप्सूल 100 मि० ग्रा०/कैप्सूल 3 की शीशी/पट्टी	4.88
11. डाक्सीसाइक्लिन शर्बत 50 मि० ग्रा०/5 मि० लि० 25 मि० ली० बोतल	5.32" 1

[सं० 9 (31)/82-औषधि-II]

S.O.707(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No. S.O. 548 (E), dated the 8th July, 1981, namely:—

In the Table below the said Order, for serial numbers 7, 8, 9, 10 and 11 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be substituted, namely:—

7. Doxycycline 100mg/capsule 10's bottle/-strip	12.82
8. Doxycycline 100mg/capsule 4's bottle/-strip	5.34
9. Doxycycline 100mg/capsule 2's vial/-strip	3.52
10. Doxycycline 100mg/capsule 3's vial/-strip	4.88
11. Doxycycline 50mg/5 ml 25 ml bottle Syrup	5.32".

[No. 9 (31)/82-D-II]

का० आ० 708 (अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 13 के उपपैरा (6) के खंड (क) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं० का० आ० 666 (अ), तारीख 24 अगस्त, 1981 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त आदेश के नीचे की सारणी में, क्रम संख्यांक 16, 17, और 18 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

16. डाक्सीसाइक्लिन इंजेक्शन 50 मि० ग्रा०/मि० ली० 10 मि० ली० शीशी	9.88
--	------

17. डाक्सीसाइक्लिन इंजेक्शन 50 मि० ग्रा०/मि० ली० 2 मि० ली० एम्प्यूल	2.5
18. डाक्सीसाइक्लिन इंजेक्शन 100 मि० ग्रा०/मि० ली० 5 मि० ली० शीशी	4.38" 1

[सं० 9 (31)/82-औषधि-II]

S.O. 708 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No. S.O. 666 (E), dated the 24th August, 1981, namely:—

In the Table below the said Order for serial numbers 16, 17 and 18 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:—

16. Doxycycline 50 mg/ml Injection	10ml vial	9.68
17. Doxycycline 50mg/ml Injection	2ml ampoule	2.52
18. Doxycycline 100mg/ml Injection	5ml vial	4.38."

[No.9 (31)/82-D-II]

का० आ० 709 (अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 13 के उपपैरा (6) के खंड (क) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट कीमतों को, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग 3 सूत्रयोग की, जिसकी प्रवृत्तता और पैक आकार क्रमशः उसके स्तंभ (3) और (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, अथवा कीमत के रूप में, जिसके अंतर्गत उत्पाद-शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई हों, नहीं हैं, नियत करती है:—

सारणी				
क्रम सं०	सूत्रयोग का नाम	प्रवृत्तता	पैक आकार	अग्रणी कीमत (र०)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
प्रवर्ग 3 सूत्रयोग:				
1. आक्सीटासिन इंजेक्शन 2 आई. यू./एम्प्यूल	6 एंपियर × 2 मि० ली०	6.34		
2. आक्सीटासिन इंजेक्शन 2 आई. यू./एम्प्यूल	50 एंपियर × 2 मि० ली०	52.90		
3. आक्सीटासिन इंजेक्शन 2 आई. यू./एम्प्यूल	100 एंपियर × 2 मि० ली०	105.80		
4. आक्सीटासिन इंजेक्शन 5 आई. यू./एम्प्यूल	6 एंपियर × 1 मि० ली०	5.96		
5. आक्सीटासिन इंजेक्शन 5 आई. यू./एम्प्यूल	50 एंपियर × 1 मि० ली०	48.48		
6. आक्सीटासिन इंजेक्शन 5 आई. यू./एम्प्यूल	100 एंपियर × 1 मि० ली०	92.90		
7. जेन्टामाइसिन टॉपिकल फ्रीम जेन्टामाइसिन आधार वाला	5 ग्राम 0.1 %/ड्रॉप्स/ड्रॉप्स	2.00		

[सं० 9 (31)/82-औषधि-II]

3) 709(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby fixes the prices as specified in column (5) of the Table below as the leader price exclusive of excise duty and local taxes, if any, of each of the Category III formulations specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and pack size respectively in the corresponding entry in columns (3) and (4) thereof:—

TABLE

Sl. No.	Name of the formulation	Strength	Pack size	Leader price (Rs.)
1	2	3	4	5
CATEGORY III FORMULATIONS:				
1.	Oxytocin Injection	2 i.u./ampoule	6Amps X 2ml	6.34
2.	Oxytocin Injection	2 i.u./ampoule	50Amps X 2ml	52.90
3.	Oxytocin Injection	2 i.u./ampoule	100Amps X 2ml	105.80
4.	Oxytocin Injection	5 i.u./ampoule	6Amps X 1ml	5.96
5.	Oxytocin Injection	5 i.u./ampoule	50Amps X 1ml	46.48
6.	Oxytocin Injection	5 i.u./ampoule	100Amps X 1ml	92.90
7.	Gentamycin Topical Cream	0.1% w/w of Gentamycin Base	5gm tube	2.00

[No. 9(31)/82-D-II]

का० आ० 710 (अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) अधिनियम, 1979 के पैरा 12 के उपपैरा (2) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं० का० आ० 559 (अ), तारीख 6 अगस्त, 1982 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त आदेश से उपाखण्ड सारणी में, "प्रवर्ग 2 बिनिमित्तिया" शीर्षक के नीचे, क्रम संख्यांक 1 (ग), 2 (क) और 2 (ग) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:—

- "1 (ग) टेट्रासाइक्लीन आई आईटमेंट/ टेट्रासाइक्लीन एच 3.5 ग्राम 1.27";
 ओशन/ट्राकेज/सूपरसाइड्स/ सी एल 1% ट्यूब
 ड्राप्स
- "2 (क) डीमेथिल क्लोरोटेट्रासाइ- 30 मि०ग्रा० डीमे- 10 की 1.26";
 क्लीन कैप्सूल/टिकिया (बिलेय) थिल क्लोरोटेट्रा स्ट्रिप
 साइक्लीन एचसी- बोतल
 एल/टिकिया
- "2 (ग) डीमेथिल क्लोरोटेट्रासाइ- 1% क्लोरोटेट्रा- 3.5 ग्राम 1.27"
 क्लीन/क्लोरोटेट्रासाइक्लीन साइक्लीन एच सी ट्यूब
 आई आईटमेंट/लोशन एल

[सं० 9 (31)/82-औषधि-II]

ई० एन० मूर्ति, उप सचिव

S.O. 710(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (2) of paragraph 12 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No. S.O. 559(E), dated the 6th August, 1982, namely:—

In the Table annexed to the said Order, under the heading "Category II formulations", for serial numbers 1(c), 2(a) and 2(c), and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely:—

- "1(c) Tetracycline Eye Ointment 3.5gm tube 1.27";
 Tetracycline Hcl 1% tube
 lotion/troches/supersoids/-drops
- "2(a) Demethyl Chloro-Tetracycline Capsules/-tablets (soluble) 30mg demethyl chlorotetracycline Hcl. Tablet 10's strip bottle 1.26";
- "2(c) Demethyl Chloro-Tetracycline/-Chloro-Tetracycline Eye Ointment/lotion 1% chloro-Tetracycline Hcl. 3.5gm tube 1.27".

[No. 9(31)/82-D-II]

E.N. MURTHY, Dy. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 443]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 4, 1983/ आश्विन 12, 1905

No. 443]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 1983/ASVINA 12, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में

रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर 1983

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Office of the Development Commissioner (Drugs))

ORDER

New Delhi, the 29th September 1983

क्र० आ० 711 (अ).—केन्द्रीय सरकार औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 13 के पैरा (6) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के तत्कालीन पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं० का० आ० 494 (अ), तारीख 13 जुलाई, 1982 का निम्न-लिखित संशोधन करती है अर्थात्:—

उक्त आदेश के नीचे की सारणी में:—

(क) क्रम संख्यांक 5 के सामने स्तंभ (5) में "5.06" अंकों के स्थान पर "5.40" अंक रखे जाएंगे;

(ख) क्रम संख्यांक 5 और उसके संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न-लिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"5ए एनलजिन इंजेक्शन 0.5 मि. ग्रा./मि. ली. 5 एम्प्यूल × 5 मि. ली.
12.80

5ख एनलजिन इंजेक्शन 0.5 मि. ग्रा./मि. ली. 10 एम्प्यूल × 2 मि. ली.
16.12

5ग एनलजिन इंजेक्शन 0.5 मि. ग्रा./मि. ली. 30 मि. ली. 11.48"

[सं० 9 (24)/83-औषधि-2]

S. O. 711 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No. S. O. 494 (E), dated the 13th July, 1982, namely:—

In the Table below the said Order—

(a) against serial number 5, in column (5), for the figure "5.06" the figure "5.40" shall be substituted.

(b) after serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

5A	Analgin Injection 0.5mg/ml	5Amp. × 5ml	12.80
5B	Analgin Injection 0.5mg/ml	10Amp. × 2ml	16.12
5C	Analgin Injection 0.5mg/ml	30ml	11.48"

[No. 9 (24)/83-Drug.-II]

का० आ० 712 (अ).—केन्द्रीय सरकार औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 12 के उपपैरा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के तत्कालीन पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं० का० आ० 179 (अ) तारीख 12 मार्च, 1981 का निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त आदेश से उपाबद्ध सारणी में “प्रकार I विनियमितियाँ” शीर्षक के नीचे क्रम संख्यांक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी अर्थात् :—

“1. फीनाक्सीमेथिल पेनिसिलीन टिकिया	65 मि० ग्रा०/ 3 × 6 की 10.09 टिकिया
1क. फीनाक्सीमेथिल पेनिसिलीन टिकिया	130 मि० ग्रा०/ 3 × 6 की 17.04, टिकिया

S. O. 712 (B).—In exercise of the powers conferred by sub paragraph (1) of paragraph 12 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following amendments in the order of Government of India, in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No. S. O. 179 (B), dated the 12th March, 1981 namely :—

In the Table annexed to the said Order, under the Heading “Category I formulations”, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be substituted namely :—

“1. Phenoxymethyl Penicillin Tablets.	65mg/Tab. 8 × 6's 10.09
1A. Phenoxymethyl Penicillin Tablets.	130mg/Tab. 8 × 6's 17.04”.

[No. 9(24)/82-Drug. II]

E. N. MURTHY, Dy. Secy.

[सं० 9 (24)/82-औषधि-2]
ई. एन. मूर्ति, उप सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
(EXTRAORDINARY)

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 444]
No. 444]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 4, 1983/अश्विन 12, 1905
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 1983/ASVINA 12, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

विकास अधिकृत (औषधि) का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1983

का० खा० 713 (अ).—केन्द्रीय सरकार औषधि (कीमत नियंत्रण) अधिनियम 1979 के पैरा 13 के उपपैरा (6) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त प्रावधानों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के तत्कालीन पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं० का० खा० 121 (अ); तारीख 4 मार्च 1983 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त आदेश के नीचे की सारणी में क्रम संख्यांक 11; 12; 13; 14 और 15 के सामने स्तंभ 5 में "62.70", "27.26", "1.34", "2.94", और "8.44" अंकों के स्थान पर क्रमशः "72.38", "29.70", "1.44", "3.34" और "9.46" अंक रख जायेंगे

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

Office of the Development Commissioner (Drugs)

ORDERS

New Delhi, the 29th September, 1983

S.O. 713 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No. S. O. 121 (E), dated the 4th March, 1983, namely:—

In the Table below the said order, against serial number 11, 12, 13, 14 and 15 in column 5, for the figures "62.70", "27.26", "1.34", "2.94" and "8.44", the figures "72.38", "29.70", "1.44", "3.34", and "9.46", shall respectively be substituted

[सं० 9(18)/83-औषधि-2]

[No. 9(18)/83-Drug-I]

क्र० आ० 714 (अ).—केन्द्रीय सरकार औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश 1979 के पैरा 13 के उपपैरा (6) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट कीमतों की उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की सत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रत्येक प्रयोग 3 सूचयोग की जिसकी प्रचलता औ. च. पैक आकार क्रमशः उसके स्तंभ (3) और (4) में की सत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित है अग्रणी कीमत के रूप में जिसके अंतर्गत उत्पाद-शुल्क और स्थानीय कर यदि कोई हों, नहीं है नियत करती है :—

सारणी				
क्रम सं०	सूचयोग का नाम	प्रचलता	पैक आकार	अग्रणी कीमत (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेक्सोल टिफिया	सल्फामेक्सोल 400 मि. ग्रा. ट्राइमेथोप्रिम 80 मि. ग्रा.	10 × 10 की	53.96
2.	ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेक्सोल पाएड	ट्राइमेथोप्रिम 40 मि. ग्रा. सल्फामेक्सोल 100 मि. ग्रा.	10 × 10 की	18.14
3.	ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेक्सोल सर्वेशन	ट्राइमेथोप्रिम 40 + मि. ग्रा. सल्फामेक्सोल 200 मि. ग्रा./प्रति 5 मि. ली.	50 मि. ली. बोतल	6.16

[सं० 9 (18)/83-औषधि-2]

ई. एन. मूर्ति, उप सचिव

S. O. 714(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979 the Central Government hereby fixes the Prices as specified in the column 5 of the Table below as the leader price exclusive of excise duty and local taxes, if any, of each of the category III formulations specified in the corresponding entry in column 2 of the said Table with the strength and pack size mentioned respectively in the correspondings entries in columns 3 and 4 thereof :—

TABLE				
Sl. No.	Name of the formulations	Strength	Pack size	Leader Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Trimethoprim and Sulphamoxole Tabs.	Sulphamoxole 400mg. Trimethoprim 80mg.	10 × 10's	53.96
2.	Trimethoprim and Sulphamoxole Paed	Trimethoprim 40mg. Sulphamoxole 100mg.	10 × 10's	18.14
3.	Trimethoprim and Sulphamoxole Suspn.	Trimethoprim 40mg. + 50 ml. bottle Sulphamoxole 200mg./per 5ml.		6.16

[No. 9 (18)/83-Drug-II]

E. N. MURTHY, Dy. Secy

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 445] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 4, 1983/अश्विन 12, 1905
No. 445] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 1983/ASVINA 12, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 1983

का. आ. 715(अ).—मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 24
की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत
सरकार, नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं. का.
539(अ) दिनांक 22 मितम्बर, 1979 से निम्नीलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में—

उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सद्य संख्या 9 के कालम 2 के सामने “KR” अक्षर समूह के बाद “KB” अक्षर समूह जोड़े जाएँ ।

[फाइल सं. टी जी एम (58)/82]

गोविन्द जी मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 1983

S.O. 715(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 24 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939), the Central Government hereby makes the following amendments in the Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 539 (E) dated the 22nd September, 1979, namely

In the said notification, in the Table :

against item No. 9 relating to the State of Kerala, in column 2, after the group of letters “KR”, the group of letters “KB” shall be added.

[File No. TGM-58/82]

G. L. MISRA, Jt. Secy.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 446] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 4, 1983/आश्विन 12, 1905
No. 446] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 1983/ASVINA 12, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

आवेष्ट

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 1983

का. आ. 716(अ)/सं. ई(सी)ओ, 1977/एएम(275) :—आयात तथा निर्यात
(नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 के अन्तर्गत प्रवृत्त अधि-
कारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्यात (नियंत्रण) आवेष्ट,
1977 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती
है, अर्थात् :—

- (1) इस आवेष्ट को निर्यात (नियंत्रण) 22वां संशोधन आदेश, 1983 की
संज्ञा दी जाए।

(2) निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में, भाग-क की अनुसूची 1 में, क्रम सं. 33(2) के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाए :—

“33(3) — बांस” ।

[मिसिल सं. 6/8/82-ई. 1]

प्रकाश चन्द्र जैन, मुख्य नियंत्रक,
(आयात एवं निर्यात)

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

ORDER

New Delhi, the 4th October, 1983

S.O. 716(E)/No. E(C)O, 1977/AM(275).—In exercise of powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947, (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Twenty second Amendment Order, 1983.
2. In the Exports (Control) Order, 1977, in Part 'A' Schedule-I, the following entry shall be added after Sl. No. 33(ii) :—

“33(iii) —Bamboo.”

[F. No. 6/8/82-EI]

P. C. JAIN, Chief Controller
(Imports and Exports)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

PART II—Section 3—Sub-section (ii)
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 447] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 5, 1983/भद्रा 13, 1905
No. 447] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 5, 1983/BHADRA 13, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असंग्रह संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

स्वायत्त और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(स्वायत्त विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 1983

का. आ. 717(अ).—केन्द्रीय सरकार, चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधि-
नियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 2 की उपधारा (क) के अनुसरण में,
कृषि-जलवायु सम्बन्धी दशाओं को, जो विद्यमान हैं या जिनके विद्यमान होने
की सम्भावना है, गन्ने की मात्रा का, जो पेटाई के लिए उपलब्ध है या जिसके
उपलब्ध होने की सम्भावना है तथा अन्य सम्बन्धित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए,

चीनी वर्ष 1983-84 के लिए तारीख पन्द्रह नवम्बर, 1983 को 'नियत दिन' के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 1-1/83-एन. एस. यू.]
एन. आर. बनर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 1983

S.O. 717(E).—In pursuance of Sub-section (a) of Section 2 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (No. 49 of 1978), the Central Government hereby specifies, having regard to the agro-climatic conditions prevailing or likely to prevail, the quantity of cane available or likely to be available for crushing and other relevant factors, the fifteenth day of November, 1983, as the 'appointed day' for the sugar year 1983-84.

[No. 1-1/83-NSU]
N. R. BANERJI, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 448]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 7, 1983/आश्विन 15, 1905

No. 448]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 7, 1983/ASVINA 15, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 1983

का. आ. 718(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./83 :—केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं. का. आ. 602(अ)/18-कक/आई.डी.आर.ए./74, तारीख 9 अक्टूबर, 1974 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति निकाय को मैसर्स मोटर एण्ड मशीनरी सैन्यफैब्रिकर्स लिमिटेड, कलकत्ता का प्रबंध 9 अक्टूबर, 1974 से प्रारम्भ होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 567(अ)/18-कक/आई.डी.आर.ए./78, तारीख 25 सितम्बर, 1978

द्वारा उक्त व्यक्ति निकाय के स्थान पर उक्त औद्योगिक उपक्रम के मुख्य अधिशासक श्री पी. एन. रामचन्द्रन को प्रतिस्थापित किया गया था ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 572 (अ)/18-कक/आई.डी.आर.ए./79, तारीख 8 अक्टूबर, 1979 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 8 अक्टूबर, 1981 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 866(अ)/18-कक/आई.डी.आर.ए./80, तारीख 29 अक्टूबर, 1980 द्वारा भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, कलकत्ता के उपमहा-प्रबन्धक श्री क. एम. बनर्जी को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 738-18-कक/आई.डी.आर.ए./81, तारीख 6 अक्टूबर, 1981 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 8 अप्रैल, 1982 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और बढ़ा दी गई थी ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 263(अ)/18-कक/आई.डी.आर.ए./82, तारीख 8 अप्रैल, 1982 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 8 अक्टूबर, 1982 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और बढ़ा दी गई थी ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 719(अ)/18-कक/आई.डी.आर.ए./82, तारीख 8 अक्टूबर, 1982 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 8 जनवरी, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और बढ़ा दी गई थी ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 8(अ)/18-कक/आई.डी.आर.ए./83, तारीख 7 जनवरी, 1983 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 8 अप्रैल, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और बढ़ा दी गई थी ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. 282(अ)/18-कक/आई.डी.आर.ए./83, तारीख 8 अप्रैल, 1983 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 8 अक्टूबर, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और बढ़ा दी गई थी ;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश तीन मास की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहना चाहिए ;

अतः केंद्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-क की उप-धारा (2) के परन्तुक के साथ पठित धारा 18-कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि उक्त आदेश के 8 जनवरी, 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

[फा. सं. 2(23)/79-सी.यू.एस.]
ए. पी. सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 7th October, 1983

S.O. 718(E)|18AA|IDRA|83.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 602 (E)|18AA|IDRA|74, dated the 9th October, 1974 (hereinafter referred to as the said Order) made in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government authorised a body of persons specified therein to take over the management of Messrs Motor and Machinery Manufacturers Limited, Calcutta, for a period of five years

commencing from 9th October, 1974 and the said body of persons was replaced by Shri P. N. Ramachandran, Chief Executive of the said industrial undertaking by Order of the Govt. of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S. O. 567(E)/18AA/IDRA/78 dated the 25th September, 1978;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 572(E)|18AA/IDRA/79 dated the 8th October, 1979, the duration of the said Order was extended upto and inclusive of the 8th October, 1981;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 866(E)/18AA/IDRA|80 dated the 29th October, 1980, the Central Government authorised Shri K. M. Banerjee, Deputy General Manager, Bharat Heavy Electrical Limited, Calcutta, to take over the management of the said industrial undertaking ;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 738(E)|18AA/IDRA|81, dated the 6th October, 1981, the duration of the said Order was further extended upto and inclusive of the 8th April, 1982;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 263(E)|18AA/IDRA|82, dated the 8th April, 1982, the duration of the said Order was further extended upto and inclusive of the 8th October, 1982.

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 719(E)|18AA/IDRA|82 dated the 8th October, 1982, the duration of the said Order was further extended upto and inclusive of the 8th January, 1983;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 8(E)|18AA/IDRA|83 dated the 7th January, 1983, the duration of the said Order was further extended upto and inclusive of the 8th April, 1983;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No.S.O.282(E)/18AA/IDRA|83 dated the 8th April, 1983, the duration of the said Order was further extended upto and inclusive of the 8th October, 1983;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period of three months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA read with proviso to sub-section (2) of section 18A of

the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 8th January, 1984.

[File No. 2(23)/79-CUS]
A. P. SARWAN, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 449] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 8, 1983/आश्विन 16, 1905
No. 449] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 8, 1983/ASVINA 16, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 1983

का० आ० 719(अ).—भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 670(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 1976 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), मेसर्स पशोक टी एस्टेट, डाकघर पशोक, जिला दार्जिलिंग नामक चाय एकक का प्रबन्ध, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 16ड की उपधारा (1) के खंड(क) के अधीन 10 अक्तूबर, 1981 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता को उक्त चाय एकक का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 732(अ), तारीख 6 अक्तूबर, 1981 और का० आ० 711(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 1982 द्वारा उक्त आदेश की अवधि को, 10 अक्तूबर, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाया गया था,

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त चाय एकक का प्रबन्ध, भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता के अधीन एक वर्ष की और अवधि के लिए बना रहे;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, चाय (संशोधन) अध्यादेश, 1983 (1983 का सं० 7) द्वारा यथा संशोधित, उक्त अधिनियम की धारा 16घ की उपधारा (2) के परन्तुक के साथ पठित धारा 16ड की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 10 अक्तूबर, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[का० सं० बी०-12012(8)/80-प्लान्ट-ए]

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 8th October, 1983

S.O. 719(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 670(E), dated the 11th October,

1976 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the tea unit known as M/s. Pashok Tea Estate, P.O. Pashok, District Darjeeling, was taken over under clause (a) of sub-section (1) of section 16E of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), for a period of five years upto and inclusive of the 10th October, 1981 and the Tea Trading Corporation of India Limited, Calcutta, was authorised to take over the management of the said tea unit;

And, whereas, by the Orders of the Government of India in the Ministry of Commerce Nos. S.O. 732(E), dated the 6th October, 1981 and S.O. 711(E), dated the 4th October, 1982, the duration of the said Order was extended upto and inclusive of the 10th October, 1983;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said tea unit should continue under the management of the Tea Trading Corporation of India Limited, Calcutta, for a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 16E read with the proviso to sub-section (2) of section 16D of the said Act as amended by the Tea (Amendment) Ordinance, 1983 (No. 7 of 1983), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of one year upto and inclusive of the 10th October, 1984.

[File No. B-12012(8)|80-PLANT-A]

का० आ० 720(अ).—भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 671(अ), तारीख 11 अक्टूबर, 1976 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), मैसर्स लुकसन टी एस्टेट, डाकघर कैरोन, जिला जलपाईगुड़ी नामक चाय एकक का प्रबन्ध, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 16ड की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन 10 अक्टूबर, 1981 तक ही, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता को उक्त चाय एकक का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 733(अ); तारीख 6 अक्टूबर, 1981 और का० आ० 710(अ), तारीख 4 अक्टूबर, 1982 द्वारा उक्त आदेश की अवधि को, 10 अक्टूबर, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाया गया था;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त चाय एकक का प्रबन्ध, भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता के अधीन एक वर्ष की और अवधि के लिए बना रहे;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, चाय (संशोधन) अध्यादेश 1983 (1983 का सं० 7) द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम की धारा 16 घ की उपधारा (2) के परन्तुक के साथ पठित धारा 16ड की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त आदेश 10 अक्टूबर, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा० सं० बी०-12012(8)/80-प्लांट-ए]

S.O. 720(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 671(E), dated the 11th October, 1976 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the tea unit known as M/s. Looksan Tea Estate, P.O. Carron, District Jalpaiguri, was taken over under clause (a) of sub-section (1) of section 16E of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), for a period of five years upto and inclusive of the 10th October, 1981 and the Tea Trading Corporation of India Ltd., Calcutta, was authorised to take over the management of the said tea unit;

And, whereas, by the Orders of the Government of India in the Ministry of Commerce Nos. S.O. 733(E), dated the 6th October, 1981 and S.O. 710(E), dated the 4th October, 1982, the duration of the said Order was extended upto and inclusive of the 10th October, 1983;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said tea unit should continue under the management of the Tea Trading Corporation of India Ltd., Calcutta, for a further period of one year ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 16E read with the proviso to sub-section (2) of section 16D of the Tea Act, 1953 (29 of 1953) as amended by the Tea (Amendment) Ordinance, 1983 (No. 7 of 1983), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of one year upto and inclusive of the 10th October, 1984.

[File No. B-12012(8)|80-PLANT-A]

का० आ० 721 (अ).—भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 672(अ), तारीख 11 अक्टूबर, 1976 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), मैसर्स बाह टुक्वार टी एस्टेट, जिला दार्जिलिंग नामक चाय एकक का प्रबन्ध, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 16ड की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन 10 अक्टूबर, 1981 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और भारतीय चाय व्यापार निगम

लिमिटेड, कलकत्ता को उक्त चाय एकक का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 734(अ), तारीख 6 अक्तूबर, 1981 और का० आ० 709(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 1982 द्वारा उक्त आदेश की अवधि को, 10 अक्तूबर, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाया गया था;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त चाय एकक का प्रबन्ध, भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता के अधीन एक वर्ष की और अवधि के लिए बना रहे;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, चाय (संशोधन) अध्यादेश, 1983 (1983 का सं० 7) द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम की धारा 16 ब की उपधारा (2) के परन्तुक के साथ पठित धारा 16 ड की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त आदेश 10 अक्तूबर, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा० सं० बी०-12012(8)/80-प्लांट-ए]
जे० के० बागची, संयुक्त सचिव

S.O. 721(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 672(E), dated the 11th October, 1976 (hereinafter referred to as the said Order),

the management of the tea unit known as M/s. Vah Tukvar Tea Estate, District Darjeeling, was taken over under clause (a) of sub-section (1) of section 16E of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), for a period of five years upto and inclusive of the 10th October, 1981, and the Tea Trading Corporation of India Ltd., Calcutta, was authorised to take over the management of the said tea unit;

And, whereas, by the Orders of the Government of India in the Ministry of Commerce Nos. S.O. 734(E), dated the 6th October, 1981 and S.O. 709(E), dated the 4th October, 1982, the duration of the said Order was extended upto and inclusive of the 10th October, 1983;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said tea unit should continue under the management of the Tea Trading Corporation of India Ltd., Calcutta, for a further period of one year ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 16E read with the proviso to sub-section (2) of section 16D of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), as amended by the Tea (Amendment) Ordinance, 1983 (No. 7 of 1983), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of one year upto and inclusive of the 10th October, 1984.

[File No. B-12012(8)/80-PLANT-A]
J. K. BAGCHI, Jt. Secy



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 430]
No. 430]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 1983/आश्विन 7, 1905
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 1983/ASVINA 7, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1983

का० आ० 693(अ)/18कक/उ०वि०वि०अ०/83 :—
भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के (समय-समय पर यथासंशोधित) आदेश सं० का० आ० 22(अ)/18कक/उ० वि० वि० अ०/73, तारीख 15 जनवरी, 1973 द्वारा श्री जानकी शुगर मिल्स एण्ड कम्पनी, दोड़वाला, जिला देहरादून (उत्तर प्रदेश) नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक की उपधारा (1) के अधीन 30 सितम्बर, 1983 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था,

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम, उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबन्ध के अधीन 31 मार्च, 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की और अवधि के लिए बना रहे;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा-18-क की उपधारा (2) के परन्तुक के साथ पठित धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि ऊपर वर्णित आदेश 31 मार्च, 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहे।

[फा० सं० 2(2)/80-सी यू एस]

ए० पी० सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 29th September, 1983

S.O. 693(E)/18AA/IDRA/83.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 22(E)/18AA/IDRA/73, dated the 15th January, 1973 (as amended from time to time), the management of the industrial undertaking known as Shri Janki

आर पी सी सी. सं. 223/आई एन सी एल/311-81 में प्रकाशित हुआ है, वह बदलकर “लंगपी देहंगी ग्रामीण बैंक” हो जाएगा।

एच. बी. शिवमग्गी, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA
RURAL PLANNING & CREDIT DEPARTMENT
CENTRAL OFFICE
CORRIGENDUM

Bombay, the 6th August, 1983

S.O. 722(E).—Since the name of Karbi N. C. Rural Bank, Diphu (Assam) has been changed, the name of the said Regional Rural Bank, appearing in Gazette Notification RPCC, No. 223/INCL/311-81 dated 27th January, 1982 published under S.O. No. 54(E) published in Part II Section 3(ii) of the Gazette of India, Extraordinary dated 27th January, 1982, shall stand changed to “Langpi Dchangi Rural Bank”

H. B. SHIVAMAGGI, Executive Director



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 451]
No. 451]

नई दिल्ली, मंगलवार, अश्विन 11, 1983/आश्विन 19, 1905
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 11, 1983/ASVINA 19, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

(कम्पनी विधि बोर्ड)

1983 का अध्यादेश सं. 1

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, 1983

कां.आ. 723 (अ).—कम्पनी विधि बोर्ड, (न्याय पीठ) नियम, 1975 के नियम 2-क और नियम 3 के तहत पठित, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 10-क का उपधारा (4ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा इस श्रावण जारी किए गए कम्पनी विधि बोर्ड के 1982 के आदेश नं. 3, मारोख 6 सितम्बर, 1982 को अधिकांश करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से 10 अक्टूबर, 1983 में अपने निम्नलिखित न्यायपीठों का गठन करता है :—

न्याय पीठ सं. 1

- (1) श्री के.एस. भटनागर
- (2) श्री एम.एम. डूगर

अध्यक्ष
सदस्य

न्याय पीठ सं. 2

- (1) श्री के.एस. भटनागर
- (2) श्री एम. चक्रवर्ती

अध्यक्ष
सदस्य

न्याय पीठ सं. 3

- (1) श्री के.एस. भटनागर
- (2) श्री पी.के. मलिक

अध्यक्ष
सदस्य

न्याय पीठ सं. 4

- (1) श्री के.एस. भटनागर
- (2) श्री के.डी. सक्सेना

अध्यक्ष
सदस्य

न्याय पीठ सं. 5

- (1) श्री के.एस. भटनागर
- (2) श्री ए.आर. खरे

अध्यक्ष
सदस्य

न्याय पीठ सं. 6

- (1) श्री के.एस. भटनागर
- (2) श्री आर.एन. बंसल

अध्यक्ष
सदस्य

न्याय पीठ सं. 7

- (1) श्री एस.एम. डूगर
- (2) श्री एस. चक्रवर्ती

सदस्य
सदस्य

न्याय पीठ सं. 8

- (1) श्री एम.एम. डूगर
- (2) श्री पी.के. मलिक

सदस्य
सदस्य

न्याय पीठ सं. 9

- (1) श्री एस.एम. डूगर
- (2) श्री के.डी. सक्सेना

सदस्य
सदस्य

न्याय पीठ सं० 10

- (1) श्री एस०एम० डूगर
(2) श्री ए० आर० खरे

सदस्य
सदस्य

MINISTRY OF LAW JUSTICE AND COMPANY
AFFAIRS

Department of Company Affairs
(Company Law Board)

न्याय पीठ सं० 11

- (1) श्री एस०एम० डूगर
(2) श्री आर०एस० बन्सल

सदस्य
सदस्य

ORDER NO. 1 OF 1983

New Delhi, the 10th October, 1983

न्याय पीठ सं० 12

- (1) श्री एस० चक्रवर्ती
(2) श्री पी०के० मलिक

सदस्य
सदस्य

न्याय पीठ सं० 13

- (1) श्री एस० चक्रवर्ती
(2) श्री के०डी० सक्सेना

सदस्य
सदस्य

न्याय पीठ सं० 14

- (1) श्री एस० चक्रवर्ती
(2) श्री ए०आर० खरे

सदस्य
सदस्य

न्याय पीठ सं० 15

- (1) श्री एस० चक्रवर्ती
(2) श्री आर०एस० बन्सल

सदस्य
सदस्य

न्याय पीठ सं० 16

- (1) श्री पी०के० मलिक
(2) श्री के०डी० सक्सेना

सदस्य
सदस्य

न्याय पीठ सं० 17

- (1) श्री पी०के० मलिक
(2) श्री ए० आर० खरे

सदस्य
सदस्य

न्याय पीठ सं० 18

- (1) श्री पी०के० मलिक
(2) श्री आर०एस० बन्सल

सदस्य
सदस्य

न्याय पीठ सं० 19

- (1) श्री के०डी० सक्सेना
(2) श्री ए० आर० खरे

सदस्य
सदस्य

न्याय पीठ सं० 20

- (1) श्री के०डी० सक्सेना
(2) श्री आर०एस० बन्सल

सदस्य
सदस्य

न्याय पीठ सं० 21

- (1) श्री ए० आर० खरे
(2) श्री आर०एस० बन्सल

सदस्य
सदस्य

कम्पनी विधि बोर्ड और अधिनियम करता है कि—

(1) यह न्याय पीठ सम्पूर्ण देश में कार्य कर रहा कम्पनियों का बोयल, कम्पनी विधि बोर्ड (न्याय पीठ) नियम, 1975 के अधिन कम्पनी विधि बोर्ड के समक्ष की गई सभी याचिकाओं और आवेदन पत्रों का सुनवाई कर सकती है और उनका अन्तिम रूप से निपटारा कर सकती है।

(2) ये न्याय पीठें अपनी बैठकें ऐसे स्थानों पर कर सकती हैं जो आवश्यक समझे जायें।

S. O. 723 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4B) of section 10E of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) read with Rule 2 (e) and Rule 3 of the Company Law Board (Bench) Rules, 1975 and in super-session of the Company Law Board's Order No. 3 of 1982 dated the 6th September, 1982 issued in this behalf, the Company Law Board with the previous approval of the Central Government hereby constitutes the following Benches of the Company Law Board with effect from 10th October, 1983, namely :—

Bench No. 1 :

- (1) Shri K S Bhatnagar —Chairman
(2) Shri S M Dugar —Member

Bench No. 2 :

- (1) Shri K S Bhatnagar —Chairman
(2) Shri S Chakravarthi —Member.

Bench No. 3 :

- (1) Shri K S Bhatnagar —Chairman
(2) Shri P K Mallik —Member

Bench No. 4 :

- (1) Shri K S Bhatnagar —Chairman.
(2) Shri K D Saksena —Member.

Bench No. 5 :

- (1) Shri K S Bhatnagar —Chairman.
(2) Shri A R Khare —Member.

Bench No. 6 :

- (1) Shri K S Bhatnagar —Chairman
(2) Shri R N Bansal —Member.

Bench No. 7 :

- (1) Shri S M Dugar —Member.
(2) Shri S Chakravarthi —Member.

Bench No. 8 :

- (1) Shri S M Dugar —Member.
(2) Shri P K Mallik —Member

Bench No. 9 :

- (1) Shri S M Dugar —Member.
(2) Shri K D Saksena —Member.

Bench No. 10. :

- (1) Shri S M Dugar —Member.
(2) Shri A R Khare —Member.

Bench No. 11 :

- (1) Shri S M Dugar —Member.
(2) Shri R N Bansal —Member.

Bench No. 12 :

- (1) Shri S Chakravarthi —Member
(2) Shri P K Mallik —Member.

Bench No. 13 :
 (1) Shri S Chakravarthi —Member.
 (2) Shri K D Saksena —Member.

Bench No 14 :
 (1) Shri S Chakravarthi —Member.
 (2) Shri A R Khare —Member.

Bench No. 15 :
 (1) Shri S Chakravarthi —Member.
 (2) Shri R N Bansal —Member.

Bench No. 16 :
 (1) Shri P K Mallik —Member.
 (2) Shri K D Saksena —Member.

Bench No. 17 :
 (1) Shri P K Mallik —Member.
 (2) Shri A R Khare —Member.

Bench No. 18 :
 (1) Shri P K Mallik —Member.
 (2) Shri R N Bansal —Member.

Bench No. 19 :
 (1) Shri K D Saksena —Member.
 (2) Shri A R Khare —Member.

Bench No. 20 :
 (1) Shri K D Saksena —Member.
 (2) Shri R N Bansal —Member.

Bench No. 21 :
 (1) Shri A R Khare —Member.
 (2) Shri R N Bansal —Member.

The Company Law Board further orders that :

- (1) The Benches may hear and dispose of finally all petitions and applications made in respect of companies functioning throughout the country before the Company Law Board under the Company Law Board (Bench) Rules, 1975.

(2) The Benches may hold their sittings at such places as may be deemed necessary.

[File No. 2/16/83-C. L. V]

1983 का आदेश सं० 2

का०आ० 724 (अ).—कम्पनी विधि बोर्ड, कम्पनी विधि बोर्ड (न्यायपीठ) नियम, 1975 के नियम 4 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बाबत जारी किए गए, 1982 के आदेश सं० 4 ताराख 6 सितम्बर 1982 को अधिकांश करते हुए, आदेश देता है कि जबकि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खण्ड (18-क) के स्पष्टीकरण के अधीन याचिकाएँ और धारा 17, 18 और 19 के अन्तर्गत याचिकाओं की कार्यवाही कम्पनी विधि बोर्ड, 10 अक्टूबर, 1983 के आदेश सं० 1 के अनुसार गठित दो सदस्यीय न्यायपीठों के द्वारा की जाएगी, अन्य सभी मामलों से सम्बन्धित याचिकाओं पर, जिनके अन्तर्गत निवेशनों के जारी किए जाने और अन्तर्गत मामलों भी हैं, कार्यवाही इन न्यायपीठों के किसी भी एक सदस्य द्वारा की जाएगी।

[का० सं० 2/16/83-सो०एल०-5]

का० एन० भटनगर, अध्यक्ष, कम्पनी विधि बोर्ड

ORDER NO. 2 OF 1983

S. O. 724 (E).—In exercise of the powers conferred by Rule 4 of the Company Law Board (Bench) Rules, 1975 and in supersession of the Company Law Board's order No. 4 of 1982 dated the 6th September, 1982 issued in this behalf, the Company Law Board hereby directs that while petitions under Explanation to clause (18A) of Section 2 and petitions under Sections 17, 18 and 19 of the Companies Act, 1956 shall be dealt with by the Two Members Benches of the Company Law Board constituted vide Company Law Board's Order No. 1 of 1983 dated the 10th October, 1983, petitions in relation to all other matters including issuing of directions and inter-locutory matters shall be dealt with by any Member of these Benches sitting singly.

[File No. 2/16/83-C. L. V]

K. S. BHATNAGAR, Chairman, Company Law Board



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 452]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 11, 1983/अश्विन 19, 1905

No. 452]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 11, 1983/ASVINA 19, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 1983

का. आ. 725(अ)/18कक/आईडीआरए/83.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के का. आ. 790(अ), तारीख 9 नवम्बर, 1982 द्वारा यथा संशोधित आदेश सं. 734(अ)/18कक/आई डी आर ए/82, तारीख 12 अक्टूबर, 1982 द्वारा (जिसे हममें इसके पदछात उक्त आदेश कहा गया है), मैसर्स कान्ति काटन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, सुरेन्द्र नगर, गुजरात नामक संपूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन 11 अप्रैल, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और गुजरात राज्य वस्त्र निगम को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ;

और, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 285(अ)/18कक/आई डी आर ए/83, तारीख 11 अप्रैल, 1983 द्वारा उक्त आदेश की अवधि को, 11 अक्टूबर, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की अवधि के लिए बढ़ाया गया था ;

और, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध गुजरात राज्य वस्त्र निगम के अधीन 11 अक्टूबर, 1984 तक की, जिसमें, यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की अवधि के लिए बना रहे ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 11 अक्टूबर, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

[फा. सं. 3(1)/82-सी ए एम]

ए. पी. सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 11th October, 1983

S.O. 725(E)/18AA/IDRA/83.—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 734 (E)/18AA/IDRA/82, dated the 12th October, 1982 as amended vide S.O. 790

(E), dated the 9th November, 1982 (hereinafter referred to as the said order), the management of the whole undertaking known as Messrs Kanti Cotton Mills Private Limited, Surendranagar, Gujarat, was taken over under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) for a period of 6 months upto and inclusive of the 11th April, 1983 and the Gujarat State Textile Corporation was authorised to take over the management of the said industrial undertaking;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 285(E)/18AA/IDRA/83, dated the 11th April, 1983, the period of the said order was extended for a further

period of six months upto and inclusive of 11th October, 1983;

And, whereas, the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the Gujarat State Textile Corporation for a period of six months upto and inclusive of the 11th April, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industrial (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 11th April, 1984.

[File No.3 (1)/82-CUSI
A. P. SARWAN, Jt. Secy.]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 453]
No. 453]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 11, 1983/आश्विन 19, 1905
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 11, 1983/ASVINA 19, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 1983

का. आ. 726(अ)/18-क/आई. डी. आर. ए./83 :—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 266(अ)/18-क/आई. डी. आर. ए./78, तारीख 13 अप्रैल, 1978, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा मैसर्स इंचेक-टायर्स लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण पांच वर्ष की अवधि के लिए, 12 अप्रैल, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, किया गया था ;

और भारत सरकार के आदेश सं. का. आ. 289(अ)/18-क/आई. डी. आर. ए./83, तारीख 12 अप्रैल, 1983 द्वारा उक्त आदेश को 12 अक्टूबर, 1983 तक की और अवधि के लिए जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, विस्तारित किया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश की अवधि को तीन महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए, 12 जनवरी, 1984 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बना रहना चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-क की उप-धारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त आदेश 12 जनवरी, 1984 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी बना रहेगा ।

[फा. सं. 2(20)/80सी. यू. एस.]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 11th October, 1983

S.O. 726(E)|18A|IDRA|83.—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 266(E)|18A|IDRA|78, dated the 13th April, 1978 (hereinafter referred to as the said order), the management of the industrial

undertaking known as Messrs Inchek Tyres Limited, Calcutta has been taken over for a period of five years upto and inclusive of the 12th April, 1983;

And, whereas by the order of the Government of India No. 289 (E)|18A|IDRA|83, dated the 12th April, 1983, the said order was extended for a further period upto and inclusive of the 12th October, 1983;

And, whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said order should continue to have effect for a further period of three months upto and inclusive of 12th January, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 12th January, 1984.

[File No. 2(20)|80-CUS.]

का. आ. 727(अ)/18-चख/आई. डी. आर. ए./83 :—
केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-चख की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 411(अ)/18-चख/आई. डी. आर. ए./78, तारीख 27 जून, 1978, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा घोषित किया था कि उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ठीक पूर्व प्रदत्त ऐसी सभी सविदाओं, सम्पत्ति हस्तान्तरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंखाटो, स्थाई आदेशों या अन्य लिखतों (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत वायित्वों से सम्बन्धित हैं), का प्रवर्तन जिनका मैसेज इन्चक टायर्स लि. कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम या ऐसे औद्योगिक उपक्रम की स्वनिर्भर कम्पनी एक पक्षकार है या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हो, एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएँ और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे ;

और उक्त आदेश की अवधि को 12 अक्टूबर, 1983 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, और विस्तारित किया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 12 जनवरी, 1984 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, की ओर अवधि के लिए बढ़ाई जानी चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-चख की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि को 12 जनवरी, 1984 तक जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, की अवधि के लिए बढ़ाती है ।

[फा. सं. 2(20)/80-सी. यू. एस.]

ए. पी. सरदान, संयुक्त सचिव

S.O. 727(E)|18-FB|IDRA|83.—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 411 (E)|18FB|IDRA|78, dated the 27th June, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), had declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards standing orders or other instruments in force immediately before the date of publication of the said Order in the Official Gazette (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs. Inchek Tyres Limited, Calcutta, or the company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and that all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period.

And, whereas, the duration of the said Order was extended upto and inclusive of the 12th October, 1983;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order be extended for a further period upto and inclusive of 12th January, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said order for a further period upto and inclusive of the 12th January, 1984.

[F. No. 2 (20)|80-CUS]

A.P. SARWAN, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 454]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 11, 1983/अश्विन 19, 1905

No. 454]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 11, 1983/ASVINA 19, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 1983

का. आ. 728(अ)/18कक/आई डी आर ए/83.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 267(अ)/18कक/आई डी आर ए/78, तारीख 13 अप्रैल, 1978 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), मेंसर्स श्री दुर्गा काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, कोल्लगर, जिला हुगली, पश्चिमी बंगाल नामक संपूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन 12 अप्रैल, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड, कलकत्ता को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ;

और, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 291(अ)/18कक/आईडीआरए/83, तारीख 12 अप्रैल, 1983 द्वारा उक्त आदेश की अवधि को, 12 अक्टूबर, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया गया था ;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकोहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड, कलकत्ता के अधीन 12 अक्टूबर, 1984 तक की, जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए बना रहे ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 12 अक्टूबर, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

[फा. सं. 3(3)/80-सी यू एस.]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 11th October, 1983

S.O. 728(E)|18AA|IDRA|83.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 267 (E)|18AA|IDRA|78, dated the 13th April, 1978 (hereinafter referred to as the said order), the management of the whole of the Industrial Undertaking known as Messrs Sri Durga Cotton Spinning and Weaving Mills Limited, Konnagar, District Hooghly, West Bengal, was taken over under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of five years upto and inclusive of the 12th April, 1983, and the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, Calcutta, was authorised to take over the management of the said industrial undertaking;

And, whereas, by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 291 (E)|18AA|IDRA|83, dated the 12th April, 1983, the period of the said order was extended for a further period of six months upto and inclusive of the 12th October, 1983;

And, whereas, the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, Calcutta, for a further period of one year upto and inclusive of the 12th October, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 12th October, 1984.

[File No. 3 (3)|80-CUS]

का. आ. 729 (अ)/18चख/आई डी आर ए/83 :—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 506(अ)/18 च ख/आई डी आर ए/78, तारीख 18 अगस्त, 1978 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है). उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी किए जाने की तारीख से ठीक पहले प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, संपत्ति के हस्तांतरण पत्रों, करारों, परिनिर्धारणों, पंखादों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (उनसे भिन्न जो बैंकों और

वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित हैं), जिनका मसर्स श्री दुर्गा काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, कोल्लगर्, जिला हुगली, पश्चिमी बंगाल नामक उक्त औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हैं, प्रवर्तन एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पहले उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे ;

और, केन्द्रीय सरकार ने, अपनी यह राय होने पर कि जन-साधारण के हित में यह आवश्यक है कि उक्त आदेश का प्रभाव पूर्वोक्त एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् जारी रहे, 12 अक्टूबर, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए ऐसे जारी रहने के लिए, समय-समय पर, घोषणा जारी की थी [वेचिए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक विकास के आदेश सं. का. आ. 455(अ)/18 चख/आई डी आर ए/79, तारीख 9 अगस्त, 1979, का. आ. 628 (अ)/18चख/आई डी आर ए/80, का. आ. 651(अ)/18 चख/आई डी आर ए/81 तारीख 14 अगस्त, 1981, का. आ. 600 (अ)/18 चख/आई डी आर ए/82, तारीख 17 अगस्त, 1982 और का. आ. 292/18 चख/आई डी आर ए/83, तारीख 12 अप्रैल, 1983] ;

और, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि को, 12 अक्टूबर, 1984 तक की और अवधि के लिए बढ़ा दिया जाए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि को, 12 अक्टूबर, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए बढ़ाती है ।

[फा. सं. 3 (3)/80-सी यू एस]

ए. पी. सरवन, संयुक्त सचिव

S.O. 729(E)|18FB|IDRA|83.—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 506 (E)|18FB|IDRA|78, dated the 18th August, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said industrial undertakings, known as Messrs Sri Durga Cotton Spinning and Weaving Mills Limited, Konnagar, District Hooghly, West Bengal is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and all rights, privileges, obligations and liabilities, accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is necessary in the interest of the general public that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of one year aforesaid, had declared from time to time, for such continuance, for a further period upto and inclusive of the 12th October, 1983 (vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry, Department of Industrial Development Nos. S.O. 455 (E)|18FB|IDRA|79, dated the 9th August, 1979, S.O. 628 (E)|18FB|IDRA|80, dated the 18th August, 1980, S.O. 651(E)|18FB|IDRA|81, dated the 14th August, 1981, S.O. 600 (E)|18FB|IDRA|82, dated the 17th August, 1982 and S.O. 292|18FB|IDRA|83. dated the 12th April, 1983;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto the 12th October, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period upto and inclusive of the 12th October, 1984.

[File No. 3 (3)|80-CUS]
A.P. SARWAN, Joint, Secy.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 455] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 11, 1983/ आश्विन 19, 1905
No. 455] NEW DELHI, TUESDAY, OCT. 11, 1983/ASVINA 19, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

शक्ति मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 1983

सं. 288/83-सीमा-शुल्क

का. आ. 730(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तत्कालीन केंद्रीय राजस्व बोर्ड की अधिसूचना सं. 117-सीमा-शुल्क, तारीख 9 सितम्बर, 1950 को अधिक्रांत करते हुए, गुजरात राज्य के जिला भावनगर में तलाजा पत्तन को, आयातित माल के उतारने के लिए और निर्यातित माल के

या ऐसे माल के किसी वर्ग के लाने के लिए सीमा-शुल्क पतन घोषित करती है।

[फा. सं. 574/14/82-एल.सी. 2]

ए.के. छाबड़ा, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 1983

No. 288/83-CUSTOMS

S.O. 730(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the erstwhile Central Board of Revenue No. 117-Customs, dated the 9th September, 1950, the Central Government hereby declares the port of Talaja in the District of Bhavnagar in the State of Gujarat to be a customs port for the unloading of imported goods and the loading of export goods or any class of such goods.

[F. No. 574/14/82-L.C. II]

A. K. CHHABRA, Dy. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 456]
No. 456]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 12, 1983/आश्विन 20, 1905
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 12, 1983/ASVINA 20, 1905.

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 1983

का. आ. 731(अ) :—केंद्रीय सरकार की, असम राज्य के
कामरूप जिले में स्थित बड़द्वार टी एस्टेट नामक चाय यूनिट की
बायत, जो मैसर्स बड़द्वार टी एण्ड टिम्बर कम्पनी लिमिटेड के
स्वामित्व में अधीन है, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 19, नर्क-
नर गार्डन रोड रोड, कलकत्ता-23 में है, यह राय है कि—

(क) उक्त चाय यूनिट की, वर्ष 1978-1982 के पांच
वर्षों में से कम से कम तीन वर्षों में, औसत पैदा-
वार जिला औसत पैदावार के पच्चीस प्रतिशत या
उससे अधिक कम रही है ; और

(ख) उक्त चाय यूनिट का स्वामित्व रखने वाले व्यक्तियों
ने अभ्यासतः कर्मचारियों को भविष्य निधि शोध्यों
और अन्य शोध्यों के संदाय में व्यक्तिगत किया है
जिन्हें वे प्रवृत्त व्यक्तियों के अधीन संदाय करने के
लिए बाध्यताधीन हैं ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953
(1953 का 29) की धारा 16-ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त चाय यूनिट के क्रियाकलापों
का विस्तार और पूरा अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए,
व्यक्तियों का निकाय नियुक्त करती है जो निम्नलिखित से
मिल कर बनेगा :—

- (1) चाय विकास निदेशक ;
चाय बोर्ड, कलकत्ता ;
- (2) निर्यात सहायक और मुख्य लेखा अधिकारी,
चाय बोर्ड, कलकत्ता ;
- (3) सचिव, असम सरकार,
उद्योग विभाग,
दिमपुर या उसका नाम निर्देशित ;
- (4) अधीक्षक, स्वयं चाय बागान,
8, कलाइय रो, कलकत्ता ; और
- (5) प्रादेशिक निदेशक,
कम्पनी विधि बोर्ड,
कलकत्ता या उसका नामनिर्देशित ।

उक्त व्यक्तियों का विकास, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

[फा. सं. बी-12012(3)/79-प्लांट-ए]
कै. सान्दिल्या, निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

(Deptt. of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 12th October, 1983

S.O. 731(E).—Whereas the Central Government is of opinion in respect of the tea unit known as Barduar Tea Estate, situated in the District of Kamrup in Assam State owned by M/s. Barduar Tea and Timber Co. Ltd., having its Registered Office at 19, Circular Garden Reach Road, Calcutta-23, that ;

- (i) the average yield of the said tea unit for at least three of the five years 1978-1982 has been lower than the district average yield by twentyfive per cent or more ;
- (ii) the persons owning the said tea unit have habitually made default in the payment of provident fund dues of workers and

other dues as they are under an obligation to pay under laws in force ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16B of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby appoints for the purpose of making a full and complete investigation into the affairs of the said tea unit, a body of persons consisting of ;

- (i) The Director of Tea Development, Tea Board Calcutta.
- (ii) The Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board, Calcutta.
- (iii) The Secretary to the Government of Assam, Industries Department, Dispur or his nominee,
- (iv) The Superintendent, Khwang Tea Garden, 8, Clive Row, Calcutta, and
- (v) The Regional Director, Company Law Board, Calcutta or his nominee.

The said body of persons shall submit its report to the Central Government within a period of 90 days from the date of publication of this order in the Official Gazette.

[Issued from File No. B-12012(3)/79-Plant A]
K. SANDILYA, Director

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 457] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 12, 1983/आश्विन 20, 1905
No. 457] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 12, 1983/ASVINA 20, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(वस्त्र विभाग)

पटसन आयुक्त का कार्यालय

अधिसूचना

कलकत्ता, 12 अक्टूबर 1983

का. आ. 732(अ).—पटसन (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1981, की धारा 8 द्वारा प्रदान की गई और सरकार की अधिसूचना के साथ जो कि पिछले वाणिज्य मंत्रालय के (विवेक व्यापार विभाग) संख्या का.आ. 517 (ई) दिनांक 25 सितम्बर, 1973 को पढ़ी गई थी कि शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. दास, पटसन उपायुक्त कलकत्ता एतद्वारा 648/32 स. माँ वर्ग अधिकतम बहिर्निर्माणी मूल्य निर्दिष्ट करता हूँ। जैसा कि बी. टबील्स (यह पटसन वस्त्र की एक

किस्म है) के $44\frac{1}{4}'' \times 26\frac{1}{2}''$ साम्य वजन सिला किनारा $44'' \times 26\frac{1}{2}''$ सिला के आकार का $2\frac{1}{2}$ पीण्ड प्रति थैला, 6×8 , 3-नीले, सूखे सिले तथा अन्य मामली में वर्तमान भारतीय मानक संस्थान विनिर्देशन [संख्या-आई.एस.: 2566-1965 अद्यतन संशोधित] के सदृश्य होना, जो कि अक्टूबर, 1983 में खरीदे और बेचे जा सकते हैं।

2. इस अधिसूचना के अधीन निश्चित किया गया मूल्य उत्पादन शुल्क एवं विक्री कर छोड़ कर होना। जो क्रेता द्वारा असल पर बहिर्निर्गमणी मूल्य के अतिरिक्त भदा किया जाएगा।

[फा. न. 8/2/83-जूट]

डी. आर. दास, पटसन उपायुक्त

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Textiles)

Office of the Jute Commissioner

NOTIFICATION

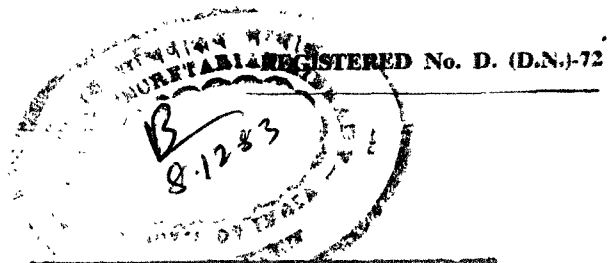
Calcutta, the 12th October, 1983

S.O. 732(E).—In exercise of the powers conferred by Clause 8 of the Jute (Licensing and Control) Order, 1961, read with the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce (Department of Foreign Trade) No. S.O. 517(E) dated the 25th September, 1973, I, D. R. Das, Deputy Jute Commissioner, Calcutta hereby fix Rs. 648.32 per 100 bags as the maximum ex-factory price at which B. Twills (a variety of jute textiles) of the size $44-1\frac{1}{4}'' \times 26''-1\frac{1}{2}''$ HD. W.I.P. $44'' \times 26-1\frac{1}{2}''$ Hd. $2-1\frac{1}{4}$ lbs. per bag, 6×8 , 3 blue, dry sewn and conforming in all other respects to the ISI specification (No. IS : 2566-1965 as amended up-to-date) shall be purchased or sold during the month of October, 1983.

2. The price fixed under this notification shall be exclusive of duty of excise and sales tax which shall be paid in addition to exfactory price by the purchaser at actuals.

[F. No. 8/2/83-Jute]

D. R. DAS, Dy. Jute Commissioner.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 458]
No. 458]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 13, 1983/आश्विन 21, 1905
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 13, 1983/ASVINA 21, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

बेयर बाजार प्रभाग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 1983

का० आ० 733(अ): यत् केन्द्रीय सरकार को दिल्ली स्टोक एक्स-
चेंज एसोसिएशन लि० नई दिल्ली, से उनकी उप-विधियों में संशोधन
करने के लिए लिखित रूप में अनुरोध प्राप्त हुआ है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार प्रतिभूति सचिव (विनियमन) अधिनियम,
1956 (1956 का 42) की धारा 10 की उपधारा (1)
के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा दिल्ली स्टोक
एक्सचेंज एसोसिएशन लि० नई दिल्ली की उप-विधियों में
नीचे अनुचो में विनिर्दिष्ट संशोधन करती है, और केन्द्रीय सरकार
उस धारा को उपधारा (4) के परन्तुक के अनुसरण में व्यापार के हित में,
और और पत्रों के स्वस्थ बाजार के अविलम्ब विकास के संवर्धन की दृष्टि
से उप-विधियों के उक्त संशोधन को पहले प्रकाशित करने की शर्त से एतद्-
द्वारा अभिमुक्ति देती है।

अनुसूची

दिल्ली स्टोक एक्सचेंज एसोसिएशन लि० नई दिल्ली की उप-विधियों
में:-

(1) उप-विधि 120 के खण्ड (क) के शीर्षक में, पहली पंक्ति में आने
वाले शब्दों "और ऋण पत्रों (एण्ड डिबेंचर्स)" को हटा दिया जाएगा।

(2) उप-विधि 120 के खण्ड (क) में पहली और दूसरी पंक्ति में
आने वाले शब्दों "और वाहक या रजिस्ट्रीकृत ऋण-पत्रों (एण्ड बेयरर और
रजिस्टर्ड डिबेंचर्स)" को हटा दिया जाएगा।

(3) उप-विधि 120 के खण्ड (क) का परन्तुक हटा दिया जाएगा।

(4) उप-विधि 121 के शीर्षक में, शब्दों "और वाहक प्रतिभूतियां
(एण्ड बेयरर मिक्सीरिटीज)" को हटा दिया जाएगा।

(5) उप-विधि 121 में पहली पंक्ति में आने वाले शब्दों "और वाहक
प्रतिभूतियां (एण्ड बेयरर मिक्सीरिटीज)" को हटा दिया जाएगा।

(6) उप-विधि 122 में दूसरी तथा चौथी पंक्ति में आने वाले शब्दों
"और वाहक प्रतिभूतियां (एण्ड बेयरर मिक्सीरिटीज)" को हटा दिया जाएगा।

(7) उप-विधि 123 के खण्ड (क) में दूसरी पंक्ति में आने वाले
शब्दों "और ऋण-पत्रों (एण्ड डिबेंचर्स)" को हटा दिया जाएगा।

(8) उप-विधि 123 के खण्ड (ख) में पांचवी पंक्ति में आने वाले
शब्दों "और ऋण-पत्रों (एण्ड डिबेंचर्स)" को हटा दिया जाएगा।

(9) उप-विधि 126 का वर्तमान खण्ड (ख) उस उप-विधि
के खण्ड (घ) के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा तथा उक्त उप-विधि
126 के खण्ड (क) के पर्याप्त निम्नलिखित नए खण्ड अन्तःस्थापित
किए जाएंगे, अर्थात् :-

"ऋण-पत्रों या वंध-पत्रों की व्याज सहित श्रय कीमत से कटौती

(ख) ऋण-पत्रों/बंध-पत्रों के व्याज सहित मॉदे के बारे में क्रेता क्रय
कीमत में से सकल आधार पर व्याज की कटौती करेगा बशर्ते कि
विक्रेता द्वारा उसके ऋण-पत्रों की गुणवत्ता अभिलेख की तारीख

से या ब्याज की अदायगी के प्रयोजन के लिए ऋण-पत्रों/बंध-पत्रों की अन्तरण पुरतकों को बन्द करने की तात्पर्य से पाँच से कम दिन पहले दे दी गई हों।

(ग) ऋण-पत्रों/बंध-पत्रों के ऐसे सौदों के बारे में, जो ब्याज सहित आधार पर किए गए हों लेकिन क्रेता को समय पर ऋण-पत्रों/बंध-पत्रों की सुपुर्दगी करने में विक्रेता की असमर्थता के कारण ऋण-पत्र/बंध-पत्र बजार में व्यापक रहित हो जाने के बाद भुगतान गए हों, क्रेता क्रय कीमत में से सकल आधार पर ब्याज की कटौती करेगा।

(10) उप-विधि 129 के खण्ड (क) में दूसरी पंक्ति में आने वाले शब्दों "और ऋण-पत्रों (एण्ड डिबेंचर्स)" को हटा दिया जाएगा।

(11) उप-विधि 129 के खण्ड (ख) में, बायाँ और पाँचवीं पंक्ति में आने वाले शब्दों "और ऋण-पत्रों (एण्ड डिबेंचर्स)" को हटा दिया जाएगा।

[एफ संख्या: 2/10/एन० ई०/82]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

Stock Exchange Division

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 13th October, 1983

S.O. 733(E).—Whereas the Central Government has received a request in writing from the Delhi Stock Exchange Association Ltd., New Delhi, that the bye-laws made by it may be amended.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby makes the amendments to the bye-laws of the Delhi Stock Exchange Association Ltd., New Delhi, specified in the Schedule below, and in pursuance of the proviso to sub-section (4) of that section, the Central Government, in the interest of the trade, and with a view to promoting the development of a healthy market in debentures without delay, hereby dispenses with the condition of previous publication of the said amendments to the bye-laws.

SCHEDULE

In the bye-laws of the Delhi Stock Exchange Association Ltd., New Delhi,—

- (1) in the heading of clause (a) of Bye-law 120, the words "and debentures" appearing in line 1, shall be deleted.
- (2) in clause (a) of Bye-law 120, the words "and bearer or registered debentures" appearing in lines 1 and 2, shall be deleted.
- (3) the proviso to clause (a) of Bye-law 120, shall be deleted.
- (4) in the heading of Bye-law 121, the words "and Bearer Securities" shall be deleted.
- (5) in Bye-law 121, the words "and bearer securities" appearing in line 1, shall be deleted.

(6) in Bye-law 122, the words "and bearer securities" appearing in lines 2 and 4, shall be deleted.

(7) in clause (a) of Bye-law 123, the words "and debentures" appearing in line 2 shall be deleted.

(8) in clause (b) of Bye-law 123, the words "and debentures" appearing in line 5 shall be deleted.

(9) the existing clause (b) of Bye-law 126, shall be reclassified as clause (d) of that Bye-law and after clause (a) of the said Bye-law 126, the following new clauses shall be inserted, namely :—

"Deduction from Cum-interest Purchase Price of Debentures or Bonds.

(b) in respect of cum-interest transaction in debentures|bonds the buyer shall deduct from the purchase price the interest on gross basis provided the securities are delivered to him by the seller less than five days before the record date or the date of closure of the Transfer Books of the debentures|bonds for the purpose of payment of interest :

(c) In respect of transaction in debentures|bonds entered into on a 'cum-interest-basis but settled after the debentures|bonds become ex-interest in the market due to the inability of the seller to deliver to the buyer the debentures|bonds in time, the buyer shall deduct from the purchase price the interest on a gross basis."

(10) in clause (a) of Bye-law 129, the words "and debentures" appearing in line 2, shall be deleted.

(11) in clause (b) of Bye-law 129, the words "and debentures" appearing in lines 4 and 5, shall be deleted.

[F. No. 2/10/SE/82]

का० आ० 734(अ)—यतः केन्द्रीय सरकार को दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लि० नई दिल्ली की ओर से इस आशय का एक लिखित अनुरोध प्राप्त हुआ है, कि उसके द्वारा बनाई गई उप-विधियों में संशोधन कर दिया जाए।

अतः अब प्रतिष्ठापित संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 10 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लि० नई दिल्ली की उप-विधियों में, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट संशोधन करती है और उस धारा की उपधारा (4) के परन्तुक के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार व्यापार के हित में तथा विनिर्दिष्ट शेषों के संबंध में किए गए संविदाओं के अविलम्ब अनुपालन के लिए संविदा देने के निमित्त, एतद्वारा, उप-विधियों में उक्त संशोधनों में पूर्व प्रकाशन की शर्त से भी अभिव्यक्ति प्रदान करती है।

अनुसूची

दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लि० नई दिल्ली की उप-विधियों में:-

(1) उप-विधि 18 में, वर्तमान खण्ड (2) के अन्त में निम्नलिखित परन्तु क जोड़ दिया जाएगा, अर्थात्:-

"किन्तु यह व्यवस्था भी गई है कि ऐसे शेयरों के मामले में जिनकी शासी बोर्ड द्वारा "विनिर्दिष्ट शेयर" अभिहित किया गया है, सुपुर्दगी तथा अदायगी की अवधियां शासी बोर्ड द्वारा प्रत्येक मामले में 14 दिन और आगे तक इस तरह से बढ़ाई तथा स्थगित की जा सकेंगी कि कुल मिलाकर यह अवधि संविदा की तारीख से 90 दिन से ज्यादा की न हो जाए।"

(2) उप-विधि "52" के बाद, एक नई उप-विधि "52क" जोड़ दी जाएगी:-

"विनिर्दिष्ट शेयरों में सीदे"

52क जब तक शासी बोर्ड द्वारा अन्यथा निर्धारित न किया जाए "विनिर्दिष्ट शेयरों" में निम्नलिखित रीति से सीदे पूरे किए जाएंगे।

(क) मरम्मत सौदों का निपटारा 14 दिनों के बाद, जिसे इसमें छम्के पञ्चात् "निपटारा अवधि" कहा गया है सुपुर्दगी तथा अदायगी के द्वारा अथवा उस रीति में किया जाएगा जिसका निर्धारण शासी बोर्ड द्वारा उपर्युक्त रीति के अतिरिक्त अथवा उसमें संशोधन करने दूरे किया जाए।

(ख) शासी बोर्ड प्रत्येक निपटारा अवधि के संबंध में आग्रह आग्रह पर प्रथम तथा अन्तिम व्यापार दिवस निश्चित करेगा।

(ग) सीदे तारीख सुपुर्दगी अथवा दस्ती सुपुर्दगी अथवा विशेष सुपुर्दगी अथवा व्यवस्थापन के लिए किए जा सकेंगे किन्तु सीदे करने समय जब तक अन्यथा अनुबन्धित न किया जाए तब तक समस्त सौदों को न्यायमय व्यवस्थापन के लिए किए सीदे माना जाएगा।

(घ) निर्धारित व्यापारिक एकक अथवा उसके गुणितों में भिन्न एककों के सौदों की उप-विधि 48 (2) में यथा परिभाषित व्यवस्था के अनुसार दस्ती सुपुर्दगी के सौदों के रूप में माना जाएगा।

(ङ) जो सीदे बालू तथा अनुवर्ती निपटारा अवधियों के आगे तक की अवधियों के लिए किए गए होंगे वे शून्य सीदे माने जाएंगे।

(च) एक निपटारा अवधि में दूसरी निपटारा अवधि में अग्रोष्ठित सीदे कार्यकारी निदेशक द्वारा अथवा उसकी अनुपस्थिति में सर्व्व द्वारा किसी भी प्रतिभूति के लिए निश्चित किए गए प्रत्येक मूल्य पर किए गए सीदे माने जाएंगे।

(छ) निपटारा अवधि के दौरान किए गए सीदों को प्रथम अथवा विक्रय के द्वारा वंशित किया जा सकेगा अथवा अगली निपटारा अवधि में आगे तक ले आया जा सकेगा। अन्य समस्त सीदे जो बकाया रहे उनको इस प्रयोजन के लिए निश्चित दिनों पर सुपुर्दगी तथा अदायगी द्वारा पूरा करना आवश्यक होगा।

(ज) इन उप-विधियों और विनियमों के समस्त उपबन्ध जो इस समय समाशोधित प्रतिभूतियों के सौदों के निपटारे पर लागू हैं और जो उपर्युक्त व्यवस्था के विरुद्ध नहीं हैं वे "विनिर्दिष्ट शेयरों" में समस्त सौदों के निपटारे की व्यवस्था पर संशोधित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(3) उप-विधि 72 के खण्ड (ग) के बाद एक तथा खण्ड (घ) जोड़ दिया जाएगा, अर्थात्:-

"(घ) यदि शासी बोर्ड की राय में किसी प्रतिभूति में उपयुक्त विनिर्दिष्ट किस्म की कोई आपात स्थिति उत्पन्न हो गई हो, तो वह एक विशेष

संकल्प के द्वारा विशेषता द्वारा किता की दिए जाने वाले बिलम्ब छूट प्रशंसों का विनिश्चयन कर सकेगा।"

(4) उप-विधि 335 के खण्ड (1) में "एक्सचेंज का (आफ दी एक्सचेंज)" शब्दों के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़ दिए जाएंगे, अर्थात्:-

"अथवा जिसमें दावेदार ने या तो स्वयं अदायगी न की हो, या किसी भी प्रतिभूति में समस्त सौदों के संबंध में देय मार्जिन में अपवचन के मामले में व्यवस्थाओं के साथ त्रुटि रूप में नालमेल जोड़ दिया हो।"

[एफ. संख्या 2/7/एम. ई./83]

नीमोश सेतमुपन, संयुक्त सचिव.

S.O. 734 (E).—Whereas the Central Government has received a request in writing from the Delhi Stock Exchange Association Ltd., New Delhi that the bye-laws made by it may be amended.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby makes the amendments to the bye-laws of the Delhi Stock Exchange Association Ltd., New Delhi, specified in the Schedule below, and in pursuance of the proviso to sub-section (4) of that section the Central Government, in the interest of the trade, and to facilitate performance of contracts in respect of specified shares without delay hereby dispenses with the condition of previous publication of the said amendments to the bye-laws.

SCHEDULE

In the bye-laws of the Delhi Stock Exchange Association Ltd., New Delhi,—

(1) in Bye-law 48, at the end of the existing clause (ii) the following proviso shall be added, namely,—

"Provided however that in the case of such shares as may be designated by the Governing Board as "specified shares", delivery and payment may be extended or postponed by the Governing Board by further periods of 14 days each, so that the overall period does not exceed 90 days from the date of the contract."

(2) after Bye-law 52, a new bye-law 52A shall be added, namely,—

"Bargains in specified shares

52A. Unless otherwise determined by the Governing Board, bargains in "specified shares" will be performed in the following manner:

(a) All bargains shall be settled every fourteen days hereinafter called a "Settlement period" by delivery and payment or as the Governing Board may from time to time prescribe in addition thereto or in modification thereof.

- (b) The Governing Board shall fix in advance the first and last business day for each settlement period.
- (c) The bargains may be for spot delivery or for hand delivery or for special delivery or for the settlement but unless otherwise stipulated when entering into the bargain, all bargains shall be deemed to be for the current settlement.
- (d) Bargains in other than the prescribed trading unit or multiples thereof shall deemed to be for hand delivery as defined in Bye-law 48 (ii).
- (e) Bargains made for a period beyond the current and ensuing settlement periods shall be void.
- (f) Bargains carried over from one settlement to another shall be at the making up price fixed for any security by the Executive Director or in his absence by the Secretary.
- (g) Bargains entered into during the settlement period may be closed by purchase or sale or carried over to the next settlement period. All other bargains which remain outstanding must be performed by delivery and payment on the days fixed for the purpose.
- (h) All the provisions in these bye-laws regulations which are at present applicable to the settlement of bargains in cleared securities and which are not in conflict with the above will apply mutatis mutandis to the settlement of bargains in "specified shares".
- (3) after clause (c) of Bye-law 72, a new clause (d) shall be added, namely :—
- (d) If in the opinion of the Governing Board an emergency of the type referred to above has arisen in any security it may be a special resolution regulate the backwardation charges payable to the buyer by the seller".
- (4) in clause (i) of bye-law 335 after the words "of the Exchange", the following words, shall be added, namely,—
- "or in which the claimant has either not paid himself or colluded with the defaulter in the evasion of margin payable on bargains in any security".

[F. No.2/7/SE/83]

N.K. SENGUPTA, Joint Secy



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 459]

नई दिल्ली, रविवार, अक्तूबर 16, 1983/अश्विन 24, 1905

No. 459]

NEW DELHI, SUNDAY, OCTOBER 16, 1983/ASHVINA 24, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

(आर्थिक कार्य विभाग)

(Department of Economic Affairs)

(बैंकिंग प्रभाग)

(Banking Division)

अधिसूचनाएं

NOTIFICATIONS

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1983

New Delhi, 15th October, 1983

का० आ० 735 (अ).— प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधि-
नियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा
(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय
सरकार, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के अनुरोध पर 16
अक्तूबर, 1983 से महाराष्ट्र राज्य में अकोला ग्रामीण
बैंक के नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती
है जो कि महाराष्ट्र राज्य के अकोला जिले की स्थानीय
सीमाओं में कार्य करेगा।

S.O. 735(E).—In exercise of the powers conferred
by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural
Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Govern-
ment, on being requested so to do by Central Bank
of India, establishes, with effect from the 16th Octo-
ber, 1983 a Regional Rural Bank in the State of
Maharashtra under the name of Akola Gramin Bank
which shall operate within the local limits of the Dis-
trict of Akola in the State of Maharashtra.

[संख्या एफ० 1-(7)/83 आर०आर० बी०(I)]

[No. F. 1-(7)/83-RRB(I)]

का० आ० 736 (अ):—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक तथा अकोला ग्रामीण बैंक के प्रायोजिक सेंट्रल बैंक आफ इंडिया से परामर्श करके, अकोला को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहाँ पर अकोला ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[संख्या एफ० 1-(7)/83-आर० आर बी० (II)]

S.O. 736(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Central Bank of India by which Akola Gramin Bank has been sponsored, specifies Akola as the place where Akola Gramin Bank shall have its head office.

[No. F. 1-7/83-R R B (II)]

का० आ० 737 (अ) :— भारतीय रिजर्व बैंक, अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के उपखंड (III) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिए, अकोला ग्रामीण बैंक, अकोला को प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं० एफ० 1-7/83 आर० आर० बी० (III)]

S.O. 737(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Akola Gramin Bank, Akola being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 1-7/83-RRB(III)]

का० आ० 738 (अ) :— प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री आर० आर० फडतारे को अकोला ग्रामीण बैंक, अकोला का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 16-10-1983 से प्रारम्भ होकर 30-10-1986 को

समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री आर० आर० फडतारे अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगी।

[सं० एफ० 1-7/83-आर० आर० बी० (IV)]

अशोक चन्द्र, संयुक्त सचिव

S.O. 738(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby appoints Shri R. R. Phadtare as Chairman of the Akola Gramin, Bank Akola and specifies the period commencing on the 16-10-1983 and ending with the 30-10-1986 as the period for which the said Shri R. R. Phadtare shall hold office as such Chairman.

[No. 1-7/83-RRB(IV)]

ASHOK CHANDRA, Jt. Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक

(ग्रामीण आयोजना तथा ऋण कक्ष)

बम्बई, 16 अक्टूबर, 1983

का० आ० 739 (अ):— भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की, उपधारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाये, अर्थात्:-

“अकोला ग्रामीण बैंक अकोला, महाराष्ट्र”

[आर० पी० सी० डी० सं० 268/आई०एन०सी०एन०/311-83]

एच० बी० शिवमग्गी, कार्यकारी निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

(Rural Planning And Credit Department)

Bombay, the 16th October, 1983

S.O. 739(E).—In pursuance of clause (a) sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely :

“Akola Gramin Bank, Akola (Maharashtra)”.

[RPCD No. 268/INCL/311-83]

H. B. SHIVAMAGGI, Executive Director



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 460]
No. 460]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 17, 1983/आश्विन 25, 1905
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 17, 1983/ASVINA 25, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

साथ और सिविल पूर्ति मंत्रालय
(सिविल पूर्ति विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 1983

का. आ. 740(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधि-
नियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए, दाल, खाने योग्य तिलहन और खाने योग्य तेल
(भंडारण नियंत्रण) आदेश, 1977* का निम्नलिखित संशोधन
करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम दाल, खाने योग्य
तिलहन और खाने योग्य तेल (भंडारण नियंत्रण) (संशोधन)
आदेश, 1983 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. दाल, खाने योग्य तिलहन और खाने योग्य तेल (भंडारण
नियंत्रण) आदेश, 1977 में,—

(1) पैरा 2 में, खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित
रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(छ) ‘‘जन संख्या’’ से 1981 की जनगणना में अव-
धारित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है,

(2) तीसरे परन्तुक की सारणी के पैरा 4 के उप-पैरा (1)
‘‘दालों के उत्पादकों’’ और ‘‘खाने योग्य तेलों’’
के उत्पादकों के सामने खण्ड 2(क) और 3(क) में
‘‘31 अक्टूबर, 1977’’ अंको और शब्दों के साथ
के स्थान पर ‘‘31 अक्टूबर, 1982’’ शब्द और
अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 24(9)/81-ई.पी.आर.]

जी. के. गिह, संयुक्त सचिव

*निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया :—

का. अ. 64 (अ) 4-2-78

400 (अ) 26-6-78

536 (अ) 20-9-79

10 (अ) 7-1-82

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

ORDER

New Delhi, the 17th October, 1983

S.O. 740(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following amendments in the Pulses, Edible Oilseeds and Edible Oils (Storage Control) Order, 1977*, namely :—

1. (1) This Order may be called the Pulses, Edible Oilseeds and Edible Oils (Storage Control) (Amendment) Order, 1983.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Pulses, Edible Oilseeds and Edible Oils (Storage Control) Order, 1977—

(i) In paragraph 2, for Clause (h), the following shall be substituted, namely :—

‘(h) “population” means population, as determined in the 1981 Census;’

(ii) in paragraph 4, in sub-paragraph (1), in the Table to the third proviso, against “Producer of pulses” and “Producer of edible oils,” in columns 2(a) and 3(a), for the figures and words “31st day of October, 1977,” the words and figures “31st day of October, 1982” shall be substituted.

[F. No. 24(9)|81-ECR]

D. K. SINGH, Jt. Secy.

*Amended vide S.O. No. 64(E) dt. 4-2-78,

400 (E) dt. 26-6-78,

536 (E) dt. 20-9-79,

10 (E) dt. 7-1-82.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

[सं० 461] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 17, 1983/अश्विन 25, 1905
[No. 461] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 17, 1983/ASVINA 25, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त संश्लेष

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1983

का. आ. 741(अ).—औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948
का 15) की धारा 21 की उपधारा (2) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय
औद्योगिक वित्त निगम के निदेशक मण्डल की सिफारिश पर उक्त निगम

द्वारा 24 अक्टूबर, 1983 को जारी किये जाने वाले और 24 अक्टूबर, 2000 को परिपक्व होने वाले बाण्डों पर दी जाने वाली ब्याज की दर एतद्वारा 8.75 प्रतिशत (पाँचे नो प्रतिशत) वार्षिक निर्धारित करती है ।

[संख्या 2(20) आई. एफ.-1/83]

अशोक कुमार, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(Banking Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 1983

S.O. 741(E).—In pursuance of sub-section (2) of Section 21 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (15 of 1948), the Central Government on the recommendation of the Board of Directors of the Industrial Finance Corporation of India, hereby fixes 8.75 per cent (Eight & three quarter per cent) per annum as the rate of interest payable on the bonds to be issued by the said Corporation on 24th October, 1983 and maturing on 24th October, 2000.

[No. 2(20)/IF. I/83]

ASHOK KUMAR, Director



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 462] नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 17, 1983/आश्विन 25, 1905
No. 462] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 17, 1983/ASVINA 25, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 1983

का. आ. 742 (अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2)
की धारा 17 (4 ख ख) (ख) के अनुसूचन में भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण के प्रयोजन के
लिए, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम द्वारा अक्टूबर, 1983
को जारी किए गए तथा अप्रैल, 1985 में परिपक्वता वाले 11.15 करोड़ रुपए के

अंकित मूल्य के बाण्डों के संबंध में, एतद्वारा, मूलधन की वापसी तथा उस पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से ब्याज की अदायगी की गारंटी करती है, किन्तु शर्त यह है कि यह गारंटी, बाण्डों के जारी हो जाने की तारीख से 24 महीने की अवधि के वास्तो प्रभावी रहेगी ।

[संख्या 3(19)-आई. एफ. -1/82]

अशोक कुमार, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(Banking Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 1983

S.O. 742(E).—The Central Government hereby guarantees the repayment of the principal and payment of interest at the rate of 10 per cent (ten per cent) per annum in respect of bonds of the face value of Rs. 11.15 crores to be issued by the Industrial Credit & Investment Corporation of India Ltd. in October, 1983 and maturing April, 1985 for the purpose of borrowing from Reserve Bank of India in terms of Section 17(4BB)(b) of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) provided that the guarantee will remain in force for a period of 24 months from the date of issue of the bonds.

[No. 3(19)IF.I|82]

ASHOK KUMAR. Director.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रतिष्ठान से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 463] नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 17, 1983/आश्विन 25, 1905
No. 463] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 17, 1983/ASVINA 25, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

आदेश सं. 31/83

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 1983

का. शा. 743 (अ).—आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947 (1947 का 18) की धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा खले सामान्य लाइसेंस सं. 1/83 दिनांक 15-4-1983 की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

- (1) भाग-1 में प्रविष्टि 1 में "पोलिएस्तेटिल" शब्द को "पोलिएसीटिल" पढ़ा जाएगा।

- (2) भाग-1 में वर्तमान प्रविष्टि सं. 82 के पश्चात् निम्नलिखित नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी :—

“82क. टिटैनियम स्पंज”

- (3) भाग-3 में प्रविष्टि 15 ग में “पोलिएसीटिल” शब्द को “पोलिएसीटल” पढ़ा जाएगा ।

- (4) भाग-3 में प्रविष्टि 15 ध में “पोलि-टेट्राफ्ल्यूरोइथेन” शब्द को “पोलि-टेट्राफ्ल्यूरो-एथिलीन” पढ़ा जाएगा ।

[मिसिल सं. आई.पी.सी. 13/1/83]

प्र. च. जैन, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE
IMPORT TRADE CONTROL
ORDER NO. 31/83

New Delhi, the 17th October, 1983

S.O. 743(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following amendments to Schedule to Open General Licence No. 1/83 dated the 15th April, 1983 :—

- (1) In Part I, Entry No. 1, the word “Polyacetyl” shall read “Polyacetal”.
- (2) In Part I, after the existing entry No. 82, the following new entry shall be inserted :—
“82A. Titanium Sponge”.
- (3) In Part III, Entry No. 15C, the word “Polyacetyl” shall read “Polyacetal”.
- (4) In Part III, Entry No. 15D, the word “Poly-tetrafluoroe-thane” shall read “Poly-tetrafluoroethylene”.

[File No. IPC 13/1/83]

P. C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 464]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 18, 1983/ आश्विन 26, 1905

No. 464]

NEW DELHI. TUESDAY, OCTOBER 18, 1983/ASVINA 26, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Textiles)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 1983

S.O. 744(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Textile Undertakings (Taking Over of Management) Ordinance, 1983 (10 of 1983), the Central Government hereby appoints the National Textile Corporation Limited, Surya Kiran Building, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi, as the Custodian of each of the textile undertakings specified in the Table below :—

THE TABLE

S. No. Name of the undertaking

1. Elphinstone Spinning and Weaving Mills
2. Finlay Mills

3. Gold Mohur Mills
4. Jam Manufacturing Mills
5. Kohinoor Mills (No. 1)
6. Kohinoor Mills (No. 2)
7. Kohinoor Mills (No. 3)
8. New City of Bombay Manufacturing Mills
9. Podar Mills
10. Podar Mills (Process House)
11. Shree Madhusudan Mills
12. Shree Sitaram Mills
13. Tata Mills.

[F. No. 7/1/83-CPI]

PRABHAT KUMAR, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 465]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 18, 1983/अश्विन 26, 1905

No. 465]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 18, 1983/ASVINA 26, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Textiles)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 1983

S.O. 745(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Textile Undertakings (Taking Over of Management) Ordinance, 1983 (10 of 1983), the Central Government hereby authorises the Custodian appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 4 of the said Ordinance to appoint any subsidiary of the National Textile Corporation, Surya Kiran Building, New Delhi as Additional Custodian of any one or more of the textile undertakings specified in the Table below :—

THE TABLE

S. No. Name of the undertaking

1. Elphinstone Spinning and Weaving Mills
2. Finlay Mills

3. Gold Mohur Mills

4. Jam Manufacturing Mills

5. Kohinoor Mills (No. 1)

6. Kohinoor Mills (No. 2)

7. Kohinoor Mills (No. 3)

8. New City of Bombay Manufacturing Mills

9. Podar Mills

10. Podar Mills (Process House)

11. Shree Madhusudan Mills

12. Shree Sitaram Mills

13. Tata Mills.

[F. No. 7/1/83/CP]

PRABHAT KUMAR, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 466] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 19, 1983/आश्विन 27, 1905
NO. 466] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCT. 19, 1983/ASVINA 27, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

लोक-सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 1983

का.आ. 746(अ).—हिमाचल प्रदेश के मंडी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के निर्वाचित सदस्य श्री वीरभद्र सिंह ने लोक-सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है और अध्यक्ष ने 17 अक्टूबर, 1983 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

[संख्या 21/3 '83/टी]

अवलार सिंह रिखी, सचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, 17 October, 1983

S.O. 746(E).—Shri Virbhadra Singh, elected Member of Lok Sabha from Mandi constituency of Himachal Pradesh, has resigned his seat in Lok Sabha and his resignation has been accepted by the Speaker with effect from the 17th October, 1983.

[No. 21/3/83/T]

AVTAR SINGH RIKHY, Secretary.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 467]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 19, 1983/ आश्विन 27, 1905

No. 467]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 19, 1983/ASVINA 27, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में

रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय
अधिसूचनाएँ

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 1983

का० आ० 747(अ).—अवैध आप्रवासी (न्यायाधिकरणों द्वारा निर्धारण) अध्यादेश, 1983 (1983 का 8) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार निदेश देती है कि तय-कथित अध्यादेश की धारा 5 की उप-धारा (1), धारा 5 की उप-धारा (4), धारा 6, धारा 7, धारा 15 की उप-धारा (7) और धारा 20 के तहत केन्द्र द्वारा प्रयोग की जाने वाली उन सभी शक्तियों का प्रयोग असम राज्य सरकार भी करेगी।

[सं० 11012/125/83-एन० ई-4 (i)]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 19th October, 1983

S.O. 747(E).—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Illegal Migrants (Determination by Tribunals) Ordinance, 1983 (8 of 1983) the Central Government hereby directs that all the powers which may be exercisable by it under sub-section (1) of section 5, sub-section (4) of section 5, section 6, section 7, sub-section (7) of section 15 and section 20 of the said Ordinance shall be exercised also by the State Government of Assam.

[No. 11012/125/83-NE-IV(ii)]

922 GI/83

का० आ० 748(अ).—अवैध आप्रवासी (न्यायाधिकरणों द्वारा निर्धारण) अध्यादेश, 1983 (1983 का 8) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार निदेश देती है कि तय-कथित अध्यादेश की धारा 8 की उप-धारा (1) और धारा 14 के तहत केन्द्र द्वारा प्रयोग की जाने वाली उन सभी शक्तियों का प्रयोग—

(क) असम राज्य सरकार,

(ख) क्रमशः अपने-अपने क्षेत्राधिकार में असम सरकार के अखीन सभी पुलिस अधीनस्थों द्वारा भी किया जाएगा।

[सं० 11012/125/83-एन० ई-4(ii)]

आर० वासुदेवन, विशेष कार्य अधिकारी

S.O. 748(E).—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Illegal Migrants (Determination by Tribunals) Ordinance, 1983 (8 of 1983) the Central Government hereby directs that all the powers which may be exercisable by it under sub-section (1) of section 8 and section 14 of the said Ordinance shall be exercised also by —

(a) the State Government of Assam;

(b) the Superintendents of Police under the Government of Assam within their respective jurisdictions.

[No. 11012/125/83-NE. IV (ii)]

R. VASUDEVAN, Officer on Special Duty

(1)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 468]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 19, 1983/अश्विन 27, 1905

No. 468]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 19, 1983/ASVINA 27, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

श्रम और पुनर्वास विभाग

(श्रम विभाग)

अधिमूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 1983

और उक्त राजपत्र 29 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा
दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तावों की बाबत प्राप्त आक्षेपों और
सुझावों पर विचार कर दिया है;

का० आ० 749(अ) -- मजदूरों के निर्माण या अनुरक्षण अथवा
निर्माण संक्रियाओं में, (ii) पत्थर तोड़ने और पत्थर पीसने में, (iii)
ध्वनों के अनुरक्षण में, और (iv) धातु पर्वों के गन्तिर्माण और अन-
रक्षण में नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्ग को संघीय मजदूरी
की न्यूनतम दरों के पुनर्निर्माण के कनिष्ठ प्रस्ताव, न्यूनतम मजदूरी अधि-
नियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड
(ख) की अपेक्षातः भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास विभाग
(श्रम विभाग) की अधिमूचना संख्या का० आ० 481(अ), तारीख
29 जून, 1983 के अर्थात् भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2 खण्ड 3,
उपखण्ड (ii), तारीख 29 जून, 1983 में उन सभी व्यक्तियों की सूचना
के लिए प्रकाशित किया गया था। जिसमें प्रकाशन की तारीख से दो मास
की अवधि के अन्तर्गत तक उन व्यक्तियों से आशय बना सुझाव मांगे गए
थे जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी।

अतः केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का
11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) और धारा 5 की
उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड 4
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम
विभाग की अधिमूचना संख्या का० आ० 619(अ) तारीख 26 अक्टूबर,
1982 को अधिकांश करने हुए, सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के
पश्चात्, हमने उपायद्वय अनुसूची के स्तम्भ (2) से (6) में यथा विनिर्दिष्ट
और उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) में तत्समस्त प्रविष्टियों में यथा
विनिर्दिष्ट मजदूरों के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माण संक्रियाओं, पत्थर
तोड़ने और पत्थर पीसने, ध्वनों के अनुरक्षण और धातु पर्वों के
गन्तिर्माण और अनुरक्षण में नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्ग
को संघीय मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनर्निर्माण करता है और निर्दिष्ट
कता है कि यह अधिमूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी

अनुसूची

काम का प्रवर्ग

प्रतिदिन मजदूरी की सर्वसाधरी न्यूनतम दर

क्षेत्र क	क्षेत्र ख-1	क्षेत्र ख-2	क्षेत्र ग	क्षेत्र घ
1	(2)	(3)	(4)	(5)
	र० पैसे	र० पैसे	र० पैसे	र० पैसे

अकुशल :

(1) मजदूरी बिछाने वाले, (2) बेलदार वयस्क पुरुष/आवसी, वयस्क स्त्री/महिला, किशोर 12 वर्ष से ऊपर के लड़के, लड़कियाँ, बालक (3) बीटर महिला, (4) धोकीवाला (5) जरीबी (6) केबल (7) बास्टी वाला (8) वाहक (पन्थर) (9) वाहक (पानी) (10) गाड़ीवाला (11) केयरटेकर (पुल) (12) स्लीपर (जैन पथ राखने के लिए मिडर) (13) चौकीदार (14) कंक्रीट (हाथ से मिलाने वाला) (15) दफादार (16) चालक (दौल, ऊँट, गधा, खरबुर) (17) झंझीवाला (बैलास्ट ट्रेन) (18) द्वारपाल (19) गैंगमैन (20) गैंगमैन स्थायी पथ (21) रैडमैन (22) जम्परमैन (23) कमीन (महिला कार्य) (24) खलामी (25) खलामी आदमी/पुरुष/स्त्री/महिला; लड़के/लड़कियाँ I/II पुल बैलुन, गमुटी भोपला; तट भण्डार; स्टीम रोड रोलर; सर्वेक्षण (26) थर्मिक (भाग) (27) ब्रिड्जो वाला (28) माली (29) मजदूर (30) मजदूर (वयस्क पुरुष/नर, वयस्क महिला/नारी) (31) मजदूर किशोर 12 वर्ष की आयु से ऊपर के लड़के, लड़कियाँ, बालक/नारी प्रशिक्षित (32) पैट्रोल वाला (33) चपरासी (34) नलाशीकर्ता (35) मिगनल सैन (36) स्ट्राइकर (37) आदकर मोकलार्थिंग (38) स्ट्राइकर (40) दट्टो बाय (41) टाइल टर्नर (42) ट्राम्पी वाला (43) बाल्व निधवक (44) बाल्वमैन (45) संतरी (46) पानीवाला (47) मफेरी वाला (48) बुडरमैन (49) बुडरमैन (50) बोरीमैन (51) कोयले वाला (52) कंडेमेर गरिधर (53) घास काटने वाला (54) मूछरे जमादार (55) स्विंगर (56) शटर (57) अन्य कोई भी प्रवर्ग जोकि अकुशल प्रकृति के हों चाहें वे किसी भी नाम से पुकारे जायें।

11.25 10.00 9.25 8.25 7.50

अर्द्धकुशल अकुशल पर्यवेक्षी :

(1) बेलवे वाला (2) भिण्डी (3) भिण्डी (मुष्क मजिन) (4) नाब वाला (प्रधान) (5) भंजक (6) (भंजक) चट्टान, चट्टानी, पन्थर, प्रस्तर धातु, पन्थर (7) जैन बुनने वाला (8) जरीबी (प्रधान) (9) चारपाई कमने वाला (10) जॉन्क पड़ताल कर्ता (11) चौकीदार प्रधान (12) येकर (13) दफतरी (14) डार्लमैन (15) डिलर (16) टिप्पर (डिड) चट्टान (17) चालक (स्कन) (18) उत्थनक (19) पैरो-वाला (20) फायरमैन (21) फायरमैन इंटी का भट्टा (स्टीम रोड रोलर) (22) द्वार रक्षक (23) धरामी (थेचर) (24) शीशेवाला (25) सीमर (26) सीमर गंध फायरमैन (27) शांडर (28) हथौड़े वाला (29) सहायक (कारी-गर) (30) सहायक आगक (31) जमादार (32) फी मैन (33) खलामी (प्रधान सर्वेक्षण, निवेदर्थ) सोपलगेथ (पर्यवेक्षक) (34) थर्मिक (चट्टान कर्त्त) (35) लम्कर (36) माली (प्रधान) (37) भेट, (38) भेट लोहकार; महुक काष्ठकार, दूजन चालक और या फीटर, फिटर गैंग, खलामी, मजदूर राज स्थायी पथ, पम्प ट्राइवर, टर्नर (39) मजदूर (भाग वजन), चार्जमैन, मिर्खा प्रधान (40) मुकद्वय (41) राशि गार्ड (42) (क) तरकारा (शक) (43) तेलवाला (44) खदानकार (45) समदान प्रचालक (46) भंडारवाला (47) स्टोकर (48) स्टोकर (और बायलरमैन) (49) थेचर (50) थ्रैशमैन (स्पेकमी) (51) टिडल (52) ट्राम्पीमैन वाला प्रधान, (प्रधान मोटर) (53) फिटर सहायक (अर्द्धकुशल) (54) जमादार (अर्द्धकुशल) (55) भेट (भण्डार) (56) पम्प परिचर (57) वाहक (58) ब्रेकमैन (59) क्रोबारमैन (60) रसोइया (61) डाण्डी (62) फराश (63) हैममैन (64) सहायक (लोको जैन, टक) (65) कमाध (66) खलामी (संरक्षतात्मक) (67) प्रयोगशाला परिचर (68) माझी (नाब वाला) (69) मशालजी (70) पी० एम० सेटम (71) प्लाईवुड मैन (72) सीमरी (73) टोपाज (74) वॉणकार (बड़े पन्थर तोड़ने वाला) (75) ट्राम्पी जमादार (76) विजमैन (77) सहायक बायलरमैन (78) अन्य कोई प्रवर्ग, (चाहें वे किसी भी नाम से पुकारे जायें, जो कि अर्द्धकुशल प्रकृति के हों)।

14.00 12.75 11.50 10.50 9.50

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

कुशल :

(1) गृहायक मिश्री (2) आर्मेचर वाइंडर श्रेणी II और III (3) भंडारी (4) सोहकार (5) सोहानार (चयन श्रेणी, श्रेणी II और III वर्ग II और III प्रधान) (6) बायलरमैन (7) बायलरमैन श्रेणी II और III (8) बायलर फोरमैन श्रेणी II (9) कार्य (सहायक) (10) बिकलेयर (11) बिकलेयर (चयन श्रेणी, वर्ग II) (12) बिस्फोटक (13) काष्ठकार (14) काष्ठकार चयन श्रेणी, श्रेणी II और III वर्ग II और III गृहायक बी० आई० एम० रोड (15) केबिनेट बनाने वाला (16) बैगबाना (17) सेलोटेक्सकटर मेकर (18) चार्जमैन वर्ग II और III (19) काष्ठकार साधारण (20) जीन पड़ताल कर्ता कनिष्ठ (21) चिक बनाने वाला (22) चिकबाला (23) कंक्रिट मिश्रण मिश्रक (24) कंक्रिट मिश्रक प्रचालक (25) मोर्चा (26) मोरल्सा निर्माता (27) बालक (28) बालक मोटर, यान, मोटर यान चयन श्रेणी—मोटर लारी, मोटर लारी श्रेणी-II डीजल इंजन, डीजल इंजन श्रेणी II, यांत्रिक मिश्रक, रोड रोलर आई० सी० और सीमेंट मिश्रक आदि रोड रोलर (29) रोड रोलर बालक श्रेणी II (30) चालक/इंजन पम्पर/स्टोन क्रशर, ट्रैक्टर, बुलडोजर, स्टोमरोड रोलर, जलपम्प यांत्रिक, सहायक रोड रोलर, यांत्रिक स्टीम जेत, बुलडोजर सहित ट्रैक्टर यांत्रिक, परिवहन इंजन, स्क्रैप और रोड रोलर बायलर परिवार इर्जात स्टेटिक (31) प्रचालन (स्टोन प्रार यांत्रिक) (32) डिस्टेंपर करने वाला (33) बिजली मिश्री (34) बिजली मिश्री (श्रेणी-II) वर्ग II, वर्ग III (35) फिटर (36) फिटर (चयन श्रेणी II, III, वर्ग II, III), सहायक पाइप, पाइप वर्ग II, पाइप लाइन कुशुक के लिए छड़े मोड़ना एय यांत्रिक, यांत्रिक और नलकार (प्लम्बर) (37) घरामी (प्रधान) (38) ग्लेजियर (39) बिस्फोटन के लिए छिद्र ड्रिलर (40) जायनर (41) जायनर (केबल श्रेणी II) (42) लाइन मैन (श्रेणी II, III, ए० टी०/ए० टी० डी० (43) राज (44) राज (चयन श्रेणी, श्रेणी II, और श्रेणी III, वर्ग II और III वर्ग II मिश्री, स्टोन, स्टोन वर्ग II ईट का काम, पत्थर का कार्य, ईट बिछाने वाला लेबर, टाइल-फ्लोरोिंग बी० टी० एम० मुक्कदम, प्रधान पत्थर कर्त्तन (साधारण) (45) मर्गानी मिश्री (46) यांत्रिक (47) यांत्रिक, (वर्ग II बातानुकूलन, बातानुकूलन श्रेणी II, डीजल श्रेणी II, रोड रोलर श्रेणी II, सहायक रेडियो (48) राज (चरामी) (49) मिश्री (50) मिश्री श्रेणी II, बातानुकूलन श्रेणी II, स्थायी पक्, मरबेक्षण संगराण, संकर्म (51) राज, वर्ग क (52) गांवागार (53) सांभागार (इंटरटाइल) (54) रंगमाज (55) रंगमाज (चयन श्रेणी II और III, वर्ग II सहायक लाटर और प, लिफ्टर, पाविशगर रक (56) प्लास्टरकर्ता (57) प्लास्टरकर्ता (राज श्रेणी II) (58) नयमाज (59) नयमाज (चयन श्रेणी, वर्ग II, सहायक ज्येष्ठ कनिष्ठ, मिश्री श्रेणी III (60) नयमाज मिश्री (61) नयमाज एवं फिटर (62) पाविशगर (63) पाविशगर (फर्ग) (64) पम्प बालक (65) पम्प बालक (चयन श्रेणी, श्रेणी II और III, वर्ग II) (66) पम्प इंजन बालक (67) पी०ई० बालक (68) पम्प बाला (69) पम्पबाला (सहायक) (70) पम्पर (71) पाविशगर (स्प्रे सहित) श्रेणी II (72) रंगमैन (73) रिबिटरकटर (सहायक) (74) रिबिटर (75) रिबिटरकटर (76) सड़क निर्देशक श्रेणी II (77) रेलवे प्लेटलेयर (78) राइ बाइंडर (79) आराकण (80) आराकण (चयन श्रेणी वर्ग II) (81) मेरल (82) मेरल पाइल इन्फोर्ग प्लेस्म बायलर सहित (83) मैनेजमेन (84) पार, भारमाधक (85) स्प्रेमैन (86) स्प्रेमैन रोडम (87) संगतराण (88) संगतराण (चयन श्रेणी, श्रेणी II वर्ग II (89) स्टोन बिजलर (90) स्टोन बिजलर वर्ग II (91) पापण बिस्फोटक (92) उपआवरसिपर (अनहित) (93) सर्वेक्षक (94) सर्वेक्षक (सहायक) (95) वर्जी (96) वर्जी (पोणिश) (97) तार स्प्रेयर (98) तारमैन (99) लाइनमैन (100) टाइलर वर्ग II, दीवार, फर्ग, छतें, (101) टाइलर चयन श्रेणी (102) टोलकर (103) टोलकर (चयन श्रेणी, श्रेणी II और III वर्ग II) (104) फ्लईगर (105) टेलर (106) टर्नर (107) अपोलिणमाज (108) अपोलिणमाज (श्रेणी II और श्रेणी III) (109) रंगमाज स्प्रे वर्ग II, (110) काष्ठ कर्त्तक चयन श्रेणी III, काष्ठ कर्त्तक चयन श्रेणी (112) काष्ठ कर्त्तक वर्ग II, (113) बर्क सरकार (114) सलाईगर (115) गैर-सलाईगर (116) सलाईगर वर्ग II, पुल कार्य, (117) कूप निष्पञ्जक (118) सकेदी वाला (119) सकेदी वाला, (चयन श्रेणी वर्ग II) (120) वायर मैन मिश्री (121) वायरमैन मिश्री, श्रेणी II और III, वर्ग I, यांत्रिक निष्पु, (122) सकेदी पुनर्दी और और रंगीन पुनर्दी वाला (123) बातिक औजार प्रचालक (124) प्रचालक (फिटर) (125) बोरमैन (126) बेधक (127) छिलाईदार (128) छिलाईदार एवं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पिसाईगार (129) रसायन (प्रधान) (130) ड्रिलर (कूप बंधन) (131) चालक (लॉको ट्रक) (132) बिजली मिस्री (सहायक) (133) यांत्रिक (नलकूप) (134) सिनेमा परियोजना क्लैम्प शील संपोषक, (135) मोटर वाहनक (136) सौम्य प्रेषक (137) नावधानी (138) प्रचालक (बैबिंग संयंत्र) सिनेमा परियोजना क्लैम्प शील संपोषक क्रेन, डेरिक डोजल, इंजन, डोजर, टैगलाइन ड्रिन, डम्पर उखनक: फॉक लिफ्ट, जनिश, ग्रेडर ट्रैक ट्रैम्पर और पटरी तोड़ने वाला, लोडर, पम्प पाइप चालन, स्क्रैप्ट, स्क्रॉपिंग संयंत्र, शाबेल ट्रैक्टर वाइप्रेटर: सेन्सेयर, (139) रेल गार्ड (140) मरम्मत कर्ता (बैटरी) (141) शरपेर स्लोटर (142) स्प्रेंगर (अस्फाल्ट), (143) स्टेशन मास्टर (144) सर्वेक्षक (सिल्ट) (145) दस्तकार (146) सड़क निरीक्षक (147) टर्नर/मिलर (148) टायरबालकेनाइजर, (149) कोई अन्य प्रवर्ग चाहें वे किसी भी नाम से पुकारे जाएं जो कि कुशल प्रकृति के हों	17.75	16.25	14.50	13.50	12.00

अतिरिक्त कुशल:

(1) आर्नेचर बाइंडर श्रेणी I, (2) लोहकार श्रेणी I और वर्ग I (3) वायलरमैन श्रेणी I (4) वायलर मैनफोर्मरमैन श्रेणी I (5) ईट बिछाने वाला वर्ग I (6) कचल सयोजक श्रेणी I (7) काष्ठकार श्रेणी I और वर्ग I (8) सेलॉटैसम कटर और गजालकटकर्ता (9) बार्नेमैन वर्ग I (10) जाल पड़ताल कर्ता (ज्येष्ठ) (11) चालक लारी, श्रेणी I, मोटर लारी श्रेणी I मोटर घान वर्ग I और डोजल इंजन श्रेणी I, रोडगानर श्रेणी I, पम्प श्रेणी I वर्ग I, (12) बिजली मिस्री श्रेणी I और वर्ग I (13) फिट्टर श्रेणी I, वर्ग I पाइप वर्ग I (प्रधान) (14) फॉर्मर (सहायक) (15) लाइनमैन श्रेणी I (16) राज (कुशल श्रेणी I, वर्ग I) (17) मास्टरगिरि, यांत्रिक वर्ग I और वर्ग II, (18) यांत्रिक (प्रधान) या बिजली मिस्री (19) यांत्रिक (डोजन) श्रेणी I, रोड रोलर श्रेणी I वातानुकूलन श्रेणी I वर्ग I वातानुकूलन (20) मिस्त्री श्रेणी I, (21) मिस्त्री वातानुकूलन श्रेणी I (22) ओवर मिस्त्री (23) ओवरमिस्त्री (ज्येष्ठ और कनिष्ठ) (24) रंगसाज श्रेणी I, वर्ग I (स्त्री) (25) प्लास्टर कर्ता (मिस्त्री) वर्ग I, (26) नलसाज (प्रधान) वर्ग I मिस्री श्रेणी I (27) आराकण वर्ग I (28) संगतराश वर्ग I (29) संगतराश श्रेणी I (30) स्टोन बिजलर वर्ग I (31) पाषाण मिस्री वर्ग I, (32) उप-ओवरसियर (अहित) (33) टाइलर वर्ग I (34) टोनकार श्रेणी I और वर्ग I, (35) पोलिशसाज श्रेणी I (36) वाणिज्यकार वर्ग I (37) सलाईगार एवं फिट्टर और वातानुकूलित यांत्रिक (38) सलाइक सलाईगार (गेम) वर्ग I, (39) राफेदी वाला वर्ग I (40) वायरमैन श्रेणी I वर्ग I (41) काष्ठकर्ता वर्ग I (42) पिसाईकार और श्रेणी I (43) प्रचालक बैबिंग प्रचालक श्रेणी I, क्लैम्प शील श्रेणी I, संपोषित श्रेणी I, क्रेन श्रेणी I, डोजल इंजन श्रेणी I, ड्रिल श्रेणी I डम्पर श्रेणी I, उखनक श्रेणी I, फोके लिफ्ट श्रेणी I, जनिश श्रेणी I स्केयर श्रेणी I, स्क्रॉपिंग संयंत्र श्रेणी I, शाबेल श्रेणी I, शाबेल और टैगलाइन ट्रेक्टर श्रेणी I, वाइप्रेटर श्रेणी I, रिपर श्रेणी I, रिपर श्रेणी II, (44) शरपेर/स्लोटर श्रेणी I, (45) दस्तकार वर्ग I (46) टर्नर/मिलर श्रेणी I (47) टायर बालकेनाइजर श्रेणी I, (48) सड़क निरीक्षक श्रेणी I (49) स्वायर वर्ग I, (50) कार्य (सहायक) श्रेणी I (51) कोई अन्य प्रवर्ग जो अतिरिक्त कुशल प्रकृति के हैं चाहें किसी भी नाम से पुकारे जाएं

22.25 20.25 18.50 16.50 15.25

लिपिकीय:

(1) एम० सी० लिपिक (2) मुंशी (मैट्रिकुलेट, नान-मैट्रिकुलेट) (3) भण्डार लिपिक (मैट्रिकुलेट, नान मैट्रिकुलेट) (4) भण्डार निगमकर्ता (5) भण्डार रक्षक (6) भण्डार रक्षक (श्रेणी I, II) मैट्रिकुलेट, नान-मैट्रिकुलेट (7) मिलान लिपिक (8) समय पाल (9) समयपाल मैट्रिकुलेट, नान-मैट्रिकुलेट (10) ओजान कोषर, I (11) कार्य-मुंशी (12) कार्य मुंशी (अधीनस्थ) (13) लेख लिपिक (14) लिपिक (15) संगणक (16) टेलीफोन प्रचालक (17) टंकक (18) कोई अन्य प्रवर्ग, चाहें जिस नाम से पुकारे जाएं जो कि लिपिकीय प्रकृति के हों

17.75 16.25 14.50 13.50 12.00

स्पष्टीकरण-इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ-

(1) (क) क्षेत्र क, ख-1, ख-2 और ग में इस अधिसूचना के उपबन्ध 1 में यथा विनिर्दिष्ट सभी स्थान समाविष्ट हैं जिनमें नगर निगम या नगरपालिका या छावनी बोर्ड तथा किसी स्थान विशेष की अधिसूचित क्षेत्र समिति की परिधि से आठ किलोमीटर की दूरी के भीतर आने वाले

सभी स्थान सम्मिलित हैं; और क्षेत्र "घ" में वे सभी स्थान हैं जो क, ख-1 ख-2 और ग क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को न० प्र० भत्ते के संदाय के प्रयोजन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जोड़े गए या

ऊँचा क्षेत्रों में लागू हुए स्थान को भी उपग्रह में विनिर्दिष्ट वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए उन्हीं तारीखों से जोड़ा गया समझा जाएगा।

(2) "घ" वर्ग क्षेत्रों में जहाँ न्यूनतम मजदूरी क्षेत्र वार आधार पर नियत की गई है और जहाँ केन्द्रीय सरकार ने सर्वोच्च या पर्याप्त भ्रमा या किसी अन्य विशेष अने का संदाय मंजूर किया है, सड़कों के निर्माण या अनुरक्षण या निर्माण संक्रियाओं, पत्थर तोड़ने और पत्थर पीसने, भवनों के अनुरक्षण और धातु पथों के सन्निर्माण और अनुरक्षण में नियोजित कर्मचारियों को उन्हें देय न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त अधिनियम के अधीन नियत या पुनर्व्यक्त न्यूनतम मजदूरी से दस प्रतिशत अधिक संवत्त किया जाएगा।

(3) जहाँ किसी क्षेत्र में इस अधिसूचना द्वारा नियत की गई मजदूरी का न्यूनतम वर राज्य सरकारों द्वारा सड़कों के निर्माण या अनुरक्षण या निर्माण संक्रियाओं, पत्थर तोड़ने और पत्थर पीसने, भवनों के अनुरक्षण और धातु पथों के सन्निर्माण और अनुरक्षण में नियोजित कर्मचारियों के लिए जिनके संबंध में राज्य सरकार समुचित सरकार है नियत की गई मजदूरी का न्यूनतम दरों से कम है वहाँ उन क्षेत्रों को बावत इस अधिसूचना के अधीन राज्य सरकारों द्वारा नियत की गई मजदूरी ही मंदाय होंगी।

(4) गुरुण-कार्य में काम करने वाले कर्मचारियों को इस अधिसूचना के अधीन समुचित प्रवर्गों के लिए नियत की गई न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त 20 प्रतिशत और संवत्त किया जाएगा।

(5) (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें बहुत थोड़ी या कुछ भी कुशलता या कार्य या अनुभव अपेक्षित न करने वालों साधारण क्रियाएँ सम्मिलित हैं;

(ख) "अर्द्ध-कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या मक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारियों के पर्यवेक्षण या मार्ग-दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अंतर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है;

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षा के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या मक्षमता अपेक्षित है और जिसके पानन में स्पष्टरेणा और विवेक बुद्धि आवश्यक है;

(घ) "अत्यधिक कुशल कार्य" से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसे करने के लिए सघन तकनीकी या वृत्तिक प्रशिक्षण या कई वर्षों के व्यावहारिक कार्य अनुभव से अर्जित उच्चतर की पूर्णता और मक्षमता की आवश्यकता होती है और कर्मकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन कार्यों के निष्पादन की वाक्य किए जाने वाले निर्णयों या विनिर्देशों के लिए पूरी जिम्मेदारी ले।

(6) इस अधिसूचना द्वारा नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दरें डेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होंगी।

(7) मजदूरी की न्यूनतम दरें सर्वसामान्य वर है और उसमें विधायन के साप्ताहिक विवरण के लिए मजदूरी भी सम्मिलित है।

(8) 18 वर्ष से कम आयु वाले युवा व्यक्तियों और निःशक्त व्यक्तियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें इस अधिसूचना द्वारा समुचित प्रवर्ग के व्यवस्था कर्मकार के लिए नियत की गई दरों का क्रमशः 80 और 100 प्रतिशत होंगी।

अनुसूच-1

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	नगरों			उपनगरों का वर्ग
	क	ख	ख-2	ग
1	2	3	4	5
भारत प्रदेश	हैदराबाद	--	विजयवाड़ा (वैजयवाड़ा) विशाखापत्तनम (विजयापट्टम)	अदोली, अंकापल्ले अर्नेतपुर (वान्धार मैसोमी पत्तनम) भीमावरम, विराया, चित्तूर कुडाप्पह, एलरु, गुडी- बड़ा, गुंडा-कल, गुंतूर काकीनाडा, करीमनगर, खम्मम, कोथागुडम, करनूल, महबूबनगर, नंदमाल, नैलोर, निजामाबाद, प्रोगोल, प्रोधानुर, राजाहमुन्दरी, श्रीकाकुलम, तैनाली, तिरुपति, विजयपुरी, विजयानगरम, वारंगल।
भ्रसम	--	--	गोहाटी	--
बिहार	--	--	पटना, घनबाद, जमशेदपुर	आरा, बेतिया, भागलपुर, बिहार-शरीफ, बोकारो, इस्लामनगर, छपरा, दरभंगा, दानापुर, गया, हजारी- बाग, कटिहार, मंगेर, जमालपुर, मुजफ्फरपुर, मुर्शिदाबाद, रांची
चण्डीगढ़	--	--	--	चण्डीगढ़
दिल्ली	दिल्ली	--	--	--
गुजरात	अहमदाबाद	--	सुरत, बड़ोदरा (बड़ोदा) भावनगर राजकोट	धानद, भूज, भड़ोच, कैम्बे, धोराजी, गांधरी, गांडव जावनगर, जूनागढ़, कलोल, महमाला, मोरवी, नादि- याद, नवमारी, पाटन, पोरबंदर, सुरेन्द्रनगर, वेरावल।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
हरियाणा	—	—	—	ग्रम्बाळा, भिवानी, फरीदाबाद, गूडगांव, हिसार, करनाल, कैथल, पानीपत, रोहतक, मिरसा, सोनीपत, यमुना-नगर ।
जम्मू-काश्मीर	—	—	श्रीनगर, जम्मू	—
कर्नाटक	बेंगलूर	—	हुबली, धारवाड़ मैसूर	बागलकोट, बैलगांव, बेल्लारी, भद्रावती, बिदर, बीजा-पुर, चिन्नशुंग, दोवनगिर, गडग-बेतगांव, गूलबर्ग, हसन, होस्पेट, कोलार-स्वर्ण क्षेत्र, मांड्या, मंगलूर, रायचूर, शिमोगा, टुमकूर ।
केरल	—	—	कोचीन, त्रिवेंद्रम, आनबे, कार्ताकट (कोजी-कांड)	अलेप्पी, बाडागारा, कन्नानूर, चंगनाचेरी, कायम कुलम, कोट्टयम, पालघाट, तेलीचेरी, त्रिचूर, विन्नलोन ।
मध्य-प्रदेश	—	इंदौर जबलपुर	ग्वालियर, (लखर) भिलाई भोगान	बिलासपुर, बुरहानपुर, छिंदवाडा, दमोद, देवास, दुर्ग, इंदारसी, खंडवा, संदसीर, मण्डलावली, मूडबारा, सूरीना, रायपुर, नीमच, रायगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, उज्जैन, विदिशा ।
महाराष्ट्र	मुम्बई	—	नागपुर, पिम्परी-शोलापुर छिंदवाडा, नासिक, पुणे	अमलपुर उपनगर समूह, अहमदाबाद, अकोला, अमलनेर, अम्बरनाथ, अमरावती, औरंगाबाद, बारसी, भिवंडी, भुसावल, चाश, चंद्रपुर, धुलिया, डोम्बोवली, गोंदिया, हळदलकरंज, जलगांव, जालना, कल्याण, कैमटी, खामगांव, कोल्हापुर, लातूर, मरवगांव, नांदेड़, नंदुरबार, नासिक सांग, देवनाली, पंढरपुर परभनी, सांगली, मिराज, मतारा, उल्हासनगर, योतमात, वधो ।
उड़ीसा	—	—	राउरकेला	बालासोर, बिहरामपुर, भुवनेश्वर, कटक, पुरी, सम्बलपुर
पांडिचेरी	—	—	—	पांडिचेरी
पंजाब	—	—	अमृतसर लुधियाना	अंबोहर, बटासा, भटिंडा, फिरोजपुर, हंशियारपुर, जालंधर, मलेर-कोटला, मोगा, पठानकोट, पटियाला, फगवाड़ा ।
राजस्थान	—	जयपुर	अजमेर	अलवर, अम्बर, भरतपुर, बीलवाड़ा, बीकानेर, चुरू-गंगानगर, जोधपुर, कोटा, सीकर, टांक, उदयपुर ।
तमिलनाडु	मद्रास	कोयम्बतूर मदुराई	सलेम, तिरुचिरापल्ली, (त्रिचिनोपोली)	अम्बूर, अगकोटाई, बिदामबरम, बोवो नायकनूर, कडापो डिडीगुल, इरोड, गुडियाथम-कडायानल्लूर, कांचीपुरम, कराई कुडी, करूर, कुम्भ-कोनम, मथुरम, कोविलयट्टी, मेट्ट्या-पालयम, माय, पट्टीनम, नगर-कोडल, पलायमकोटाई, पोलच्ची, पुडुकोटाई, राजापलयम, निवाकाणी, श्रीरंगम, श्री बिलीपुसुर, ताम्बरम, तंबवूर, (तंजोर) छिडीवनम, तिरुनेलवेली, तिरुमूर, तिरु-वन्नामलाई, तुतीकोरिन, वालपराई, वनियाम्बाडी, बैलोर, बिल्पुरम, बिरु-नगर ।
उत्तर-प्रदेश	—	कांसपुर लखनऊ, आगरा इलाहाबाद बाराबंसी (बनारस)	मेरठ	अलीगढ़, (कोयल अलीगढ़) अमराहा, बालिया, बहराष्ट, बांवा, बरेली, बस्ती, बदायूं, बुलन्दशहर, चंदौसी, देहरादून, इटावा, फैजाबाद एवं अयोध्या, फर्रुखाबाद एवं फतेहगढ़, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपूर, मोहा, गोरखपुर, हल्द्वानी एवं काठ-गोबाम, हापुड़, हरदोई, हरिद्वार, हाथरस, जौनपुर, झांसी, बुर्जा, काशीगंज, मथुरा, मउनाथ भंजन, मिर्जापुर, मुरादबाद, मुजफ्फर नगर, पीलीभीत,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				रामपुर, रङ्गी, महारनपुर, सम्भल, शाहजहानपुर, मोतापुर ।
पश्चिमी बंगाल कलकत्ता	—	आसनसोल, दुर्गापुर		धेधवती, बानी, बनगाँव, बंकुरा, बामवेरिया, बैरघपुर, बशीरहट, बैरहानपुर, भाटापारा, बज-बाज, बर्दवान, बकलुडा, चम्पदानी, चन्दर नगर, कूचबिहार, इंगलिश बाजार, हाथी-शहर, हुगली, बिनसुरा, जलपाईगुडी, कमरुद्दी, कंचनपारा, खडगपुर, कृष्णनगर, मिर्जापुर, नवाबदीप, नहाटी, उत्तरी बमदम, पानीहाटी, पुरलिया, रानाघाट, रिझरा, शालिपुर, सेरामपूर, सिस्तीगुडी, टीटागढ़, उत्तरपारा, कोटरंग ।
गोवा, दमन और दीव	—	गोवा, मरमूगोवा	---	

[संख्या एस-32019/6/83-इन्फू० सी०(एम०इन्फू)]

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 1983

S.O. 749(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in the employments (i) in the construction or maintenance of roads or in building operations (ii) in stone breaking or stone crushing (iii) in the maintenance of buildings and (iv) in the construction and maintenance of runways were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 29th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) No. S.O. 481(E) dated the 29th June, 1983 for the information and inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication;

And whereas, the said Gazette was made available to the public on the 29th June, 1983;

And whereas, the objection and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 619(E) dated the 26th August, 1982, the Central Government after consulting the Advisory Board revises the minimum rates of wages as specified in column (2) to (6) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in employments in the construction or maintenance of roads or in building operations, in stone breaking or stone crushing, in the maintenance of buildings; and in the construction and maintenance of runways as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Category of work	All inclusive minimum rates of wages per day				
	Area A	Area B-1	Area B-2	Area C	Area D
	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
1	2	3	4	5	6

UNSKILLED

(1) Bajri Spreader (2) Beldar (Adult Male/Female; Adolescent/Boys above 12 years, Girls; Child) (3) Beater Woman (4) Bellowman (5) Chain Man (6) Boat Man (7) Bucket Man

1	2	3	4	5	6
(8) Carrier (Stone) (9) Carrier (Water) (10) Cart Man (11) Caretaker (Bridge) (12) Cleaner (Crane Track; Cinder for Ash Pit) (13) Chowkidar (14) Concrete (Hand Mixer) (15) Daffadar (16) Driver (Bullock; Camel, Donkey, Mule) (17) Flag Man (18) Flagman (Blast Train) (19) Gate Man (20) Gangman (21) Gang Man (Permanent Way) (12) Handle Man (23) Jumper Man (24) Kamin (Female Work) (25) Khalasi (26) Khalasi (Man/Male; Woman/Female; Boys/Girls; 1/II; Bridge; Electrical; Marine; Moplah; Shore; Store; Steam Road Roller; Survey) (27) Labourer (Garden) (28) Lamp Man (29) Mali (30) Mazdoor (31) Mazdoor (Adult Male/Man; Adult Female/Women) (32) Mazdoor (Adolescent/Boys above 12 years age; Girls; Child; Lorry; Trained) (33) Petrolman (34) Peon (35) Searcher (36) Signal Man (37) Strikers (38) Striker (Moplah Gang) (39) Sweeper (40) Tatti Boy (41) Tile Turner (42) Trolley Man (43) Valve Controller (44) Valveman (45) Watchman (46) Waterman (47) White Washer (48) Wooderman (49) Wooder Women (50) Borryman (51) Coal man (42) Condenser Attendant (53) Grass Cutter (54) Muchhars Jamadars (55) Slingers (56) Shunters (57) Any other Categories by whatever name called which are of an unskilled nature	11.25	10.00	9.25	8.25	7.50

SEMI-SKILLED/UNSKILLED SUPERVISORY

(1) Belchawala (2) Bhisti (3) Bhisti (with Mushk) (4) Boatman (Head) (5) Breaker (6) Breaker (Rock); Rock Stone; Stone Metal; Stone (7) Cane Weaver (8) Chain Man (Head) (9) Charpoy Stringer (10) Checker (11) Chowkidar (Head) (12) Cracker (13) Dafti (14) Dollyman (15) Driller (16) Driller (Hole; Rock) (17) Driver (skin) (18) Excavator (19) Ferreoman (20) Fireman (21) Fireman (Brick Kiln; Steam Road Roller) (22) Gate Keeper (23) Gharami (Thatcher) (24) Glass Man (25) Greaser (26) Greaser-cum-fireman (27) Grinder (28) Hammerman (29) Helper (Artisan) (30) Helper (Sawyer) (31) Jamadar (32) Keyman (33) Khalasi (Head Survey; Rivetters-Moplah Gang; Supervisor) (34) Labourer (Rock-cutting) (35) Lascar (36) Mali (Head) (37) Mate (38) Mate (Blacksmith; Road; Carpenter; Engine Driver and or Feeder; Fitter; Gang; Khalasi; Mazdoor, Mason; Permanent Way; Pump-Driver; Turner) (39) Mazdoor (Heavy-Weight; Charge-Man; Mistri; Head) (40) Muccadam (41) Night Guard (41 A) Runner (Post dak) (42) Oil Man (43) Quarry Man (44) Quarry Operator (45) Store Man (46) Stocker (47) Thatcher (48) Stocker and boilerman (4) Thoombaman (Spade Worker) (50) Tindals (51) Trolleyman (Head; Motor) (52) Fitter (Asstt. Semi-skilled) (53) Jamadar (Semi-skilled) (54) Mate (Store) (55) Pump Attendant (56) Bearer (57) Breaksman (58) Crowber Man (59) Cook (60) Dandee (61) Farash (62) Hacksaw Man (63) Helper (Locco-Crane/Truck) (64) Kasab (65) Khalasi (Structural) (66) Laboratory Boy (67) Manjee (Boatman) (68) Masalchi (69) P.M. Mates (70) Pointsman (71) Seacummy (72) Topaz (73) Topkar (Big Stone Breaker) (74) Trolley Jamadar (75) Winchman (76) Asstt. Wireman (77) Any other categories by whatever name called which are of a semi skilled nature	14.00	12.75	11.50	10.50	9.50
---	-------	-------	-------	-------	------

SKILLED

(1) Asstt. Mistry (2) Armature Winder Grade II and III (3) Bhandari (4) Blacksmith (5) Blacksmith (Selection Grade; Grade II; III; Class II & III; Head) (6) Boilerman (7) Boiler man Grade II and III (8) Boiler Foreman Grade II (9) Work (Asstt.) (10) Brick Layer (11) Bricklayer (Selection Grade; Class II) (12) Blasterer (13) Carpenter (14) Carpenter (Selection Grade; Grade II & III; Class I and III; Assistant; B.I.M. Road) (15) Cabinet Maker (16) Caneman (17) Celotux Cutter Maker (18) Chargeman Class II; and Class III (19) Carpenter (Ordinary) (20) Checker (Junior) (21) Chick maker (22) Chick Man (23) Concrete Mixture Mixer (24) Concrete Mixer Operator (25) Cobbler (26) Coremaker (27) Driver (28) Driver (Motor; Vehicle; Motor Vehicle Selection Grade; Motor Lorry; Motor Lorry Grade II; Lorry; Lorry Grade II; Diesel Engine; Diesel Engine Grade II; Mixer Mechanical; Road Roller I.C. and Cement Mixer etc. Road Roller) (29) Road Roller Driver Grade II (30) Driver (Engine Static; Stone Crusher; Tractor/Bull Dozer; Steam Road Roller; Water Pump Mechanical; Steam Crane; Assistant Road Roller; Mechanical; Tractor with Bull Dozer Mechanical Transport; Engine; Static & Road Roller; Boiler Attendant; Engine) (31) Operator (Stone Crusher Mechanical) (32) Distemperer (33) Electrician (34) Electrician (Grade II; Class II; Class III) (35) Fitter (36) Fitter (Selection Grade; Grade II; III; Class II; III; Assistant; Pipe; Pipe Class II; Pipe Line; Bending Bars for reinforcement cum-Mechanic; Mechanic & Plumber) (37) Gharami (Head) (38) Glazier (39) Hole Driller for Blasting (40) Joner (41) Joiner (Cable; Grade II) (42) Line Man (Grade II; III; HT/LT) (43) Mason (44) Mason (Selection Grade; Grade II and III; Class II and III; Class B Mistry; Stone; Stone Class II; Brick Work; Stone Work; Bricklayer; Tile Flooring; B.I.M.; Muccadam; Head; Stone Cutting; Ordinary) (45) Machinist (46) Mechanic (47) Mechanic (Class II; Air Conditioning; Air Conditioning Grade II; Diesel Grade II; Road Roller

1	2	3	4	5	6
Grade II; Assistant; Radio) (48) Masson (Gharani) (49) Mistry (50) Mistry (Grade II); Airconditioning Grade II P. Way; Survey; Santras; Works) (51) Mason Class A (52) Moulder (53) Moulder (Brick; Tile) (54) Painter (55) Painter (Selection Grade : Grade II and III; Class II; Assistant; Lotter; and Polisher; Polisher; Rough) (56) Plasterer (57) Plasterer (Mason Grade II) (58) Plumber (59) Plumber (Selection Grade; Class II; Assistant Senior; Junior; Mistry Grade II; (60) Plumbing Mistry (61) Plumber-cum fitter (62) Polisher (63) Polisher (Floor) (64) Pump Driver (65) Pump Driver (Selection Grade; Grade II and III; Class II) (66) Pump Driver (Selection Grade: (67) P.E. Driver (68) Pump Man (69) Pump Man (Asstt.) (70) Pumper (71) Polisher (with spray Grade II (72) Ratan Man (73) Rivet Cutter (Asstt.) (74) Rivetter (75) Rivetter (Cutter) (76) Road Inspector Grade II (77) Railway Plate Layer (78) Rod Binder (79) Sawyer (80) Sawyer (Selection Grade Class II) (81) Serang (82) Serangpile Driving Pantooms with Boiler (83) Shapsman (84) Shift-in-charge (85) Sprayman (86) Sprayman (Roads) (87) Stone Cutter (88) Stone Cutter (Selection Grade; Grade II; Class II) (89) Stone Chisler (90) Stone Chisler (Class II) (91) Stone Blasterer (92) Sub-Overseer (unqualified) (93) Surveyors (94) Surveyors (Asstt.) (95) Tailor (96) Tailor (upholstry) (97) Tar Sprayer (98) Tar man (99) Line Man (100) Tiler Class II; Wall; Floor; Roof) (101) Tiler (Selection Grade) (102) Tine Smith (103) Tin Smith (Selection Grade : Grade II; and III; Class II) (104) Tinker (105) Trailers (106) Turner (107) Upholsterer (108) Upholsterer (Grade II and III) (109) Painter Spray Class II (110) Wood Cutter (111) Wood Cutter Selection Grade (112) Wood Cutter Class II (113) Work Sircar (114) Welder (115) Welder Gas (116) Welder (Class II; Bridge Work) (117) Well Sinker (118) White Washer (119) White Washer (Selection Grade; Class II) (120) Wireman (121) Wireman (Grade II & III; Class I; Mechanic; Electrical) (122) White Washing & Colour Washing Man (123) Operator Pneumatic Tools (124) Operator (Fitter) (125) Boreman (126) Borer (127) Chipper (128) Chipper-cum-Grinder (129) Cook (Head); (130) Driller; (Well-Boring) (131) Driver (Loco/Truck) (132) Electrician (Asstt.) (133) Mechanic (Tube-well) (134) Mistry (Steel; Tube-well; Telephone) (135) Meter Reader (136) Metrological Observer (137) Navghani (138) Operator (Batching Plant; Cinema Project; Clamp Shelf; Compressor; Grane Dorrick; Diesel Engine; Doser; Dragline; Drill; Dumper; Excavator; Fork Lift; Generator; Grader; Jack hammer and pavement breaker Loader; Pump; Pile Driving; Scraper; Screening Plant Shovel; Tractor; Vibrator; Weight Batchter (139) Railway Guards (140) Repairer (Battery) (141) Sharper/Slotter (142) Sprayer (Asphalt) (143) Station Master (144) Surveyor (Silt) (145) Tradesman (146) Train Examiner (147) Turner/Miller (148) Tyre Vulcaniser (149) Any other categories by whatever name called which are of a skilled nature	17.75	16.25	14.50	13.50	12.00

Highly Skilled

- (1) Armature Winder Grade I (2) Blacksmith Grade I and Class I (3) Boilerman Grade I (4) Boilerman Foreman Grade I (5) Brick Layer Class I (6) Cable Joiner Grade I (7) Carpenter Grade I and Class I (8) Celotex Cutter and Decortor (9) Chargeman Class I (10) Checker (Senior) (11) Driver Lorry Grade I; Motor Lorry Grade I; Motor Vehicle Class I and Diesel Engine Grade I; Road Roller Grade I; Pump Grade I; Pump Class I (12) Electrician Grade I and Class I (13) Fitter (Grade I; Class I; Pipe Class I; (Head); (14) Foreman (Asstt.) (15) Line Man Grade I (16) Mason (Skilled Grade I; Class I) (17) Mast Rigger Mechanic Class I and Class II (18) Mechanic (Head) or Electrician (19) Mechanic (Diesel) Grade I; Road Roller Grade I; Airconditioning Grade I; Class I; Air Conditioning (20) Mistry Grade I (21) Mistry (Airconditioning Grade I) (22) Overseer (23) Overseer (Senior & Junior) (24) Painter (Grade I; Class I; Spray) (25) Plasterer (Mason) Class I (26) Plumber (Head Class I; Mistry Grade I) (27) Polisher (with spray) Grade I (28) Road Inspector Grade I (29) Sawyer Class I (30) Stone Cutter Class I (31) Stone Cutter Gr. I (32) Stone Chisler Class I (33) Stone Mason Class I (34) Sub-Overseer (Qualified) (35) Tiler Class I (36) Tinsmith Grade I and Class I (37) Upholsterer Grade I (38) Varnisher Class I (39) Welder-cum-Fitter and Air Conditioning Mechanic (40) Welder (Gas) Class I (41) White Washer Class I (42) Wireman Grade I; Class I (43) Wood Cutter Class I (44) Grinder (Tool) Grade I (45) Operator (Batching Plant Grade I; Clamp Shell Grade I; Compressor Gr. I; Crane Gr. I; Diesel Engine Gr. I; Doser Gr. I; Dragline Gr. I; Drill Gr. I; Dumper Gr. I; Excavator Gr. I; Fork Lift Gr. I; Generator Gr. I; Grader Gr. I; Loader Gr. I; Pile Driving Gr. I; Pump Gr. I; Scraper Gr. I; Screening Plant Gr. I; Shovel Gr. I; Shovel & Dragline; Tractor Gr. I; Vibrator Gr. I; Rigger Gr. I; Rigger Gr. II) (46) Sharper/Slotter Gr. I (47) Tradesman Class I (48) Turner/Miller Gr. I (49) Tyre Vulcaniser Gr. I (50) Work (Asstt.) Gr. I (51) Any other categories by whatever name called which are of a highly skilled nature

22.25 20.25 18.50 16.50 15.25

Clerical

- (1) M.C. Clerk (Munshi) (Matriculate; non-Matriculate) (3) Store Clerks (4) Store issuer (5) Store Keeper (6) Store Keeper (Gr. I; Gr. II; Matriculate II; Non-Matriculate) (7) Tally

1	2	3	4	5	6
Clerk (8) Time Keeper (9) Time Keeper (Matriculate; Non-Matriculate) (10) Tool Keeper (11) Work Munshi (12) Work Munshi (Subordinate) (13) Accounts Clerk (14) Clerks (15) Computer; (16) Telephone Operator (17) Typists (18) Any other categories by whatever name called which are of a clerical nature.	17.75	16.25	14.50	13.50	12.00

Explanation :—For the purpose of this notification :—

(1) (a).—Area A, B-1, B-2 and C shall comprise all places as specified in the Annexure I to this notification including all places within a distance of eight kilometres from the periphery of the Municipal Corporation or Municipality or Cantonment Board, Notified Area Committee of particular place; and Area 'D' shall comprise all the places not included in Areas A, B-1, B-2 and C.

(b) The places added or upgraded from time to time by the Ministry of Finance for the purpose of payment of city compensation allowance to Central Government employees shall also be taken to be added from such dates for the purpose of classification specified in the annexure.

2. Employees employed in the employments in the construction or maintenance of roads or in building operations, in stone breaking and stone crushing, in the maintenance of buildings and in the construction and maintenance of runways, in D class areas, where the minimum rates of wages have been fixed on area-wise basis and where the Central Government has sanctioned payment of winter allowance or hill allowance or any other special allowance, shall be paid, in addition to the minimum rates of wages fixed by this notification, an amount equal to 10 per cent of the minimum rates of wages so fixed.

3. Where in any area the minimum rates of wages fixed by this notification are lower than the minimum rates of wages fixed by the State Government for employees in employment in the construction or maintenance of roads or in building operation in stone breaking or stone crushing, in the maintenance of buildings, and in the construction and maintenance of runways, in relation to which the State Government is the appropriate Government, the rates of wages fixed by the State Government shall, in respect of those areas, be deemed

to be the minimum rates of wages, payable under this notification.

(4) Workers employed on tunnel working shall be paid 20 per cent extra of the minimum wages fixed under this notification for the appropriate category.

(5) (a) "Unskilled work" means work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job.

(b) "Semi-skilled work" means work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee, and includes unskilled supervisory work.

(c) "Skilled work" means work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement;

(d) "Highly skilled work" means work which calls for a high degree of perfection and full competence in the performance of certain tasks, acquired through intensive technical or professional training, or practical work-experience for long years and also requires of a worker to assume full responsibility for the judgement or decisions involved in the execution of these tasks.

(6) The minimum rates of wages fixed by this notification are applicable to employees engaged by contractors also.

(7) The minimum rates of wages shall consist of all inclusive rates and include also the wages for weekly day of rest.

(8) The minimum rates of wages payable to young persons below 18 years of age and for disable persons shall be 80 per cent and 100 per cent respectively of the rates fixed by this notification for adult workers of the appropriate category.

ANNEXURE-I

Name of the State/ Union Territory	Class of Cities/Towns			
	A	B-1	B-2	C
1	2	3	4	5
Andhra Pradesh	Hyderabad	—	Vijayawada (Bazwada),	Adoni, Anakapalle (Masulipatam), Anantapur, Bandar Bheemavaram, Chirala,

1	2	3	4	5
			Visakhapatnam (Vizagapatnam)	Chittoor, Cuddapah, Eluru, Gudur, Guntakal, Guntur, Kakinada, Karimnagar, Khammam, Kothagudem, Kurnool, Mahbubnagar, Nandyal, Nellore, Nizamabad, Ongole, Proddatur, Rajamundry, Srikakulam Tenali, Tirupati, Vijayapuri, Vizianagaram, Warangal.
Assam	...	...	Gauhati	...
Bihar	...	...	Patna, Dhanbad, Jamshedpur.	Arrah, Bettiah, Bhagalpur, Bokaro Steel City, Biharsharif, Chapra, Darbhanga, Dinapur, Gaya, Hazaribagh, Katihar, Monghyr, Jamalpur, Muzaffarpur, Purnea, Ranchi.
Chandigarh	...	...		Chandigarh.
Delhi	Delhi	...	...	...
Gujarat	Ahmedabad	...	Surat, Vadodara (Baroda), Bhavnagar, Rajkot.	Anand, Bnuj, Broach, Cambey, Dhoraji, Godhra, Gondal, Jamnagar, Junagarh, Kalol, Mahasana, Morvi, Nadiad, Navsari, Patan, Porbandar, Surendranagar, Veraval.
Haryana	...	...	...	Ambala, Bhiwani, Faridabad, Gurgaon, Hissar, Kurukshetra, Karnal, Kithul, Panipat, Rohtak, Sirsa, Sonapat, Yamunanagar.
Jammu & Kashmir	...	...	Srinagar, Jammu.	...
Karnataka	Bangalore	...	Hubli, Dharwar, Mysore.	Bagalkot, Belgaum, Bellary, Bhadravati, Bidar, Bijapur, Chitradurga, Devanagar, Gadag Betgari, Gulbarga, Hassan, Hospet, Kolar Gold Fields, Mandya, Mangalore, Raichur, Shimoga, Tumkur.
Kerala	...	...	Cochin, Trivandrum, Alwaye, Calicut (Kozhikode).	Allepey, Badagar, Cannanore, Changanacherry, Kayamkulam, Kottayam, Palghat, Tellicherry, Trichur, Quilon.
Madhya Pradesh	...	Indore, Jabalpur	Bhopal, Bilai, Gwalior, (Laskar)	Bilaspur, Burhanpur, Chhindwara, Damoh, Dewas, Durg, Itarsi, Khandwa, Mandla, Morena (Cantt.), Morena Murwara, Neemuch, Raigarh, Raipur, Ratlam, Rewa, Sagar, Satna, Ujjain, Vidisha.
Maharashtra	Bombay	Nagpur, Poona, Pimpri-Chindwada.	Sholapur, Nasik	Achalpur Town group, Ahmednagar, Akola, Amalner, Ambarnath, Amravati, Aurangabad, Barsi, Bhivandi, Bhusawal Chanda, Chandrapur, Dhulia, Dombivli, Gondia, Ichalkaranjia, Jalgaon, Jalna, Kalyan, Kamptee, Khamgaon, Kohlapur, Latur, Melegaon, Nanded, Nandurbar, Nasik Road, Deolali, Pandharpur, Parbhani, Sangli-Maraj, Satara, Ulhasnagar, Yeotmal, Wardha.
Orissa	...	...	Rourkela	Balasore, Berhampur, Bhubaneswar, Cuttack, Puri, Sambalpur,
Pondicherry	...	...	...	Pondicherry
Punjab	...	...	Amritsar, Ludhiana	Abohar, Batala, Bhatinda, Ferozepur, Hoshiarpur, Jullundur, Malerkotla, Moga, Pathankot, Patiala, Phagwara.
Rajasthan	...	Jaipur	Ajmer	Alwar, Beawar, Bnaratpur, Bhilwara, Bikaner Churu, Ganganagar, Jodhpur, Kota, Sikar, Tonk, Udaipur.

1	2	3	4	5
Tamil Nadu	Madras	Coimbatore, Madurai.	Salem, Tiruchirapalli (Trichinopoly)	Ambur, Aruppukottai, Bodinayakanur, Chidambaram, Cuddalore, Dindigul, Erode, Guidiyatham, Kadayannallur, Kancheepuram, Keraikudi, Karur, Kumbakonam, Mayuram, Nagapattinam, Nagercoil, Palayamkottai Pollachi, Mottupalayam, Pudukkottai, Rajapalayam, Sivakasi, Srirangam, Srivilliputtur, Tambaram, Thanjavur (Tanjore), Tindivanam, Tirunelveli, Tiruppur, Tiruvannamalai, Tuticorin, Valparai, Vaniyambadi, Vellore, Villipuram, Virudhunagar.
Uttar Pradesh	...	Kanpur, Lucknow, Agra, Allahabad, Varanasi (Banaras)	Meerut	Aligarh (Koli Aligarh), Amroha, Balia, Baharaich, Banda, Bareilly, Basti, Badaun, Bullandshahar, Chandausi, Dehradun, Etwan, Faizabad-cum-Ayodhya, Farrukhabad-cum-Fatehgarh, Fatehpur, Ferozabad, Gaziabad, Ghazipur, Gonda, Gorakhpur, Haldwani-cum-Kathgodam, Haur, Hardoi, Haridwar, Hathras, Jaunpur, Jansi, Khurja, Kasganj, Mathura, Maunabhanjan, Mirzapur, Moradabad, Muzaffarnagar, Pilibhit, Rampur, Roorkee, Saharanpur, Sambhal, Shahjahanpur, Sitapur.
West Bengal	Calcutta	...	Asansol, Durgapur	Baidyabati, Bally, Bangaon, Bankur, Bansbaria, Barrackpur, Basirhat, Berhampur, Bhatpara, Budge, Budge, Burdwan, Chakdaha, Chamdani, Chandernagar, Cooch Behar, English Bazar, Halishaur, Hooghly-Chinsura, Jalpaiguri, Kamarhati, Kanchrapara, Kharagpur, Krishnagar, Midnapur, Nabodwip, Naihati, North Dum Dum, Panihati, Purulia, Ranaghat, Rishra, Santipur, Serampur, Siliguri, Titagarh, Uttarpara-Kotrung.
Goa, Daman & Diu	...	...	Goa, Marmagao.	

[S-32019(6)/83-WC (MW)]

अधिसूचना

क्र० आ० 750(अ) :—कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संवेद्य मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए प्रस्ताव, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षाानुसार, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय, श्रम विभाग की अधिसूचना संख्या का० आ० 480 (अ०), तारीख 29 जून, 1983 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 29 जून, 1983 के पृष्ठ 1 से 6 पर सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किए गए थे, जिनमें राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी;

और उक्त राजपत्र 29 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित, धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 609 (अ) तारीख 21 अगस्त, 1983 का अधिकांश करने हुए तथा सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, इससे उपावद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (6) में यथा विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरों का, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट कृषि नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संवेद्य है, पुनरीक्षण करती है और निर्देश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

अनुसूची

कर्मचारियों के प्रवर्ग

प्रतिदिन मजदूरी की सबसेमाधेशी न्यूनतम दरें

क्षेत्र-क	क्षेत्र ख-1		क्षेत्र ख-2		क्षेत्र-ग	
	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०
1	2	3	4	5	6	
अकुशल :						
(1) बेलदार (2) काफ बाप (3) पशुपालन (4) चौकीदार (5) क्लीनर (6) क्लीनर मोटर, गेड, ट्रैक्टर, पशुशाला, एम टी 1. (7) खुला बारा एकत्रित करना, (8) डेरी कुली (9) डेरी बाला (10) स्टोक कोलना (11) ड्रेसर, (12) गाड़ीवान (बैल, खच्चर), (13) फीडर (ग्रहण्ड) सूखी घास, (14) घास काटने वाला, (15) बरबाहा, (16) मक्कदगार (भण्डार, मजदूर), (17) श्रमिक (बायलर, पशुशाला, खेती, साधारण, चढ़ाई और उतराई, बंडल बनाना, डोना उखरक कटाई, विविध प्रकीर्ण बोजन, बुझाई, छपरछाला, प्रतिरोपण, बिराई (18) माली, (19) मजदूर (वक्ष संबंधक, कम्पोरट, डेरी बास का चट्टा लगाना, मिथारी, खाद चट्टा लगाना, दुग्धवक्ष, राशन वक्ष, भण्डार, मलेरिया रोधक एम मार (20) संवेक्षणक (कार्यालय), (21) अपरासी (22) मईस, (23) कुली घास बाधना और डोना (24) झाडुबहा (25) गांठे तोलना और डोना (26) तोलने वाला (गाठ, पल्ली) (27) पाली वाला (28) अस्पलबल वाला, (29) ट्रांली वाला (30) कोई अन्य प्रवर्ग, चाहे वह किसी भी नाम से जान हों, जो अकुशल प्रकार के हैं।	11.25	10.00	9.25	8.25	7.50	
अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :						
(1) सहायक (धीयरी) (2) परिष्कारक (साइ, ब्यानास्थल, कुट्टी मशीन, छात्रावास, सुखा स्टाक, अनाज योशर, पम्प, रोगी-पशु, स्थल, अस्पलबल, यार्डसहायक पशुधन (3) सहायक (प्लम्बर), (4) परिचालक, (5) मिश्री, (6) ब्रीडर, (7) सांड-वाला, (8) मक्खनवाला, (9) कोचवान, (10) मोर्ची, (11) कृषक, (12) दफतरी (13) पत्र जितरक, (14) छोबी, (15) ड्रेसर, (16) फेरियर (नाल लगाने वाला), (17) फीडर, (18) फायरमैन, (19) खाला, (20) हूधोडा वाला, (21) मक्कदगार, (लोहारा), (22) मक्कदगार (23) जमादार (संतरी), (24) जमादार, (25) खलासी, (26) भाफी (ज्येष्ठ), (27) सेट मिस्त्री, (28) मजदूर (शिक्षित), (29) तालबन्द, (30) तेलवाला, (31) हथबाहा, (32) चट्टा लगाने वाले, (33) पर्यवेक्षी, (34) छपर छाने वाले, (35) वाल्व-मैन (36) वाल्वमेन (ज्येष्ठ), (37) तोलने वाला, (38) तार काटने वाला, (39) तार मिस्त्री, टिन केवल डालने वाला, (40) कोई अन्य प्रवर्ग चाहे किसी भी नाम से जान हों, जो अर्धकुशल प्रकार के हैं।	14.00	12.75	11.50	10.50	9.50	
कुशल :						
(1) कारीगर (वर्ग II, III, IV), (2) लोहार (3) लोहार वर्ग II, (4) बायरलर मैन, (5) बड़ई, (6) बड़ई वर्ग II, (7) बड़ई एवं लोहार, (8) चौधरी, (9) चायक, (10), खानक (डंजन, ट्रैक्टर, एम टी, मोटर), (11) बिजली मिस्त्री, (12) फिटर, (13) राज, (14) राज (वर्ग II), (15) मशीन हूड, वर्ग II, III, IV, (16) मशीन वाला, (17) सेट श्रेणी I (ज्येष्ठ), (18) मैकेनिक, (19) दुग्ध राइटर, (20) मिस्त्री, प्रधान (21) मोल्डर (22) उपस्थिति राइटर, (23) प्रचालक (नलकूप), (24) पेटर, (25) प्लम्बर (नलमाज), (26) बैलडर, (27) गद्दीखाना, (28) तार मिस्त्री, (29) कोई अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से जान हों, जो कुशल प्रकार के हैं।	17.75	16.25	14.50	13.50	13.00	
अति कुशल :						
(1) कारीगरी वर्ग-1, (2) लोहार वर्ग-1, (3) बड़ई वर्ग-1, (4) मशीन हूड वर्ग-1, (5) राज वर्ग-1, (6) मैकेनिक ज्येष्ठ, (7) कोई अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से जान हों, जो अति कुशल प्रकार के हैं।	22.25	20.25	18.50	16.50	15.25	

1	2	3	4	5	6
लिपिक वर्ग					
(1) सहायक (फार्म), (2) सहायक, (3) रोकड़िया, (4) लिपिक, (5) मंशी, (6) रजिस्टर पाल, (7) स्टोरकीपर (मण्डारी), (8) समय पाल (टाइम कीपर), (9) टाइपिस्ट, (10) किसी भी नाम से कहलाने वाले कोई अन्य प्रवर्ग जो लिपिक वर्ग प्रकार के हैं	17.75	16.25	14.50	13.50	12.00

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए—

- (1)(क) क्षेत्र ए०बी०-1, बी०-2 और सी० में वे सभी स्थान समाविष्ट होंगे जो इस अधिसूचना के उपाबन्ध में ऐसे क्षेत्रों के रूप में चिन्तित हैं और जिनमें निम्नों या नगर पालिकाओं या छावन, बोर्डों या किसी विशिष्ट स्थान को अधिसूचित क्षेत्र समिति के उपासक्षेत्र से 8 किलोमीटर की दूरी के अन्दर के सभी स्थान सम्मिलित होंगे तथा क्षेत्र डी० में वे सभी स्थान समाविष्ट होंगे जो उपाबन्ध में वर्णित नहीं हैं और जिन पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का विस्तार है।
- (ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को त० प्र० भत्ते के संदाय के प्रयोजन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जाड़े गए या ऊंची धेनी में लागू गए स्थानों को भी उपाबन्धों में विनिर्दिष्ट वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए उन्हीं तारीखों में जोड़ा गया समझा जाएगा।
- (2) जहां किसी क्षेत्र में इस अधिसूचना के अधीन नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दरें कृषि के अनुसूचित नियोजन में कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा जिसके लिए यह समुचित सरकार है नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम है, वहां इस अधिसूचना के अधीन न्यूनतम मजदूरी के रूप में उच्चतम दर की जाएगी।
- (3)(क) 'अकुशल कार्य' से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली अथवा कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण विधाएं सम्मिलित हैं।

- (ख) 'अकुशल कार्य' से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव में अजिन कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और उसके अन्तर्गत पर्यवेक्षी कार्य भी आता है।
- (ग) 'कुशल कार्य' से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव में अथवा शिशु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षण के माध्यम में अजिन कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वतंत्रता विशेषाधिकार आवश्यक है।
- (ख) 'अति कुशल कार्य' से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसमें कर्मचारी कार्य के करने में परिपूर्णता की ऐसी उच्च मात्रा और पूर्ण क्षमता की अपेक्षा है जो गहन तकनीकी या वृत्तिक प्रशिक्षण या लम्बे समय तक व्यावहारिक कार्य के अनुभव से प्राप्त की गई है और जिसमें कर्मचारी से यह भी अपेक्षित है कि वह दैनिक कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक निर्णय विनिश्चय करें इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार हों।
- (4) मजदूरी की न्यूनतम दरें सर्वसमावेशी दरों के रूप में होंगी और उनके अन्तर्गत साप्ताहिक विश्राम दिन की मजदूरी भी होगी।
- (5) मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों पर भी लागू होती हैं।
- (6)(क) 18 वर्ष से कम के व्यक्तियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के व्यस्क कर्मचारियों की सर्वेय दरों का 80 प्रतिशत होंगी।
- (ख) निर्योग्य व्यक्तियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के समयोग्य व्यक्तियों की दरों के बराबर होंगी।

उपबन्ध—1

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	नगर		उपनगरों का वर्ग	
	क	ख-6	ख-2	ग
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	वैदराबाद	---	विजयवाड़ा (वैजवाड़ा), विशाखापत्तनम (विजयगणपट्टम)	अंकोली, अंकापल्ले, अन्तगुर, बम्बारा (मैकोली पत्तनम), भामावरम, चिराला, चित्तूर, कुडाण्ड, एलूर, गुडी बड़ा, गुडाकाल, गुन्तूर, काकीनाडा, करीम नगर, खम्माम, कोथागुडम, करनूल, महबूबनगर, मन्ड्याल, नैलोर, निक्षामाबाद, आंगोल, प्रोवाचूर, राजाहमुन्दरी, श्रीकाकुलम, सैनापी, निरुपति, शिजपुरी, विजयनगरम, बारंगल।
बिहार	---	---	गोहाटी	

1	2	3	4	5
बिहार	---	---	पटना अतबाद जमशेदपुर	अरा बेतिया भागलपुर, बिहार सरीक, बाकारों- इस्फाल नगर, छपरा, दरभंगा, दानापुर, गया, हजारीबाग, कटिहार, मुर्शिदाबाद, जमानपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, राँची।
चण्डीगढ़	---	---	---	चण्डीगढ़
दिल्ली	दिल्ली	---	---	---
गुजरात	अहमदाबाद	---	सुरत, बड़ोदरा (बन्नीदा) भावनगर, राजकोट	आनन्द, भुज, भडोच, कैम्बे, घांराजी, गोखारी, गोंडल, जामनगर, जूनागढ़, कलोल, मेहसाणा, मोरबी, नाडियाद, तबसारी, पाटन, पोर्बन्दर, सुरेन्द्रनगर, वेरावल।
हरियाणा	---	---	---	अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, कैथल, पानीपत, रोहतक, मिरसा, सोनीपत, यमुनानगर।
जम्मू-कश्मीर	---	---	श्रीनगर, जम्मू	
कर्नाटक	मंगलूर	---	हुबली, धारवाड मैसूर	बागलकोट, बेलगाम, बैलरी, भद्रावती, बिवार, बीजापुर, चित्रदुर्ग, दोंबणगिरी, गदाग- बेतगारी, गुलबर्गा, हसन, होस्पेट, कोलार, म्वर्णा मैन्न, माण्ड्या, मंगलूर, रायचूर, शिमोगा, टुमकूर।
केरल	---	---	कोचीन, त्रिवेन्द्रम, आलवे, मालीकोट (कोजीकोड)	अलेपी, भांडारा, कल्लानूर, चंगना चेरी, कायमकुलम, कोट्टयम, पालघाट, पेचीचेरी, त्रिचूर, वडीलीन।
मध्य प्रदेश	---	इंदौर	जबलपुर ग्वालियर (बलरकर) मिर्जा, भोपाल	बिलासपुर, बुरहानपुर, छिंदवाडा, खमोह, देवास, दुर्ग, छटारमी, बंडा, मन्सूर, मह, (छाबनी), मुंडवारा, मुरैना, रायपुर, नीमच, रायगढ़, रतनाम, रीवा, सागर, सतना उज्जैन, बिदिना।
महाराष्ट्र	मुम्बई	नागपुर, पुणे, पिंपरी छिंदवाडा	शोलापुर, नासिक	अचलपुर, उधनगर, समूह, अहमदनगर, अकोला अमलनेर, अम्बरनास, अमरावती, औरंगा- बाद, बारसी, भिबडी, बुलडाण, चांदा, चन्द्रपुर, बालिया, दोम्बीबली गोदिया, इच्छल करंजिबा, जलगांव, जलना, कल्याण, कैमटी, कामगांव, कोल्हापुर, मावुर, मरलेगांव, मांवेड, नन्दुरबार, नासिक, मार्ग, देवगल्ली, पन्डरपुर, परभनी, सांगली, मराज, मन्थरा, उल्हास नगर, बोसवाल, बर्घी।
उड़ीसा	---	---	राउरकेला	नालासौर, बिहारासपुर, कुबनेरबर, कटक, पुरी, सम्बलपुर।
पाकिस्तान	---	---	---	पाकिस्तान
पंजाब	---	---	जमुनसर, लुधियाना	अमोहर, बटाला, मोटडा, फिरोजपुर, हीमसा- पुर, जलंधर, मलेर-कोटला, मोगा, पठान- कोट, पटियाला, फगवाडा।

1	2	3	4	5
राजस्थान	---	जयपुर	अजमेर	अलवर, अनावर, अरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूरा, गंगानगर, जोधपुर, कोटा, मीर, टोंक, उदयपुर ।
तमिलनाडु	भद्राचल	कायम्बूर, मद्राई	मनेम, निरुविराविल्ली (त्रिचिनोपली)	अम्बूर, अरुणाकोट्टाई, चिन्नावरम, चोर्वी नायकनूर, कुडालोर, डिडीगुड, हरोड, गुडि-याथान, काञ्चायलनूर, कांचीपुरम, कराईकुडी, कल्ल, कुम्भकोनम, मयूरम, कोविलयट्टी, मेट्टमा-पानथम, नागापट्टीनम, नगरकोटम, पलायमकोट्टाई, पालक्की, पुडुकोट्टाई, राजापल्लम, मिवाकाशी, श्रीरंगम, श्रीचिली-पुत्तुर, प्राम्बरम, सज्जूर, (तंजारे) छिडीवनम तिरुनेलवेली, तिरुम्पुर, तिरुवल्लामलाई, तृतीकोरिन, बालपराई, वनियाम्बाडी, बैयारे, विलपुरम, विरुडनगर ।
उत्तर प्रदेश	---	कानपुर, लखनऊ आगरा, उन्नाव, बाराबंकी (बनारस)	मेरठ	अलीगढ़ (कोयल अलीगढ़), अमरोहा, बलिया, बहराइच, बांदा, बरेली, बस्ती, बदायूं, बुलन्दशहर, बंदोभी, देहरादून, इटावा, फैजाबाद, एवं अयोध्या, फर्रुखाबाद एवं फतेहगढ़, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हल्द्वानी एवं काठगोदाम, हापुड, हरदोई, हरिद्वार, हाथरस, जौनपुर, झांसी, खुर्जा, काशीगंज, मथुरा, मऊनाथ, भोजन, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रामपुर, रूहकी, सहायपुर, सम्भल, शाहजहांपुर, सीतापुर ।
पश्चिमी बंगाल	कलकत्ता	---	आसनसोल, दुर्गापुर	बैकुंथली, बाली, बनगांव, बेंगला, बामचेरिया, बैरकपुर, बशीरहट्ट, बेरहानपुर, भाटापारा, बज-बज, बर्दमान, बकहड़ा, चम्पवानी, चम्बर-नगर, कुचबिहार, इंगलिश बाजार, हाली-शहर, हुगली, चिनसुरा, जलपाईगुडी, कमरहटी, कोचनपारा, छडगपुर, कुष्माण्डनगर, मिशनपुर, नवाबद्वीप, नेहाटी, उत्तरी-बम-बम, पानीहाटी, पुरुलिया, राताबाट, रिशरा, शक्तिपुर, सेरावपुर, सिलीगुडी, टीटागढ़, उमरपारा, कोटरंग ।
गोवा, दमन और दीव	---	---	गोवा, सरमंगोवा	

[संख्या एम०-३२०१९/७/३३-उल्लू० सी० (एम० उल्लू०)]

S.O. 750(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in the employment in agriculture were published as required by Clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 6 to 10 of the Gazette of India Extraordinary Part II, Section 3, sub-section (ii) dated the 29th June, 1983 under the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour and Rehabilitation

(Department of Labour) No. S.O. 480(E) dated the 29th June, 1983 for the information of, and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette.

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 29th June, 1983;

And whereas, the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Clause (b) of sub-section (1) of section 3, read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour Number S.O. 609 (E)

dated the 21st August, 1982 the Central Government after consulting the Advisory Board revises the minimum rates of wages as specified in Column (2) to (6) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in the employment in agriculture as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Categories of employees	All inclusive minimum rates of wages per day									
	Area A		Area B-1		Area B-2		Area C		Area D	
	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.
1	2		3		4		5		6	
Unskilled										
1. Beldar; 2. Calf boy; 3. Cattleman; 4. Chowkidar; 5. Cleaner; 6. Cleaner (motor, shed, Tractor, Cattle Yard, M.T.); 7. Collecting loose fodder; 8. Dairy cattle; 9. Dairyman; 10. Dismantling stocks; 11. Dresser, 12. Driver (bullocks, mule); 13. Feeder (adult) hay; 14. Grass cutter; 15. Grazler; 16. Helper (Store-mazdoor); 17. Labourer; (boiler, Cattle yard, Cultivation; General; Loading and unloading Bundling; Carting; Fertilizers harvesting; Miscellaneous; Seeding; Sowing; Thatching; Transplanting; Weeding); 18. Mali; 19. Mazdoor (Arboriculturist); Compost, Dairy's haystaking; Irrigation; Manure; Stacking; Milkroom; Ration room; Store; Anti-Malaria; M.R.; 20. Messenger (Office); 21. Peon, 22. Syce; 23. Tying & Carrying loose hay; 24. Sweeper; 25. Weighing and Carrying bales; 26. Weighman (bales; pally); 27. Waterman; 28. Stable man; 29. Trolley man; 30. Any other categories by whatever name called which are of unskilled nature	11.25		10.00		9.25		8.15		7.50	
Semi-skilled/Unskilled supervisory										
1. Assistant (Chowdhary); 2. Attendant (bull, calving lines; chaff cutter; Hostel; Dry stock; Grain crusher; Pump; Sick-line. Stable; Yard; Stock) 3. Assistant (Plumber) 4. Attendant; 5. Bhisti; 6. Brander; 7. Bullman; 8. Buttermilk; 9. Coachman; 10. Cobbler; 11. Cultivator; 12. Dairy; 13. Delivery man; 14. Dubi; 15. Dresser; 16. Farria; 17. Feeder; 18. Fireman; 19. Gowala; 20. Hammerman; 21. Helper (Blacksmith); 22. Helper; 23. Jamaadar (stand); 24. Jamadar; 25. Khalasi; 26. Mali (Senior); 27. Mate/Mistry; 28. Mazdoor (literate); 29. Nalband; 30. Oilman; 31. Ploughman; 32. Stackers; 33. Supervisor; 34. Thatcher; 35. Valveman; 36. Valveman (senior); 37. Weighman; 38. Wire cutter; 39. Wireman fixing tin cables; 40. Any other categories by whatever name called which are of a semi-skilled nature	14.00		12.75		11.50		10.50		9.50	
Skilled :										
1. Artificer (Class II, III, IV); 2. Blacksmith; 3. Blacksmith (Class II); 4. Boiler man; 5. Carpenter; 6. Carpenter Class II; 7. Carpenter-cum-Blacksmith; 8. Chowdhary; 9. Driver; 10. Driver (Engine Tractor; M.T.; motor); 11. Electrician 12. Fitter; 13. Mason; 14. Mason Class II; 15. Machine hand (Class II, III, IV); 16. Mechanic; 17. Mate Gr. I (Senior); 18. Mechanic; 19. Milk Writer; 20. Mistry (Head); 21. Moulder; 22. Muster writer; 23. Operator; (tube well); 24. Painter; 25. Plumber; 26. Welder; 27. Upholsterer; 28. Wireman; 29. Any other categories by whatever name called which are of a skilled nature	17.75		16.25		14.50		13.50		12.00	

1	2	3	4	5	6
<i>Highly skilled :</i>					
1. Artificier Class I; 2. Blacksmith Class I; 3. Carpenter Class I; 4. Machine hand Class I; 5. Mason Class I; 6. Mechanic (Senior);					
7. Any other categories by whatever name called which are of highly skilled nature					
	22.25	20.25	18.50	16.50	15.25
<i>Clerical :</i>					
1. Assistant (Farm); 2. Assistant; 3. Cashier; 4. Clerk; 5. Munsif;					
6. Register Keeper; 7. Storekeeper; 8. Time Keeper; 9. Typist;					
10. Any other categories by whatever name called which are of a clerical nature					
	17.75	16.25	14.50	13.50	12.00

Explanation : For purposes of this notification :—

1. (a) Areas A, B-1, B-2 and C mentioned in the annexure to this notification shall respectively comprise all the places as specified in the said annexure as such areas, and include all places within a distance of eight kilometres from the periphery of a Municipal Corporation or Municipality or Cantonment Board or Notified Area Committee of a particular place, and areas; D shall comprise of all other places not mentioned in the annexure and to which the Minimum Wages Act, 1948 extends.

(b) The places added or upgraded from time to time by the Ministry of Finance for the purpose of payment of city compensatory allowance to Central Government employees shall also be taken to be added from such dates for the purpose of classification specified in the annexure.

2. Where in any area the minimum rates of wages fixed under this notification are lower than the minimum rates of Wages fixed by the State Government for employees in the scheduled employment of agriculture in respect of which it is the appropriate Government, the higher rate shall be payable as minimum wage under this notification.

3. (a) "Unskilled work" means work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job ;

(b) "Semi-skilled work" means work which involves some degree of skill or competence acquir-

ed through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee, and, includes unskilled supervisory work;

(c) "Skilled work" means which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement;

(d) "Highly skilled" work means work which calls for a degree of perfection and full competence in the performance of certain tasks acquired through intensive technical or professional training or practical work experience for long years also requires of a worker to assume full responsibility for the judgement or decisions involved in the execution of these tasks.

4. The minimum rates of wages shall consist of all inclusive rates; and include also the wages for the weekly day of rest;

5. The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also;

6. (a) The minimum rates of wages for young persons below 18 years of age shall be 80 per cent of the rates payable to adult workers of the appropriate category.

(b) The minimum rates of wages for disabled persons shall be equal to those of able bodied persons of the appropriate category.

ANNEXURE-I

Name of the State/ Union Territory	Class of Cities/Towns			
	A	B-1	B-2	C
1	2	3	4	5
Andhra Pradesh	Hyderabad	...	Vijayawada (Bezawada), Visakhapatnam (Vizagapatnam).	Adoni, Anakapalle, Anantapur, Bandar (Masulipatam), Bheemavaram, Chirala, Chittoor, Cuddapah, Eluru, Gudivada, Guntakkal, Guntur, Kakinada, Karim- nagar, Khammam, Kothagudem, Kur- nool, Mahbubnagar, Nandyal Nilloro Nizamabad, Ongole, Proddatur, Raja- mandry, Srikulam Tenali, Tirupati, Vijapuri, Vizianagaram, Warangal.

1	2	3	4	5
Assam	...	...	Gauhati	...
Bihar	..	...	Patna, Dhanbad, Jamshedpur	Arrah, Bettla, Bhagalpur, Bokaro Steel City, Biharsharif, Chapra, Darbhanga, Dinapur, Gaya, Hazaribagh, Katihar, Monghyr, Jamalpur, Muzaffarpur, Purnea, Ranchi.
Chandigarh	...	..	..	Chandigarh
Delhi	Delhi	...	..	..
Gujarat	Ahmedabad	..	Surat, Vadodara (Baroda), Bhavnagar, Rajkot.	Anand, Bhuj, Broach, Cambay, Dhoraji, Godhra, Gondal, Jamnagar, Junagarh, Kalol, Mehsana, Morvi, Nadiad, Navsari, Patan, Porbandar, Surendranagar, Veraval.
Haryana	..	..	..	Ambala, Bhiwani, Faridabad, Gurgaon, Hissar, Karnal, Kithal, Panipat, Rohtak, Sirsa, Sonapat, Yamunanagar.
Jammu & Kashmir	..	..	Srinagar, Jammu	...
Karnataka	Bangalore	...	Hubli, Dharwar, Mysore.	Bagalkot, Belgaum, Bellary, Bhadravati, Bidar, Bijapur, Chitradurga, Devanagar, Gadag, Betgari, Gulbarga, Hassan, Hospet, Kolar, Fields Gold, Mandya, Mangalore, Raichur, Shimoga, Tumkur.
Kerala	...	...	Cochin, Trivandrum, Alwaye, Calicut, (Kozhikode).	Alleppy, Badagara, Cannanore, Changanacherry, Kayamkulam, Kottayam, Palghat, Tellicherry, Trichur, Quilon.
Madhya Pradesh	...	Indore, Jabalpur	Bhopal, Bilal, Gwalior (Laskar).	Bilaspur, Burhanpur, Chhindwara, Damoh, Dewas, Durg, Itarsi, Khandwa, Mandasaur, Mhow (Cantt.), Morena, Murwara, Neemuch, Raigarh, Raipur, Ratlam, Rewa, Sagar, Satna, Ujjain, Vidisha.
Maharashtra	Bombay	Nagpur, Poona, Pimpri-Chindwada.	Sholapur, Nasik	Achalpur town group, Ahmednagar, Akola, Amalner, Ambarnath, Amravati, Aurangabad, Barsi, Bhivandi, Bhusawal, Chanda, Chandrapur, Dhulia, Dombivli, Gondia, Ichalkaranjia, Jalgaon, Jalna, Kalyan, Kamptee, Khamgaon, Kolhapur, Latur, Malegaon, Nanded, Nandurbar, Nasik Road, Deolali, Pandharpur, Parbhani, Sangli-Maraj, Satara, Ulhasnagar, Yeotmal, Wardha.
Orissa	...	...	Rourkela	Balasore, Berhampur, Bhubaneswar, Cuttuck, Puri, Sambalpur.
Pondicherry	...	...	...	Pondicherry.
Punjab	...	...	Amritsar, Ludhiana.	Abohar, Batala, Bhatinda, Ferozepur, Hoshiarpur, Jullundur, Malerkotla, Moga, Pathankot, Patiala, Phagwara.
Rajasthan	...	Jaipur	Ajmer	Alwar, Beawar, Bharatpur, Bhilwara, Bikaner, Churu, Ganganagar, Jodhpur, Kota, Sikar, Tonk, Udaipur.

1	2	3	4	5
Tamil Nadu	Madras	Coimbatore Madurai.	Salem, Tiruchirappalli (Trichinopoly)	Ambur, Aruppukottai, Bodinayakanur, Chidambaram, Cuddalore, Dindigul, Erode, Gudiyatham, Kadayannallur, Kancheepuram, Karaikudi, Karur, Kumbakonam, Nayuram, Nagesapatnam, Nagercoil, Palayamkottai, Pollachi, Mettupalayam, Pudukkottai, Rajapalayam, Sivakasi, Srirangam, Srivilliputtar, Tambaram, Thanjavur (Tanjore), Tindivanam, Tirunelveli, Tiruppur, Tiruvannamalai, Tuticorin, Valparai, Vaniyambadi, Vellore, Villipuram, Virudhunagar.
Uttar Pradesh	...	Kanpur, Lucknow, Agra, Allahabad, Varanasi (Banaras)	Meerut	Aligarh (Koli Aligarh), Amroha, Ballia, Bahraich, Banda, Barilly, Basti, Badaun, Bullandshahar, Chandausi, Dehra Dun, Etawah, Faizabad-cum-Ayodhya, Farrukhabad-cum-Fatehgarh, Fatehpur, Ferozabad, Gaziabad, Ghazipur, Gonda, Gorakhpur, Haldwani-cum-Kathgodam, Hapur, Hardoi, Haridwar, Hathras, Jaunpur, Jhansi, Khurja, Kasganj, Mathura, Meerut, Muzaffargarh, Pilibhit, Rampur, Roorkee, Saharanpur, Sambhal, Shahjahanpur, Sitapur.
West Bengal	Calcutta	...	Asansol, Durgapur	Baidyabati, Bally, Bargaon, Bank Bansbaria, Barrackpur, Basirhat, Berhampur, Bhatpara, Bulge Budge, Burdwan, Chakdah, Chaudani, Chander-nagore, Cooch-Bihar, English Bazar, Halishahar, Hooghly-Chinsura, Jalpaiguri, Kamarhati, Kanchrapara, Khuragpur, Krishnanagar, Midnapur, Nabadwip, Naihati, North Dum Dum, Panihati, Purulia, Ranaghat, Rishra Santipur, Serampur, Siliguri, Titagarh Uttarpara-Kotrung.
Goa, Daman & Diu			Goa, Marmagao	

[No. S-32019(7)/83-WC(MW)]

का०आ० 751 (ख):—रेड आक्साइड कार्बोनों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संवेद्य मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्तापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उनमें प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 450 (अ) तारीख 11 जून, 1983 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 24-25 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आक्षेप और सुमात्र मांगें गए थे;

और उक्त राजपत्र 2 जून, 1983 को जनता की उपलब्ध करा दिया गया था और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तापनाओं के संबंध में प्राप्त आक्षेपों

और सुमात्रों पर विचार कर लिया है।

अतः केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 634 (अ) तारीख 2 सितम्बर, 1983 को अधिकांत करते हुए तथा सनाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् रेड आक्साइड के नियोजन में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो इससे उपाखण्ड अनुसूची के स्तम्भ (1) तदनुसार प्रविष्टि में विनिश्चित हैं, संवेद्य मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिश्चित रूप में पुनरीक्षण करती हैं और निवेश वेतों हैं कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	वैयक्तिक मजदूरों की न्यूनतम दरें
1	2

अकुशल :

(1) बरबर (2) केसरदेहर (3) चौकीदार (4) बर्बनर (5) ड्रेसर (6) अमिश, (7) लड़ाई करने वाला (8) मजदूर (9) ड्रेसर (10) ड्रेसर (11) ड्रेसर (12) चपरासी (13) पिहर (पुरुष/स्त्री) (14) छांटने वाला (15) ग्राहक (पुरुष/स्त्री) (16) ट्रामर (17) ट्रालीमैन (18) ट्राली ट्रिपर (19) पाली से जाने वाला (20) अन्य प्रयोगों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो जो अकुशल हैं।	9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
--	--

अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :

(1) आया, (2) ब्रैकन (3) ब्रेकमैन, (4) रीटर्नर (5) ड्रेकर (6) धोबी, (पुरुष/स्त्री) (7) रसोइया (8) फायर मैन, ग्रीजर (9) ग्राहक (10) ग्रीजर (11) हथौड़े वाला (12) मददगार बर्बन, ड्रेसर स्टाण्डर, केसर आपरेटर (13) जमादार (14) खलासी, बुलडोजर आदि (15) लैम्प क्लिप मारमाधक (16) मेट/मालो (घातु उत्पादक खाति विनिर्धम, 1961 के अधीन सजमता प्रमाणपत्र के बिना), (17) बायनर (18) ग्राहक (19) सेम्पलर, (20) स्टोर मैन (21) खनक (22) अन्य प्रयोगों के व्यक्ति चाहे किसी भी नाम से बुलाया जाता हो जो अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं।	12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 14.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
--	---

कुशल :

(1) लोहार (2) ग्राहक (ग्राहक फायरर) (3) बर्बन (4) चार्ज मैन (5) रसायन (6) कम्पाउण्डर (7) नक्शागोश (8) ड्रिलर (9) ग्राहक, (10) बिजली मिस्त्री (11) फिटर (12) फोरमैन (13) राज, (14) मैकेनिक (15) मिहवाइक (16) मिस्त्री (17) सांजागर (18) आपरेटर (19) ओवर-रियर (20) रंगसाज (21) पाइप फिटर (22) टिनस्मिथ (23) पर्यवेक्षक (24) सर्वेक्षक (25) टिम्बरमैन (26) सराही (27) वेल्डर (28) ब्रैकमैन (29) अन्य प्रयोगों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, कुशल हैं।	15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 18.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
--	---

लिपिकारी :

(1) रोकड़िया (2) लिपिक (3) रजिस्टर कीपर (4) गणकार (5) ड्रेसर (6) ग्राहक कीपर (7) टंकक (8) अन्य प्रयोगों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो लिपिकारी हैं।	15.00 रुपये
--	-------------

हस्तोकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए—

1. मजदूरों की न्यूनतम दरें सम्मिलित दरें हैं, जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रिमायनों पर किए गए प्रदायों का, यदि कोई हो, नगरी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. मजदूरों की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

3. अन्तरह वर्ष से कम आयु के और अचरम्य स्थितियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रयोग व्यवस्था कर्मचारियों को संदेय दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी जैसा कि ऊपर अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

4. (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत सी कठिनाई या अनुभव अपेक्षित करने वाली अथवा कुछ भी कठिनाई या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण श्रम सम्मिलित है।

(ख) "अर्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कठिनाई या सजमता सम्मिलित है और जो कृत्रिम कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है।

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षा के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कठिनाई या सजमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वतंत्रता और निवेकबुद्धि आवश्यक है।

5. जहाँ संविदा या करार पर आधारित या अन्यथा किसी कर्मचारी की मजदूरी की विश्राम दरें हममें अतिरिक्त दरों से उच्चतर हैं, वहाँ इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए ऐसी उच्चतर दरें मजदूरी की न्यूनतम दरें मानी जाएंगी।

6. ये श्रमिक "खनिज" माने जाएंगे, जो रेड आक्साइड अयस्क के उत्खनन, तोड़ने/वर्गीकरण तथा ड्रेसिंग-कार्य में नियोजित हैं तथा रेड-आक्साइड बॉटरीफ पर इसके अन्य आनुवंशिक कार्य भी उसी श्रमिक द्वारा किए जाते हैं।

[एस०-32019/3/83-बहसू०सी० (एम०डब्ल्यू)]

S.O. 751(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in redoxide mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 25-26 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S.O. 450(E) dated the 18th June, 1983 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour Number S.O. 634(E) dated the 2nd September, 1982 the Central Government after consulting the Advisory Board, revises the minimum rates of wages as specified in column (1) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in employments in redoxide mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
1	2

Unskilled :

(1) Butler, (2) Caretaker, (3) Chowkidar, (4) Cleaner, (5) Dresser, (6) Labourer, (7) Loader, (8) Mazdoor, (male/female), (9) Messenger, (10) Number-taker, (11) Office boy, (12) Peon, (13) Picker (male/female), (14) Sorter, (15) Sweeper (male/female), (16) Trammer, (17) Trolleyman, (18) Trolley triper, (19) Water carrier, (20) Other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground)
--	---

Semi-skilled/unskilled supervisory:

(1) Ayah, (2) Bankman, (3) Brakesman, (4) Cash guards, (5) Checker, (6) Dhobi (male/female), (7) Greaser, (8) Fireman, (9) Grinder, (10) Cook, (11) Hammerman, (12) Helper (carpenter, Driller, Blater, crusher operator), (13) Jamadar, (14) Khalasi (Bulldozer etc.), (15) Lamp room incharge, (16) Mate/Mali (without competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961), (17) Oiler, (18) Pointsman, (19) Sampler, (20) Storeman (21) Miner, (22) Other categories by whatever name called which are semi-skilled/unskilled supervisory,	Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground)
---	--

1

2

Skilled :

(1) Blacksmith, (2) Blaster (shot-firer), (3) Carpenter, (4) Charge-man (6) Chemist, (6) Compounder, (7) Draughtsman, (8) Driller, (9) Driver, (10) Electrician, (11) Fitter, (12) Foreman, (13) Mason, (14) Mechanic, (15) Midwife, (16) Mistry, (17) Moulder, (18) Operator, (19) Overseer, (20) Painter, (21) Pipefitter, (22) Supervisor, (23) Surveyor, (24) Tin-smith, (25) Timberman, (26) Turner, (27) Welder, (28) Wireman, (29) Other categories by whatever name called which are skilled.	Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground)
---	--

Clerical :

(1) Cashier, (2) Clerk, (3) Register keeper, (4) Store-keeper, (5) Tracer, (6) Time-keeper, (7) Typist, (8) Other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 15.00
--	-----------

Explanations for the purpose of this notification :

(1) The minimum rates of wages are all inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of the concessional supply, if any, of essential commodities and include also the wages payable for the weekly day of rest.

(2) The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

(3) The minimum rates of wages for persons below 18 years of age and for disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent of the rates payable to the adult workers of the appropriate category as specified in the Schedule above.

(4) (a) "unskilled" work is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) "semi-skilled" work is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;

(c) "skilled" work is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

(5) Where the existing rates of wages of any employee, based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates notified herein,

the higher rates shall be treated as the minimum rates of wages applicable for the purpose of this notification to such employees.

(6) Workers engaged in excavating, breaking/ sorting and dressing of redoxide ores and also for doing other works incidental thereto performed by the same person at red oxide bed roof shall be regarded as "Miner".

[S-32019]3/83-WC(MW)]

का० आ० 752 (अ).—कोमाइट खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों की संश्लेष मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए प्रस्तापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अनेकानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रिनके प्रसारित होने के संभावना थी, भारत सरकार के धन और पुनर्वास मंत्रालय (धन विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 440 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खण्ड 3, उपखंड (2) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 3-4 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अन्ततः तक आशेष और सूझाव मंगे गए थे:

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को जनता की उपलब्ध करा दिया गया था:

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तापनाओं के संबंध में प्राप्त आशेषों और सूझावों पर विचार कर लिया है,

अतः, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (3) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के धन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 838 (अ) तारीख 2 सितम्बर, 1982 को अधिकांशतः कर्तव्य तथा सहायक बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् कोमाइट खानों के नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो हमने उदाहरण अनुसूची के स्तम्भ (1) तत्स्थानों प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, संश्लेष मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनर्निर्धारित करती है और विदेश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2

कोमाइट खानें

अकुशल :

आया, परिवारिका, बेकर (हस्त चालित उपकरण का प्रयोग करने वाला), बेलघार, (केस्टोन), चोकोवार, कर्पेनर, रसोईया, मख-गार, हथोड़ा चलाते वाला, लवाई करने वाला, लारी मखवागार, मजदूर (पुष्प, स्त्री), सर्वेक्षक,	9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
--	--

1

2

खलासी, भाकिस बाव, चपरासी/संदेशवाहक, सफेस लेंडर, माइकन (पुष्प/स्त्री), चोकोवार, पानी बासा, पानी ले जाने वाला, लकड़ा काटने वाला, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अनुशाल हों।

अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :

विस्फोटक, सहायक फिट्टर, सहायक, फ़िल प्रवाहक सहायक, परिवारिक "ग" प्रवर्ग सहायक मैकेनिक फेस बैक्समेन, ब्रेकर (यांत्रिक उपकरणों के लिए), का प्रयोग करने वाला, बटवरे, सह-रसोईया, अभिरक्षक (रसोईया, बेकर, चार्जिंग सहायक, ओषागार परिवारिक, मखवागार, बड़ई), लोहार, मिस्त्री मैकेनिक, हथोड़ा चलाते वाला, लैम्प रूम परिवारिक, पम्प परिवारिक, माथो, खतन मंद, खनक, मैकेनिक, मखवागार मेज रगर, फांटनरीन, पारसी, टेसीफोन परिवारिक, टिम्बरमेन, अग्रनिशिन, केब परिवारिक, रोगनदन, पंखा परिवारिक, अन्य प्रवर्ग चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं।	12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 14.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
--	---

कुशल :

एयर विन हालेअ प्रबालक, आटो विजली मिस्त्री, पेंटर, लोहार, विस्फोटक, संपोषित प्रबालक/बालक, कंक्रीट मिश्रक प्रबालक, चार्जिंग, बड़ई, कम्पाउंडर, कैमिस्ट, फ़िल प्रवाहक, ड्राईवर, आटा विजली मिस्त्री, बेतार प्रबालक, फार्मेटर, फिट्टर, फेरो ड्राईवर, होट प्रबालक/वाहन आर्द्रे एम. सी. ओ. ड्राईवर, इगुगर जारो ड्राईवर, लोको ड्राईवर, लोडर, प्रबालक, लाइन मेन मैकेनिक, मिस्त्री, मिडवैइफ, मिस्त्री पम्प प्रबालक/बालक, कुशल मजदूरी, पर्यवेक्षी मैकेनिक/पर्यवेक्षी विजली पत्थर बलित प्रबालक, सर्वेक्षक, एयेण्ट मैकेनिक, टर्नर, टिम्बर मिस्त्री, वायर मेन, वेल्डर, बर्क मिस्त्री, इजन बालक, पहरा और निगरानी प्रवर्ग, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो कुशल हैं।	15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 18.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
---	---

लिपिकीय :

लेखाकार, सहायक लिपिक, मैगजीन लिपिक, रोकशिया, मुंशी, अभिलेखापाल/काईल, लिपिक, भण्डारी, आशुभितिक, टाईमकीपर, टंकक, अन्य प्रवर्ग चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो लिपिकीय हैं।	15.00 रु०
--	-----------

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए—

(1) (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली अवस्था कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं;

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अजिह कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो

कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अंतर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है;

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षा के रूप में या कितनी तकनीकी या ग्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

2. प्रस्तावित न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं, जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रवासों का, यदि कोई हो, नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए वेतन मजदूरी भी सम्मिलित है।

3. मजदूरी को न्यूनतम दर डेफेसरी द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू है।

4. जहाँ संविदा या करार आदि पर आधारित मजदूरी की विद्यमान दरें प्रोविनियम के प्रयोजन अंतर्भूत दरों से उच्चतर हैं वहाँ ऐसी उच्चतर दरें तदनुसार ही प्रयोज्य और न न्यूनतम मजदूरी की दरें माना जाएंगी।

5. अठारह वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों को वेतन मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के व्यस्क कर्मचारियों की संवेद दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी।

6. कोमाइट खात में काम करने वाला श्रमिक, जो उत्खनन और कोमाइट अयस्क हटाने तथा इसके सम्बन्ध कार्य में लगा है, "खनक" माना जाएगा।

[एस 32019(3)/83-इस्स्यू सी (एम. इस्स्यू)]

S.O. 752(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in chromite mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 4-5 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S.O. 440(E) dated the 18th June, 1983 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objection and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 638(E) dated the

2nd September, 1982, the Central Government, after consulting the Advisory Board, revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in chromite mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
1	2

UNSKILLED

Ayah, Attendant, Breaker (using manual appliances), Beldar (canteen), chowkidar, cleaner, cook-helper, hammerman, loader, lorry helper, Mazdoor (male/female), Survey khalasi, Sweeper (male/female), Surface lander, Office boy, Watchman, Waterman, Water Carrier, Peon, Messenger, Wood cutter, other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground)
--	---

SEMI-SKILLED/UNSKILLED SUPERVISORY

Assistant to balster, Assistant to fitter, Assistant drill operator, Attendant 'C' category, Assistant mechanic, Banksman, Breaker (using mechanical appliances), Butler-cum-cook, Caretaker, Cook, Checker, Charge room Assistant, Dispensary attendant, Helper (carpenter, blacksmith, mason, mechanic, (mining), Hammerman, Miner, Lamp room attendant, Pump attendant, Mali, Mining mate, Mechanic helper, Mall runner, Points-man, Sampler, Telephone Attendant, Timberman, Untrained creche attendant, Ventilation fan attendant. Other categories by whatever name called which are semi-skilled/unskilled category.	Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground)
---	--

SKILLED

Airwinch haulage operator, Auto-electrician, Painter, Blacksmith, Blaster, Compressor operator/Driver, Concrete mixer operator, Chargeman, Carpenter, Compo- under, Chemist, Drill operator, Drill mechanic, Driver auto. Electrician, Wireless Operator, Foreman, Fitter, Ferry driver, Hoist operator/Driver, IMCO driver, Issuer Lorry driver, Loco driver, Loader operator, Llneman, Mechanic, Mason, Midwife, Mistry,	Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground)
--	--

1

2

Pump operator/Driver, Skilled mazdoor, supervisor (Mechanic), Supervisor Electrical, Stone crusher operator, Surveyor, Senior Mechanic, Turner, Timber Mistry, Wireman, Welder, Work Mistry, Mining engine Driver, Incharge of watch and ward. Other categories by whatever name called which are skilled.

CLERICAL

Accountant, Assistant, Clerk, Magazine clerk, Cashier, Munshi, Record keeper/File clerk, store keeper, Stenographer, Time-keeper, Typist. Other categories by whatever name called which are clerical.

Explanation: For the purpose of this notification:—

- (1) (a) 'unskilled work' is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job.
- (b) 'semi-skilled work' is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;
- (c) 'skilled work' is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

(2) The minimum rates of wages fixed are all-inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and also includes the wages payable or the weekly day of rest.

(3) The minimum rates of wages are applicable to employees employed by the contractors also.

(4) Where the prevailing rates of wages based on contract, agreement etc. are higher than the rates notified under the Act, the higher rates would be protected and treated as minimum wages.

(5) The minimum rates of wages for young persons below 18 years of age and disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent respectively of the rates payable to adult workers of the appropriate category.

923 GI/83—4

(c) A worker in a chromite mine who is engaged in extraction and removal of chromite ores as well as incidental jobs shall be designated as 'Minor'.

[No. S-32019(3)/83-WC(MW)]

का० आ० 753 (अ):—तांबा खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संश्लेष मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्तापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11), की धारा 5 की उपधारा (i) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) को अधिसूचना सं० का० आ० 451 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 26-27 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आशेष और सुझाव मांगे गए हैं ;

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तापनाओं के संबंध में प्राप्त आशेषों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 637 (अ) तारीख 2 सितम्बर, 1982 को अधिष्ठापित करते हुए तथा मलाहटकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् तांबा खानों के नियोजित में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, संश्लेष मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती है और निर्देश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2
अकुशल :	
आया, त्रेकर (हस्तचालित साधनों का उपयोग करते वाले), चौकीदार, कमीनर, रसोइया, मददगार, हथौड़ा चलाने वाला, ट्रामर, मजदूर (पुरुष या महिला) आफिसबाय, चपरासी/संदेशवाहक, पानी वाला, सर्वेक्षक, खलासी, छात्रकृष (पुरुष/महिला) प्रहरी, अन्य प्रवर्ग जिन्हें किसी भी नाम से जाना हो, जो अकुशल हैं।	9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :	
विस्फोटकर्ता का मददगार, फिटर का मददगार, सहायक ट्रिप प्रचालक, त्रेकर, (यांत्रिक साधनों का उपयोग करने वाला), बटलर और रसोइया, चैकर, औषधालय, परिचर, मददगार, (बर्फ, काटने के लिए)	12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 14.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)

1

2

सोहार, राज, मैकेनिक, खनक*, (लैम्प रूम परिचर, पम्प परिचर, माली, खनक मेट, पाइपिंग-मैन, नमूना लेने वाला, टेलीफोन परिचर, अप्रशि-सित शिक्षक परिचर, संवातन पंखा परिचर, अन्य प्रवर्ग) चाहे वे किसी भी नाम से जान हों, जो अर्द्धकुशल या अकुशल पर्यवेक्षी है।

कुशल

बायु विच, कर्षण प्रचालक, आटो, बिजली मिस्त्री, 15.00 रु० (भूमि के ऊपर पेंटर, खोदार्थ, बिस्फोटकता, संपीड़न प्रचालक, कार्य करने के लिए) कंटीट मिश्रण प्रचालक, चार्जमैन, फिटर, पैरो 18.00 रु० (भूमि के नीचे चालक, उत्तोलक चालक, लाईन मैन, मैकेनिक, कार्य करने के लिए) राज, मिडवाइफ, मिस्त्री, पम्प प्रचालक, कुशल मजदूर पर्यवेक्षक (मैकेनिक), प्रस्मर वनित्र प्रचालक, इसको चालक, लोको चालक, निमको लोडर आपरेटर, सर्वेक्षक, टर्नर, क्राफ्ट मिस्त्री, बायरमैन, वेल्डर, कार्य मिस्त्री, वाईरिंग इंजन चालक, भार माधक निर्गमनी, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से जान हों, जो कुशल है।

लिपिकीय

लेखापाल, सहायक लिपिक, पत्रिका लिपिक, रोक- 15.00 रुपए ड्रिया, मुंशी, अभिलेखापाल/फार्मल लिपिक, भंडारी टाईम कीपर, आशुलिपिक, टंकक, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से जान हों, जो लिपिकीय है।

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए—

1. (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है, जिसमें बहुत कुशलता अपेक्षित करने वाली या कुछ भी कुशलता अथवा अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं;

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अजित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी है;

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षा के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था से प्रशिक्षण के माध्यम से अजित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

2. मजदूरी की प्रस्तावित न्यूनतम दरें वे सर्वसम्मिलित दरें हैं जिनमें आधारित दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रदायों का यदि कोई हो, नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा मास-ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

3. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

4. जहां संविदा या करार या आधारीत मजदूरी की विद्यमान दरें इस अधिसूचना द्वारा अधिसूचित वर्गों से उच्चतर हैं वहां ऐसी उच्चतर दरें से इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ न्यूनतम मजदूरी की दरें समझी जाएंगी।

5. अठारह वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के व्यस्क कर्मचारियों के लिए इस अधिसूचना द्वारा नियत दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होंगी।

6. ताम्र खान में काम करने वाले श्रमिक जो बेलचो लोहे की कड़ाहियों आदि जैसे विभिन्न उपकरणों के प्रयोग से माईनकार य. स्क्वर पथ या स्क्रिप आदि में विस्फोटित ताम्र अयस्क, अपशिष्ट या कूड़ा-करकट याद करके ताम्र अयस्क, के निकालने, अपनी गतिविधि सुविधाजनक बनाने के लिए बड़े खण्डों को तोड़ने और या कूड़ा करकट अपशिष्ट सफा करने और/या जब आवश्यक हो छट्टों का प्रयोग करके लूज अयस्क नीचे गिराने की प्रक्रिया में सीधे अन्तर्गत है और ऐसे श्रमिक भी जो न्यूनतमिक इसी प्रकार का कार्य करते हैं; को "खनक" माना जाएगा।

[एस-32019/3/83-उत्तर. सी. (एम. डब्ल्यू.)]

S.O. 753(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in copper mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 27-28 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S.O. 451(E) dated the 18th June, 1983 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 637(E) dated the 2nd September, 1982, the Central Government, after consulting the Advisory Board, revised the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in employments in copper mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
(1)	(2)
Unskilled	
Ayah, Breaker (using manual appliances), Beldar (canteen), Chowkidar, Cleaner, Cook-helper, (Ham-	Rs. 9.75 (for work above ground)

1	2
merman, Trammer, Mazdoor (male or female), Office-boy, Peon/Messenger, Survey Khalasi, Sweeper, (male or female), Watchman, Water-man, other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 11.75 (for work below ground)

Semi-skilled/Unskilled Supervisory

Assistant to blaster, Assistant fitter, Assistant drill operator, Breaker (using mechanical appliances), Butler-cum-cook, Caretaker, Cook, Checker, Dispensary attendant, Helper (carpenter, blacksmith, mason, mechanic, mining), *Miner, Lamp room attendant, Pump attendant, Mali, Mining mates, Pointsman, Sampler, Telephone attendant, Untrained creche attendant, Ventilation fan attendant, Other categories by whatever name called which are semi-skilled or unskilled supervisory.	Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground)
---	--

Skilled

Airwinch, Haulage-operator, Auto-electrician, Painter, Blacksmith, Blaster, Compressor operator, Concrete mixture operator, Changan, Carpenter, Compunder, Chemist, Drill operator, Drill mechanic, Driver auto, Electrician, Foreman, Fitter, Ferro driver, Hoist operator, Lineman, Mechanic, Mason, Midwife, Mistry, Pump operator, Skilled mazdoor, Supervisor (Mechanic), Stone crusher operator, IMCO driver, Loco driver, Limco Loader operator, Surveyor, Turner, Timber mistry, Wireman, Welder, Work Mistry, Winding Engine driver, Incharge watch and ward, other categories by whatever name called which are skilled.	Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground)
--	--

Clerical

Accountant, Assistant, Clerk, Magazine clerk, Cashier, Munshi, Record keeper/File clerk, Store keeper, Time keeper, Stenographer, Typist, Other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 15.00
--	-----------

Explanation : For the purpose of this notification :

1. (a) "unskilled work" is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job.
- (b) semi-skilled" work is one which involves some degree and skill or competence ac-

quired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work.

- (c) "skilled" work is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

2. The minimum rates of wages proposed are all inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and include also the wages payable for the weekly day of rest.

3. The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

4. Where the existing rates of wages based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates notified under this notification, the higher rates shall be treated as minimum rates of wages for the purposes of this notification.

5. The minimum rates of wages for young persons below 18 years of age and disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent respectively of the rates payable to adult workers of the appropriate category.

6. A worker in a copper mine who is directly involved in the process of extraction of copper ore by way of loading the blasted copper ore, waste or marks into mine car or scrapper path, or skip, etc. with the use of various equipments like Shevals, iron pans, etc. and breaking of larger boulders to facilitate their movement and/or cleaning muckpiles/scrap and/or using bars to bring down loss or as and when required and also such of those who perform more or less similar jobs shall be regarded as a 'Miner'.

[F. No. S-32019(3)/83-WC(MW)]

का० आ० 754 (अ).—अप्रकृतियों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संशय मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्थापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षाानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 452 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 28-29 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आक्षेप और सुझाव मागे गए थे और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० जा० 640 (अ) तारीख 2 सितम्बर, 1982 को अधिकृत करते हुए तथा सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् अधक श्रमियों के नियोजन में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, संवेद्य मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करनी हैं और निर्देश देती हैं कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2

अकुशल :

मजदूर (पुरुष और महिला), क्लीनर, सर्वेक्षक, आफिस बाय, वाचमैन, खलासी, पानी वाला, मरदानगर, सवाई करने वाला, माली, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अकुशल प्रकृति के हैं।	9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिये) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिये)
---	--

अर्धकुशल :

हथौड़ा चलाने वाला, अन्नक कटर श्रेणी-2, सार्टर, ड्रेसर श्रेणी-2, गेज कर्मकार, खनक, डिस्क कर्मकार, परिष्कार, रसोइया, विस्फोटक, वाहक, गनमैन, वाइन्डिंग इंजन चालक, इंजन चालक श्रेणी-2, शिपर, वैस्ट कटर, सहायक फिटर, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अर्धकुशल प्रकृति के हैं।	12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिये) 14.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिये)
--	---

कुशल :

ड्रिलर, विस्फोटकर्ता, मिस्त्री, अन्नक कटर श्रेणी-1, बर्क, लोहार, ड्रेसर श्रेणी-1, खनन मेट, इंजन चालक, फिटर, टर्नर, बिजली मिस्त्री, यान चालक, राज, मॉल्डर, वेल्डर, वाइन्डिंग इंजन, चालक श्रेणी-1, फायरमैन, शाट फायरर, कम्प्रेसर चालक, मैकेनिक, पम्प फेन चालक, ग्राइन्डर, सिरदार, लेथमैन, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो कुशल प्रकृति के हैं।	15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिये) 18.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिये)
--	---

लिपिकीय :

लेखापाल, टंक/आशुलिपिक, कम्पाउन्डर, मंडारी/मंडार भार साधक, शिपट भार साधक, टाईस कीपर, रोकड़िया, शिशुकषा परिवार, पर्यवेक्षी, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो लिपिकीय प्रकृति के हैं।	15.00 रु०
---	-----------

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिये—

1. प्रस्तावित न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं जिसमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किये गये प्रवासों यदि कोई हों, का नकदी भूय सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिये देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

3. जहाँ संविदा या कगार पर आधारित या अन्यथा मजदूरी की विद्यमान दरें ऊपर विनिर्दिष्ट दरों से उच्चतर हैं वहाँ ऐसी उच्चतर दरें संरक्षित की जायेंगी और न्यूनतम मजदूरी की दरें मान्य जायेंगी।

4. (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य को बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली या कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियायें सम्मिलित हैं;

(ख) "अर्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या गतिमत्ता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किये जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है;

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिष्ट के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

5. अठारह वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के कर्मचारियों के लिये इस अधिसूचना द्वारा नियत दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी।

6. अन्नक खान में काम करने वाला श्रमिक जो मलबों और मलबों की गंदगी से अन्नक की छटाई करके अन्नक निकालने, बोरियों में अन्नक के टुकड़ों/खिलों को भरने और हार्डस्टिंग स्टेशन या किसी अन्य निर्धारित स्थान तक ले जाने, मलबा एकत्र करना और हार्डस्टिंग स्थान या अन्य किसी निर्धारित स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया में या न्यूनतम इसी प्रकार के कार्यों में सीधे अन्तर्गस्त है, को "खनक" माना जायेगा।

[एस-32019/3/83-डब्ल्यू०सी० (एम०डब्ल्यू०)]

S.O. 754(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in mica mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 29-30 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S.O. 452(E) dated the 18th June, 1983 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O.640 (E) dated the 2nd September, 1982, the Central Government after consulting the Advisory Board, revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in mica miner as specified in the corresponding entries in column (1) of the said schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
(1)	(2)
Unskilled	
Mazdoor (male and female) cleaner, Messenger/Office boy, Watchman, Khalasi, Waterman, Helper, Loader, Mali, any other categories by whatever name called which are of unskilled nature.	Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground)
Semi-Skilled	
Hammerman, Mica cutter-Grade II, Head Coolie, Sorter, Dresser-Grade II, Gauge worker, Disc worker, Attendant, Cook, Explosive carrier, Gun man, *Miner, Winding engine driver Grade II, Shearers, Waste cutter, Assistant fitter, any other categories by what-soever name called which are of semi-skilled nature.	Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground)
Skilled	
Driller, Blaster, Mistry, Mica cutters Grade I, Carpenter, Blacksmith, Dresser Grade I, Mining Mate, Engine Driver, Fitter, Turner, Electrician, Moulder, Welder, Vehicle driver, Mason, Winding engine driver Grade I, Fireman, Shot firer, Compressor driver, Mechanic, Pump driver, Grinders, Sirdar, Latheman, any other categories by whatever name called which are of skilled nature.	Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground)

Clerical

Accountant, Typist/Steno, Clerk, Rs. 15.00
Compounder, Store keeper/In-charge, Shift incharge, Time Keeper, Cashier, Creche attendant, Supervisor, any other categories by whatever name called which are of clerical nature.

Explanation :—For the purpose of this notification,—

(1) The minimum rates of wages revised are all inclusive rates of wages and include the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of concessional supply, if any, in respect of supplies of essential commodities and also the wages payable for the weekly day of rest.

(2) The minimum rates of wages are applicable to employees engaged by contractors also.

(3) Where the prevailing rates of wages based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates specified above, the higher rates would be protected and treated minimum wages.

(4) (a) 'Unskilled work' is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) 'semi-skilled work' is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and include unskilled supervisory work;

(c) 'skilled work' is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

(5) The minimum rates of wages for young persons below 18 years of age and for disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent respectively of the rate fixed by this notification for adult workers of the appropriate category.

(6) A worker in a mica mine who is directly involved in the process of extraction of mica by way of sorting them from debris and mucking of debris, putting mica pieces/lumps in gunny bags and carrying them upto either hoisting station or any other assigned places collecting debris and carrying them to hoisting points or any other assigned places or performs

more or less similar jobs shall be regarded as 'Miner'.

[No. S-32019(3)/83-WC(MW)]

का०आ० 755(अ) :—लोह अयस्क खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिये कुछ प्रस्थापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वसन मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 145 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन भारत के राजपत्र, अमाशरण, भाग 2, खंड 3, उपखंड(ii) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 13-14 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवनत तक आशेष और सुझाव मंगे गये थे ;

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को जनता की उपलब्ध कर दिया गया था।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में प्राप्त आशेषों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948(1948 का 11), की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (i) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 632 (अ) तारीख 2 सितम्बर, 1982 को अधिकांश करने हुए तथा सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् लोह अयस्क खानों के नियोजन में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को जो इससे उपलब्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती है और निदेश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2

अकुशल :

- | | |
|--|---|
| (1) बटलर, (2) अभिरक्षक (3) चौकीदार, | 9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिये) |
| (4) बलीतर, (5) ड्रैमर, (6) श्रमिक, | |
| (7) लदाई करने वाला (8) मजदूर (9) | 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिये) |
| संवेष्ट बाहक (10) सम्बर टेकर (11) | |
| आफिम बाय (12) चपरासी (13) पिकर, | |
| (14) छंटाईकार (15) झाड़ूकश (16) | |
| ड्रामर (17) ड्राप्लीमैन (18) ड्राप्ली ट्रिपर | |
| (19) पानी ले जाने वाला (20) खुदाई | |
| करने वाला (21) लचर (22) अन्य प्रवर्ग | |
| चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों जो अकुशल | |
| हैं। | |

अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :

- | | |
|-------------------------------------|--|
| (1) आया (2) बैंक मैन (3) ब्रेक्समैन | 12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिये) |
| (4) केश गाई (5) चैकर (6) धोबी | |

1	2
(7) रसोइया (8) फायरमैन (9) ग्राइंडर	14.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिये)
(10) ग्रीजर हथौड़ा चलाने वाला (11)	
मददगार (बढ़ई डिग्लर, विस्फोटकर्ता क्रेजर	
प्रचालक) (13) जमादार (14) खलामी	
(कुल डोजर आदि) (15) लैम्प रूम इंचार्ज	
(16) मेट (धातु उत्पादक खान नियम 1961	
के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र के बिना) (17)	
आयलर (18) प्वाइंटमैन (19) नमूना	
लेने वाला (20) माली (21) स्टोरमैन	
(22) खनक (23) अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी	
भी नाम से ज्ञात हों, जो अर्द्धकुशल/अकुशल	
पर्यवेक्षी हैं।	

कुशल :

- | | |
|---|---|
| (1) लोहार (2) विस्फोटकर्ता (शॉट फायरर) | 15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिये) |
| (3) बढ़ई (4) बार्जमैन (5) रमायनज | |
| (6) कंपाउंडर (7) तक्शानवीम (8) | 18.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिये) |
| ड्रिग्लर (9) ड्राइवर (10) बिजली मिस्त्री | |
| (11) फिटर (12) फोरमैन (13) राज | |
| (14) मैकेनिक (15) मिडवाइफ (16) | |
| मिस्त्री (17) मोल्डर (18) प्रचालक | |
| (19) ओवरसियर (20) पेंटर (21) | |
| पाइप फिटर (22) पर्यवेक्षक (23) सर्वेक्षक | |
| (24) टिनस्मिथ (25) टिम्बरमैन | |
| (26) खरादिया (27) वेल्डर (28) | |
| वायरमैन (29) सर्फम पर्यवेक्षक (30) मेट | |
| (धातु उत्पादक खान नियम 1961 के अधीन | |
| सक्षमता प्रमाण पत्र सहित) (31) शावेल | |
| प्रचालक (32) ब्ल्यू मैन (33) डोजर | |
| प्रचालक (34) उम्पर ट्रैक्टर प्रचालक (35) | |
| पेंटर (36) अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम | |
| से ज्ञात हों जो कुशल हैं। | |

लिपिकीय :

- | | |
|--|-------------|
| (1) रोकड़िया (2) लिपिक (3) रजिस्टर | 15.00 रुपये |
| कीपर (4) भण्डारी (5) ड्रैमर (6) टाइम | |
| कीपर (8) टंकक (8) अन्य प्रवर्ग चाहे वे | |
| किसी भी नाम से ज्ञात हों जो लिपिकीय | |
| हैं। | |

ग्राह्यीकरण : इस अधिसूचना के लिये :—

1. मजदूरी की न्यूनतम दरें सर्वमम्मिलित दरें हैं, जिनमें आधार की दर है, दर जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के गिन्याती दर पर किये गये प्रदायों का, यदि कोई हो, नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा माप्ताहिक विश्राम के लिये देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

3. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू है।

3. अठारह वर्ष से कम आयु के और अममर्थ व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के व्यस्क कर्मकारों को संदेय दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी।

4. (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली अथवा

कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियायें सम्मिलित हैं ;

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किये जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी हैं ;

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षा के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वतंत्रता और विवेकबुद्धि आवश्यक है ।

5. जहाँ संविदा और करार पर आधारित या अन्यथा मजदूरी की विद्यमान दरें उसमें अधिसूचित दरों से उच्चतर हैं, वहाँ ऐसे कर्मचारियों को इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिये ऐसे उच्चतर दरें मजदूरी की न्यूनतम दरें मानी जायेंगी ।

(6) लोह अयस्क खानों में नियोजित वे श्रमिक "श्रमिक" माने जायेंगे, जो लोह-अयस्क के उत्खनन, तोड़ने, वर्गीकरण/भयन करने तथा ड्रिफ्टिंग का कार्य करते हैं तथा लोह अयस्क बेड/रीफ पर इसके अन्य आनुषंगिक कार्य भी उसी व्यक्ति द्वारा किये जाने हैं ।

[एस-32019/3/83-इल्यू०सी० (एस०इल्यू०)]

S.O. 755(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in Iron Ore Mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 14-15 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S.O. 445(E) dated the 18th June, 1983 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 632(E) dated the 2nd September, 1982 the Central Government after consulting the Advisory Board revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in employments in Iron

Ore Mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

THE SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
1	2

Unskilled

(1) Butler, (2) Caretaker, (3) Chowkidar, (4) Cleaner, (5) Dresser, (6) Labourer, (7) Loader, (8) Mazdoor, (9) Messenger, (10) Number-taker, (11) Office boy, (12) Peon, (13) Picker, (14) Sorter, (15) Sweeper, (16) Trammer, (17) Trollyman, (18) Trolly tripper, (19) Water Carrier, (20) Digger, (21) Lucher, (22) Other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground)
--	---

Semi skilled/Unskilled Supervisory

(1) Ayah, (2) Bankman, (3) Brakesman, (4) Cash guards, (5) Checker, (6) Dhobi, (7) Cook, (8) Fireman, (9) Grinder, (10) Greaser, (11) Hammerman, (12) Helper (carpenter, driller, blaster, crasher operator), (13) Jamadar, (14) Khalasi (bulldozer etc.), (15) Lamp room incharge (16) Mate (without competency certificate under Metalliferous or Mines Regulation, 1961), (17) Oiler, (18) Pointsman, (19) Sampler, (20) Storeman, (21) Mali, (22) Miner (23) Other categories by whatever name called which are semi-skilled/unskilled supervisory.	Rs. 12.25 (for work above ground). Rs. 14.75 (for work below ground).
---	--

Skilled

(1) Blacksmith, (2) Blaster (shot firer), (3) carpenter, (4) Charge-man, (5) Chemist, (6) Compounder, (7) Draughtsman, (8) Driller, (9) Driver, (10) Electrician, (11) Fitter, (12) Foreman, (13) Mason, (14) Mechanic, (15) Midwife, (16) Mistry, (17) Moulder, (18) Operator, (19) Overseer, (20) Painter, (21) Pipe-fitter, (22) Supervisor, (23) Surveyor, (24).Tin-smith, (25) Timberman, (26) Turner, (27) Welder, (28) Wireman, (29) Surface Supervisor, (30) Mate (with competence certificate under Metalliferous Mines Regulation, 1961), (31) Shovel Operator, (32) Valveman, (31) Dozer operator, (34) Dumper tractor operator, (35) Painter (36) Other categories by whatever name called which are skilled.	Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground)
---	--

1

2

Clerical

- (1) Cashier, (2) Clerk, (3) Register Rs. 15.00
keeper, (4) Store keeper, (5) Tracer,
(6) Time-keeper, (7) Typist, (8)
Other categories by whatever
name called which are clerical.

Explanations for the purpose of this notification :

(1) The minimum rates of wages are all inclusive rates including the basic rate. The cost of living allowance and the cash value of the concessional supply, if any, of essential commodities and include also the wages payable for the weekly day of rest.

(2) The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

(3) The minimum rates of wages for persons below 18 years of age and for disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent of the rates payable to the adult workers of the appropriate category as specified in the Schedule above.

(4) (a) Unskilled work is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) Semi-skilled work is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work.

(c) Skilled work is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

(5) Whereas the existing rates of wages of any employee based on contract or agreement or otherwise, are higher than the rates notified herein, the higher rates shall be treated as the minimum rates of wage applicable for the purpose of the notification to such employees.

(6) Workers engaged in Iron Ore Mines who do the work of excavating, breaking, sorting picking and dressing of Iron Ores and other works incidental thereto performed by the same person at Iron Ore bed|reef shall be regarded as 'Miner'.

IS-32019/3/83-W.C(M.W)

का० आ० 756(अ).—प्रेकाइट खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्थापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) को अतिशानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उम्रसे प्रभावित होने का संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वसन मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 446 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 16 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन का तारीख से दो मास का अतिरिक्त अवसर तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे:

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (i) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (i) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 642 (अ) तारीख 2 दिसम्बर, 1982 को अधिकांत करते हुए तथा सहायकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् प्रेकाइट खानों में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो इससे उपलब्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) तत्स्थानों प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती है और निदेश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2

प्रेकाइट खान**अकुशल**

(मजदूर पुरुष और महिला), चौकीदार बाच- 9.75 रु० (भूमि के
मैन, खलासी, क्लीनर, लदाई करने वाला, ऊपर कार्य करने के
रसोइया, मददगार, साइकल, ब्रेकर (हस्त- लिए)
चालित उपकरणों का प्रयोग करने वाले),
आफिस बाय, चपरासी, संवेगवाहक, पाली 11.75 रु० (भूमि के नीचे
वाला, वाटर कैरियर, सफेदी वाला, लैप मैन, कार्य करने के लिए)
और अन्य प्रवर्ग चाहे किसी भी नाम से जाना
हो, जो अकुशल हैं।

अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी

ब्रेकर, डिलर, खनक, रसोइया, क्रेष, आया, 12.25 रु० (भूमि के ऊपर
चौकीदार, मेट, मुकद्दम, (धातुवाहक खान कार्य करने के लिए)
विनियम, 1962 के अधीन श्रमता प्रमाण- 14.75 रु० (भूमि के नीचे
पक्ष के बिना), आयल मैन, पम्प खलासी, कार्य करने के लिए)
शाट फायरर, हैड मिस्त्री, बायलर मैन,
थैचर, टिप्पल, ट्रालीमैन, जमादार, सफेदी-
वाला, मददगार (लोको, क्रेन, ट्रक मदद-
गार), बडई, बिस्फोटकर्ता, फिटर, डिलर,

1

2

नोहर, मिस्त्री, प्रचालक, सहायक मैकेनिक, बटलर, और रसोइया, अधिरक्षक हथौड़ा चलाने वाला, मार्ग और अन्य प्रदर्शनादि किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं।

कुशल :

नोहर, धड़ई, कम्पाउंडर, बिजली मिस्त्री, 15.00 रु० (भूमि के ऊपर शाट फायरर, सफेदीवाला, फोरमैन, फिटर, कार्य करने के लिए)
खान पर्यवेक्षक, दर्जी, मुख्य रसोइया, इंजनमैन, 18.00 रु० (भूमि के नीचे वेल्डर, विस्फोटकर्ता, मशीन मिस्त्री, ड्रैड कार्य करने के लिए)
मिस्त्री, उप-ओवरसियर, (अनर्हित), सर्वेक्षक, प्रचालक, वायरमैन, कम्प्रेसर-प्रचालक, ट्रेक्टर ड्राइवर, और अन्य प्रदर्शनादि किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो कुशल प्रकृति के हैं।

लिपिकीय :

नेखाकार, सहायक, लिपिक, मुंशी, टंकक, 15.00 रुपये
आधुनिक, दूल कोपर, टाइम कोपर, और अन्य प्रदर्शनादि किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो लिपिकीय हैं।

स्पष्टीकरण :

1. इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित वरें हैं जिनमें आधार दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रदायों, यदि कोई हो, नकबों मूल्य सम्मिलित है तथा माप्ताहिक विधायन के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

3. जहां संविदा या करार पर या अन्यथा आधारित मजदूरी की विद्यमान दरें अधिसूचना द्वारा नियत दरों से उच्चतर हैं वहां उच्चतर दर संरक्षित की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ न्यूनतम मजदूरी की दरें समझी जाएंगी।

4. निःशक्त व्यक्तियों को और अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के कर्मचारियों के लिए इस अधिसूचना द्वारा नियत दरों का अंश। सौ प्रतिशत और अस्सी प्रतिशत होगी।

5 इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए—

(क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें बहुत थोड़ी कुशलता अपेक्षित करने वाली या कुछ भी कुशलता अथवा अनुभव अपेक्षित न करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं;

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारियों के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी हैं;

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षा के रूप में या किसी तकनीकी या व्यव-

सायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विशेषबुद्धि आवश्यक है।

[एस-32019/3/83-इन्फ्यू० सी० (एम० इन्फ्यू०)]

S.O. 756(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in graphite mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 16-18 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S.O. 446(E) dated the 18th June, 1983 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3, read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of the section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 642(E) dated the 2nd September, 1982, the Central Government, after consulting the Advisory Board, revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in employments in graphite mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

THE SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
(1)	(2)
Unskilled	
Mazdoor, (male and female), Chowkidar, Watchman, Khalasi, Cleaner, Loader, Cook-helper, Sweeper, Breaker (using manual appliances), Officeboy, Peon, Messenger, Waterman, Water Carrier, White washer, Lampman and other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground)

1

2

5. For the purpose of this notification :—

Semi-skilled/Unskilled Supervisory

Breker, Driller, Miner, Cook, Creeche Ayah, Head Chowkidar, Mate/Muccadam (without competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961)	Rs. 12.25 (for work above ground)
Oil man, Pump Khalasi, Shot firer, Head Mistry, Boiler man, Thatcher, Tindles, Trolley man, Jamadar, White Washer, Helper (Loco, crane, truck), Helper (carpenter, blaster, mason, fitter, driller, black-smith), Operator, Assistant Mechanic, Butler-cum-cook, Caretaker, Hammerman, Mali and other categories by whatever name called which are semi-skilled/unskilled Supervisory.	Rs. 14.75 (for work below ground)

Skilled

Blacksmith, Carpenter, Compounder, Electrician, Shot firer, White washer, Foreman, Fitter, Mines Supervisor, Tailor, Head Cook, Engine man, Welder, Blaster, Machinist, Head Mistry, Sub-overseer, (unqualified), Surveyor, Operator, Boiler man, Compressor-Operator, or Tractor Driver and any other categories by whatever name called which are of skilled nature.	Rs. 15.00 (for work above ground)
	Rs. 18.00 (for work below ground)

Clerical

Accountant, Assistant Clerk, Munshi, Typist, Stenographer, Tool keeper, Time-keeper and other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 15.00
--	-----------

Explanation :—

1. The minimum rates of wages revised by this notification are all-inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and also include the wages payable for the weekly day of rest.

2. The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

3. Where the prevailing rates of wages based on contract or agreement or otherwise, are higher than the rates revised by this notification, the higher rates would be protected and treated as minimum rates of wages for the purpose of this notification.

4. The minimum rates of wages for disabled persons and for persons below eighteen years of age shall be hundred percent and eighty percent respectively of the rates payable to adult workers of the appropriate category.

(a) "Unskilled work" means work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) "Semi-skilled work" means work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee, and includes unskilled supervisory work;

(c) "Skilled work" means work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

[No. S-32019(3)/83-WC(MW)]

अधिसूचना

का० आ० 757(अ).—बीनी मृत्तिका मृत्तिका और सफेद खातों में नियोजित कर्मचारियों के प्रयोगों को संश्लेष मजदूरों का न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्तापनाएं, न्यूनतम मजदूरों अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अधिसूचनाएं उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 448(अ) तारीख 18 जून, 1983 के अंतर्गत, सारा के राजपत्र अनाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 20 पर प्रकाशित की गई थी, उक्त व्यक्तियों में उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से दो मास की अवधि के अवधान तक प्रवेश और मुक्तता योग्य हुए थे;

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 की अंतिम की उपलब्ध करा दिया गया था और केन्द्रिय सरकार ने उक्त प्रस्तापनाओं के संबंध में प्राप्ति अधिष्ठाओं और मुद्राओं पर विचार कर लिया है,

अतः, केन्द्रिय सरकार, न्यूनतम मजदूरों अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ii) और धारा 5 की उपधारा (2) के माध्यामिक धारा 3 की उपधारा (i) के खंड (ख) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करने हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 644(अ) तारीख 2 मिनस्वर, 1982 की अधिसूचना करने हुए तथा महाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, खाता मृत्तिका, मृत्तिका और सफेद खातों के नियोजन में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रयोगों को, जो इनसे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) वत्स्थान प्रभावित में विनिश्चित है, संश्लेष मजदूरों का न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिश्चित रूप में पुनर्गठित करता है और निर्देश देता है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरों का न्यूनतम दर
अकुशलः	
मजदूर, लोडर, सफाई वाला, ब्लोकर, चौकीदार, मिट्टी काटने वाला, खनारी, और अन्य कार्य करने के लिए)	9.75 रु० (भूमि के ऊपर)
प्रयोगों के वे मजदूर चाहें जो भी नाम हों, जो अकुशल हैं।	11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)

1	2
अर्द्धकुशल/या अनुमान पर्यवेक्षकों	
मुकद्दम, भेट, रमोहिया, तेलवाणा, पम्पखलानों, परिवारक, माइनर, पुजारी, मावा, मदेन-गार, पर्यवेक्षक, कारमैन, शेकर, हेड चौकीदार, कैक-माया, नृसिंह बजने वाला या सूझाने वाला या परिष्कृत करने वाला कर्मचार (भूमि काटने के लिए अधिक दबाव से भिन्न) और अन्य वे प्रार्थ, जाड़े जा भी नाम हों, आ अर्द्धकुशल हैं।	12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)

कुशल-

लोहार, कापडहार, दर्जी, राज, बिजनी निर्माता भूमिजानों खान पर्यवेक्षक, ट्राईवर, पम्प प्रबालक/प्राइवर, सर्वेक्षक, कारमैन और वे अन्य प्रवर्ग जाहे जो भी नाम हों, जो कुशल हैं।	15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 18.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
---	---

निपिक

चौकीदार, लेखाकार, निपिक, टाइम क्लर, मंडार, भंडार, परिवारक अभिनेता/पाल, रजिस्टर फॉवर, मुर्ता टैक्स, भाग्यनिपिक और वे अन्य प्रवर्ग जाहे जो भी नाम हों, जो निपिक हैं।	15.00 रुपये
--	-------------

साप्ताहिक इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए--

- (क) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिनमें बहुत थोड़ा या कुछ भी कुशलता से कार्य या अनुभव जोड़ित न करने वाली साधारण कृषि/सम्मिलित है;
- (ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिनमें कार्य के अनुभव से अति कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारों के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन किए जाने योग्य हैं और इनके अन्तर्गत अनुमान पर्यवेक्षकों कार्य भी हैं;
- (ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिनमें कार्य के अनुभव अपेक्षा शिथिल रूप में या किन्हीं तकनीकी या व्यावसायिक संस्था या प्रयोग के माध्यम से अति कुशलता या सक्षमता जोड़ित है जिनके पालन में सख्त प्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक हैं।

2. इस अधिनियम द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम दरें पर्यवेक्षित करें हैं जिनमें साधारण दर, जोवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक व्ययों के रियायती दर पर किए गए प्रशंसों, यदि कोई हों, का, नकद मूल्य सम्मिलित है तथा मापदंडिक विधायन के लिए दिए मजदूरों का सम्मिलित है।

3. अठारह वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों को दिए मजदूरों का न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के कर्मचारों के लिए इस अधिनियम द्वारा नियत दरों का क्रमण 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगा।

4. इस अधिनियम द्वारा प्रस्तावित मजदूरों को न्यूनतम दरें उकेवार्सों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू है।

5. जहाँ किसी कर्मचारी को संविदा या कंठ पर आधारित मजदूरों को विद्यमान दरें इस अधिनियम द्वारा नियत दरों से उच्चतर हैं, तथा

ऐसी उच्चतर दरें इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ऐसे कर्मचारों को लागू न्यूनतम मजदूरों को दरें समता जाएंगे।

[एन-32019/3/83-इल्यू०सी० (एमडब्ल्यू)]

S.O. 757(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in china clay, clay and white clay mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), at page 21 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S.O. 448(E) dated the 18th June, 1983 for information and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 644(E) dated the 2nd September, 1982, the Central Government, after consulting the Advisory Board, revives the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in china clay, clay and white clay mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

Classification of work	Minimum rates of wages per day
(1)	(2)
Unskilled	
Mazdoor, Leader, Sweeper, Cleaner, Chowkidar, Earthcutter, Khalasi, and other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below grounds)
Semi-skilled or Unskilled Supervisory	
Mucadams, Mate, Cool, Oilman, Pump Khalasi, Attendant, Miner,	Rs. 12.25 (for work above ground)

1	2
Priest, Gardener, Helper, Supervisory Fireman, Breaker, Head chowkidar, Creche Ayah, Clay press or drying and refining workers (except over burden requiring earth cutting), and other categories by whatever name called which are semi-skilled.	Rs. 14.75 (for work below grounds)
Skilled	
Blacksmith, Carpenter, Tailor, Mason, Electrician, Geologist, Mine Supervisor, Driver, Pump operator or Driver, Supervisor Foreman, and other categories by whatever name called which are skilled.	Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below grounds)
Clerical	
Cashier, Accountant, Clerk, Time keeper, Store keeper, Store Attendant, Recordkeeper, Register keeper, Munshi, Typist, Stenographer, and other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 15.00

Explanations :—

- For the purpose of this notification :—
 - “unskilled work” is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;
 - “semi-skilled work” is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;
 - “skilled work” is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.
- The minimum rates of wages fixed as per this notification are all inclusive rates including the basic rates, the cost of living allowance, the cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and also include the wages payable for the weekly day of rest.
- The minimum rates of wages for young persons below 18 years of age and for disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent respectively of the rates fixed by this notification for adult workers of the appropriate category.
- The minimum rates of wages fixed as per this notification are applicable also to employees engaged by contractors.

5. Where the prevailing rates of wages of any employee based on contract or agreement or otherwise as higher than the rates notified herein, the higher wages shall be treated as the minimum rates of wages applicable for the purpose of this notification to such employee.

[No. S-32019(3)]83-WC(MW)]

का० आ० 753 (अ) :—मैग्नेसाइट खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्थापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 457 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (2) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 39 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः, केन्द्रीय सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (3) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 635 (अ) तारीख 2 सितम्बर, 1982 को अधिमान्य करते हुए तथा सप्ताहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् मैग्नेसाइट खानों के नियोजित में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों की, जो इससे उपावद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती हैं और निदेश देती हैं कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2
अकृषण :	
चौकीदार, कमीनर, खानासी, लवाई करने वाला, मजदूर, अन्य प्रवर्ग चाहे किसी भी नाम से जान हों, जो अकृषण हैं।	9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
अर्धकृषण/अकृषण पर्यवेक्षक	
ब्रेकर, रसोइया, ड्रिलर, माली, प्रधान चौकीदार, मूकबुद्ध, मेट, खनक, तेल देने वाला, पम्पा खानासी/सिपाही, अन्य प्रवर्ग चाहे किसी भी नाम से जान हों जो अर्धकृषण/अकृषण पर्यवेक्षक हैं।	12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 14.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)

1	2
कुशल	
लोहार, बट्टई, कम्पाउन्डर, शॉट फायरर, शिशु कार्य करने के लिए) 15.00 रु० (भूमि के उपर कक्ष परिष्कार, खालक, बिजली मिसत्री, फोरमैन, खान कार्य करने के लिए) पर्यवेक्षक, राज, पंग प्रचालक, पर्यवेक्षक, दर्जी, 18.00 रु० (भूमि के नीचे अन्य प्रवर्ग चाहें वे किसी भी नाम से जान हों, जो कार्य करने के लिए) कुशल हैं।	
लिपिकारी	
लेखापाल, लिपिक, रोकड़िया, सामग्रीवेन वाला, 15.00 रुपए मुंशी, रजिस्टर कीपर, अभिलेखापाल, भन्डार सहायक, भन्डारी, आशुलिपिक, टंकक, टाइम कीपर, अन्य प्रवर्ग चाहें वे किसी भी नाम से जान हों, जो लिपिकारी हैं।	

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए—

1. प्रस्तावित न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं जिसमें आधार दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवागमन वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रदायो का, यदि कोई हो, नकदी भूतय सम्मिलित है तथा मासिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

3. जहाँ भविदा या करार पर आधारित मजदूरी की विद्यमान दरें अधिनियम के अधीन अधिसूचित दरों से उच्चतर हैं वहाँ ऐसी उच्चतर दरें संरक्षित की जाएंगी और इन अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें मानी जाएंगी।

4. (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली या कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएँ सम्मिलित हैं।

(ख) "अर्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव, से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारियों के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य हैं और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है।

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षा के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है जिसके पालन में स्वतंत्रता और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

5. अठारह वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के वयस्क कर्मचारियों को संदेय दरों का अंश 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी।

[एस-32019/3/83-उच्च. मी. (एम० डब्ल्यू०)]

S.O. 758(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in magnesite mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 39-40 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the

Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S.O. 457(E) dated the 18th June, 1983 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3, read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 635(E) dated the 2nd September, 1982, the Central Government, after consulting the Advisory Board, revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in magnesite mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

THE SCHEDULE

Categories of employees	Minimum rates of wages per day
(1)	(2)
Unskilled	
Chowkidar, Cleaner, Khalsai, Loader, Mazdoor, other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground)
Semi-skilled/Unskilled Supervisory	
Breaker, Cook, Driller, Gardener, Head Chowkidar, Helper, Muccadam, Mate, Miner, Oilman, Pumpkhalasi, Sepoy, other categories by whatever name called which are semi-skilled/unskilled supervisory.	Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground)
Skilled	
Blacksmith, Carpenter, Compounder, Shot firer, Creche attendant, Driver, Electrician, Foreman, Mine Supervisor, Mason, Pump Operator, Supervisor, Tailor, other categories, by whatever name called which are skilled.	Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground)
Clerical	
Accountant, Clerk, Cashier, Store Issuer, Munshi, Register Keeper,	Rs. 15.00

Record Keeper, Store Attendant,
Store Keeper, Stenographer, Typist,
Time Keeper, other categories, by
whatever name called which are of
clerical nature.

Explanation for the purpose of this notification—

1. The minimum rates revised are all-inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and also include the wages payable for the weekly rest day.

2. The minimum rates of wages are applicable to employees engaged by contractors also.

3. Where the prevailing rates of wages based on contract or agreement or otherwise are higher than the notified rates under the Act, the higher would be protected and treated as minimum wages for purposes of this notification.

4. (a) Unskilled work is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job.

(b) Semi-skilled work is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled Supervisory Work;

(c) Skilled work is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice or in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

5. The minimum rates of wages for young persons below 18 years of age and disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent respectively of the rates payable to adult workers of the appropriate category.

[No. S-32019(3)]83-WC(MW)]

का० आ० 759 (अ) .—क्वार्टर खानों, क्वार्टरमास्टर खानों और मिलिका खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रयोगों को संवेद्य मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्थापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षाानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिमूर्चना सं० का० आ० 417 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 18 पर

प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों में उक्त अधिमूर्चना के अन्वये में प्रकाशित की तारीख से दो मास की अवधि के अन्तर्गत तक आशेष और गृहांतर्गत सभी वर्ग थे।

और उक्त अधिमूर्चना 20 जून, 1983 को अन्तर्गत के अन्वये में प्रकाशित किया गया था।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिमूर्चना को संवेद्य में प्रकाशित आशेष और गृहांतर्गत पर विचार कर लिया है।

अतः केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ मिलाए धारा 3 का अन्तर्गत (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदान किये गए प्राधिकारों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिमूर्चना सं० का० आ० 429 (अ) तारीख 2 गिनवम्बर, 1982 को अधिमूर्चना करने हुए तथा मजदूरों के बाई से परामर्श करने के पश्चात् क्वार्टर खानों, क्वार्टरमास्टर खानों और मिलिका खानों के नियोजित में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रयोगों को, जो इनमें उल्लेखित अधिमूर्चना के अन्वये (1) के अन्वये प्रकाशित में विनिर्दिष्ट है, संवेद्य मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अधिमूर्चना के अन्वये (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षण करता है और निर्देश देती है कि वह अधिमूर्चना का अन्वये में प्रकाशित की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अधिमूर्चना

कार्य का वर्गीकरण

वैयक्तिक मजदूरी की न्यूनतम दरें

अकुशल :

मजदूर (पुराने और नए), चौकीदार, खानों, 9.75 रु० (भूमि के
कमीनर, कोठर, टोपकार, अर्थकर, दायाद, ऊपर कार्य करने के
(गर्भर), चारक, टेले-बाला, केयरटेकर, लिए)

करीट (हस्त मिश्रक), ड्राइवर (बैल, ऊँट, 11.75 रु० (भूमि के
गवा, खच्चर), बैल-मैन, माली, पेट्रोल मैन, नीचे कार्य करने के
गोपरी करने वाला, पानी वाला, अन्य प्रकार के व्यक्ति बाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया
जाता हो, या अकुशल हैं।

अर्द्धकुशल :

फिल्टी, बालक, मेघक, खनक, रमोदया, शिशु 12.25 रु० (भूमि के
कक्षा आया, प्रधान चौकीदार, मरदानगर, ऊपर कार्य करने के
गुब्बदार, मर, लंबवाला, गम्प खानासा, फाट
फायर, प्रधान मिली, धवरी मैन, खदान 11.75 रु० (भूमि के
आपरेटर, मंडारी, स्टारक, वायलर मैन, धौषर, नीचे कार्य करने के
सुम्बासैन, टिडल, ट्रापी वाला, जमादार, धौषर, लिए)
मफेदी करने वाला, श्रेणमैन, मरदानगर (मोको,
फ्रेन, टुक), टोपान तोपकार (वडा/क्वार्ट-
मास्टर, क्वार्टर ब्रेकर), एजन्टर, पैक वालर,
टिम्बरमैन, जैक हैमर, फायर करने प्रेम या
गुब्ब और परिष्करण श्रमिक, अन्य प्रकार के
व्यक्ति, बाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया
जाता हो, जो अर्द्धकुशल हैं।

कुशल :

कोठार, बडई, कम्पाउन्डर, बिजली मिल्की, 15.00 रु० (भूमि के
शाट फायर, गोपरी करने वाला, फोरमैन, ऊपर कार्य करने के
फिटर, खान पर्यवेक्षक, दर्जी, प्रधान रमोदया लिए)

उत्तम, अकार्डियन, डबलस्टर, मशीन रिजर्व, 18.00 रु० (भूमि के प्रधान भिस्त्री, उप-आधार-निर्माण (अर्वाइज), नौवें कार्य करने के सर्वेक्षण, आगरेटर, वापरर मैच, अन्य प्रयोगों (विण))
 के व्यक्ति जहाँ उन्हें किसी भी तम में बुलाया जाता है, जो सुझाव है।

निर्णयः

लेखापाल विवरण, गृहीत, मजदूर विवरण, 18.00 रुप०
 सामान के गणना मजदूरी (प्रेणी 1 और 2), टेबल विवरण, 2.35 कीपर, टुक-कटार, संगणक, टक्कर, आणुनिष्ठा, अभिवेदापाल, अन्य प्रयोगों के व्यक्ति चाहें वे किसी भी नाम में समान हो, जो निर्धारित है।

संश्लेषण

1. हम अधिपुत्रता द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दरें सर्वसम्मति से हैं, जिनमें आधारी दर, जीवन विधार्थ मना, आवश्यक वस्तुओं के विचारों पर पर किए गए प्रयासों का, यदि कोई हो, नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा सामाजिक विश्राम के विण देश मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. मजदूरी को न्यूनतम दरें देकर रें द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू है।

3. जहाँ संविदा या कगार पर आधारित या अन्यथा मजदूरी को विद्यमान दरें हम अधिपुत्रता द्वारा प्रस्तावित दरों से उच्चतर हैं वहाँ हम अधिपुत्रता के प्रयोजनों के लिए ऐसी उच्चतर दरें संगठित की जाएगी और वे न्यूनतम मजदूरी की दरें जारी जाएगी।

4. अठारह वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों को देश मजदूरी की न्यूनतम दरें सम्मिलित प्रयोगों के बचक कर्मचारियों को संदेह दरों का प्रमाण 50 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी।

5. हम अधिपुत्रता के प्रयोजनों के लिए,

(क) "अकुशल कार्य" से बहुत बड़े अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली अथवा कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण कियार्थ सम्मिलित है।

(ख) "अर्धकुशल कार्य" से बड़े कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारियों के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है।

(ग) "कुशल कार्य" से बड़े कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षा के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता है और इसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

[सं० एम — 32019/3/83-इल्यू० सी०]

S.O. 759(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in quartz, quartzite and silica mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 19-20 of the Gazette of India, Extraordinary,

Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S.O. 447(E) dated the 18th June, 1983 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette.

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 629(E) dated the 2nd September, 1982, the Central Government, after consulting the Advisory Board, revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in quartz, quartzite and silica mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

THE SCHEDULE

Classification of Work	Minimum rates of wages per day
1	2

Unskilled

Mazdoor (male and female), Chowkidar, Khaldar, Cleaner, Loader, Hole cutter, Earth cutter, Carrier (stone), Carrier, Cartman, Caretaker, Concrete (hand mixer), Driver (bullock, camel, donkey, mule), Lampman, Mali, Petrolman, White Washer, Waterman, other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground)
--	---

Semi-skilled

Bhisti, Breaker, Driller, Miner, Cook, Creche Ayah, Head Chowkidar, Helper, Muccadam, Mate, oilman,	Rs. 12.25 (for work above ground)
---	-----------------------------------

Pump khalasi, Shot firer, Head mistry, Quarry man, Quarry operator, Store man, Stocker, Boiler man, Thatcher, Thoonbaman, Tindals, Trolleyman, Jamadar, Bearer, White washer, Brakesman, Helper, (Loco crane, truck), Topaz, topkar, (big/quartzite/quartz breaker), Edge runner, Pack wallers, Timber man, Jack hammer, Fire clay press or drying and refining workers, and other categories by whatever name called which are semi-skilled.

Rs. 14.75
(for work below ground)

Skilled

Blacksmith, Carpenter, Compounder, Electrician, Shot firer, White washer, Foreman, Fitter, Mines, supervisor, Tailor, Head cook, Rs. 15.00
(for work above ground)
Engine-man, Welder, Blaster, Rs. 18.00
(for work below ground)
Mechinist, Head mistry, Sub-overseer (unqualified), Surveyor, Operator, Boilerman, any other categories by whatever name called which are of skilled nature.

Clerical

Accountant, Cleark, Munshi, Store clerk, Store issuer, Store keeper, (Grade I & II), Talley clerk, Time keeper, Tool keeper, Computer, Typist, Steno, Record keeper, other categories by whatever name called which are clerical.

Explanations :—

1. The minimum rates of wages revised by this notification are all inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and also include the wages payable for the weekly day of rest.

2. The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

3. Where the prevailing rates of wages based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates revised by this notification the higher rates would be protected and treated as minimum rates of wages for the purpose of this notification.

4. The minimum rates of wages for disabled persons and for persons below eighteen years of age shall be hundred per cent and eighty per cent respectively of the rates payable to adult workers of the appropriate category.

5. For the purpose of this notification—

(a) “Unskilled work” is work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) “Semi-skilled work” is work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;

(c) “Skilled work” is work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

[S-32019/3/83-WC(MW)]

अधिसूचना

का० आ० 760 (अ) :—बुलकेम खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्थापनाएं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षाानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 441 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 5-6 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को उपसंश्लेष कर दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (i) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 630 (अ) तारीख 2 नवम्बर, 1982 को अधिसूचित करते हुए तथा सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् बुलकेम खानों के नियोजन में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) के तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती हैं और निर्देश देती हैं कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2

अकुशल :

(1) मजदूर (2) ड्रेसिंग मजदूर (3) चपरासी (4) सफाई वाला (5) पानी वाला (6) चौकीदार (7) अन्य प्रवर्ग चाहे जो नाम हो, जो अकुशल हैं।	9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
--	--

अर्द्धकुशल :

- (1) सहायक ड्रिलर (2) मददगार (3) 12.25 रु० (भूमि के कैन्टीन परीक्षक (4) मैट (एम० एम० आर० ऊपर कार्य करने के 1961 के अधीन, क्षमता प्रमाणपत्र के बिना), लिए)
(5) सिग्नल मैन (6) श्रम निरीक्षक (7) 14.75 रु० (भूमि के डाक बॉय (8) अन्य प्रवर्ग चाहे जा भी नीचे कार्य करने के नाम हों, जो अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं। लिए)

कुशल :

- (1) हेण्डहोलडिंग (2) मैट (एम० एम० 15.00 रु० (भूमि के आर०, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र ऊपर कार्य करने के सहित), (3) बर्द्ध (4) संहार (5) लिए)
मेकेनिक (6) डिस्पेन्सर परीक्षक (7) राज 18.00 रु० (भूमि के (8) कर्षण प्रचारक (9) अन्य प्रवर्ग चाहे नीचे कार्य करने के जो भी नाम हों, जो कुशल हैं। लिए)

लिपिकार्य :

लेखाकार, टंकिक/आधुनिक, लिपिक, भण्डारी, 15.00 रुपए
भंडार का भार साधक, टाइम कीपर, रोक-
हिया, अन्य प्रवर्ग चाहे जो भी नाम हों, जो
लिपिकार्य प्रकार के हैं।

स्पष्टीकरण :— इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए :—

1. इस अधिसूचना द्वारा नियत न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित करें हैं और इसमें साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित हैं।
2. इस अधिसूचना द्वारा नियत मजदूरी का न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।
3. अठारह वर्ष से कम आयु के और निःशक्त व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें सम्मिलित प्रवर्ग के कर्मचारियों के लिए इस अधिसूचना द्वारा नियत दरों का कमजोः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी।
4. (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें बहुत थोड़ी या कुछ भी कुशलता कार्य या अनुभव अपेक्षित न करने वाली साधारण कियानें सम्मिलित हैं ;
(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है, जिसमें कार्य के अनुभव से अजित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारियों के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है ;
(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षा के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अजित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है जिसके प्राप्त में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है।
5. जहाँ संविदा या करार पर आधारित या अन्यथा मजदूरी का विद्यमान दरें इस अधिसूचना द्वारा पुनरीक्षित दरों से उच्चतर हैं वहाँ इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए ऐसा उच्चतर दरें संरक्षित की जाएंगी और वे न्यूनतम मजदूरी की दरें मानी जाएंगी।

[एम- 32019/3/83- डब्ल्यू० सी० (एम० डब्ल्यू०)]

NOTIFICATION

S.O. 760(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the
923 GI/83—6

categories of employees employed in Wolfram Mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 6-7 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S.O. 441(E) dated the 18th June, 1983 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section 2 of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 630(E) dated the 2nd September, 1982, the Central Government, after consulting the Advisory Board revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in the employments in wolfram mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Classification of Work	Minimum rates of wages per day
1	2
Unskilled	
(1) Mazdoor (2) Dressing mazdoor	Rs. 9.75
(3) Peon (4) Sweeper (B) Waterman (6) Chowkidar (7) Other categories by whatever name called which are unskilled.	(for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground)
Semi-Skilled	
(1) Assistant driller (2) Helper (3) Canteen attendant (4) Mate (without competency certificate under MMR 1961) (5) Signal Man (6) Labour Sirdar (7) Dak Boy (8) Other categories by whatever name called which are semi-skilled or unskilled supervisory.	Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground)

Skilled

- (1) Handhole driller (2) Mate (with competency certificates under Metalliferous Mines Rules, 1961) Rs. 15.00 (for work above ground)
- (3) Carpenter (4) Blacksmith (5) Haulage operator (6) Mechanic Rs. 18.00 (for work below ground)
- (7) Dispensary attendant (8) Mason (9) Any other categories by whatever name called which are skilled.

Clerical

- Accountant, Typist /Steno, Clerk, Store keeper, Store incharge, Time keeper, Cashier, any other categories by whatever name called which are of clerical nature. Rs. 15.00

Explanations :—

For the purpose of this notification :—

1. The minimum rates of wages are all inclusive rates and includes also the wages payable for the weekly day of rest;

2. The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also;

3. The minimum rates of wages payable to young persons below 18 years of age and for disabled persons shall be 80 percent and 100 percent respectively of the rates revised by this notification for adult workers of the appropriate category.

4. (a) "Unskilled work" means work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) "Semi-skilled work" means work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;

(c) "Skilled work" means work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

5. Where in any area, the minimum rates of wages fixed by this notification are lower than the prevailing rates of wages of any employee, the higher wages shall be treated as the minimum rates of wages applicable for the purpose of this notification to such employee.

[S-32019/3/83-W.C(MW.)]

अधिसूचना

का० आ० 761(अ).—केलसपर खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्थापनाएं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 454 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 जून, 1983 पृष्ठ 32-33 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों में उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आशेष और सुझाव मंगी गए थे ;

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 628 (अ) तारीख 2 मितम्बर, 1982 को अधिकांश करते हुए तथा मलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् केलसपर के नियोजन में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो इससे उपलब्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती है और निवेश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें

(1)

(2)

अकुशल :

मजदूर (पुरुष और महिला), खोकीदार, 9.75 रु० (भूमि के खनारी, क्लिनर, लवाई करने वाला, हाथ ऊपर कार्य करने के लिए)
कटर, भूमिकटर, बाहक (पत्थर), बाहक, लिए)
काटमैन, अभिरक्षक, कंकोट (ट्रेण्ड मिक्सर) 11.75 रु० (भूमि के बालक (ड्रिल, जट, गधा, खच्चर), लैम्बमैन, नीचे कार्य करने के माली, पेट्रोलमैन, सफेदी वाला, पानी वाला, लिए)
अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अकुशल हैं।

अर्धकुशल :

भिस्ती, ब्रेकर, ड्रिलर, खनक, रसाईया, शिशु 12.25 :० (भूमि के कक्षा आया, मददगार, मुक्कदम, भेट, आधल ऊपर कार्य करने के मैन, पम्प खनारी, मिस्त्री, कबीरो मैन, धौधर, लिए)
शुम्बर मैन, टिण्डल, टालीमैन, जमादार, बैरा, 14.75 रु० (भूमि के नीचे सफेदी वाला, ब्रेक्समैन, मददगार, (लोको, जैन, नीचे कार्य करने के ट्रक), टोपाज, टोपकार (बड़ी/बगार्टी/जाइट/ कवाटज ब्रेकर), एज रनर, रैक बालर, टिम्बरमैन, जीक हेमर, फायर क्ले प्रेम करने या शुष्क करने और साफ करने वाले कर्म- कार और अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हो जो अर्धकुशल हैं।

NOTIFICATION

कुशल :

कटर, लीटार, बर्डी, कम्पाउन्डर, बिजली 15.00 रु० (भूमि के
मिस्त्री, शाट फायरर, मफेदी वाला, फोर- उपर कार्य करने के
मैन, फिटर, खान पर्यवेक्षक, दर्जी, प्रधान लिए)
रसाइया, इंजनमैन, वेल्डर, विस्फोटकर्ता, 18.00 रु० (भूमि के
मशीन मिस्त्री, प्रधान मिस्त्री, उप ओवरसियर, संचि कार्य करने
(अनहित), सर्वेक्षक प्रचालक, वायलर मैन, लिए)
अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात
हों जो कुशल हैं ।

लिपिकीय :

लेखापाल, लिपिक, स्त्री, स्टोर लिपिक, 15.00 रु०
सामग्री देने वाला, भंडारी (श्रेणी 1 और
2), मिलाव लिपिक, टाईमकीपर, टूल कीपर,
कम्प्यूटर, टंकक, आशुलिपिक, अधिनेखापाल,
अन्य प्रवर्ग जो चाहे वे किसी भी नाम से
ज्ञात हों, लिपिकीय हैं ।

स्पष्टीकरण :-

(1) इस अधिसूचना द्वारा नियत न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं।
जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के गिरायती
ब. पर किए गए प्रदायों, यदि कोई हों कानकबी मूल्य सम्मिलित है तथा
साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है ।

(2) इस अधिनियम द्वारा नियत मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों
द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं ।

(3) जहाँ संविदा या करार पर आधारित या अन्यथा मजदूरी की
विद्यमान दरें इस अधिसूचना द्वारा नियत दरों से उच्चतर हैं वहाँ ऐसी
उच्चतर दरें इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें
मानि जाएंगी ।

(4) अठारह वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों को देय
मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग कर्मचारों के लिए इस अधिसूचना
द्वारा नियत दरों का कमणः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होंगी ।

(5) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए —

(क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत
थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली या कुछ भी
कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण प्रियाएं
सम्मिलित हैं ;

(ख) "अर्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के
अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित
है और जो कुशल कर्मचारी पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन
किए जाने योग्य हैं और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य
आता है ;

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव
से अथवा शिक्षा के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक
संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता
अपेक्षित है जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक
है ।

S. O. 761(E).—Whereas certain proposals to
revise the minimum rates of wages payable to the
categories of employees employed in Felspar mines
were published as required by clause (b) of sub-
section (1) of section 5 of the Minimum Wages
Act, 1948 (11 of 1948) at pages 33-34 of the
Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section
3, Sub-section (ii), dated the 20th June, 1983
under the notification of the Government of India
in the Ministry of Labour and Rehabilitation
(Department of Labour) number S. O. 454 (E)
dated the 18th June, 1983 for information of and
inviting objections and suggestions from all persons
likely to be affected thereby till the expiry of the
period of two months from the date of publication
of the said notification in the Official Gazette ;

And whereas the said Gazette was made avail-
able to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objections and suggestions
received on the said proposals have been consider-
ed by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers con-
ferred by clause (b) of sub-section (1) of section
3, read with clause (iii) of sub-section (1) of
section 4 and sub-section (2) of section 5 of the
Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in
supersession of notification of the Government of
India in the Ministry of Labour number S. O.
628(E) dated the 2nd September, 1982, the
Central Government, after consulting the Advisory
Board, revises the minimum rates of wages as
specified in column (2) of the Schedule annexed
hereto payable to the categories of employees
employed in employments in Felspar mines as
specified in the corresponding entries in column
(1) of the said Schedule and directs that this noti-
fication shall come into force on the date of its
publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
1	2
Unskilled	
Mazdoor, (male and female), Chow- kidar, Khalasi, Cleaner, Loader, Hole cutter, Earth cutter, Carrier, (stone), Carrier, Cartman, Care- taker, Concrete (hand mixer)	Rs. 9.75 (for work above ground)
Driver, (bullock, camel, donkey, mulc), Lampman, Mali, Petrol- man, White washer, Waterman, other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 11.75 (for work below ground)

Semi-skilled

Bhisti, Breaker, Driller, Miner, Cook, Creche Ayah, Helper, Mucadam, Mate, Oilman, Pump Khalasi, Mistry, Quarry man, Quarry operator, Storeman, Stocker, Boilerman, Thatcher, Thoombaman, Tindals, Trolleyman, Jamadar, Bearer, White Washer, Breakesman, Helper (loco, creanes, truck), Topaz, Topkar (big/Quartzite/quartz/breaker), Edge, runner, Pack wallers, Timberman, Jack, Hammer, Fire clay press or drying and refining workers and other categories by whatever name called which are semi-skilled.	Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground)
---	--

Skilled

Cutter Blacksmith, Carpenter, Compounder, Electrician, Shot firer, Whitewasher, Foreman, Fitter, Mines Supervisor, Tailor, Head cook, Engineman, Welder, Blaster, Mechinist, Head mistry, sub-overseer (un-qualified), Surveyor, operator, Boiler man, and any other categories by whatever name called which are of skilled nature.	Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground)
--	--

Clerical

Accountant Clerk, Murshi, Store clerk, Store issuer Store keeper, (Grade I & II), Talley clerk, Time keeper, Tool keeper, Computer, Typist, Steno, Record keeper, other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 15.00
--	-----------

Explanations :—

1. The minimum rates of wages revised by this notification are all inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and also include the wages payable for the weekly day of rest;

2. The minimum rates of wages revised by this notification are applicable to employees engaged by contractors also.

3. Where the prevailing rates of wages based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates revised by this notification the higher rates shall be treated as minimum rates of wages for the purposes of this notification.

4. The minimum rates of wages for disabled and for persons below eighteen years of age shall be hundred per cent and eighty per cent respectively of the rates fixed by this notification for adult workers of the appropriate category.

5. For the purpose of this notification :—

- "Unskilled work" means work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;
- "Semi-skilled work" means work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;
- "Skilled work" means work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

[No. S-32019(3)]83-WC(MW)]

अधिसूचना

का० प्रा० 762(अ).—(1) प्रस्तर खानों (2) कयामाईट खानों (3) सेल खड़ी खानों (जिनके अन्तर्गत साबुन, प्रस्तर और टल्को उत्पादक खानें भी हैं) (4) गरिक खानों (5) एम्बेस्टास खानों और (6) अग्नि-महामृत्तिका खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संश्लेष मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्थापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की प्रपेक्षाानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वस संजालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का० प्रा० 453 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन, भारत के राजपत्र, प्रसाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 30-31 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आशेष और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में प्राप्त आशेषों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (i) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम संजालय की अधिसूचना सं० का० प्रा० 631(अ) तारीख 2 सितम्बर, 1982 को अधिकांश करते हुए तथा सप्ताहवार बोंडे में परामर्श करने के पश्चात् (1) प्रस्तर खानों (2) कयामाईट खानों (3) सेलखड़ी खानों (जिनके अन्तर्गत साबुन प्रस्तर और टल्को उत्पादक खानें भी हैं) (4) गरिक खानों (5) एम्बेस्टास खानों और (6) अग्निमहामृत्तिका खानों में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, संश्लेष मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती हैं और निदेश देती हैं कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण

दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें

1 2

अकुशल :

मजदूर (पुरुष और महिला), चौकीदार, कुली, क्लीनर, खलासी, लद्दाई करने वाला, होलकटर, भूकलंक, बाहक (प्रस्तर), बाहक, कार्टमेन, अभिरक्षक, कंक्रिट, (हेण्ड मिक्सर), खानक, (बैल, ऊंट, गाय, खच्चर), लेप-वाला, माली, पट्टोल मैन, सफेदी वाला, पानी वाला, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अकुशल हैं।

9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए)

11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)

अर्धकुशल :

भित्ती, ब्रैकर, ड्रिलर, खनक, पम्पर, रसोइया, शिक्षक आया, प्रधान चौकीदार, हेल्पर, मुकद्वम, मेटे, आयल मैन, पम्प खलासी, शाट फायरर, प्रधान मिस्त्री, क्वैरीमैन, क्वैरी प्रवालक, स्टोरमैन, स्टाकर, वायलरमैन, पैचर, बैरा, ब्रेकमैन, हेल्पर (लोको, ट्रेन, ट्रक), टोपाज तोपकार भारी प्रस्तर मयानाईट ब्रेकर), एजरमर, पैकवालर, टिम्बर मैन, जैक हैमर, अग्नि सहस्रिका, प्रेम करने या सुखाने और रिफाइन करने वाले कर्मकार, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों जो अर्धकुशल हैं।

12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए)

14.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)

कुशल :

लौहार, बढ़ई, कम्पाउन्डर, बिजली मिस्त्री, फोरमैन, फिटर, खान पर्यवेक्षक, दर्जी, प्रधान रसोइया, इंजनमैन, बैल्डर, विस्फोटकता, मशीन मिस्त्री, उपग्रोवरसियर (अनहित), सर्वेक्षक प्रवालक, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो कुशल प्रकृति के हैं।

15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए)

18.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)

लिपिकीय :

लेखापाल, लिपिक, मंशी, स्टोर लिपिक, स्टोर इण्ट्रर, भण्डारी (श्रेणी 1 और 2), मिलात लिपिक, समयपाल, टूल कीपर, कम्प्यूटर टंकक, प्राणलिपिक, अभिलेखापाल, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो लिपिकीय हैं।

15.00 रुपए

स्पष्टीकरण :

1. इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं, जिनमें आधारी दर जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के गिरायती दर पर किए गए प्रदायों का, यदि कोई हो, नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

3. जहां संविदा या करार पर आधारित या अन्यथा मजदूरी की विश्रामान दरें इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित दरों से उच्चतर हैं वहां ऐसी उच्चतर दरें संरक्षित की जाएंगी और वे इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें मानी जाएंगी।

4. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए —

(क) “अकुशल कार्य” से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली प्रथा, कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं - सम्मिलित हैं ;

(ख) “अर्धकुशल कार्य” से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी हैं ;

(ग) “कुशल कार्य” से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षा के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशल या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वतंत्रता और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

5. अठारह वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों को वेय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के वयस्क कार्यकारों को संदेय दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होंगी।

[एस-32019/3/83-इब्ल्यू सी० (एम० इब्ल्यू०)]

NOTIFICATION

S. O. 762(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in (1) stone mines (ii) kyanite mines (iii) steatite mines (including mines producing soapstone and talc) (iv) ochre mines (v) asbestos mines and (vi) fire clay mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at page 31-32 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S. O. 453 (E) dated the 18th June, 1983 for information of, and inviting objections and suggestions from, all persons likely to be affected thereby, till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3, read with Clause (iii) of sub-section (1) of

section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour S. O. 631(E) dated the 2nd September, 1982, the Central Government, after consulting the Advisory Board, revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in employments in (i) stone mines (ii) kyanite mines (iii) steatite mines (including mines producing soapstone and talc) (iv) ochre mines (v) asbestos mines and (vi) fireclay mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
1	2

Unskilled :

Mazdoor (Male & Female), Chowkidar, Coolie, Cleaner, Khalasi, Loader, Hole cutter, Earth cutter, Carrier (Stone), Carrier, Cartmen, Caretaker, Concrete (Hand mixer), Driver (bullock, camel, donkey, mule), Lampman, Mali, Petrolman, White Washer, Waterman, other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground)
--	---

Semi-skilled :

Bhisti, Breaker, Driller, Miner, Attendant, Cook, Creche Ayah, Head Chowkidar, Helper, Muccadan, Mate, Oil man, Pump Khalasi, Shot firer, Head mistry, Quarry man, Quarry operator, Storeman, Stocker, Boilerman, Thatcher, Thoombaman, Tindals, Trolleyman, Jamadar, Bearer, Breakesman, Helper (loco, crane, truck), Topaz, Topkar, (big stone/Kyanite Breaker), Edge Runner, Pack Wallers, Timberman, Jack, Hammer, Fire clay press or drying and refining workers, other categories by whatever name called which are semi-skilled.	Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground)
---	--

Skilled :

Blacksmith, Carpenter, Compounder, Electrician, Foreman, Fitter, Mine Supervisor, Tailor, Head Cook, Engine man, Welder, Blaster, Machinist, sub-overseer (Un-	Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground)
--	--

1	2
qualified), Surveyor, Operator, any other categories by whatever name called which are of skilled nature.	
Clerical	
Accountant, Clerk Munshi, Store clerk, Store Issuer Store Keeper (Grade I & II), Talley clerk, Time Keeper, Tool keeper, Computer, Typist, Steno, Recordkeeper, other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 15.00

Explanations :

1. The minimum rates of wages fixed as per this notification are all inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and also include the wages payable for the weekly day of rest.

2. The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

3. Where the prevailing rates of wages based on contract or agreement or otherwise are higher than the notified rates under the Act, the higher rates would be protected and treated as minimum rates of wages for the purposes of this notification.

4. For the purposes of this notification :—

- "Unskilled work" is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;
- "Semi-skilled work" is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of skilled employee, and includes unskilled supervisory work;
- "Skilled work" is one which involves skill or competence acquired through experience on the Job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

5. The minimum rates of wages for disabled persons and for persons below eighteen years of age shall be 100% and 80 per cent respectively of the rates payable to adult workers of the appropriate category.

का० आ० 763 (अ) :—प्रेनाइट खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्थापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वसन मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 456 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 37 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे।

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है।

अतः, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 2) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (3) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 627 (अ) तारीख 2 सितम्बर, 1982 को अधिश्रान्त करने हुए तथा सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् प्रेनाइट खानों के नियोजन में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती है, और निदेश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण वेनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें

(1) (2)

अकुशल :

मजदूर (पुरुष और महिला), चौकीदार, क्लीनर, खलासी, लदाई करने वाला, खदान श्रमिक, होल-कटर, ग्रंथ-कटर, बाहक (पथर), बाहक, ठेले वाला, अभिरक्षक, कंक्रीट हस्त मिश्रक, ड्राइवर, (वैल, ऊंट, गधा, खच्चर), लैप्समैन, माली, पैट्रोल, मैन, सफेदी करने वाला, पानी वाला, जाली मेकर, धावर बर्तन रिमूवर, बैस्ट रिमूविंग मजदूर, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अकुशल हैं।

अर्द्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :

मिस्त्री, ब्रेकर, ड्रिलर, परिचर, रसोइया, क्रेच धाया, प्रधान चौकीदार, मददगार, मुकद्दम, सेट, धायल मैन, पम्प खलासी, शाट फायरर, प्रधान मिस्त्री, क्वैरी मैन, खदान, प्रचालक स्टोर मैन, स्टाकर, वायलर मैन, थैवर, धुम्बा मैन, ट्रावी मैन, जमादार, टिण्डल बीग, ब्रेकमैन मददगार (क्रेन, ट्रक), टिम्बर मैन, जैक, हैमर, स्टोन कटर, और ड्रेसर, चिजल मैन, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों जो अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं।

कुशल :

लीडर, बर्बर, कम्पाउन्डर, बिजली मिस्त्री, फोर-मैन, फिटर, खान पर्यवेक्षक, वर्जी, प्रधान रसोइया, इंजन मैन, बैन्डर, विस्फोटकर्ता, मशीनिस्ट, सॉ-ओवरमियर (अनर्हित), सर्वेक्षक, प्रचालक, कोई अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो कुशल प्रकृति के हैं।

लिपिकीय :

लेखाकार, लिपिक, मुंशी, भंडार लिपिक, सामग्री देने वाला, भंडारी (श्रेणी 1 और 2), टेनी-लिपिक, टाइम कीपर, टूल कीपर, कम्प्यूटर, टंकक, ग्रामुलिपिक, प्रिन्टलेखापाल, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो लिपिकीय हैं।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए :—

(1) मजदूरी की न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं, जिनमें प्राधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रदायों का, यदि कोई हो, नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

(2) मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को को भी लागू हैं।

(3) अठारह वर्ष से कम आयु के और अममय व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के व्यस्क कर्मचारों को संदेय दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी।

(9) (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली प्रथम कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं।

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा से कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है,

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से प्रथम शिक्षक के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेक आवश्यक है।

(5) जहां संविदा या करार पर प्राधारित या अथवा किसी कर्मचारी की मजदूरी की विद्यमान दरें इसमें अधिसूचित दरों से उच्चतर हैं वहां हम अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए ऐसी उच्चतर दरें ऐसे कर्मचारियों को लागू मजदूरी की न्यूनतम दरें मानी जाएंगी।

[एस-32019/3/83-डब्ल्यू. सी. (एम. डब्ल्यू.)]

NOTIFICATION

S. O. 763(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in granite mines were published as required by

clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 38-39 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S.O. 456 (E) dated the 18th June, 1983 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 627(E) dated the 2nd September, 1982, the Central Government, after consulting the Advisory Board, revised the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employment in granite mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
(1)	(2)
Unskilled :	
Mazdoor (male and female), Chowkidar, Cleaner, Khalasi, Loader, Quarry worker, Hole cutter, Earth cutter, Carrier (Stone), Carrier, Cartman, Caretaker, Concrete hand mixer, Driver, (bullock, camel, donkey, mule); Lampman, Mali, Petrolman, White washer, Waterman, Jally maker, over burden remover, Waste removing mazdoor, other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground)
Semi-skilled/unskilled supervisory :	
Bhisti, Breaker, Driller, Attendant, Cook, Crecheayah, Head Chowkidar, Helper, Muccadam,	Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work

1	2
Mate, Oilman, Pump khalasi, Shot firer, Head Mistry, Quarryman, Quarry operator, Storeman, Stocker, Boilerman, Thutcher, Thoombaman, Tindals, Trolleyman, Jamadar, Bearer, Breakesman, Helper (crane, truck), Timberman, Jack hammer, Stone cutter and dresser, Chisel man, Other categories by whatever name called which are semi-skilled/unskilled supervisory.	below ground)
Skilled	
Blacksmith, Carpenter, Compounder, Electrician, Foreman, Fitter, Mine supervisor, Tailor, Head cook, Engine man, Welder, Blaster, Machinist, Sub-overseer (unqualified), surveyor, Operator, any Other categories by whatever name called which are of skilled nature.	Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground)
Clerical :	
Accountant, Clerk, Munshi, Store clerk, Store issuer, Store keeper, (grade I and II), Talley clerk, Time keeper, Tool keeper, Computer, Typist, Steno) Record keeper, other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 15.00

Explanations for the purpose of this notification :

(1) The minimum rates of wages are all inclusive rates including the basic rates, the cost of living allowance and the cash value of the concessional supply if any, of essential commodities and include also the wages payable for the weekly day of rest.

(2) The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

(3) The minimum rates of wages for persons below 18 years of age and for disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent of the rates payable to the adult workers of the appropriate category as specified in the Schedule above.

(4) (a) "Unskilled work" is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) "Semi-skilled work" is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee, and includes unskilled supervisory work;

(c) "skilled work" is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through train-

ing as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

(5) Where the existing rates of wages of any employee based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates notified herein, the higher rates shall be treated as the minimum rates of wages applicable for the purpose of this notification to such employees.

[S-32019/3/83-W.C.(M.W.)]

अधिसूचना

का० प्रा० 764 (अ) :--डोलोमाइट खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्तावनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वसि मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का० प्रा० 442 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 जून, 1983 से पृष्ठ 7-8 पर प्रकाशित की गई थी : उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आशेष और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 का जनता को उपाखण्ड करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तावनाओं के संबंध में प्राप्त आशेषों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० प्रा० 633 (अ) तारीख 2 सितम्बर, 1982 को अधिष्ठात करने हुए तथा सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् डोलोमाइट खानों के नियोजित में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो इससे उपाखण्ड अनुसूची के स्तम्भ (1) तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती हैं और निदेश देती हैं कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2

अकुशल :

मजदूर (पुरुष और स्त्री), चौकीदार, क्लीनर, खलासी, सवाई करने वाला, होल कटर, भ्रंश कटर, वाहक (पत्थर), वाहक, ठेलेवाला, कैपर टेकर, कंकरीट (हैंड मिक्सर), ड्राईवर, (बैल, ऊंट, गधा खञ्जर), लैम्पमैन, पेट्रोलमैन, सफेदी करने वाला, पानी वाला, अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो अकुशल हैं।	9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
--	--

1

2

अर्धकुशल :

मिश्री, ब्रेकर, ड्रिलर, खनक, रसोइया, शिशुनक्षत्राया, प्रधान चौकीदार, मददगार, मुकद्दम, सेट, आयलमैन, पम्प खलासी, माली, प्रधान मिस्त्री, खदान मजदूर, खदान संक्रियाएं, स्टोनमैन, स्टाकर, वायलरमैन, थेचर, धुम्बामैन, टिडल, ड्रासीमैन, जमादार, बेयरर, टैक्समैन, मददगार (लोको, क्रेन, ट्रक), तोपज, टोपकार (बड़ा पत्थर/क्यानाइट ब्रेकर), एज रनर, पैक बालर्स, टिम्बरमैन, जैक हैमर, फायर ब्ले प्रेस या शुष्कन और परिष्करण कर्मकार, अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी नाम से बुलाया जाता हो, जो अर्धकुशल हैं।	12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 14.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
---	---

कुशल:

लोहार, यकूई, कम्पाउन्डर, बिजली मिस्त्री, फोरमैन, फिटर, खान पर्यवेक्षी, दर्जी, शॉट फायरर, प्रधान रसोइया, इंजन मैन, वेल्डर, ब्लेस्टर, मशीन मिस्त्री, उप ओवरसियर, सर्वेक्षक (ग्रन्थित), प्रापरेटर, अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो कुशल हैं।	15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 18.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
---	---

लिपिकीय:

लेखापाल, लिपिक, मुंजी, भंडार लिपिक, सामान देने वाला, भण्डारी (श्रेणी 1 और 2), टेली ब्लर्क, टाइम कीपर, टूल कीपर, संगणक, टंकक, प्राणुलिपिक, अभिलेखापाल, अन्य वर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो लिपिकीय हैं।	15.00 रु०
---	-----------

स्पष्टीकरण:

1. इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित मजदूरी की न्यूनतम दरें संचालित दरें हैं, जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रदायों का, यदि कोई हो, नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

3. जहाँ संविदा या करार पर आधारित या अन्यथा मजदूरी की विश्रामान दरें अधिनियम के अधीन अधिसूचित दरों से उच्चतर हैं, वहाँ इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए ऐसी उच्चतर दरें संरक्षित की जाएंगी और वे न्यूनतम मजदूरी की दरें मानी जाएंगी।

4. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए—

(क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली प्रथम या कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण कृत्याएं सम्मिलित हैं;

(ख) "अर्ध कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है;

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से प्रथम श्रेणी के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वतंत्रता और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

5. प्रसमर्थ व्यक्तियों और अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरे समुचित प्रयोग के व्यस्क कर्मकार को संदेय करने पर क्रमशः 100 प्रतिशत और 80 प्रतिशत होगी।

[एम-32019/3/83-इल्यु. सी. (एम इल्यु.)]

NOTIFICATION

S.O. 764(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in dolomite mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 8-9 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S.O. 442 (E) dated the 18th June, 1983 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 633(E) dated the 2nd September, 1982, the Central Government, after consulting the Advisory Board, revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in dolomite mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
1	2
Unskilled	
Mazdoor (male and female), Chowkidar, Cleaner, Khalasi, Loader, Hole cutter, Earth cutter, Carrier, (stone), Carrier, Cartman, Caretaker, Concrete (hand mixer), Driver,	Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground)

1	2
(bullock, camel, donkey, mule), Lampman, Petrolman, White Washer, Waterman, other categories by whatever name called which are unskilled.	

Semi-skilled

Bhisti, Breaker, Driller, Miner, Cook, Creche Ayah, Head Chowkidar, Helper, Muccadam, Mate, Oilman, Pump khalasi, Mali, Head mistry, Quarry man, Quarry operator, Stone man, Stocker, Brillerman, Jamadar, Thatcher, Thoombaman, Tindals, Trolleyman, Jamadar, Bearer, Breakesman, Helper, (loco, crane, truck), Topax, Topkar (big stone/kyanite breaker), Edge runner, Pack wallers, Timberman, Jack hammer, Fire clay press or drying and refining worker, other categories by whatever name called which are semi-skilled.	Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground)
--	--

Skilled

Blacksmith, Carpenter, Compounder, Foreman, Electrician, Fitter, Mine Supervisor, Tailor, Shot firer, Head Cook, Engine man, Welder, Blaster, Machinist, Sub-overseer (unqualified), surveyor, Operator, any other categories by whatever name called which are of skilled nature.	Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground)
--	--

Clerical

Accountant, Clerk Munshi, Stores clerk, Store, issuer, Storekeeper (Grade I & II), Talley clerk, Time-keeper, Tool keeper, Computer, Typist, Steno. Record keeper, other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 15.00
---	-----------

Explanations :

1. The minimum rates of wages revised by this notification are all inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and also include the wages payable for the weekly day of rest.

2. The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

3. Where the prevailing rates of wages based on contract or agreement or otherwise are higher than the notified rates under the Act, the higher rates would be protected and treated as minimum rates of wages for the purpose of this notification.

4. For the purpose of this notification :—

(a) "Unskilled work" is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) "semi-skilled work" is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;

(c) "skilled work" is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

5. The minimum rates of wages for disabled persons and for persons below eighteen years of age shall be hundred and eighty per cent respectively of the rates payable to adult workers of the appropriate category.

[S-32019/3/83-WC(MW)]

का० आ० 765 (अ):—लेटराइट खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संश्लेष मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्थापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 439 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 1-2 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों में उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आक्षेप और मुद्दाएं मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और मुद्दाओं पर विचार कर लिया है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (3) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 643 (अ) तारीख 2 मितम्बर, 1982 को अधिस्त करने हुए तथा सभाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् लेटराइट के नियोजन में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो इससे उपावृद्ध अनुमूची के स्तम्भ (1) तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, संश्लेष मजदूरी का न्यूनतम दरें उक्त अनुमूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती है और निदेश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	संश्लेष मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2

अकुशल :

मजदूर (पुरुष और स्त्री), चौकीदार, यमीनगर, 9.75 रु० (भूमि के ऊपर खपासी, लवाई करने वाला, उतगई करने वाला, कार्य करने के लिए)

1	2
उत्खनन श्रमिक, खनैन, साहूकरण, बेलदार, अन्य प्रवर्ग चाहें किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अकुशल कार्य करने के लिए)	11.75 रु० (भूमि के नीचे)

अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षक :

सहायक ड्रिलर, माली, खनक, मेट, (धातु उत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र के बिना), मृकृद्धम (धातुत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र के बिना), ईष्ट चौकीदार, अन्य प्रवर्ग चाहें किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षक हैं।	12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 14.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
---	---

कुशल :

खान पर्यवेक्षक, ड्रिलर, कम्प्रेसर, घट्टेडर, मशीनरी घट्टेडर, विस्फोटकर्ता (शाट फायरर), ड्राईबर, मेट (धातुत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र सहित), मृकृद्धम (धातुत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र सहित) पर्यवेक्षक, अन्य प्रवर्ग चाहें किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो कुशल हैं।	15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 18.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
--	---

विधिकार्य :

विधिक, मूली, सेखाकार, टाइम कीपर, सामग्री देने वाला, टंकक, अन्य प्रवर्ग चाहें किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो विधिकार्य हैं।	15.00 रु०
--	-----------

स्पष्टीकरण :

1. इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए :—

(क) "अकुशल कार्य" से यह कार्य अभिप्रेत है जिसमें बहुत थोड़ी कुशलता अपेक्षित करने वाली या कुछ भी कुशलता अथवा अनुभव अपेक्षित न करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं ;

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी हैं ;

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षा के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

2. इस अधिसूचना द्वारा नियत न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं जिनमें आधारी दर, जोबम निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के गिरायती दर पर किए गए प्रदायों, यदि कोई हों, का तकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

3. अठारह वर्ष से कम आयु के और अममथ व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के कर्मचारों के लिए इस अधिसूचना द्वारा नियत दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी।

4. इस अधिसूचना द्वारा नियत मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

5. जहाँ संविदा या करार पर या अन्यथा आधारित मजदूरी की विद्यमान दरें इस अधिसूचना द्वारा नियत दरों से उच्चतर हैं वहाँ ऐसी उच्चतर दरें इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ न्यूनतम मजदूरी की दरें समझी जाएगी।

[एस-32019/3/83-उत्प. सी. (एम. उत्प.)]

S. O. 765(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in laterite mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), at pages 2-3 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S. O. 439 (E) dated the 18th June, 1983 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And Whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And Whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 643 (E) dated the 2nd September, 1982, the Central Government, after consulting the Advisory Board, revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in laterite mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
(1)	(2)
Unskilled :	
Mazdoor (male and female), chowkidar, Cleaner, Khalasi, Loader, Unloader, Excavating labour, Khannya, Sweeper, Beldar, other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground)

1

2

Semi-skilled/unskilled supervisory :

Assistant Driller, Mali, Miner, Mate (without competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961), Muccadam, (with competency certificate under Metalliferous Mines Regulations 1961), Head chowkidar, other categories by whatever name called which are semi-skilled/ unskilled supervisory.	Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground)
--	--

Skilled :

Mine Supervisor, Driller, Compressor attender, Machinery attender, Blaster (shot firer), Driver, Mate (with competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961), Muccadam (with competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961), supervisory, other categories by whatever name called which are skilled.	Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground)
---	--

Clerical :

Clerk, Munshi, Accountant, Time Keeper, Store Issuer, Typist, other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 15.00
--	-----------

EXPLANATIONS :

1. For the purpose of this notification :—

(a) "unskilled work" is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) "semi-skilled work" is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of skilled employee and includes unskilled supervisory work;

(c) "skilled work" is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice or in a technical or vocational institute and the performance of which, calls for initiative and judgement.

2. The minimum rates of wages revised by this notification are all inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and also includes the wages payable for the weekly rest day.

3. The Minimum rates of wages for persons below 18 years of age and for disabled persons

shall be 80% and 100 per cent respectively of the rates payable to the adult workers of the appropriate category as specified in the Schedule above.

4. The minimum rates of wages revised by this notification are applicable also to employees engaged by contractors.

5. Where the existing rates of wages based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates fixed by this notification, the higher rates shall be treated as the minimum rates of wages applicable for the purpose of this notification.

[No. S-32019 (3)/83-WC(MW)]

अधिसूचना

का० आ० 766(अ).—मैग्नेटाइट खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संशोधन मजदूरी की न्यूनतम दरों को निर्धारित करने के लिए कुछ प्रस्ताव, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 की उपधारा (i) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 449(प्र) दिनांक 18 जून, 1982 के अधीन भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 20 जून, 1982 के पृष्ठ 22—24 पर सभी व्यक्तियों की सूचनार्थ प्रकाशित किए गए थे, जिनमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो माह की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप तथा सुझाव मांगे गए थे, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी;

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1982 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तावों के संबंध में प्राप्त आक्षेपों तथा सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (i) के खण्ड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सप्ताहकार बोर्ड के साथ परामर्श करने के बाद, इसमें उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरों को, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट मैग्नेटाइट खानों के रोजगारों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संशोधन, निर्धारित करती है और निदेश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
(1)	(2)
अकुशल :	
मजदूर (पुरुष और महिला) चौकीदार, क्लीनर, खलासी, अर्ध-कटर, वाहक (पथर), वाहक, माली, पैट्रोल मैन, सफेदी करने वाला, पानी घाला, पानी ले जाने वाला, अन्य प्रवर्ग चाहें वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अकुशल हैं।	9.75 रुपये (भूमि के ऊपर कार्य के लिए) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य के लिए)

(1)

(2)

अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :

“खनक, प्रेकर, फ़िलर, मिश्री, परिचर, रसोइया, शीश, आया, प्रधान चौकीदार, मूकवम, आयल-मैन, पम्प खलासी, शाटफायर, प्रधान मित्री, क्वैरीमैन, खदान प्रबालक, स्टोरमैन, स्टार्कर, बायलर मैन, शेचर, थुम्बामैन, टिण्डल, डाली मैन, जमादार, बैरा, प्रैक्समैन, मवदगार (लोको, क्रैन, ट्रक), टिम्बर मैन, जैक हेमर, माली, मेट (धातुत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र के बिना) स्टोन कटर और ड्रेसर, चीजल मैन, अन्य प्रवर्ग चाहें वे किसी भी नाम से ज्ञात हों जो अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं।

कुशल :

लीडर, बर्ह, कम्पाउंडर, बिजली मित्री, फोरमैन, फिटर, खान पर्यवेक्षक, प्रधान रसोइया, इंजन मैन, वैल्डर, विस्फोटकर्ता, मशीनिस्ट, सबमोटरसिंगर, (प्रशिक्षित), सर्वेक्षक, प्रबालक, मेट (धातुत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र सहित), अन्य प्रवर्ग चाहें वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो कुशल प्रकृति के हैं।

लिपिकीय :

लेखाकार, लिपिक, मुंशी, स्टोर लिपिक, स्टोर इन्सुअर सामग्री देने वाला, स्टोर कीपर ग्रेड (I और II) टैलीलिपिक, टाइमकीपर, टूल कीपर, कम्प्यूटर, टंकक, ग्राणलिपिक, अभिलेख-पाल, अन्य प्रवर्ग चाहें वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो लिपिकीय प्रकृति के हैं।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए :—

1. प्रस्तावित न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित करें हैं जिसमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायतों पर किए गए प्रदायों का यदि कोई हो, तकदी मूल्य, सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

3. अठारह वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के व्यस्क कर्मचारियों की संशोधन दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और दो सौ प्रतिशत होंगी।

4. (क) “अकुशल कार्य” से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य को बहुत धोड़ी कुशलता का अनुभव अपेक्षित करने वाली या कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं।

(ख) “अर्धकुशल कार्य” से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अजित कुछ मात्रा में कुशलता या सदमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षक या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अंतर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है।

(ग) “कुशल कार्य” से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षा के माध्यम से या फिर तालीमी या व्यावसायिक संस्था में

प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है, जिसके पालन में स्थप्रेरणा और विवेक बुद्धि आवश्यक है।

5. जहाँ संविदा या करार पर आधारित मजदूरी की विद्यमान दरें अधिनियम के अधीन अधिसूचित दरों से उच्चतम हैं वहाँ ऐसी उच्चतर दरें संरक्षित की जाएंगी और इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें मानी जाएंगी।

6. मैग्नेटाइट खान में काम करने वाला श्रमिक, जो उत्खनन और मैग्नेटाइट अयस्क हटाने तथा इससे सम्बद्ध कार्य में लगा है, को "अनक" माना जायेगा।

[सं० एस० 32019/3/83-डब्ल्यू० सी० (एम० डब्ल्यू०)]

NOTIFICATION

S. O. 766(E).—Whereas certain proposals to fix the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in Magnetite mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 22—24 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th June 1983 under the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S. O. 449 (E) dated the 18th June, 1983, for information of, and inviting objections and suggestion from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And, whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 3, read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section of (2) section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), the Central Government, after consulting the Advisory Board, fixes the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in the employments in Magnetite mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
(1)	(2)
Unskilled	
Mazdoor (male and female), Chowkidar, Cleaner, Khalasi, Earth-	Rs. 9.75 (for work above ground).

1	2
cutter, Carrier (stone), Carrier, Mali, Petrolman, White washer, Waterman, Water carrier other categories by whatever name called which are unskilled	Rs. 11.75 (for work below ground).

Semi-skilled/unskilled Supervisory

*Miner, Breaker, Driller, Bhisti, Attendant, Cook, Creche Ayah, Head Chowkidar, Muccadam, Oilman, Pump Khalasi, Shot Firer, Head Mistry, Quarryman, Quarry Operator, Storeman, Stocker, Boilerman Thatcher, Thoombaman, Tindals, Trolleyman, Jamadar, Bearer, Breaksman, Helper (loco Crane, Truck), Timberman, Jack Hammer, Mali, Mate (without competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961), Stone cutter and Dresser, Chisel man, other categories by whatever name called which are semiskilled/unskilled supervisory.	Rs. 12.25 (for work above ground). Rs. 14.75 (for work below ground).
---	--

Skilled

Blacksmith, Carpenter, Compounder, Electrician, Foreman, Fitter, Mine Supervisor, Head Cook, Engine man, Welder, Machinist, Sub-overseer (Unqualified, Surveyor, Pump Operator, Operator, Mate (with competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961), other categories by whatever name called which are of skilled nature.	Rs. 15.00 (for work above ground). Rs. 18.00 (for work below ground).
---	--

Clerical

Accountant, Clerk, Munshi, Store clerk, Store issuer, Store keeper (grade I and II), Tally clerk, Time-keeper, Tool keeper, Computer, Typist, Steno, Record keeper, other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 15.00
--	-----------

Explanation : For the purpose of this notification :

(1) The minimum rates of wages are all inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of the concessional supply, if any, of the essential commodities and include also the wages payable for the weekly day of rest.

(2) The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

(3) The minimum rates of wages payable to young persons below 18 years of age and for disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent respectively of the rates fixed by this notification for adult workers of the appropriate category.

(4) "Unskilled work" is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) "Semi-skilled work" is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;

(c) "Skilled work" is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

(5) Where the existing rates of wages of any employee, based on contract of agreement or otherwise, are higher than the rates notified herein, the higher rates shall be treated as the minimum rates of wages applicable for the purpose of this notification to such employee.

“(6) A worker in a magnetite mine who is engaged in extraction and removal of magnetite ores as well as in other incidental jobs shall be designated as a ‘Miner’.

[No. S-32019(3)|83-WC (MW)]

का० आ० 767(अ).—वाकसाइट में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों का संश्लेष मजदूरी के न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्थापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वसन मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 444(अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन भारत के राजपत्र प्रकाशरण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 11-12 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से श्री माभ की अवधि के अवसान तक आशेष और सूझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सूझावों पर विचार कर लिया है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 1 की उपधारा (i) के खण्ड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 641(अ) तारीख 2 गिनसबरा, 1982 की अधिसूचना के अन्तर्गत और सप्ताहकार मोटे में परामर्श करने के पश्चात् वाकसाइट के नियोजन में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो हमसे उपाखण्ड अनुसूची के स्तम्भ (1) तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, संश्लेष मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती हैं और निर्देश देती हैं कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

वर्ग का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
(1)	(2)

अकुशल :

(1) कमीनर, (2) मजदूर (पुरुष/महिला), 9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए)
(3) आफिस बॉय, (4) जपरामी, (5) पिकर (पुरुष/महिला), (6) झाड़ूकश, (7) बाँधमैन, 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
(8) वाटर कैरियर, (9) अन्य प्रवर्ग जिन्हें किसी भी नाम से जाना हो, जो अकुशल हैं।

अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :

(1) सहायक ड्रिलर, (2) बुलडोजर खलासी, 12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए)
(3) बड़ई मयदगार, (4) क्लर प्रचालक मयदगार, (5) कैंटीन बॉय, (6) बापशानी माली, 14.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
(7) मेट (धातु उत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र के बिना), (8) मुकुन्दम (धातु उत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र के बिना), (9) नमूने लेने वाला, (10) औजार तेज करने वाला, (11) *खनक श्रेणी-2, (12) अन्य प्रवर्ग जिन्हें किसी भी नाम से जाना हो जो अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं।

कुशल :

(1) लीहार्, (2) विस्फोटकर्ता (शाटफायर), 15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए)
(3) बड़ई, (4) क्लर प्रचालक, (5) कम्प्रेसर परिवार, (6) कम्प्रेसर ड्रिलर, (7) ड्रिलर, 18.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
(8) ड्राईवर, (9) बिजला मिला, (10) फिटर, (11) मैकेनिक, (12) मेट (धातु उत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र सहित), (13) पावर हाबेल प्रचालक, (14) पम्प ड्राईवर, (15) पावर और पम्प हाऊस प्रचालक, (16) पम्प परिवार, (17) पर्यवेक्षक, (18) ड्रेक्टर प्रचालक, (19) **खनक श्रेणी-1, (20) अन्य प्रवर्ग जिन्हें किसी भी नाम से जाना हो, जो कुशल हैं।

लिपिकीय :

(1) लिपिक, (2) मुंशी, (3) आंगुलिपिक, 15.00 रुपये
(4) टंकक, (5) अन्य प्रवर्ग जिन्हें किसी भी नाम से जाना हो, जो लिपिकीय हैं।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए—

1. इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं जिनमें आभारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रदायों, यदि कोई हो, का नकदो मूल्य सम्मिलित है तथा मासिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. इस अधिसूचना द्वारा नियत मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

3. अठारह वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों को वेतन मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के व्यस्क कर्मचारियों के लिए इस अधिसूचना द्वारा निम्न दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होंगी।

4. इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए—

- (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी या अनुचित अंशित करने वाला अथवा कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाले माध्यम क्रियाएँ सम्मिलित हैं।
- (ख) "अर्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में अकुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारियों के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत पर्याप्त अकुशल कार्य भी हैं।
- (ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षा के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है जिसके पालन में स्वतंत्रता और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

5. जहाँ संबंधित या कदरार आश्रित मजदूरों का विद्यमान दरें इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित दरों से उच्चतर हैं वहाँ ऐसी उच्चतर दरें इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ न्यूनतम मजदूरी की दरें समझी जाएंगी।

* 6. बाक्सहाइट खानों में काम करने वाला श्रमिक जो शेष रहो अधिशार सामग्री हटाता है, बाक्सहाइट अवस्क निकालता है और बाक्सहाइट अवस्क को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और/या बाक्सहाइट अवस्कों को विभिन्न ग्रेडों में छांटता है, को "खनक ग्रेड-II" माना जाएगा।

** 7. बाक्सहाइट खानों में काम करने वाला श्रमिक, जो बेधन या विस्फोटन या बेधन-एवं-विस्फोटन का कार्य करता है, को "खनक ग्रेड-I" माना जाएगा।

[एस-320 19/3/85-डब्ल्यू.सी० (एम० डब्ल्यू०)]

S. O. 767(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in Bauxite mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 12-13 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S. O. 444 (E) dated the 18th June, 1983 for information of, and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3, read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in

supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S. O. 641 (E) dated the 2nd September, 1982, the Central Government after consulting the Advisory Board revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in employments in Bauxite mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
(1)	(2)
Unskilled:	
(1) Cleaner, (2) Mazdoor (male/female), (3) Office Boy, (4) Peon, (5) Picker (Male/Female), (6) Sweeper, (7) Watchman, (8) Water Carrier, (9) Other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground)
Semi-skilled/Unskilled Supervisory:	
(1) Assistant Driller, (2) Bulldozer Khalasi, (3) Carpenter Helper, (4) Crusher Operator Helper, (5) Canteen Boy, (6) Garden Mali, (7) Mate (without competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961), (8) Muccadam (without competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961), (9) Sampler, (10) Tool Sharper, (11) * Miner Grade II, (12) Other categories by whatever name called which are semi-skilled/unskilled supervisory.	Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground)
Skilled:	
(1) Blacksmith, (2) Blaster, (shot firer), (3) Carpenter, (4) Crusher Operator, (5) Compressor Attendant, (6) Compressor Driller, (7) Driller, (8) Driver, (9) Electrician, (10) Fitter, (11) Mechanic, (12) Mate (with competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961), (13) Power Shovel Operator, (14) Pump Driver, (15) Power and Pump House Operator, (16) Pump Attendant, (17) Supervisor, (18) Tractor Operator, (19) Miner Grade-I**, (20) Other categories by whatever name called which are skilled.	Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground)
Clerical:	
(1) Clerk, (2) Munshi, (3) Stenographer, (4) Typist, (5) Other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 15.00

Explanations :

1. The minimum rates of wages revised by this notification are all inclusive rates including

the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of concessional supply, if any, of essential commodities, and include also the wages payable for the weekly day of rest.

2. The minimum rates of wages fixed by this notification are applicable to employees engaged by contractors also.

3. The minimum rates of wages payable to young persons below 18 years of age and disabled persons shall be 80% and 100% respectively of the rates fixed by this notification for adult workers of the appropriate category.

4. For the purpose of this notification :—

- (a) "unskilled work" means work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;
- (b) "semi-skilled work" means work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee, and includes unskilled supervisory work ;
- (c) "skilled work" means work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgment.

5. Where the existing rates of wages based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates fixed by this notification, the higher rates shall be treated as minimum rate of wages for the purpose of this notification.

*6. A worker in bauxite mines who removes the left over over-burden material, extracts bauxite ores and breaks bauxite ore into small pieces and/or sorts out bauxite ores into various grades shall be regarded as a 'Miner Grade-I'.

*7. A worker in bauxite mines who performs the work of drilling or blasting or drilling-cum-blasting shall be regarded as 'Miner Grade-I'.

[No. S-32019 (3)|83-WC (MW)]

अधिसूचना

क्र० आ० 768 (अ).—जिप्सम और बाराईट्स खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संश्लेष मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रत्यापनाएँ, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उसमें प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० क्र० आ० 455 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के 923 GI/83—8

अधीन, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 34-35 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रत्यापनाओं के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा (3) की उपधारा (i) के खण्ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० क्र० आ० 639 (अ) तारीख 2 मिनम्बर, 1982 को अधिष्ठाते करते हुए तथा सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् जिप्सम और बाराईट्स खानों के नियोजन में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, संश्लेष मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती है और निदेश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
(1)	(2)

जिप्सम खान

अकुशल :

(1) आया, (2) ब्रेकर हस्तचालित साधनों 9.75 रु० (भूमि के ऊपर का प्रयोग करने वाला), (3) क्लीनर, (4) ड्राईवर कार्य करने के लिए) बैलगाड़ी, ऊंट, गधा, या दूध, (5) डाक से 11.75 रु० (भूमि के जाने वाला, (6) प्रयोगशाला बाँय, (7) मजदूर नीचे कार्य करने के लिए) (पुरुष या स्त्री), (8) पिकर पुरुष या स्त्री (9) चपरासी, (10) ममूना बाँय, (11) माहकन (पुरुष या स्त्री), (12) पानी वाला या (13) चौकीदार, (14) अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे वे किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो अकुशल हैं।

अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :

(1) ब्रेकर (यांत्रिक का प्रयोग करने वाला), 12.25 रु० (भूमि के ऊपर (2) चकर, (3) रसोइया, (4) कैथर टेकर, कार्य करने के लिए) (5) औपशालय परिचर, (6) गार्डन माली, 14.75 रु० (भूमि के नीचे (7) हैल्पर बड़ई कैथर आपरेटर, (8) हलवाई, कार्य करने के लिए) (9) प्रधान चौकीदार, (10) खलासी (बूल-डोजर), (11) प्रयोगशाला परिचर, (12) मेट/मूकद्वय (धातुमय विनियम, 1961 के अधीन श्रमता प्रमाण-पत्र के बिना), (13) प्लाईवुडमैन, (14) सेम्पलर, (15) टेलीफोन परिचर, (16) अप्रशिक्षित शिक्षक परिचर, * (17) खनक, (18) अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं।

(1)	(2)
कुशल :	
(1) सहायक तम्बू लेने वाला, (2) बाबू संपीकृत, (3) सहायक रसायनज्ञ, (4) सहायक फोरमैन, (5) लोहार, (6) बड़ई, (7) कपाड़ंबर, (8) रसायनज्ञ, (9) डीजल मैकेनिक, (10) ड्राईबर, (11) ड्रिलर, (12) नवभानवीस, (13) बिजली मिस्त्री, (14) फिटर, (15) फेरोसफ़िक और चैन मैन, (16) सेनरेटर आपरेटर, (17) लाइनमैन, (18) ठलाई फोरमैन, (19) लैप मिस्त्री, (20) राज, (21) मिडबाइफ, (22) मेट, जिसके पास धातुमय ज्ञान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र है, (23) पम्प परिचर, (24) रंग-साज, (25) कुशल मजदूर, (26) शाटकारर, (27) स्थायी इंजन परिचर, (28) शाबेल आपरेटर, (29) उप ओवरसियर, (30) पर्य-वेक्षक, (31) टर्नर, (32) टब मरम्मत करने वाला, (33) टिम्बर मैन, (34) वायर मैन, (35) वेल्डर, (36) अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो कुशल हों।	15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 18.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)

लिपिकीय :

(1) लिपिक, (2) वाक् और बार्ड का भार-साधक, (3) मुंशी, (4) कार्यालय सहायक, (5) सामग्री देने वाला, (6) आशुलिपिक, (7) टंकक, (8) अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो कुशल हैं।	15.00 रुपये
---	-------------

बेराईट्स खान

अकुशल :

(1) कल्लक, (2) ड्रेसर, (3) लोडर, (4) मजदूर (पुरुष/स्त्री), (5) चौकीदार, (6) अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो कुशल हैं।	9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
---	--

अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :

(1) गार्डन माली, (2) हथोड़े वाला, (3) लोडर (पुरुष/स्त्री), (4) **जनक, (5) अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं।	12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 14.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
--	---

कुशल :

(1) बिस्फोट कर्ता (शाटकारर), (2) संपीकृत ड्राईबर, (3) ड्रिलर, (4) अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो कुशल हैं।	15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 18.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
---	---

लिपिकीय :

(1) लिपिक, (2) मुंशी, (3) आशुलिपिक, (4) टंकक, (5) अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो लिपिकीय हैं।	15.00 रुपये
--	-------------

स्पष्टीकरण।

1. इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम दरें तबसम्मिलित दरें हैं, जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रिमायनी दर पर किए गए प्रशायों का, यदि कोई हो, तकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. इस अधिसूचना द्वारा नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू है।

3. छठारह वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें इस अधिसूचना द्वारा समुचित प्रवर्ग के व्यस्क कर्मचारियों के लिए नियत दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी।

4. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए—

(क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता करने वाली प्रत्येक कुछ भी कुशलता का अनुभव अपेक्षित न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं;

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण का मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है;

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से प्रत्येक शिक्षा के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

5. जहाँ संविदा या करार पर आधारित मजदूरी की विद्यमान दरें इस अधिसूचना द्वारा नियत दरों से उच्चतर हैं वहाँ इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए ऐसी उच्चतर दरें न्यूनतम मजदूरी की दरें मानी जाएगी।

*(6) जिप्सम खान में काम करने वाला श्रमिक, जो अधिभार हटाने और जिप्सम के उत्खनन के कार्य में लगा है, "खनक" माना जाएगा।

*(7) बेराईट्स खानों में नियोजित वे श्रमिक "खनिक" माने जाएंगे, जो बेराईट्स घटक के उत्खनन, तोड़ने, चयन करने/वर्गीकरण तथा ड्रेसिंग के कार्य करने के लिए नियोजित किए गए हैं तथा बेराईट्स खानों के बेड/रॉफ पर उसी व्यक्ति द्वारा हमके अन्य प्राणवर्गिक कार्य किए जाते हैं।

[सं० एस-32019/3/83-डब्ल्यू० सी० (एम० डब्ल्यू०)]

NOTIFICATION

S.O. 768(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in Gypsum and Barytes Mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum

Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 35-37 of that Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-Section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S.O. 455(E) dated the 18th June, 1983 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983:

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3, read with clause (iii) of sub-section (1) of Section 4 and sub-section (2) of section (5) of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 639(E) dated the 2nd September, 1982, the Central Government after consulting the Advisory Board, revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in employments in Gypsum and Barytes Mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
(1)	(2)
Gypsum Mines	
Unskilled	
(1) Ayah, (2) Breaker (using manual appliances), (3) Cleaner, (4) Driver (Bullock cart, camel, Donkey or mule), (5) Dak runner, (6) Laboratory boy, (7) Mazdoor (male/female), (8) Picker (male/female), (9) Peon, (10) Sample boy, (11) Sweeper, (male/female), (12) Waterman, (13) Watchman, (14) Other categories by whatever name called which are unskilled	Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground)
Semi-skilled/unskilled supervisory	
(1) Breaker (using mechanical appliances) (2) Checker, (3) Cook, (4) Caretaker, (5) Dispensary attendant, (6) Gardener/Mali, (7) Helper (carpenter, Crusher Operator), (8) Halwai, (9) Head Chowkidar (10) Khalaasi (Bulldozer), (11) Laboratory	Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground)

(1)	(2)
attendant, (12) Mate/Muccadam (without competence certificate under Metalliferous Mines Regulation, 1961), (13) Pointsmen, (14) Sampler, (15) Telephone attendant, (16) Untrained Creche Attendant, (17) Miner, (18) Other categories by whatever name called which are semi-skilled or unskilled supervisory.	
Skilled	
(1) Assistant sample taker, (2) Air Compressor Attendant (3) Assistant Chemist, (4) Assistant Foreman, (5) Black-smith, (6) Carpenter, (7) Compounder, (8) Chemist, (9) Diesel Mechanic, (10) Driver, (11) Driller, (12) Draughtsman, (13) Electrician, (14) Fitter, (15) Ferro printer-cum-Chairman, (16) Generator Operator, (17) Locomotive, (18) Loading Foreman, (19) Lathe Mistry, (20) Mason, (21) Midwife, (22) Mate, (with competency certificate under Metalliferous Mines Regulation, 1961), (23) Pump Attendant, (24) Painter, (25) Skilled Mazdoor, (26) Shot firer, (27) Stationary Engine Attendant, (28) Shovel Operator, (29) Sub-overseer, (30) Supervisory, (31) Turner, (32) Tub-repairer, (33) Timberman, (34) Wireman, (35) Welder, (36) Other categories by whatever name called which are skilled.	Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground)
Clerical :	
(1) Clerk, (2) Incharge Watch and Ward, (3) Munshi, (4) Office Assistant, (5) Store Issuer, (6) Stenographer, (7) Time-keeper, (8) Typist, (9) Other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 15.00
Barytes Mines	
Unskilled :	
(1) Chipper, (2) Dresser, (3) Loader, (4) Mazdoor (male/female), (5) Watchman, (6) Other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground)
Semi-skilled/unskilled Supervisory :	
(1) Gardener/Mali, (2) Hammerman, (3) Loader (male/female), (4) ** Miner, (5) Other categories by whatever name called which are semi-skilled/unskilled supervisory.	Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground)
Skilled :	
(1) Blaster (shot-firer), (2) Compressor Driver, (3) Driller, (4) Other categories by whatever name called which are skilled.	Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground)
Clerical :	
(1) Clerk, (2) Munshi, (3) Stenographer, (4) Typist, (5) Other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 15.00

Explanations :

1. The minimum rates of wages fixed by this notification are all inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and cash value of the concessional supply, if any, of essential commodities and include also the wages payable for the weekly day of rest.

2. The minimum rates of wages fixed by this notification are applicable to employees engaged by contractors also.

3. The minimum rates of wages payable to young persons below 18 years of age and disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent respectively of the rates fixed by this notification for adult workers of appropriate category.

4. For the purpose of this notification :—

- (a) 'Unskilled work' means work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;
- (b) 'semi-skilled work' means work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;
- (c) 'skilled work' means work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training or an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgment.

5. Where the existing rates of wages based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates fixed by this notification, the higher rates shall be treated as minimum rates of wages for the purpose of this notification.

*6. Worker in a gypsum mine is engaged in the removal of overburden and excavation of gypsum shall be regarded as a 'Miner'.

**7. Workers engaged in barytes mines for excavating, breaking, picking/sorting and dressing of barytes ores or for doing other works incidental thereto performed by the same person at barytes mines bed/roof, shall be regarded as 'Miner'.

[S-32019/3/83-WC(MW)]

का० भा० 769(अ).—सैगनीज खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्तापनाएँ, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का० भा० 443 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) तारीख

20 जून, 1983 के पृष्ठ 9-10 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवकाश तक आशेष और सुमाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तापनाओं के संबंध में प्राप्त आशेषों और सुमावों पर विचार कर लिया है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० भा० 636 (अ) तारीख 2 सितम्बर 1982 को अधिसूचित करते हुए तथा सप्ताहवार बोनस से परामर्श करने के पश्चात् सैगनीज खानों के नियोजित में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो इससे उपाखंड अनुसूची के स्तम्भ (1) की तत्समावर्तीय प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती है और निदेश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवर्त होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण

दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें

1

2

सैगनीज खानें

अकुशल :

- (1) आया, (2) बटलर, (3) अभिरक्षक, 9.75 रु० (भूमि के ऊपर
(4) चौकीदार, (5) क्लीनर, (6) कार्य करने के लिए)
ड्रेसर, (7) श्रमिक, (8) सवाई करने 11.75 रु० (भूमि के नीचे
वालों, (9) मजदूर (पुरुष/महिला), (10) कार्य करने के लिए)
संवेतवाहक, (11) रूम रटेकर, (12) आपित
धाम, (13) चपरासी, (14) फिकर,
(पुरुष/महिला), (15) साट्टर, (16)
साइकल (पुरुष/महिला), (17) ड्रेपर,
(18) ट्राली मैन, (19) ट्राली ड्रिपर, (20)
वाटर कैरियर, (21) अन्य प्रवर्ग कोई चाहे
उसका कोई भी नाम हो, जो अकुशल है।

अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :

- (1) बैकमैन, (2) ड्रेक्समैन, (3) केश गार्ड, 12.25 रु० (भूमि के ऊपर
(4) चेकर, (5) रसोइया, (6) छोटी कार्य करने के लिए)
(पुरुष/महिला), (7) फायर मैन, (8) फ्रीजर, 14.75 रु० (भूमि के नीचे
(9) ग्राइन्डर, (10) हथौड़ा चलाने, वाला कार्य करने के लिए)
(11) मचलगर, (बड़ई, केसर प्रवालक,
(12) जमादार, (13) खलासी,
(बुलडोजर आदि), (14) सैम्पलर भार-
साधक, (15) सैट/मास्ती (धातुपादक धातु
बिनियम, 1961 के अधीन क्षमता
प्रमाणपत्र के बिना), (16) आयलर,
(17) प्वाइंट मैन, (18) सैम्पलर, (19) स्टोर
मैन, (20) खनक, (21) अन्य प्रवर्ग चाहे
उसका कोई भी नाम हो, जो अर्द्ध कुशल/
अकुशल पर्यवेक्षी है।

(1)	(2)
कुशल:	
(1) अंगर (2) लोहार (3) विस्फोट-कर्ता (शाट फायरर) (4) बड़ई (5) चार्जमैन (6) रसायनज्ञ (7) कम्पाउण्डर (8) फ्रेव परिवारक (9) नक्शानवीक्ष (10) ड्रिजर (11) ड्राइवर (12) बिजली मिस्त्री (13) फिटर (14) फोरमैन (15) मिस्त्री (16) सकेनिक (17) मिडवाइफ (18) राज (19) मोल्डर (20) चालक (21) ओवरसियर (22) पेन्टर (23) पाइप फिटर (24) पर्यवेक्षी (25) सर्वेक्षक (26) टिन स्मिथ (27) टिम्बर मैन (28) टर्नर (29) वेल्डर (30) वायर मैन (31) वर्क सरकार (32) अन्य प्रवर्ग चाहे उनका कोई भी नाम हो, जो कुशल हैं।	15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 18.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)

लिपिकीय :

(1) रोकड़िया (2) लिपिक (3) रजिस्टर पाल (4) भंडारी (5) शिक्षक (6) टाइम कीपर (7) टंकक (8) अन्य प्रवर्ग चाहे उनका कोई भी नाम हों, जो लिपिकीय हैं।	15.00 रुपये
--	-------------

इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए स्पष्टीकरण :—

(1) न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रदायों, यदि कोई हो, का नफ़ी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

(2) मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

(3) अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को और निष्कृत व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समूचित प्रवर्ग के कर्मचारियों के लिए इस अधिसूचना द्वारा नियत दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी।

(4) (क) 'अकुशल कार्य' से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाले या कुछ भी कुशलता अथवा अनुभव अपेक्षित न करने वाली साधारण क्रियाएँ सम्मिलित हैं ;

(ख) 'अर्द्धकुशल कार्य' से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी पर्यवेक्षण के मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है ;

(ग) 'कुशल कार्य' से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षा के रूप में किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

5. जहाँ आधारी मजदूरी की विद्यमान दरें इस अधिसूचना द्वारा नियत दरों से उच्चतर हैं वहाँ ऐसी उच्चतर दरें इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ ऐसे कर्मचारों को लागू न्यूनतम मजदूरी की दरें समझी जाएंगी।

(6) मैंगनीज अयस्क के उत्खनन के लिए मैंगनीज खानों में नियोजित वे श्रमिक "खनिक" माने जाएंगे, जो अयस्क के उत्खनन, तोड़ने वर्गीकरण या ट्रेसिंग-कार्य करते हैं तथा मैंगनीज बंदूरी पर इसके अन्य आनुषंगिक कार्य भी उसी व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं।

[एस-32019/3/83-डब्ल्यू०सी०(एम० डब्ल्यू०)]
विश्वम्भर नाथ, अवर सचिव

S.O. 769(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in manganese mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 10-11 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S.O. 443(E) dated the 18th June, 1983 for information of, and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983 ;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 636(E) dated the 2nd September, 1982 the Central Government, after consulting the Advisory Board, revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in manganese mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

THE SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
(1)	(2)
Manganese Mines	
Unskilled	
(1) Ayah, (2) Butler, (3) Caretaker, (4) Chowkidar, (5) Cleaner (6) Dresser, above ground)	Rs. 9.75 (for work
(7) Labourer, (8) Loader, (9) Mazdoor (male/female), (10) Messenger, (11) Num-	Rs. 11.75 (for
bertaker, (12) Office boy, (13) Peon, (14) work below ground),	
Picker (male/female), (15) Sorter,	

(1)	(2)	Explanations for the purpose of this notification :
(16) Sweeper (male/female), (17) Trammer, (18) Trolleyman, (19) Trolley triper, (20) Water carrier, (21) Other categories by whatever name called which are unskilled.		
Semi-skilled/Unskilled supervisory		
(1) Bankman, (2) Brakesman, (3) Cash guards, (4) Checker, (5) Cook, (6) Dhobi (male/female), (7) Fireman, (8) Greaser, (9) Grinder (10) Hammerman, (11) Helper, (carpenter crusher, operator), (12) Jamadar, (13) Kbalasi (bulldozer etc.), (14) Lamp room incharge, (15) Mate/Mali (without competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961), (16) Oiler, (17) Pointsman, (18) Sampler, (19) Storeman, (20)* Miner, (21) Other categories by whatever name called which are semi-skilled/unskilled supervisory.	Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground)	
Skilled		
(1) Asayer, (2) Blacksmith, (3) Blaster (shot firer), (4) Carpenter, (5) Compounder, (6) Creche attendant, (7) Chemist, (8) Chageman, (9) Draughtsman, (10) Driller, (11) Driver, (12) Electrician, (13) Fitter, (14) Foreman, (15) Mason, (16) Mechanic, (17) Midwife, (18) Mistry, (19) Moulder, (20) Operator, (21) Overseer, (22) Painter, (23) Pipe-fitter, (24) Supervisor, (25) Surveyor (26) Tin-smith, (27) Timberman, (28) Turner, (29) Welder, (30) Wireman, (31) Work-sarkar, (32) Other categories by whatever name called which are skilled.	Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground)	
Clerical		
(1) Cashier, (2) Clerk, (3) Register-keeper, (4) Store-keeper, (5) Teacher, (6) Time-keeper, (7) Typist, (8) Other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 15.00	

Explanations for the purpose of this notification :

(1) The minimum rates of wages are all inclusive rates including the basic rates; the cost of living allowance and the cash value of the concessional supply, if any, of essential commodities and includes also the wages payable for the weekly day of rest.

(2) The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

(3) The minimum rates of wages for young persons below 18 years of age and disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent respectively of the rates fixed by this notification for adult workers of the appropriate category.

(4) (a) "Unskilled" work means work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) "Semi-skilled" work means work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;

(c) "Skilled work" means work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement:

(5) Where the prevailing rates of wages of any employee is higher than the rates notified herein, the higher wages shall be treated as the minimum rates of wages applicable for the purpose of this notification to such employees.

(6)* Workers engaged in manganese mines for extraction of manganese ores which they do by excavating, breaking, sorting of dressing of ores and other work incidental thereto performed by the same person at manganese bed/reef shall be regarded as 'minor'.

[S-32019/3/83-WC(MW)]

BISHAMBHAR NATH, Under Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 469]
No. 469]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 19, 1983/आश्विन 27, 1905
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 19, 1983/ASVINA 27, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(वस्त्र विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 1983

क्रा०आ० 744(अ) :—केन्द्रीय सरकार, कपड़ा उपक्रम (प्रबंध ग्रहण)
अध्यादेश, 1983 (1983 का 10) की धारा 4 की उपधारा (1)
द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड,
न्यूरफिरण बिल्डिंग, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली को, नीचे की सारणी
में विनिर्दिष्ट प्रत्येक कपड़ा उपक्रम का अभिरक्षक नियुक्त करती है :—

सारणी

क्रम सं०	उपक्रम का नाम
(1)	(2)
1.	एलफिस्टन स्पनिंग एंड वीविंग मिल्स
2.	फिनले मिल्स
3.	गोल्ड मोहर मिल्स

(1)

(2)

4. आम मैनुफैक्चरिंग मिल्स
5. कोहिनूर मिल्स (नं० 1)
6. कोहिनूर मिल्स (नं० 2)
7. कोहिनूर मिल्स (नं० 3)
8. म्यू सिटी आफ बाम्बे मैनुफैक्चरिंग मिल्स
9. पोद्दार मिल्स
10. पोद्दार मिल्स (प्रोसेस हाउस)
11. श्री मधुसूदन मिल्स
12. श्री सीताराम मिल्स
13. टाटा मिल्स

[क्रा० सं० 7/1/83-सीपी]

प्रभात कुमार, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 470]
No. 470]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 19, 1983/अश्विन 27, 1905
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 19, 1983/ASVINA 27, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

राजिष्य मंत्रालय

(वस्त्र विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 1983

का० आ० 745(अ).—केन्द्रीय सरकार, कपड़ा उपक्रम (प्रबंध ग्रहण)
अध्यादेश, 1983 (1983 का 10) की धारा 4 की उपधारा (1)
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अध्यादेश की धारा 4
की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अभिरक्षक को,
राष्ट्रीय वस्त्र निगम, सूर्य किरण बिल्डिंग, नई दिल्ली को किमा समयनुगो
की नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक कपड़ा उपक्रम
का अपर अभिरक्षक नियुक्त करने के लिए, प्राधिकृत करता है :—

सारणी

क्रम सं० उपक्रम का नाम

1. एलीस्टन स्पनिंग एंड वॉविंग मिल्स
2. फिनले मिल्स
3. गोल्ड मोहर मिल्स
4. ग्राम मैन्युफैक्चरिंग मिल्स
5. कोहिनूर मिल्स (नं० 1)
6. कोहिनूर मिल्स (नं० 2)
7. कोहिनूर मिल्स (नं० 3)
8. न्यू सिटी आफ बाम्बे मैन्युफैक्चरिंग मिल्स
9. पोंडार मिल्स
10. पोंडार मिल्स (प्रोसेस हाउस)
11. श्री मधुसूदन मिल्स
12. श्री सीताराम मिल्स
13. टाटा मिल्स

[का० सं० 7/1/83/सीपी]

प्रधान कुमार, संयुक्त सचिव

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 471] नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 24, 1983/कार्तिक 2, 1905
No. 471] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 24, 1983/KARTIKA 2, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असर संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

मृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 1983

का. आ. 770 (अ) :—आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अभिकरण आदेश, 1975 [जी एम आर 285(इ), तारीख 19 मई, 1976] के पैरा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश, न्याय-मूर्ति श्री पी. एन. बक्शी को न्यायमूर्ति श्री एस. पी. सिन्हा के त्यागपत्र के कारण हुए रिक्त पद पर आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अभिकरण, हैदराबाद के अध्यक्ष के रूप में उस तारीख से नियुक्त करते हैं जिस तारीख से वे अपने पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे।

[एम. 21013/9/81-एस आर]

हर्षवर्दन गोस्वामी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 1983

S.O. 770(E).—In exercise of the powers conferred by paragraph 3 of the Andhra Pradesh Administrative Tribunal Order, 1975 [GSR 285(E), dated the 19th May 1975], the President is pleased to appoint Shri Justice P. N. Bakshi, a sitting Judge of the Allahabad High Court as the Chairman of the Andhra Pradesh Administrative Tribunal, Hyderabad with effect from the date he takes over charge of office, in the vacancy caused by the resignation of Shri Justice S. P. Sinha.

[S. 21013/9181-SR]

H. V. GOSWAMI, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 472]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 25, 1983/कार्तिक 3, 1905

No. 472]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 25, 1983/KARTIKA 3, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह असंग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

अनुसूची

(आर्थिक कार्य विभाग)

(स्टाक एक्सचेंज प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 1983

का० आ० 771(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार को मद्रास
स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड मद्रास की परिषद् की ओर से इस
आशय का एक लिखित अनुरोध प्राप्त हुआ है, कि उसके
द्वारा बनाई गई उप-विधियों में संशोधन कर दिया जाए।

अतः अब प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम,
1956 (1956 का 42) की धारा 10 की उप-धारा (i)
के द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार
एतद्वारा मद्रास स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड मद्रास की परिषद्
की उप-विधियों में, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट
संशोधन करती है और उस धारा की उपधारा (4) के
परन्तुक के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार व्यापार के हित में
तथा विनिर्दिष्ट शेयरों के संबंध में किए गए संविदाओं के
अविलम्ब अनुपालन के लिए संविदा देने के निमित्त,
एतद्वारा, उप-विधियों में उक्त संशोधनों के पूर्व प्रकाशन
की प्रतीति से भी अभिमुक्ति प्रदान करती है।

मद्रास स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड मद्रास की परिषद् की
उप-विधियों में :—

(1) उप-विधि 48 में, वर्तमान खण्ड (ii) के अन्त में
निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :—

“किन्तु यह व्यवस्था भी की गई है कि ऐसे शेयरों
के मामले में जिनको परिषद् द्वारा “विनिर्दिष्ट शेयर”
अभिहित किया गया है, सुपुर्दगी तथा अदायगी की
अवधियां शासी बोर्ड द्वारा प्रत्येक मामले में 14 दिन
और आगे तक इस तरह से बढ़ाई तथा स्थगित की
जा सकेंगी कि कुल मिला कर वह अवधि संविदा की
तारीख से 90 दिन से ज्यादा की न हो जाए।”

(2) उप-विधि “52” के बाद, एक नई उप-विधि
“52क” जोड़ दी जाएगी—

“विनिर्दिष्ट शेयरों में सौदे”

52क. जब तक परिषद् द्वारा अत्यथा निर्धारित न किया
जाए “विनिर्दिष्ट शेयरों” में निम्नलिखित रीति से सौदे पूरे
किए जाएंगे।

(क) समस्त सौदों का निपटान हर 14 दिनों के बाद, जिसे इसमें इसके पश्चात् “निपटान अवधि” कहा गया है सुपुर्दगी तथा अदायगी के द्वारा अथवा उस रीति से किया जाएगा जिस का निर्धारण परिपद् द्वारा उपर्युक्त रीति के अतिरिक्त अथवा उस में संशोधन करते हुए किया जाए।

(ख) परिपद् प्रत्येक निपटान अवधि के संबंध में अग्रिम आधार पर प्रथम तथा अन्तिम व्यापार दिवस निश्चित करेगी।

(ग) सौदे हाजिर सुपुर्दगी अथवा दस्ती सुपुर्दगी अथवा विशेष सुपुर्दगी अथवा व्यवस्थापन के लिए किए जा सकेंगे किन्तु सौदा करते समय जब तक अन्यथा अनुबन्धित न किया जाए तब तक समस्त सौदों को तत्सामयिक व्यवस्थापन के लिए किए सौदे माना जाएगा।

(घ) निर्धारित व्यापारिक एकक अथवा उसके गुणितों से भिन्न एककों के सौदों का उप-विधि 48(ii) में यथा परिभाषित व्यवस्था के अनुसार दस्ती सुपुर्दगी के सौदों के रूप में माना जाएगा।

(ङ) जो सौदे चालू तथा अनुवर्ती निपटान अवधियों के आगे तक की अवधियों के लिए किए गए होंगे वे शून्य सौदे माने जाएंगे।

(च) एक निपटान अवधि से दूसरी निपटान अवधि में अग्रेणीत सौदे कार्यकारी निदेशक द्वारा अथवा उसकी अनुपस्थिति में सचिव द्वारा किसी भी प्रतिभूति के लिए निश्चित किए गए पूरक मूल्य पर किए गए सौदे माने जाएंगे।

(छ) निपटान अवधि के दौरान किए गए सौदों को क्रय अथवा विक्रय के द्वारा बन्धित किया जा सकेगा अथवा अगली निपटान अवधि में आगे तक ले जाया जा सकेगा। अन्य समस्त सौदे जो बकाया रहें उनको इस प्रयोजन के लिए निश्चित दिनों पर सुपुर्दगी तथा अदायगी द्वारा पूरा करना आवश्यक होगा।

(ज) इन उप-विधियों और विनियमों के समस्त उपबन्ध जो इस समय समाशोधित प्रतिभूतियों के सौदों के निपटारे पर लागू हैं और जो उपर्युक्त व्यवस्था के विरुद्ध नहीं हैं वे “विनिर्दिष्ट शेयरों” में सम्पन्न सौदों के निपटारे की व्यवस्था पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।”

(3) उप-विधि 72 के खण्ड (ग) के बाद एक नया खण्ड (घ) जोड़ दिए जाएंगे, अर्थात् :—

“(घ) यदि परिपद् की राय में किसी प्रतिभूति में उपर्युक्त विनिर्दिष्ट क्रिम की कोई आपात स्थिति उत्पन्न हो गई हो, तो वह एक विशेष संकल्प के द्वारा विक्रेता द्वारा क्रेता को दिए जाने वाले विलम्ब छूट प्रभारों का विनियमन कर सकेगी।”

(4) उप-विधि 343 के खण्ड (1) में “एक्सचेंज का (आफ दी एक्सचेंज)” शब्दों के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़ दिए जाएंगे, अर्थात् :—

“अथवा जिसमें दावेदार ने या तो स्वयं अदायगी न की हो, या किसी भी प्रतिभूति में सम्पन्न सौदों के संबंध में देय मार्जिन के अपवर्जन के मामले में व्यक्तिगत रूप से तालमेल जोड़ लिया हो।”

[एफ० संख्या 2/7/एस० ई०/83]

नीतीश सेनगुप्त, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Stock Exchange Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 1983

S.O. 771(E).—Whereas the Central Government has received a request in writing from the Council of the Madras Stock Exchange Limited, Madras that the bye-laws made by it may be amended.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby makes the amendments to the bye-laws of the Madras Stock Exchange Limited, Madras, specified in the Schedule below, and in pursuance of the proviso to sub-section (4) of that section the Central Government, in the interest of the trade, and to facilitate performance of contracts in respect of specified shares without delay hereby dispenses with the condition of previous publication of the said amendments to the bye-laws.

SCHEDULE

In the bye-laws of the Madras Stock Exchange Limited, Madras,—

(1) in Bye-law 48, at the end of the existing clause (ii) the following proviso shall be added, namely :—

“Provided however that in the case of such shares as may be designated by the Council as “specified shares”, delivery and payment may be extended or postponed by the Council by further periods of 14 days each, so that the overall period does not exceed 90 days from the date of the contract.”

- (2) after Bye-law 52, a new bye-law 52A shall be added, namely :—

“Bargains in specified share”.

52A. Unless otherwise determined by the Council, bargains in “specified shares” will be performed in the following manner :

- (a) All bargains shall be settled every fourteen days hereinafter called a “Settlement Period” by delivery and payment or as the Council may from time to time prescribe in addition thereto or in modification thereof.
- (b) The Council shall fix in advance the first and last business day for each settlement period.
- (c) The bargains may be for spot delivery or for hand delivery or for special delivery or for the settlement but unless otherwise stipulated when entering into the bargain, all bargains shall be deemed to be for the current settlement.
- (d) Bargains in other than the prescribed trading unit or multiples thereof shall be deemed to be for hand delivery as defined in Bye-law 48 (ii).
- (e) Bargains made for a period beyond the current and ensuing Settlement periods shall be void.
- (f) Bargains carried over from one settlement to another shall be at the making-up price fixed for any security by the Execu-

tive director or in his absence by the Secretary.

- (g) Bargains entered into during the settlement period may be closed by purchase or sale or carried over to the next settlement period. All other bargains which remain outstanding must be performed by delivery and payment on the days fixed for the purpose.
 - (h) All the provisions in these bye-laws and regulations which are at present applicable to the settlement of bargains in cleared securities and which are not in conflict with the above will apply mutatis mutandis to the settlement of bargains in “specified shares”.
- (3) after clause (c) of Bye-law 72, a new clause (d) shall be added, namely :—
- “(d) If in the opinion of the Council an emergency of the type referred to above has arisen in any security it may by a special resolution regulate the backwardation charges payable to the buyer by the seller”.
- (4) in clause (i) of Bye-law 343, after the words “of the Exchange”, the following words, shall be added, namely :—
- “or in which the claimant has either not paid himself or colluded with the defaulter in the evasion of margin payable on bargains in any security”.

[File No. F. 2/7/SE/83]
N. K. SENGUPTA, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 473]
No. 473]नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 25, 1983/कार्तिक 3, 1905
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 25, 1983/KARTIKA 3, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 1983

कां.आं. 772(अ)/18कक/उं.विं.विं.अं/83 :—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. कां.आं. 112 (अ)/18कक/आई.डी.आर.ए.ए. 79, तारीख 26 फरवरी, 1979 (जिसे इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा मेसर्स बेंटफोर्ड इलेक्ट्रिक (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता के नाम से जाल औद्योगिक उप-क्रम का प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-क की उप-धारा (i) के खण्ड (क) के अधीन छह महीने की अवधि के लिए अर्थात् 25 अगस्त, 1979 (जिसमें यह दिन भी शामिल है) तक ग्रहण किया या और एन्जुयुअल् एण्ड कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. कां.आं. 476(अ)/18कक/उं.विं.विं.अं/79, तारीख 22 अगस्त, 1979, सं. कां.आं. 637(अ)/18कक/उं.विं.विं.अं/80, तारीख 23 अगस्त, 1980, सं. कां.आं. 126(अ)/18कक/उं.विं.विं.अं/81, तारीख 23 फरवरी, 1981, सं. कां.आं. 98(अ)/18कक/उं.विं.विं.अं/82, तारीख 25 फरवरी, 1982, सं. कां.आं. 611(अ)/18कक/उं.विं.विं.अं/82, तारीख 23 अगस्त, 1982, सं. कां.आं. 143

937 GI/83

(अ)/18कक/उं.विं.विं.अं/83, तारीख 24 फरवरी, 1983 तथा सं. कां.आं. 611(अ)/18कक/उं.विं.विं.अं/83, तारीख 24 अगस्त, 1983 द्वारा उक्त आदेश की अवधि तारीख 25 अक्टूबर, 1983 (जिसमें यह दिन भी शामिल है) तक बढ़ा दी गई गई थी;

और भारत सरकार की राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम को एक महीना की और अवधि के लिए एन्जु-यूअल् एण्ड कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्धन के अधीन बने रहना चाहिए;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 18-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रबन्ध शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है कि उक्त आदेश एक महीना की और अवधि के लिए अर्थात् तारीख 25 नवम्बर, 1983 तक (जिसमें यह दिन भी शामिल है) प्रभावी बना रहेगा।

[कां.सं. 5(14)/78-सी.यू.एम.]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 25th October, 1983

S.O. 772(E)/18AA/IDRA/83.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 112(E)/18AA/IDRA/79, dated the 26th February, 1979 (hereinafter referred to

as the said Order), the management of the industrial undertaking known as Messrs Brentford Electric (India) Limited, Calcutta, was taken over under clause (a) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of six months upto and inclusive of 25th August, 1979 and Andrew Yule and Company Limited, Calcutta, was authorised to take over the management of the said industrial undertaking ;

And, whereas, by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 476(E)|18AA|IDRA|79, dated the 22nd August, 1979, No. S.O. 637(E)|18AA|IDRA|80, dated the 23rd August, 1980, No. S.O. 126(E)|18AA|IDRA|81, dated the 23rd February, 1981, No. S.O. 98(E)|18AA|IDRA|82, dated the 25th February, 1982, No. S.O. 611(E)|18AA|IDRA|82, dated the 23rd August, 1982, No. S.O. 143(E)|18AA|IDRA|83, dated the 24th February, 1983, and No. S.O. 611(E)|18AA|IDRA|83, dated 24th August, 1983 ; the duration of the said Order was extended for a further period upto and inclusive of the 25th October, 1983

And, whereas, the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the Andrew Yule and Company Limited, Calcutta, for a further period of one month ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the said Act, the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of one month upto and inclusive of the 25th November, 1983.

[File No. 5(14)|78-CUS].

आदेश

का० आ० 773(अ)/18 एफ०बी०/आई०डी०आर०ए०/83 :—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 124(अ)/18-एफ०बी०/आई०डी०आर०ए०/79, तारीख 5 मार्च, 1979 तथा सं० का०आ० 130(अ)/18-एफ०बी०/आई०डी०आर०ए०/79, तारीख 9 मार्च, 1979 (जिन्हें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-चख की उपधारा (i) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा की थी कि उक्त आदेशों के जारी होने की तारीखों के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसे सभी संविदाओं, संरिक्त के हस्ताक्षर पत्रों, करारों, व्यवस्थाओं, पंचादों, स्थाई आदेशों या अन्य लिखितों जिनका मैनर्स ब्रेन्टफोर्ड इलेक्ट्रिक (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम पर लागू हो सकते हों को प्रवृत्त 25 अगस्त, 1979, तक की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से

पूर्व उनके अंगीन प्रीक्षित या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विवेकाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व 25 अगस्त, 1979 तक (जिसमें यह दिन भी शामिल है) की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा।

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 477(अ)/18एफ०बी०/आई०डी०आर०ए०/79, तारीख 22 अगस्त, 1979, सं० का०आ० 638(अ)/18 एफ०बी०/आई०डी०आर०ए०/80, तारीख 22 अगस्त, 1980, सं०का०आ० 127(अ)/18 एफ०बी०/आई०डी०आर०ए०/81, तारीख 23 फरवरी, 1981, सं० का० आ० 99 (अ)/18 एफ०बी०/आई०डी०आर०ए०/82, तारीख 25 फरवरी, 1982, सं० का०आ० 612(अ)/18 एफ०बी०/आई०डी०आर०ए०/82, तारीख 23 अगस्त, 1982, सं०का०आ० 144(अ)/18 एफ०बी०/आई०डी०आर०ए०/83, तारीख 24 फरवरी, 1983 तथा सं० का०आ० 612(अ)/18 एफ०बी०/आई०डी०आर०ए०/83, तारीख 24 अक्टूबर, 1983, द्वारा उक्त आदेश की अवधि 25 अक्टूबर, 1983 (जिसमें यह दिन भी शामिल है) तक बढ़ा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार इस बारे में सतुष्ट हो गई है कि उक्त आदेशों की अवधि एक महीना के लिए अर्थात् 25 नवम्बर, 1983 (जिसमें यह दिन भी शामिल है) और बढ़ा दी जानी चाहिए;)

अतः अब उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त आदेशों की अवधि 25 नवम्बर, 1983, तक (जिसमें यह दिन भी शामिल है) और बढ़ाती है।

[का०सं० 5(14)/78-सी०यू०एस०]
ए०पी० सरवन, संयुक्त सचिव

ORDER

S.O. 773(E)|18FB|IDRA|83.—Whereas by two Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 124(E)|18FB|IDRA|79, dated the 5th March, 1979 and No. S.O. 130(E)|18FB|IDRA|79, dated the 9th March 1979 (hereinafter referred to as the said Orders), the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), had declared that the operations of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments, in force immediately before the dates of the issue of said Orders, to which the industrial undertaking known as Messrs Brentford Electric (India) Limited, Calcutta, was a party or which might be applicable to the said industrial undertaking, should remain suspended for a period upto the 25th August, 1979 and that all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date should remain suspended for a period upto and inclusive of the 25th August, 1979 ;

And whereas, by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 477(E)|18FB|IDRA|79, dated 22nd August, 1979, No. S.O. 638(E)|18FB|IDRA|80, dated 23rd August, 1980, No. S.O. 127(E)|18FB|IDRA|81, dated the 23rd February, 1981, S.O. 99(E)|18FB|IDRA|82, dated the 25th February, 1982, No. S.O. 612(E)|18FB|IDRA|82, dated the 23rd August, 1982, No. S.O. 144(E)|18FB|IDRA|83, dated the 24th February, 1983, and No. S.O. 612(E)|18FB|IDRA|83, dated the 24th August, 1983, the duration of the said Orders was extended for a further period upto and inclusive of the 25th October, 1983 :

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Orders should be extended for a further period of one month upto and inclusive of the 25th November, 1983 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Orders upto and inclusive of the 25th November, 1983.

[F. No. 5(14)|78-CUS].
A. P. SARWAN, Jt. Secy.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 474] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 25, 1983/कार्तिक 3, 1905
No. 474] NEW DELHI. TUESDAY, OCTOBER 25, 1983/KARTIKA 3, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

आदेश सं. : 32/83.

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 1983

मि. सं. 1/2/आरईपी/74-ईपीसी(वा.-10).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण)
अभिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते

हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा खुले सामान्य लाइसेंस आदेश सं. 17/83, दिनांक 15 अप्रैल, 1983 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

कांडिका-1 में वर्तमान विवरण “और (7) फालतू पुर्जो” को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“(7) मेट्रीनियल हैंडलिंग उपस्कर जैसे फार्क लिफ्टूरा, ओवर हेड क्रैन्स और भवन निर्माण संबंधी सामान और (8) फालतू पुर्जो ।”

प्रकाश चंद जैन, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE
IMPORT TRADE CONTROL

ORDER NO. 32/83

New Delhi, the 25th October, 1983

F. No. 1/2/REP/74-EPC (Vol. X).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following amendment to OGL Order No. 17/83 dated the 15th April, 1983 :—

For the existing description “and (vii) spares” in para 1, the following shall be substituted :—

“(vii) material handling equipment such as fork lifts, overhead cranes, and building construction materials, and (viii) spares”.

P. C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 475]
No. 475]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 26, 1983/कार्तिक 4, 1905
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 26, 1983/KARTIKA 4, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 1983

क्र०अ० 775(अ):— पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पूर्वी क्षेत्र) जो माघारण तथा पी० एफ० ए० के नाग में जाती आती है, पीपुल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी आफ कांगलीपाक (जिसे इसमें इसके पश्चात् त्रिपाक कहा गया है) और उसकी "रेड आर्मी" और साथ ही त्रिपाक की शाखाएँ जैसे कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (के० सी० पी०) और उसके मण्डल विंग ने जा "रेड आर्मी" कहा जाता है (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीपी एक्सट्रीमिस्ट आर्गेनाइजेशन कहा गया है)।—

(i) एक स्वतंत्र मणिपुर बनाने के, जिसमें मणिपुर राज्य समाविष्ट होगा, अपने उद्देश्य की खुले तौर पर घोषणा की है और भारत में वे उक्त राज्य को विलय करने के अपने उद्देश्य के अनुसरण में हिंसात्मक क्रियाकलापों या महाराज विधा है और इस आशय के इशारे भी निकाले हैं कि वे भारतीय साम्राज्यिक बलों के विरुद्ध जब तक लड़ते रहेंगे जब तक उनके उद्देश्य प्राप्त नहीं हो जाते हैं।

(ii) मशहूर बंगी जर्मन तथा कथित पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, रेड आर्मी और उनके द्वारा बनाए गए अन्य निकायों को अपने पूर्वोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियोजित किया

(iii) अपने पूर्वोक्त उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए मणिपुर राज्य में सुरक्षा बलों और सिविल सरकार तथा नागरिकों पर हमला करने के लिए उक्त मण्डल बलों को नियोजित किया है तथा वे नागरिकों के विरुद्ध लूट के और उनको अभिन्न करने के और साथ ही अपने संगठनों के लिए निधियों का संग्रहण करने के कार्यों में लगे हुए हैं।

(iv) अपने पूर्वोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयुधों और प्रशिक्षण के रूप में सहायता प्राप्त करने के लिए विदेशों में संपर्क स्थापित करने के कुछ प्रयास किए हैं।

और, केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि पूर्वोक्त कारणों से सीपी एक्सट्रीमिस्ट आर्गेनाइजेशन और उनके द्वारा बनाए गए अन्य निकाय, जिनके अंतर्गत उपरोक्त मण्डल गुप्त है, विधि विरुद्ध संगठन हैं।

और, केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि पुलिस बलों पर और नागरिकों पर पूर्वोक्त सीपी एक्सट्रीमिस्ट आर्गेनाइजेशन के मण्डल गुप्तों द्वारा हिंसात्मक कार्यों और आक्रमणों की पुनरावृत्ति के कारण, सीपी एक्सट्रीमिस्ट आर्गेनाइजेशन और उनके द्वारा बनाए गए अन्य निकायों को, जिनके अंतर्गत तथाकथित पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और रेड आर्मी हैं, तुरन्त प्रभाव से विधिविरुद्ध घोषित करना आवश्यक है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पूर्वी क्षेत्र),

पीपुल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी आफ कांगलीपाक और उसकी रेड आर्मी को और साथ ही त्रिपाक की शाखाओं जैसे कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी और उसके सशस्त्र विंग जो रेड आर्मी कहलाता है और उनके द्वारा बनाए गए अन्य निकायों को विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है और, उस धारा की उपधारा (3) के परस्पर द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किए जाने वाले किसी आदेश के अधीन रहने हुए, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा० सं० 11/13/83-एन० ई०-1]

प्रा० प्रा० नय्यर, विशेष गन्ध

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 1983

S.O. 775(E).—Whereas the People's Liberation Army (Eastern Region) generally known as the PLA, the People's Revolutionary Party of Kangleipak (hereinafter referred to as PREPAK) and its Red Army as also the offshoots of PREPAK like the Kangleipak Communist Party (K.C.P.) and its armed wing also called the 'Red Army' (hereinafter referred to as the Meitei Extremist Organisation)—

- (i) have openly declared as their objective the formation of an independent Manipur comprising the State of Manipur and have resorted to violent activities in pursuance of their objective to bring about secession of the said State from the Union of India and have also brought out leaflets that they will go on fighting against the Indian Imperialist Forces until their objectives are attained;
- (ii) have been employing armed forces, namely, the so-called People's Liberation Army, the Red Army and

the other bodies set up by them, to achieve their aforesaid objective;

- (iii) have in furtherance of their aforesaid objective been employing the said armed forces in attacking the Security Forces and the Civil Government and the citizens in the State of Manipur, and indulging in acts of looting and intimidation against the civilian population and collection of funds for their organisations;
- (iv) have, to achieve their aforesaid objective, made some efforts to resume their contacts with foreign countries for securing assistance by way of arms and training.

And whereas the Central Government is of the opinion that for the reasons aforesaid, the Meitei Extremist Organisations and other bodies set up by them, including the armed groups named above, are unlawful associations;

And whereas the Central Government is further of the opinion that because of the repeated acts of violence and attacks by armed groups of the aforesaid Meitei Extremist Organisations on the police forces and on the civilian population, it is necessary to declare the Meitei Extremist Organisations and the other bodies set up by them, including the so-called People's Liberation Army and the Red Army, to be unlawful with immediate effect;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the People's Liberation Army (Eastern Region), People's Revolutionary Party of Kangleipak, and its Red Army, as also offshoots of PREPAK like the Kangleipak Communist Party and its armed wing also called the Red Army and other bodies set up by them to be unlawful associations, and directs, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of that section, that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[File No. 11/13/83-NF-I]

P. P. NAYYAR, Spl. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 476]
No. 476]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 26, 1983/कार्तिक 4, 1905
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 26, 1983/KARTIKA 4, 1905

इस भाग में भिन्न-भिन्न संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय

(श्रम विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 1983

का० आ० 776(अ).—केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 9 के साथ पठित धारा 8 और न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड) नियम, 1949 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 649(अ) तारीख 13 अगस्त, 1981, जिसमें संख्या का० आ० 342(अ) तारीख 20 मई, 1982 द्वारा संशोधन किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में निजीजनों के प्रतिनिधियों से संबंधित मद (ii) में, क्रमांक 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

कुमारी अम्बारी गौड,
उप सचिव (स्थापना संकर्मों)
निर्माण और आवास मंत्रालय,
नई दिल्ली।

[संख्या एस० 32023/16/83-उपलब्ध० सी०/एम० उल्लेख०]

MINISTRY OF LABOUR AND
REHABILITATION

(Department of Labour)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 26th October, 1983

S.O. 776(E).—In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), read with Section 9 of the said Act and rule 3 of the Minimum Wages (Central Advisory Board) Rules, 1949, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 649(E) dated the 13th August, 1981 and modified vide S.O. No. 342(E) dated the 20th May, 1982 namely :—

In the said notification in Item (ii) relating to the Employers' representatives for serial number 11 and entries relating thereto, the following shall be substituted namely :—

Kumari Sharwaree Gokhale, Deputy Secretary (Establishment Works) Ministry of Works and Housing, New Delhi.

[No. S-32023/16/83-WC(MW)]

का० आ० 777(अ).—केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 9 के साथ पठित धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 393(अ) तारीख 28 मई, 1981, जिसमें संख्या का० आ० 124(अ) तारीख 5 मार्च, 1982 तथा संख्या का० आ० 325(अ) तारीख 17 मई, 1982 द्वारा संशोधन किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में “नियोजक प्रतिनिधियों” से संबंधित मद्र (2) में, प्रविष्टि 2 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

कुमारी शरवरी गोखले,
उप सचिव (स्थापना संकर्मों)
निर्माण और आवास मंत्रालय,
नई दिल्ली।

[सं० एम० 32023/16/83-इस्ट्यू० सी० (एम० इस्ट्यू०)]

बिशम्भर नाथ, अवर सचिव

S.O. 777(E).—In exercise of the powers conferred by Section 7 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 393(E) dated the 28th May, 1981 and modified vide S.O. No. 124(E) dated the 5th March, 1982 and S.O. No. 325(E) dated the 17th May, 1982, namely :—

In the said notification in item II relating to “Representatives of employers” for entry 2. the following shall be substituted namely :—

Kumari Sharwaree Gokhale, Deputy Secretary (Establishment Works) Ministry of Works & Housing, New Delhi.

[No. S. 32023/16/83-WC(MW)]

BISHAMBHAR NATH, Under Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 477]
No. 477]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 27, 1983/कार्तिक 5, 1905
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 27, 1983/KARTIKA 5, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

अम और पूर्वावस मंत्रालय

(अम विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 27 अक्टूबर, 1983

का० आ० 778(अ),- केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि आशंकित खतरे को रोकने के लिए और ऐसी परिस्थितियों के शोध उपचार के लिए, जिनसे खतरा होने की संभावना है, खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 57 के अधीन विनियमों को बनाए जाने में उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (i), (2) और (4) के अधीन पूर्व प्रकाशन और खनन बोर्डों को निर्देश करने में होने वाले विलम्ब से बचना आवश्यक है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 60 के साथ पठित धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय 1 प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना:- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम तेल खान विनियम, 1983 है।

(2) इनका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) ये प्रत्येक तेल खान को लागू होंगे।

(4) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:- इन विनियमों में, जब तक कि विषय संदर्भ में कोई बात विरोध न हो :-

(1) "अधिनियम" से खान अधिनियम, 1952 अभिप्रेत है;

(2) "अमलन" से अभिप्रेत है अमलन के साथ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तेलघर सूना पत्थर या अन्य शैलसमूह का उत्पादन बढ़ाने के लिए विवेचन;

(3) "बलयाकार स्थान" से कूप में लटकी हुई पार्श्व के आसपास का स्थान अभिप्रेत है। बलयाकार स्थान की बाहरी दीवार एवं विस्तृत कूप हो सकेगी या वह एक स्थिर बृहत पार्श्व हो सकेगी;

(4) "अनुमोदित" से मुख्य निरीक्षक द्वारा लिखित में साधारण या विशेष आदेश द्वारा अनुमोदित अभिप्रेत है और वह ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए है जो वह निदिष्ट करें।

(5) "पूतिकर टोंग" से अभिप्रेत है हेरिक में लटका हुआ ड्रिल पाइप टोंग जिसका उपयोग ड्रिल पाइप के किसी सेक्शन को पकड़ने के लिए उस समय किया जाता है जब अन्य सेक्शन को दूसरे टोंग या उपयोग करके उससे खोला जाता है;

(6) "स्त्राव" से अभिप्रेत है द्रव या गैस को किसी घाव से होकर साधारणतः धीरे-धीरे निकालना; स्त्राव होने से अभिप्रेत है किसी कूप या दावीकृत उपस्कर के दाब की नियंत्रित नियुक्ति;

- (7) "विफल विस्फोट" से अभिप्रेत है किसी कूप में से गैस और तेल का आकस्मिक प्रवाह निवास;
- (8) "विफल विस्फोट निरोधक" से ऐसी कोई युक्ति अभिप्रेत है, जो यदि किफ या विफल विस्फोट उत्पन्न हो तो ड्रिल पाइप और केसिंग के बीच के दबावकार स्थान से तरल पदार्थों के दाब का नियंत्रण करने या उनके निकास को रोकने या यदि छिद्र में कोई ड्रिल पाइप न हो तो छिद्र को बंद करने के लिए केसिंग के ठीक ऊपर संलग्न होती है;
- (9) "केसिंग" से वेधन कार्य के समय किसी तेल या गैस कूप में लगाई गई इस्पात की पाइप अभिप्रेत है। केसिंग का कार्य है वेधन कार्य के दौरान छिद्र को दीवाल को घंसने से रोकना और यदि कूप उत्पादनकारी है तो तेल निकालने के लिए साधन व्यवस्था करना;
- (10) "सेलर" से अभिप्रेत है कूप बोर के शीर्ष पर उपस्कर की मदों के लिए स्थान की व्यवस्थाएं करने के लिए डेरिक के नीचे का उत्खनन। यह जेटिंग द्वारा पर्यर्ती निपटान के लिए फ्लोर के नीचे जल-निकास और और अन्य तरल पदार्थ को इकट्ठा करने के लिए एक गर्म के रूप में भी काम करता है।
- (11) "सीमेंटिंग" से अभिप्रेत है वह संक्रिया जिसके द्वारा सीमेंट गारे को केसिंग में से इस प्रकार नीचे की ओर धकेला जाता है और उसे निचले छोर पर बाहर निकाला जाता है कि वह कूप के तल के ऊपर पूर्ण निश्चित ऊंचाई तक केसिंग और कूप-बोर के पार्श्व के बीच के स्थान को भर देता है। यह केसिंग को ठीक स्थान पर सजुद्ध करने और कूपबोर से जल और अन्य तरल पदार्थों को अपवर्जित करने के प्रयोजन के लिए है।
- (12) "क्रिसमस-टी" से अभिप्रेत है तरल पदार्थ के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किसी कूप के शीर्ष पर संयोजित वाल्व और फिटिंगें;
- (13) "सक्षम व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसी कार्यकरण दशाओं के, जो काम करने वाले व्यक्तियों के लिए (पूर्वानुमेय) जोखिमों को अस्वच्छ, जोखिमवाली या खतरनाक हैं, आसपास विद्यमान अरु पहचानने में सक्षम है और जिसे उन्हें दूर करने के लिए तुरन्त सुधार संबंधी उपाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
- (14) "सम्पूरित कूप" से ऐसा कूप अभिप्रेत है जिसमें उत्पादनकारी शेल्स-समूह कूप बोर के लिए खुला है और कूप में और कूप शीर्ष पर संयोजित उपस्कर है जिससे कि यह भौतिक रूप से तेल और गैस का उत्पादन करने में समर्थ हो।
- (15) "क्राउन ब्लॉक" से डेरिक या वंड के शीर्ष पर लगा हुआ ऐसा बहुबद्धदार संयोजन अभिप्रेत है जिसका उपयोग ब्लॉक के साथ ड्रिल स्ट्रिंग, केसिंग, नलिका, छड़ों और अन्य औजारों को ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है;
- (16) "डेरिक" से ऐसी मिश्रित जालक संरचना अभिप्रेत है जिसका उपयोग बोर छिद्र के ऊपर करने या कूप की सफाई करने के प्रयोजनों के लिए किया जाता है;
- (17) किसी खान के संबंध में "जिला मजिस्ट्रेट" से यथास्थिति, वह जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त अभिप्रेत है, जिसमें उस राजस्व जिले में, जिसमें खान स्थित है, विधि और व्यवस्था बनाए रखने की कार्यपालक शक्ति निहित है;
- परन्तु उस खान की दशा में जो अंशतः एक जिले में और अंशतः दूसरे जिले में स्थित है, इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए जिना मजिस्ट्रेट वह जिना मजिस्ट्रेट होगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो;
- (18) "कर्षण संकर्म" से अभिप्रेत है ग्रीफ्टों, बकवर्तों, बेलों, पुलियों, पट्टों, कलशों, कटहड़ों और/या अन्य यांत्रिक युक्तियों का संयोजन, जिसमें किसी कूप का वेधन करने या उत्पादनकारी कूप की सफाई करने के लिए पर्याप्त उपस्कर को उठाने, प्रचालित करने और संचालित करने के लिए नियंत्रण उपयुक्त रूप से लगाए गए हैं और उनकी व्यवस्था की गई है। कर्षण संकर्म या तो अचल हो सकेगा या चल;
- (19) "अन्तः वेधन" से उत्पादनकारी या उत्पादक या संचालित उत्पादनकारी भूवैज्ञानिक भित्ति के अन्तः वेधन को प्रक्रिया अभिप्रेत है;
- (20) "वेधन रिग" से बोर छिद्र स्थल पर वेधन करने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित सम्पूर्ण संरचना और मशीनरी अभिप्रेत है;
- (21) "उत्पापक" से इस्पात की एक ऐसी यांत्रिक युक्ति अभिप्रेत है जिसका उपयोग चल ब्लॉक के लटके हुए उत्तोलन उपस्कर के साथ लटकी हुई पाइप या छड़ को किसी कूप में उतारे नीचे करने या उससे खींचने के लिए किया जाता है;
- (22) "बचाव रज्जू" से ऐसी आतत तार रज्जू अभिप्रेत है जिसमें डेरिक या वंड के रेकिंग प्लेटफार्म के ऊपर के स्थल से सुरक्षा गाड़ी या स्लाईड को नीचे भू-स्थिर तक ले जाया जाता है;
- (23) "विस्फोट मापक मीटर" से ज्वलनशील गैस का मान्यता मापने का उपकरण अभिप्रेत है;
- (24) "विस्फोटक" का यही अर्थ होगा जो भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 में है;
- (25) "ज्वालारोधी उपस्कर" से ऐसा उपस्कर अभिप्रेत है जो जिना किसी क्षति के अपने भीतर उत्पन्न होने वाली ज्वलनशील गैस के किसी विस्फोटन को सहन कर सकता हो और ऐसी ज्वाला के जो आसपास के वातावरण में मौजूद हो सकने वाली ज्वलनशील गैस को ज्वलित करेगी, गंधरण को रोक सकता हो;
- (26) "ज्वलनशील" से ऐसा पदार्थ अभिप्रेत है, जिसे आसानी से ज्वलित किया जाए जो जगता के साथ दहन हो या जो ज्वाला फलाने की द्रुत गति रखता हो;
- (27) "ज्वाला" से ऐसी खुली ज्वाला अभिप्रेत है जिसका प्रयोग अनावश्यक गैस को नष्ट करने के लिए किया जाता है;
- (28) "फ्लोर ब्लॉक" से फ्लोर स्तर पर या उसके निकट स्थित एकल बरखी पुली या खुली कप्पी अभिप्रेत है जिसके द्वारा किसी रस्से पर के पुली या खुली कप्पी दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है;
- (29) "प्रक्षुब्ध" से अनुस्यूषी में यथा उपवर्णित प्रक्षुब्ध अभिप्रेत है;
- (30) "विभंग" से उत्पादन के लिए प्रवाह मार्ग खोलने के प्रयोजन के लिए किसी तरल पदार्थ को अधस्तन स्तर के अन्तर प्रवेश कराने की प्रक्रिया अभिप्रेत है;
- (31) "गैस" से पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस में उपस्थित या व्युत्पन्न हाइड्रोकार्बन की वाष्प स्थिति अभिप्रेत है;
- (32) "गैस कणित पंक" से संरक्षित गैससमूह गैस सहित ऐसा पंक अभिप्रेत है जो पंक का एक वैशिष्ट्य फुलफुला रूप देता है;
- (33) "गैस-मुक्त" से किसी टैंक या क्षेत्र में संक्षेपण से यथासाधित ज्वलनशील और/या विपैनी गैसों की मात्रता अभिप्रेत है जो प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए मापित गैस की सुरक्षित बहिर् सीमा-मान के भीतर है;

परन्तु उस खान की दशा में जो अंशतः एक जिले में और अंशतः दूसरे जिले में स्थित है, इन विनियमों के प्रयोजनों

- (34) "गैस कूप" से अभिप्रेत है ऐसा कूप, जिससे किसी गैस धारक खान से निरन्तर उत्पादन होता रहता है या ऐसा कूप जिसमें कैमिंग अनुमानित परिस्थितियों के अधीन गैस के निरन्तर उत्पादन के लिए चलाया जाता है;
- (35) "तम्बू संग्रहण केन्द्र" से तेल या गैस का संग्रहण, अभिक्रिया या संवर्धन के लिए प्राप्त उत्पादन मुक्ति का अभिप्रेत है;
- (36) "जोखिमवाला क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जहाँ सामान्य संक्रियाओं के दौरान पर्याप्त मात्रा में ऐसा जोखिमवाला वातावरण पाए जाने की संभावना है जो जोखिम बन सकता है;
- (37) "जोखिमवाला" वातावरण से ऐसा वातावरण अभिप्रेत है जिसमें किसी मात्रा में कोई ऐसी ज्वलनशील गैस या वाष्प है जो ज्वलित होने में समर्थ है;
- (38) "हाईलाईन या आउटलाईन" से ऐसा रस्ता अभिप्रेत है जिसका उपयोग किसी डेरिक या बंद से पाइपों, वेधन करने वाले औजार या अन्य उपस्कर डेरिक वाफ या डेरिक या बंद के बाहर के अन्य अवस्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है;
- (39) "संस्थापन" से कोई ऐसा स्थिर संस्थापन या स्थिर संस्थापन का कोई भाग अभिप्रेत है जिसका अनुरक्षण खान के भीतर किया जाता है या जिसे वहाँ तेल या गैस के समुपयोजन के संबंध में या ऐसे समुपयोजन की दृष्टि से अन्वेषण के संबंध में स्थापित किया जाता है;
- (40) "संस्थापन प्रबंधक" से अभिप्रेत है संस्थापन के स्वामी या अधिकर्ता द्वारा लिखित में नियुक्त ऐसी व्यक्ति जो, संस्थापन के या उसके सम्बंध में सभी संक्रियाओं और क्रियाकलाप का भारवाधक है और उनके लिए उत्तरदायी है;
- (41) "आयनकारी विकिरण" से किसी रेडियो ऐक्टिव पदार्थ के परमाणु न्युक्लियस के स्वतः बिना किसी विद्युत के कारण ऐम उत्पन्न अभिप्रेत है जो स्वास्थ्य के लिए जोखिमवाला है;
- (42) "क्रिक" से अभिप्रेत है वेधन किए जाने पर कूप में प्रवेश करने वाले शीतसमूह तरलपदार्थों के अंतर्वाह से भारित लघु अवधि का कोई अचानक दाब प्रोत्कर्ष;
- (43) "केली काफ" से धूर्णमान और केली के बीच संस्थापित कोई वाल्व अभिप्रेत है। जब उच्च दाब पृष्ठ प्रवाह आरम्भ हो जाता है तब वेधन करने वाला व्यक्ति इस वाल्व को बंद कर सकता है और धूर्णमान और धूर्णी होज पर से दाब को दूर कर सकता है;
- (44) "घुस्नेट्रक" से अभिप्रेत है केसिंग या नलिका शीर्ष के ऊपर के बाल्व के ऊपर केसिंग या नलिका का विस्तरण/स्नेहकों में ऊपर सिरे पर दाब बंद करने वाली युक्ति की व्यवस्था इसलिए की गई है जिससे कि वह किसी कूप के अन्दर जाने न्य मध्य को बंद करने में समर्थ हो सके;
- (45) "मशीनरी" से अभिप्रेत है:
- (क) वेधन उत्पादन और परिवहन संक्रियाओं के संबंध में उपयोग में लाया जाने वाला या ऐसे उपयोग के लिए आशयित, कोई स्थिर या सुवाह्य इंजन, वायु या गैस संपीडक, वायुन या वाष्प साधन, अथवा
- (ख) ऊर्जा का विकास करने, संवयन करने, पारेषण करने, संपरिवर्तन करने या उपयोग करने के लिए आशयित कोई साधन साधन या साधनों का समूह, अथवा
- (ग) कोई ऐसा साधन, साधन या साधनों का समूह, अथवा यदि इनके द्वारा विकसित, संचालित, पारेषित, संपरिवर्तित या उपयोजित किसी शक्ति का उपयोग वेधन, उत्पादन और परिवहन संक्रियाओं के संबंध में किया गया है या ऐसा उपयोग किए जाने के लिए आशयित है;
- (46) "मकी बोर्ड" से ऐसा बल या स्थिर प्लेटफार्म अभिप्रेत है जिस पर कार्यरत व्यक्ति डेरिक पर रखी हुई पाइपों या अन्य उपस्कर को संभालने के लिए खड़े होते हैं;
- (47) "पंक" से ऐसा द्रव अभिप्रेत है जिसे धूर्णी वेधन और बर्कजोवर संक्रियाओं के दौरान का बोट के द्वारा परिसंचरण किया जाता है;
- (48) "पंक गल्ल" से ऐसा कूड़ा या टंकी अभिप्रेत है जिसके द्वारा वेधन पंक को रेत सुकम अवसादों की नीचे बैठ जाने के लिए चकित किया जाता है जहाँ कि योगशील पंक के साथ मिश्रित हो और जहाँ तरल पदार्थ को कूप में दोबारा पम्प किए जाने से पहले अस्थायी रूप से संचित किया जाता है;
- (49) "पंक-पम्प" से अभिप्रेत है एक तरफा या दो तरफा गहव कार्यकारी पंप जिसका उपयोग सामान्य संक्रिया के अधीन ड्रिल पाइप के नीचे और बलविका से ऊपर पंक परिसंचरण करने के लिए किया जाता है;
- (50) "पबंधारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्वामी, अधिकर्ता या प्रबंधक द्वारा खान, या उसके किसी भाग में पर्यवेक्षण के विशेष कर्तव्यों का पालन करने के लिए, लिखित में नियुक्त किया गया है और इसके अंतर्गत संस्थापन प्रबंधक सुरक्षा अधिकारी और अग्नि शमन अधिकारी है।
- (51) "तेल कूप" से अभिप्रेत है ऐसा कूप जिससे किसी तेल धारक खान से निरन्तर उत्पादन होता रहता है या ऐसा कूप जिसमें कैमिंग अनुमानित परिस्थितियों के अधीन तेल के निरन्तर उत्पादन के लिए चलाया जाता है;
- (52) "तेल सेवर" से अभिप्रेत है तार-रज्जू औजारों को प्रचालित करते समय तेल या गैस को कम से कम निकालने के लिए नियंत्रक हैंड के शीर्ष पर का स्लैड।
- (53) "पेट्रोलियम वर्ग क और ख" का वही अर्थ है जो भारतीय पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 में दिया गया है;
- (54) "पाइप रैक" से रिंग फ्लोर के स्तर से लगी हुई किन्तु सामान्यता उससे नीचे, अवस्थित संरचना अभिप्रेत है जिस पर पाइप या केसिंग को संचित किया जा सकेगा या रखा जा सकेगा;
- (55) "मंच" से व्यक्तियों का कार्यकरण स्थान अभिप्रेत है, जो मशीनरी और उपस्कर के प्रचालन के लिए प्रतिबेसी फ्लोर या भूमि के ऊपर उठे हुए हैं।
- (56) "तिमाही" से 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर या 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाली तीन माह की अवधि अभिप्रेत है;
- (57) "रेक पर रखा जाना" डेरिक या बंद पर लड़े या पाइप रैक पर संचित नलिकाकार माल या छड़ों के प्रति निर्देश है;
- (58) "रैकिंग मंच" से ऊंचाई पर के डेरिक या बंद में का मंच अभिप्रेत है जहाँ सामान्यतया डेरिकमैन में रैक पर रखी गई पाइपों को संभालने के लिए अपेक्षा की जाती है;
- (59) "रेल" से भारतीय रेल अधिनियम, 1980 (1980 का 9), में यथा परिभाषित रेल अभिप्रेत है।
- (60) "प्रादेशिक निरीक्षक" से ऐसे प्रदेश या स्थानीय क्षेत्र या क्षेत्रों का जिसमें खान स्थित है, या खानों के ऐसे समूह या वर्ग

का, जिस समूह या वर्ग की वह खान है जिस पर वह अधिनियम के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, भारमाधक खान निरोधक अभिप्रेत है ;

- (61) "रिंग खड़ा करना" से वेधन संक्रियाओं के प्रारम्भ से पहले वेधन रिंग और सहायक उपस्कर का संयोजन कार्य अभिप्रेत है ;
- (62) "धूर्णी होज" से ऐसा होज अभिप्रेत है जो स्टैंड पार्सिप से धूर्णमान और कैलो तक परिसंचारी तार का संयोजन करता है ;
- (63) "धूर्णी टेबल" से मुख्यतः वेधन स्टैंड को धूमने के लिए प्रयुक्त रिंग फ्लोर पर शक्ति प्रचालित धूमन टेबल अभिप्रेत है ;
- (64) "सुरक्षित क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसका कोई भी भाग जोखिम वाले क्षेत्र के भीतर नहीं है ;
- (65) "अनुसूची" से इन विनियमों से उपाबद्ध कोई अनुसूची अभिप्रेत है ;
- (66) "बेघी" से अभिप्रेत है जिसकी पार्सिप या छड़ के चूड़ीदार सिरे को ऐसी ही किसी अन्य के युग्मन में निविष्ट करना ;
- (67) "स्टैंड" से अभिप्रेत है पार्सिपों के ऐसे संयोजन जिनकी लम्बाई दो या अधिक पार्सिपों की जोड़कर बनी है और जो डेरिक या दंड में खड़े हैं या रैक पर रखे गए हैं ;
- (68) "मानक रेलिंग" से व्यक्तियों के गिरने से रोकने के लिए फ्लोर की खुली जगह, दीवाल की खुली जगह, रैम्प मंच या पैदलमार्ग के खुले किनारों के साथ-साथ बने अध्वार रोक अभिप्रेत है ;
- (69) "उप संरचना" से ऐसी नींव अभिप्रेत है जिस पर सामान्यतया डेरिक और इंजन बंटाए जाते हैं। उप संरचना की ऊंचाई, विशिष्ट संक्रिया के लिए अपेक्षित उपस्कर पर, जैसकि विफल विस्फोट निरोधक पर निर्भर रहते हुए भिन्न भिन्न होती है ;
- (70) "स्वाविग" से तार रज्जू पर की उत्पापन युक्ति से, जब कूप सामान्य रूप से न बह रहा हो, तब, तरल को सतह पर लाने की संक्रिया अभिप्रेत है। यह इस तथ्य को अवधारित करने के लिए एक अस्थायी संक्रिया है कि कूप को बहाया जा सकता या नहीं या तेल को सतह पर लाने के लिए उसमें कृत्रिम उत्पापन या उद्घोषन अपेक्षित है या नहीं ;
- (71) "टो बोर्ड" से सामग्री के गिरने से रोकने के लिए फ्लोर की खुली जगह, दीवाल की खुली जगह, मंच, पैदल मार्ग या रैम्प के खुले किनारों के साथ-साथ बने फ्लोर स्तर पर अध्वार रोक अभिप्रेत है ;
- (72) "विषैली धूल/गैस" से ऐसी कोई धूल या गैस अभिप्रेत है जिससे एक या एक से अधिक शारीरिक तंत्र की सामान्य शारीरिक प्रक्रिया में परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय गड़बड़ी हो सकती है ;
- (73) "बल ब्लाक" के वेधनस्टिंग केसिंग नलिका छड़ों और अन्य औजारों को ऊपर उठाने और नीचे करने के लिए स्थिर फ्रैज-ब्लाक के साथ प्रयुक्त बहु चरखीदार पुली ब्लाक अभिप्रेत है ;
- (74) "कूप" से अभिप्रेत है भूमि के अन्दर—
(क) वेधन या बोरिंग या किसी अन्य रीति से किया गया या किया जा रहा छिद्र जिससे कोई पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस प्राप्त की जाती है या प्राप्त है या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए है ;
(ख) जल प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए अन्तः क्षेपण करने या प्राकृतिक गैस, वायु जल या किसी अन्य पदार्थ को भूमिगत शैलसमूह में अन्तः क्षेपण करने के लिए उपयोग किया गया, वेधन किया गया है या वेधन किया जा रहा छिद्र ; कोई छिद्र अभिप्रेत है ;

- (75) "कूप शीप" से अभिप्रेत है कूप केसिंग स्टिंगों के शीप पर निकासियों और बाल्वों सहित उत्पादन के बहाव का नियंत्रित करने के लिए समंजन ;
- (76) "कूप छिद्रण" से अभिप्रेत है कूप केसिंग और/या सोभेन्ट को छिद्रित करना जिससे कि उत्पादन के लिए या परीक्षण करने या विश्लेषण करने के प्रयोजन के लिए प्रवाह-मार्ग की व्यवस्था हो सके ;
- (77) "बर्क ओवर या कूप सर्चिंग" से अभिप्रेत है किसी तेल उत्पादक कूप पर उत्पादन को फिर चालू करने और बहाने की आशा से एक या एक से अधिक प्रकार की उपचारी संक्रियाओं का किया जाना। ऐसी संक्रियाओं के उदाहरण हैं खुरचन गहरा करना, प्लगिंग बैक, अभिकर्षण और पुनः नियोजन लाईन, निष्पीडण, संयोजन, विस्फोट और अम्लन ;
- (78) "जोन जोखिमवाला क्षेत्र" से वह अभिप्रेत है जहाँ जोखिमवाला वातावरण निरंतर मौजूब रहता है ;
- (79) "जोन/जोखिमवाला क्षेत्र" से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जहाँ सामान्य संक्रियात्मक शर्तों के अधीन रहते हुए जोखिमवाला वातावरण पाए जाने की संभावना है ;
- (80) "जोन 2 जोखिमवाला क्षेत्र" से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जहाँ असामान्य संक्रियात्मक शर्तों के अधीन रहते हुए जोखिमवाला वातावरण पाए जाने की संभावना है।

अध्याय 2—विवरणियां, सूचनाएं और रेषांक

3. विवृत्त करने की सूचना:—(1) अधिनियम की धारा 16 द्वारा अपेक्षित सूचना प्ररूप 1 में प्रस्तुत की जाएगी।

(2) जब कोई खान विवृत्त की गई है तब उसका स्वामी, अधिकर्ता या प्रबंधक विवृत्त करने की वार्षिक तारीख की संसूचना मुख्य निरीक्षक और प्रादेशिक निरीक्षक को तत्काल देगा।

4. तिमाही विवरणियां:—स्वामी, अधिकर्ता या प्रबंधक, प्रत्येक वर्ष जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के 20वें दिन या उसके पूर्व प्ररूप 2 में पूर्ववर्ती तिमाही की बाबत शुद्ध विवरणियां मुख्य निरीक्षक और प्रादेशिक निरीक्षक को प्रस्तुत करेगा।

5. वार्षिक विवरणियां:—स्वामी, अधिकर्ता या प्रबंधक, प्रत्येक वर्ष फरवरी के 20वें दिन या उसके पूर्व, प्ररूप 3 में पूर्ववर्ती वर्ष की बाबत वार्षिक विवरणियां जिना मजिस्ट्रेट और मुख्य निरीक्षक को प्रस्तुत करेगा।

6. नाम और पते, आदि में परिवर्तन:—(1) जब किसी खान के नाम या स्वामित्व में या स्वामी के पते में कोई परिवर्तन हो जाए तब स्वामी, अधिकर्ता या प्रबंधक, परिवर्तन की तारीख से सात दिन के भीतर मुख्य निरीक्षक और प्रादेशिक निरीक्षक को प्ररूप 1 में सूचना देगा।

(2) जब किसी अधिकर्ता, प्रबंधक, प्रतिष्ठापन प्रबंधक, सुरक्षा अधिकारी या अग्निशमन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है या जब ऐसे किसी व्यक्ति का नियोजन पर्यवेक्षित कर दिया जाता है या ऐसा व्यक्ति उक्त नियोजन को छोड़ देता है या जब किसी अधिकर्ता या प्रबंधक के पते में कोई परिवर्तन हो जाता है तब स्वामी, अधिकर्ता या प्रबंधक, ऐसी नियुक्ति, पर्यवेक्षण या परिवर्तन की तारीख से सात दिन के भीतर मुख्य निरीक्षक और प्रादेशिक निरीक्षक को प्ररूप 1 में सूचना देगा।

7. दुर्घटना की सूचना:—(1) जब किसी खान में या उसके आसपास—

- (i) खनन संक्रियाओं के संबंध में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जिससे जीवन की हानि या गम्भीर शारीरिक क्षति कारित हुई हो ;
- (ii) कोई विस्फोट या ज्वलन घटित हो जाए ;
- (iii) विफल विस्फोट हो जाए ;
- (iv) प्राण लगे जाए ;

- (v) कोई पार्श्व लाईन या अपरिष्कृत तेल, प्राकृतिक गैस, वाष्प, सम्पीकृत वायु या अन्य पदार्थ बाला कोई उपस्कर वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब पर फट जाए;
- (vi) कर्पण संवर्धन, वैद्यन लाईन का कोई आवश्यक भाग भंग हो जाए, या टूट जाए, या आपात भेक खराब हो जाए;
- (vii) किसी डेरिक, मास्ट, मशीनरी या साधित्र का कोई आवश्यक भाग भंग हो जाए, टूट जाए या खराब हो जाए जिससे व्यक्तियों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए;
- (viii) अवायकर गैसों का अन्तर्बाह् छटित हो जाए;
- (ix) विस्फोट के कारण कोई दुर्घटना हो जाए, तब स्वामी, अधिकर्ता या प्रबंधक टेलीफोन से या एक्सप्रेस तार द्वारा या विशेष संदेश बाहुक द्वारा प्रादेशिक निरीक्षक को तत्काल सूचित करेगा और प्रत्येक ऐसी घटना के 24 घंटे के भीतर उसकी सूचना प्रकृप 4 में जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य निरीक्षक, प्रादेशिक निरीक्षक को भी देगा।

(2) जब खान में या उनके आसपास विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, संचयन, रूपांतरण, परिवहन, प्रदाय या उपयोग के संबंध में जीवन की हानि या गंभीर शारीरिक क्षतिकारि करने वाली कोई दुर्घटना हो जाए, तब स्वामी, अधिकर्ता या प्रबंधक खानों के विद्युत निरीक्षक को टेलीफोन एक्सप्रेस तार या विशेष संदेशबाहुक द्वारा तत्काल सूचित करेगा।

(3) यदि उप विनियम (i) और विनियम (2) के अधीन संभार रूप में पहले रिपोर्ट की गई किसी क्षति में मृत्यु हो जाती है, तो स्वामी, अधिकर्ता या प्रबंधक मृत्यु की सूचना प्राप्त होने के 24 घंटों के भीतर, उसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य निरीक्षक और प्रादेशिक निरीक्षक को देगा।

(4) स्वामी, अधिकर्ता या प्रबंधक मारे या क्षत प्रत्येक व्यक्ति की आवस्य विनिष्ठिया यथास्थिति, ऐसी घटना के सात दिन के भीतर या क्षत व्यक्ति के इयूटी पर लौटने के 15 दिन के भीतर प्रकृप 5 और 6 में मुख्य निरीक्षक को भेजेगा।

8. रोग की सूचना :—जहां किसी खान में नियोजित किसी व्यक्ति को केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित कोई रोग हो जाता है वहां स्वामी, अधिकर्ता या प्रबंधक रोग की सूचना मिलने के तीन दिन के भीतर उसकी सूचना प्रकृप 7 में जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य निरीक्षक, प्रादेशिक निरीक्षक और खान निरीक्षक (चिकित्सा) को देगा।

9. रेखांक :—(1) प्रत्येक खान का स्वामी, अधिकर्ता या प्रबंधक निम्न लिखित रेखांक रखेगा :—

- (क) एक मूल रेखांक जिसमें सम्यक् रूप से सीमांकित वह क्षेत्र दिखाया जाएगा जिसमें पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या दोनों के निष्कासन के लिए सक्रियाएं और भ्रानुपेनिक सक्रियाएं की जाती हैं।
- (ख) एक रेखांक, जिसमें खंड (क) में उल्लिखित निष्कासन क्षेत्र के भीतर तेल गैस और परिवहन कूपों, संग्रहण केन्द्रों, पार्श्व लाईनों जिनके अन्तर्गत उनके पहुँच मार्ग भी हैं, जेल विद्युत परिवहन लाईन, लोक मार्ग या भवन या ऐसी अन्य स्थायी संरचनाओं जो स्वामी की नहीं है, नदियों और जलमार्गों का अवस्थान दिखाया जाएगा।

(2) उप विनियम (1) के खंड (क) में उल्लिखित रेखांक में खान और उनके स्वामी का नाम, तारीख और मापक के साथ भौगोलिक उत्तर या चुम्बकीय याम्योत्तर दिखाए जायेंगे।

अध्याय 3—खान पदधारी और उनके कर्तव्य

10. निरीक्षकों की अर्हताएं—(1) इन विनियमों के प्रवृत्त हो जाने के पश्चात् कोई भी नया व्यक्ति मुख्य निरीक्षक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसके पास, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी शिक्षा संस्था की खनन इंजीनियरी में डिग्री या डिप्लोमा न हो।

(2) इन विनियमों के प्रवृत्त हो जाने के पश्चात् कोई भी व्यक्ति निरीक्षक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसके पास केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी शिक्षा संस्था की खनन या पेट्रोलियम, इंजीनियरी में डिग्री या डिप्लोमा न हो; परन्तु—

- (1) खानों में प्रतिष्ठापित वैद्युत मशीनरी के संबंध में, उस व्यक्ति को इस प्रकार नियुक्त किया जा सकेगा जिसके पास केन्द्रीय सरकार के द्वारा अनुमोदित किसी शिक्षा संस्था की वैद्युत इंजीनियरी में डिग्री या डिप्लोमा हो;
- (2) खानों में प्रतिष्ठापित अन्य मशीनरी या यांत्रिक साधित्रों के संबंध में उस व्यक्ति को इस प्रकार नियुक्त किया जा सकेगा जिसके पास केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी शिक्षा संस्था की यांत्रिक इंजीनियरी में डिग्री या डिप्लोमा हो;
- (3) अधिनियम और तदुद्धान बनाए गए विनियमों और आदेशों के ऐसे उपबंधों के संबंध में, जो व्यक्तियों के स्वास्थ्य और कल्याण विषयक बातों से संबंधित हैं, उन व्यक्ति को, जिनके पास केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी शिक्षा संस्था की, यथास्थिति, आयुर्विज्ञान, शस्त्र-चिकित्सा और/या श्रम कल्याण जैसे समाज विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा हो, या उस व्यक्ति को, जिनके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हो, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अनुमोदित करें, इस प्रकार नियुक्त किया जा सकेगा।

अध्याय 3—खान पदधारी और उनके कर्तव्य

11. परिभाषा :—इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, स्वामी या अधिकर्ता द्वारा सम्यक् रूप से सीमांकित किसी क्षेत्र में पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या दोनों के निष्कासन से संबंधित तेल और गैस कूपों तथा सभी संस्थापनों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे एक खान के रूप में हैं:

परन्तु जहां विशेष परिस्थितियां विद्यमान हों, वहां मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह उसमें विनिश्चित करे, ऐसे किसी एक क्षेत्र के दो या उससे अधिक अलग-अलग खानों में विभाजन के लिए अनुज्ञा दे सकेगा या अपेक्षा कर सकेगा।

12. प्रबंधकों की नियुक्ति :—कोई भी खान तब तक विवृत्त नहीं की जाएगी, उसमें काम नहीं किया जाएगा या उसे पुनः विवृत्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उन खान का प्रबंधक ऐसे व्यक्ति न हो जिसे सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया हो। यदि कोई ऐसा प्रश्न उठता है कि क्या इस प्रकार नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति प्रबंधक के कर्तव्य का पालन करने में सक्षम है इसका विनिश्चय महानिदेशक करेगा।

13. संस्थापन प्रबंधक की नियुक्ति :—(1) प्रत्येक खान में खान के विभिन्न संस्थापनों का भारसाधन धारण करने के लिए एक या अधिक संस्थापन प्रबंधक नियुक्त किए जाएंगे।

(2) कोई संस्थापन प्रबंधक एक से अधिक संस्थापनों का भारसाधन धारण कर सकेगा :

परन्तु जहां प्रादेशिक निरीक्षक को यह राय है कि कितने खान में विद्यमान परिस्थितियों के कारण से संस्थापन प्रबंधक के लिए यह संभव नहीं है कि वह उचित रीति से अपने कर्तव्य का पालन कर सके, वहां

वह लिखित आदेश द्वारा और उनके लिए जो कारण हैं उन्हें उसमें लेख-बद्ध करके, उनकी संख्या में संस्थापन प्रबंधकों की नियुक्ति को अपेक्षा कर सकेगा जितनी वह आदेश में विनिर्दिष्ट करे।

14. सुरक्षा अधिकारी को नियुक्ति: प्रत्येक खान का स्वामी या अधिकर्ता कार्य स्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य को अभिवृद्धि के लिए प्रबंधकों की सहायता करने के लिए ऐसे सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति करेगा जिसके पास स्वामी या अधिकर्ता के सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कौशल है और जो नियुक्ति के लिए उपयुक्त रूप से सक्षम है। सदैव की वशा में मुख्य निरीक्षक विनिश्चय करेगा।

15. अग्नि शमन अधिकारी को नियुक्ति:—(1) प्रत्येक खान में आग बुझाने के लिए और अग्नि निरोधक उपायों के संबंध में प्रबंधकों को सलाह देने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों का अग्नि शमन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को, एक से अधिक खान के अग्नि शमन अधिकारी के रूप में या उसी खान में किसी अन्य हैसियत में प्रादेशिक निरीक्षक को लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, नियुक्त नहीं किया जाएगा।

16. सक्षम व्यक्तियों की नियुक्ति:—(1) प्रत्येक स्थान का स्वामी, अधिकर्ता या प्रबंधक अपने सक्षम व्यक्ति नियुक्त करेंगे जितने प्रत्येक काम की पारी के दौरान निम्नलिखित के संबंध में सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हों:—

- (क) संस्थापन और उसके उपस्कर का पर्याप्त निरीक्षण;
- (ख) संस्थापन में की सभी संक्रियाओं का पूरी तरह पर्यवेक्षण;
- (ग) खान में की सभी मशीनरी का काम करने की निरापद वशा में संस्थापन, परिवर्तन और अनुरक्षण; और
- (घ) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों की अपेक्षाओं का प्रवर्तन;

(2) उपविनियम (1) के अधीन की गई सभी नियुक्तियों और सक्षम व्यक्ति को सौंपे गए कर्तव्यों की प्रतियां इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबंद पृष्ठांकित पुस्तक में दर्ज की जाएंगी। ऐसे सभी सक्षम व्यक्तियों की एक सूची भी बनाए रखी जाएगी।

17. साधारण प्रबंध:—(1) स्वामी, अधिकर्ता, और प्रबंधक खान में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा और उनके उचित अनुशासन की व्यवस्था करेगा।

(2) विनाय आपात की दशा में, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पदधारी या सक्षम व्यक्ति नहीं है, खान में नियोजित किसी ऐसे व्यक्ति को, जो प्रबंधक के प्रति उत्तरदायी है, प्रबंधक के माध्यम से अथवा अनुदेश नहीं देगा।

18. खानों में नियोजित व्यक्तियों के कर्तव्य:—(1) प्रत्येक व्यक्ति, अधिनियम और उनके अधीन बनाए गए विनियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों का और व्यक्तियों की सुरक्षा या सुविधा को दृष्टि से प्रबंधक या किसी पदधारी द्वारा जारी किए गए किसी आदेश या निर्देश का जो अधिनियम और इन विनियमों से असंगत न हो, सर्वथा पालन करेगा, और वह ऐसे आदेशों या निर्देशों के पालन में उधेरा या उनके पालन से इंकार नहीं करेगा।

(2) कार्य प्रारम्भ करने के पहले प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य स्थान का और उस उपस्कर का जिसका उसे उपयोग करना है, पड़ताल करेगा और कोई खतरनाक वृष्टि पाए जाने पर उसको रिपोर्ट अपने वरिष्ठ को तत्काल करेगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति ऐसे रक्षापाथों, सुरक्षा युक्तियों और अन्य साधनों का उचित उपयोग करेगा जिनका प्रबंध उसकी सुरक्षा या अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए किया गया है।

(4) विनाय आपात की दशा में कोई भी व्यक्ति, जब तक कि वह सम्यक् रूप से प्राधिकृत न हो ऐसी किसी सुरक्षा युक्ति या अन्य साधन में जिनका प्रबंध उसकी सुरक्षा या अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए किया गया है, बाधा नहीं डालेगा, उसे हटाएगा नहीं, उसमें परिवर्तन नहीं करेगा या उसका स्थानांतरण नहीं करेगा या दुर्घटना और स्वास्थ्य को हानि से बचने का दृष्टि से अंगीकृत किसी पद्धति या प्रक्रिया में बाधा नहीं डालेगा।

(5) कोई भी व्यक्ति कर्तव्य पर रहने के दौरान क्षति कारित करने के आशय से कोई पत्थर या अन्य अस्त्र नहीं फेंकेगा या लड़ाई नहीं करेगा या हिंसात्मक रीति का आचरण नहीं करेगा।

(6) कोई भी व्यक्ति किसी खतरनाक स्थान जैसे पाड़ या केनों पर या खतरनाक या विषैले पदार्थों के आसपास, चालू मशीनों या यानों और भारी उपस्कर के पास नहीं सोएगा या विश्राम करेगा।

(7) प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों के और मौसम के अनुकूल संरक्षा उपस्कर और कपड़े पहनेगा।

(8) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उसके कर्तव्य के दौरान कोई क्षति पड़ सकती है, उस क्षति की रिपोर्ट स्यासंभन शोध किसी पदधारी की या प्राथमिक उपचार केंद्र के भारसाधक सक्षम व्यक्ति को करेगा जो क्षती व्यक्ति के लिए आवश्यक प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करेगा।

19. प्रबंधकों के कर्तव्य:—(1) प्रत्येक खान में, प्रबंधक प्रतिदिन स्वयं पर्यवेक्षण करेगा।

(2) प्रबंधक इस बात का ध्यान रखेगा कि अधिनियम, उसके विनियमों और उसके अधीन किए गए आदेशों के उपबंधों के पालन के प्रयोजन के लिए और खान और उसमें नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उचित सामग्री और साधनों के पर्याप्त प्रदाय की व्यवस्था खान में सदा की जाती है; और यदि वह खान का स्वामी या अधिकर्ता नहीं है तथा पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए कोई ऐसी वस्तु अपेक्षित हो जिसके लिए आदेश देने के लिए वह सक्षम नहीं है तो वह स्वामी या अधिकर्ता को लिखित रूप में रिपोर्ट करेगा। ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट की प्रति इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबंद-पृष्ठांकित पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी।

(3) प्रबंधक, प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को उसका विनिर्दिष्ट कर्तव्य सौंपेगा और उसकी नियुक्ति पर, उसे ऐसे विनियमों, नियमों और उचितियों की और उनके अधीन किए गए किन्हीं आदेशों की जो उस पर प्रभाव डालते हों, प्रति देगा और यह सुनिश्चित करने के लिए सब संभव कार्यवाही करेगा कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उनमें दिए गए उपबंधों को उचित रूप से समझे कार्यान्वित करे और प्रवर्तित करेगा।

(4) प्रबंधक, ऐसी सभी रिपोर्टें, रजिस्ट्रों और अन्य अभिलेखों की जिनका अधिनियम उसके विनियमों और उनके अधीन किए गए आदेशों के अनुसरण में बनाया जाना या रखा जाना अपेक्षित है, परीक्षा करेगा और उन पर तारीख के साथ प्रतिहस्ताक्षर करेगा। किन्तु, वह यह कर्तव्य किसी संस्थापन प्रबंधक या अन्य पदधारी को लिखित आदेश द्वारा प्रत्यापोजित कर सकेगा।

(5) प्रबंधक, किसी ऐसे विनिर्दिष्ट अभ्यावेदन या शिक्षा पर, जो उसे खान के किसी कर्मकार द्वारा खान में या उसके आसपास के व्यक्तियों की सुरक्षा या उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले किसी बाबत लिखित रूप में की जाए, ध्यान देगा या आवश्यक पूर्वक अन्वेषण कराएगा।

(6) जब खान में किसी व्यक्ति को गंभीर शारीरिक क्षति या जीवन-हानि करने वाली कोई दुर्घटना हो जाए, तब प्रबंधक यथासंभव शीघ्र दुर्घटना-स्थल का निरीक्षण करेगा और वह, या तो स्वयं या सुरक्षा अधिकारी से दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच करेगा या करवाएगा। ऐसी प्रत्येक जांच के परिणाम और दुर्घटना स्थल का रेखांक तथा भाग वर्णित करते हुए, ब्योरे घटना की तारीख से सात दिन के भीतर प्रादेशिक निरीक्षक को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(7) प्रबंधक, ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस निमित्त अधिनियम, उसके विनियमों और उनके अधीन किए गए आदेशों के अधीन निनिश्चित किए गए हों।

(8) प्रबंधक अधिनियम उसके विनियमों और उनके अधीन किए गए आदेशों के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करने के लिए कर्मचारियों को निर्बंधित कर सकेगा या उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई कर सकेगा, जैसा वह ठीक समझे।

(9) प्रबंधक, इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबंद पृष्ठांकित पुस्तक में डायरी रखेगा और उसमें अपने प्रत्येक निरीक्षण के निष्कर्ष तथा अपने द्वारा उल्लिखित त्रुटियों के सुधार करने में की गई कार्रवाई को भी अभिलिखित करेगा।

20. संस्थापन प्रबंधक के कर्तव्य:—संस्थापन प्रबंधक निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा:—

(1) वह ऐसे संस्थापनों का उत्तरदायित्वपूर्ण भारसाधन करेगा और उस पर नियंत्रण रखेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो प्रबंधक द्वारा उसे सौंपे जाएं।

(2) वह इस बात का ध्यान रखेगा कि उसकी नियुक्ति की सूचना स्थापन में ऐसे स्थान और ऐसी स्थिति में लगाई जाए जिससे कि उसे सुगमता से और सुविधापूर्वक पढ़ा जा सके।

(3) वह इस बात का ध्यान रखेगा कि उसे सौंपे गए संस्थापन में सब कार्य, अधिनियम उसके विनियमों और उनके अधीन किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार किया जा रहा है;

(4) वह प्रत्येक कार्यदिन पर अपने भारसाधक के अधीन संस्थापनों का निरीक्षण और पड़ताल करेगा।

(5) वह इसका ध्यान रखेगा कि जब किसी वेधन रिग, वर्क-ओवर रिग और सहबद्ध उपस्कर या उत्पादन उपस्कर या पाइप लाइन का स्थानान्तरण किया जाता है या उसे नए रूप में संस्थापित किया जाता है तब उसका उपयोग किए जाने से पहले उसे परीक्षणार्थ चलाया जाता है और वह ऐसे प्रत्येक चलन-परीक्षण के दौरान उपस्थित रहेगा।

(6) वह इसका ध्यान रखेगा कि संस्थापन में नियोजित सभी व्यक्तियों को विकल विस्फोट और अग्नि को रोकने से संबंधित, इन विनियमों के अधीन किए गए स्थायी आदेशों के उपबंधों के बारे में अच्छी तरह से अनुदेश दे दिया गया है और जानकारी दे दी गई है।

(7) वह इसका ध्यान रखेगा कि अधिनियम, उसके विनियमों और उनके अधीन किए गए आदेशों के अधीन और उपस्कर के संस्थापन, अनुरक्षण प्रचालन या परीक्षा से संबंधित उपबंध स्वयं अपने द्वारा या यथास्थिति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त सक्षम व्यक्तियों या कर्मचारियों द्वारा उचित रूप से पालन किए जाते हैं।

(8) जब किसी संस्थापन के सन्निर्माण या किसी प्रचालन थैरीट के दौरान ऐसी कोई आपातस्थिति या आणकृत आपातस्थिति है जितने किसी व्यक्ति के जीवन या उसकी सुरक्षा या संस्थापन की स्थिरता और सुरक्षा का संकटापन्न होता है तब वह ऐसे उपाय करेगा या ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करेगा जो आपातस्थिति में बचने के लिए आवश्यक या समीचीन है।

(9) इन विनियमों में ऐसी अपेक्षा नहीं की जाएगी जो ऐसे उपायों को करने में प्रतिषिद्ध या निर्बंधित करे।

21. सुरक्षा अधिकारी के कर्तव्य:—सुरक्षा अधिकारी निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा:—

(1) वह, जितनी बार आवश्यक हो, खान के संस्थापनों का इस दृष्टि से निरीक्षण करेगा जिससे कि वह ऐसे अप्रकट खतरों को परि-रक्षित कर सके जो किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षति या उसके स्वास्थ्य का ह्रास धारित कर सकेंगे।

(2) वह खतरनाक स्थितियों को रोकने के लिए आवश्यक उपायों पर प्रबंधक को सलाह देगा।

(3) वह उन सभी दुर्घटनाओं की, चाहे उनमें व्यक्ति अन्तर्द्वित हों या नहीं, परिस्थितियों और कारणों की जांच करेगा और ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक उपायों पर प्रबंधक को सलाह देगा।

(4) वह सुरक्षा पद्धतियों में अभिवृद्धि करने और कार्यकरणों पर्यवरण में सुधार करने की दृष्टि से दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं के संबंध में जानकारी एकट्ठा करेगा, उचित संकलन और विश्लेषण करेगा।

(5) वह इसका ध्यान रखेगा कि सभी नए कर्मचारियों और ऐसे कर्मचारियों को जिन्हें नए काम पर स्थानान्तरित किया गया है, पर्याप्त सुरक्षा, प्रशिक्षण अनुदेश और मार्गदर्शन प्राप्त होता है।

(6) वह अपने द्वारा निष्पादित कार्य का ब्योरेवार अभिलेख करेगा।

22. अग्नि शमन अधिकारी के कर्तव्य:—अग्नि शमन अधिकारी निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा:—

(1) वह, इस अधिनियम, विनियमों और उनके अधीन किए गए आदेशों के धारा का पता चलाने और अग्नि शामक पद्धति से संबंधित उपबंधों का पालन सुनिश्चित करेगा और आग सहे पर्याप्त संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों पर प्रबंधक को सलाह देगा।

(2) वह अग्नि शामक उपस्कर का उचित अभिगम, संस्थापन और अनुरक्षण सुनिश्चित करेगा।

(3) वह इसका ध्यान रखेगा कि संभाव्य अग्नि स्थितियों के लिए पहले ही से अग्नि संबंधी योजना तैयार कर ली गई है।

(4) वह प्रारंभिक अग्निशामक कर्तव्यों के भारसाधक व्यक्तियों का नियमित प्रशिक्षण, शिक्षण तथा पूर्व-अग्नि योजना सही आकार का भंडाजा लगाने और अग्नि से संबंधित समस्याओं से निपटने के संबंध में आयोजित करेगा।

(5) वह इसका ध्यान रखेगा कि अग्नि शामक कर्तव्यों के भारसाधक व्यक्ति कम से कम प्रत्येक मास में एक बार तकनी आग संबंधी अभ्यास करें जिससे कि आग लगने पर उनकी प्रतिक्रिया की तत्परता और प्रभावी युक्तियों का अध्ययन किया जा सके।

(6) वह प्रत्येक मास में कम से कम एक बार खान में आग का पता लगाने तथा अग्नि शामक पद्धतियों की सभी युक्तियों और उपस्कर का निरीक्षण करेगा और उनमें किसी त्रुटि के बारे में प्रबंधक को रिपोर्ट करेगा।

(7) वह खान में कोई आग लगने के दौरान उसके नियंत्रण और बुझाने का सामान्य पर्यवेक्षण और समन्वय का प्रयत्न करेगा।

(8) वह आग लगने के तत्ती कारणों और परिस्थितियों की इस दृष्टि से जांच करेगा जिससे कि भविष्य में आग लगने को रोका जा सके।

(9) वह अपने द्वारा निष्पादित कार्य का ब्योरेवार अभिलेख रखेगा।

23. सक्षम व्यक्तियों के कर्तव्य:—(1) हर सक्षम व्यक्ति बरिष्ठ पदधारी के आदेशों के अधीन होगा।

(2) वह—

(क) अपने वरिष्ठ पदधारी को मंजूरी के बिना अपना कार्य करने के लिए दूसरे व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति नहीं करेगा,

(ख) अपने वरिष्ठ पदधारी से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना सम्पत्ति का से किसी मंजूर व्यक्ति द्वारा अव्यक्त रूप बिना, अनुपस्थित नहीं रहेगा, और

(ग) ऐसे पदधारी को अनुज्ञा के बिना, अपनी पारी के दौरान उन कर्तव्यों में मिला कोई कर्तव्य नहीं करेगा जिनके लिए उसे नियुक्त किया गया है।

(3) वह अपने कार्य करने वाले स्थान पर कोई जोखिम वाली परिस्थिति होने पर उन जोखिम को दूर करने के लिए तुरन्त सुधार संबंधी उपाय करेगा।

अध्याय-4 बेधन

24. डेरिक—(1) डेरिक का प्रत्येक भाग ठोस बनायट पर्याप्त समर्थक होना तथा उसे काम करने की निम्नलिखित दशा में बनाए रखा जाएगा।

(2) डेरिक को दृढ़ता से एक दृढ़ आधार के साथ जोड़ा जाएगा और उसे वायु वेग के कारण उलटने से रोकने के लिए पर्याप्त रूप से कड़ा जाएगा।

25. डेरिक मंच और फ्लोर—(1) प्रत्येक डेरिक या मुखाक्ष बंद पर याउन ब्लाक के कम से कम एक तरफ कम से कम 0.60 मीटर चौड़ा एक मंच के बाहरी कोरों पर कम से कम एक मीटर ऊंची दो छतों वाली रेलिंग और 0.15 मीटर ऊंचा टी-बोर्ड होंगे।

(2) प्रत्येक डेरिक या बण्ड पर व्यक्तियों के डेरिक पर रखी गई पाइप या अन्य उपकरण संभालने के समय खड़े होने के लिए एक मंच की व्यवस्था की जाएगी। मंच, मंच के कार्यकरण कोर डेरिक के पद स्तंभों और गटों के पोंछे वाले स्थान को पूर्ण रूप से आच्छादित करेंगे तथा उन्हें मजबूती से बांधा जाएगा।

(3) डेरिक मंचों के अन्दर के कार्यकरण कोर को इस प्रकार रखा जाएगा जिससे कि चल ब्लाक के सुरक्षित मार्ग के लिए पर्याप्त स्थान रहे।

(4) मंचों फ्लेटों, और पैदान-मार्गों के खतरनाक बहिर्गमनो या बाधाओं से मुक्त रखा जाएगा और तेल ग्रीस, जल या उसी प्रकार के अन्य पदार्थों से युक्तियुक्त रूप से मुक्त रखा जाएगा। जहाँ कहीं आवश्यक हो, फिसलन से बचने के लिए पर्याप्त संरक्षण दिया जाएगा।

26. सीढ़ियाँ. (1) प्रत्येक डेरिक पर सीढ़ी का प्रबन्ध किया जाएगा जिससे कि सभी उत्पादित श्रमता और कार्यकरण मंचों तक सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित की जा सके।

(2) कार्यकरण मंचों पर सीढ़ी द्वारा पहुँच को रेलिंगों और टी-बोर्डों से उचित रूप से सुरक्षित किया जाएगा।

(3) प्रत्येक सीढ़ी या सीढ़ी सेक्शन का ऊपरी छोर मंच के ऊपर एक मीटर से अत्यंत बड़ा हुआ होगा।

(4) 6 मीटर से ऊपर की सीढ़ियों पर अधिक से अधिक 9 मीटर की अविच्छिन्न लम्बाई तक अवतरण गंभीर या पंजरों की व्यवस्था की जाएगी।

(5) सभी अवतरण मंच को रोलिंग और टी-बोर्डों से लैस करके ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे कि सीढ़ी तक सुरक्षित पहुँच हो सके।

27. सुरक्षा पेटियों और रक्षा-रस्सी—ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो डेरिक या बण्ड का प्रथम गेट के ऊपर कार्यकर रहे हैं, अनुमोदित प्रकार की सुरक्षा पेटि और रक्षा-रस्सी की व्यवस्था की जाएगी और वह उसका

उपयोग सतत करेगा जब तक कि उसे ऊँचाई से गिरने के खतरे में अथवा सुरक्षित नहीं किया जाता।

28. बचाव-रज्जू—प्रत्येक डेरिक पट एक बचाव पर रज्जू की इस रीति से संस्थापित करके व्यवस्था की जाएगी जिससे कि डेरिक से दूर हटा जा सके।

29. भार सूचक—प्रत्येक बेधन रिंग पर एक भार सूचक की व्यवस्था की जाएगी और उसका उपयोग उन्नत रस्सी से लटके हुए भार का सूचक सूचन रजिस्टर करने के लिए किया जाएगा।

30. बचाव निकास—रिंग फ्लोर क्षेत्र और प्रत्येक कर्षण संकर्म ईअन फ्लोर क्षेत्र में कम से कम दो बचाव निकास रिंग के दूसरी ओर होंगे जिससे कि बेरोक बचाव हो सके।

31. जंगले, कटघरे और आड़े—(1) फ्लोर खुली जगहों और फ्लोर-छिन्नी को मानक रोलिंग और टी-बोर्ड द्वारा तथा/या आड़े द्वारा रक्षित किया जाएगा।

(2) पार्श्वस्थ फ्लोर या भूमि तल के 1.8 मीटर या अधिक ऊपर किनारे से खुले हुए प्रत्येक फ्लोर या मंच को मानक रेलिंग द्वारा रक्षित किया जाएगा।

(3) सभी पंक टंकी के भागों के भीतर तब तक मानक रोलिंग की व्यवस्था की जाएगी जब तक कि पंक टंकियों में किसी व्यक्ति को गिरने से रोकने के लिए कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं कर दिया जाता।

(4) खतरनाक उपकरण और इसी प्रकार की जोखिम वाली वस्तु के ऊपर या उसके पार्श्वस्थ किनारे से खुले हुए फ्लोरों, पैदान मार्गों मंचों या मार्गों को मानक रोलिंग और टी-बोर्ड द्वारा रक्षित किया जाएगा।

32. कर्षण संकर्म—(1) कर्षण संकर्म के साथ एक उपयुक्त व्यक्ति लगायी जाएगी जिसका नियंत्रण बेधन करने वाले व्यक्ति के स्टेण्ड के पास होगा जिससे कि आपात की स्थिति में कर्षण संकर्म को रोका जा सके।

(2) किसी भी कर्षण संकर्म का प्रचालन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके सभी गार्ड अपने स्थान पर और बाधू हालत में न हों।

(3) यदि स्लेहन फिटिंग, गार्ड, के स्थान के पहुँच के नहीं हैं तो मशीनरी को तेल डायने और गीस लगाने के लिए रोक लिया जाएगा।

(4) कर्षण संकर्म के ब्रेकों, यंत्रों और फ्लैजों की किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रत्येक 24 घण्टे में कम से कम एक बार परीक्षा की जाएगी। यदि ऐसी परीक्षा के दौरान किसी दृष्टि का पता चलता है तो कर्षण संकर्म का उपयोग तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी दृष्टि को दूर नहीं कर दिया जाता।

33. कैटहेड और कैटवाहन—(1) हस्त-प्रचालित कैटहेड को लाइन या रस्से का प्रथम आवरण का पृथक्करण सुनिश्चित करने के लिए एक पाइप विभाजक से लैस किया जाएगा।

(2) कैटहेड की मुख्य सीट और प्रेक्षणी कुंजी को चिकने थिम्बल या प्लेट से आच्छादित किया जाएगा।

(3) जब कोई कैटहेड प्रयोग में हो तब उसके नियंत्रणों पर एक सक्षम व्यक्ति होगा और किसी आपात की दशा में वह कैटहेड के घूर्णन को तुरन्त बंद कर देगा।

(4) कैटहेड का प्रचालक अपने प्रचालन क्षेत्र को साफ रखेगा और कैटवाहन के न उपयोग किए जाने वाले भाग को कुंडलित या स्वयं रखेगा।

34. ब्रॉस: (1) विद्युत टॉक्स का उपयोग पूर्णतः टॉक्स के साथ पाइप के जोड़ों का कसने के लिए किया जाएगा।

(2) टांग को प्रतिमानित करने वाले भार और लाइनों पर आकस्मिक संघर्ष को रोकने के लिए गण्डों की व्यवस्था की जाएगी।

(3) टांग के सुरक्षा लाइनों के सिंगों को कम से कम तीन तार-लाइन क्लैम्पों से जकड़ा जाएगा।

(4) वेधन करने वाले स्थान के सामने एक तलिकाकार स्तम्भ स्थापित किया जाएगा जिससे कि वह सुरक्षा लाइन के अस्पष्ट होने की दशा में टांग के पीछे की ओर दौलावमान होने पर संरक्षण दे सके।

35. सुरक्षा जैत: सभी टांग, घुणों हाज के सिंगों और लटकी हुई चरखियों से सामान्य संवेधन के अस्पष्ट होने की दशा में टेक देने के लिए सुरक्षा जैत लगाई जाएगी।

36. उल्लोचन लाइन (1) सभी उल्लोचन लाइनों (तार रस्सों) की परीक्षा मान दिन में एक बार किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा उन्हें देखकर किया जाएगा और तारों की ऊपरी दशा में, जैसे कि घिसाई, संरक्षण, भंगुरता और विभंग की, नोट किया जाएगा। प्रत्येक ऐसी परीक्षा की रिपोर्ट हम प्रयोजन के लिए रखी गई जिम्मेदार पृष्ठांकित पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी और वह व्यक्ति उस पर तारीख डालकर हस्ताक्षर करेगा जिसने परीक्षण की है।

(2) यदि उपर्युक्त रूप में की गई किसी परीक्षा पर कोई ऐसा दोष या त्रुटि पाई जाती है जिसके द्वारा व्यक्ति की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए तो, ऐसे दोष या त्रुटि की रिपोर्ट लिखित में तुरन्त स्थापित प्रबंधक को की जाएगी और जब तक ऐसे दोष या त्रुटि को सुधार नहीं दिया जाता तब तक उल्लोचन लाइन का उपयोग नहीं किया जाएगा।

37. सामग्री संभालने के लिए रिंगिंग उपस्कर. (1) सामग्री संभालने के लिए रिंगिंग उपस्कर की, उनका उपयोग किए जाने से पूर्व और उसके दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए, जाच-पड़ताल की जाएगी कि वह सुरक्षित है।

(2) रिंगिंग उपस्कर पर, उसके भिफागिंग किए गए सुरक्षित कार्यकरण भाग से अधिक भार नहीं लाया जाएगा।

38. सामग्री का संचयन. (1) एक दूसरे पर रख कर संचित सभी सामग्रियों को ढेर लगा कर, फिसलने, गिरने या वह जाने से रोकने के लिए बिक्रेजे में फंसा कर या अन्यथा अकड़ कर रखा जाएगा।

(2) रास्ते को निर्बाध रखा जाएगा जिससे कि सामग्री सभावन वाले उपस्कर या व्यक्ति अबाध और सुरक्षित रूप से आ जा सके।

39. पाइप रैकों का निर्माण और लदाई (1) पाइप रैकों के निर्माण का डिजाइन हम प्रकार किया जाएगा जिससे कि वे उग पर लादे गए किसी भार को टेक दे सकें।

(2) पाइप, तलिकाकार सामग्री या अन्य गोल सामग्री का पाइप रैकों से लुढ़कने से रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी।

(3) लदाई, उतराई और अन्तरण संक्रियाओं के दौरान कोई भी व्यक्ति पाइप रैकों और किसी पाइप-भार के बीच नहीं जाएगा।

40. रिंग को खड़ा करना और रिंग का खोलना (1) जब तक कार्य करने के स्थान में पर्याप्त सामान्य प्रकाश की व्यवस्था नहीं की जाती है तब तक भारी भार को उठाने और स्थापित करने का कार्य दिन के प्रकाश में किया जाएगा।

(2) सभी खुले भाग मजबूती से बांधे जाएंगे।

(3) गार्ड लाइनें, हार्ड लाइनें, स्नब लाइनें और ऐसी अन्य लाइनें, जो आवश्यक हों किसी विद्युत पारिष्ण लाइन के छह मीटर के भीतर स्थापित नहीं की जाएगी।

(4) अन्तर्वहन हजन के निष्कासक के साथ जन जन प्रभासी हफुलिन िक की व्यवस्था की जाएगी

(5) उच्च दाब परिसंचारी तरल लाइनों और वाष्प लाइनों को, पैदलमार्गों, प्लारों और मंचों के नीचे से ले जाया जाएगा और मजबूती से बाण्ट किया जाएगा।

(6) प्रत्येक वेधन रिंग में एक स्वचालित युक्ति की व्यवस्था की जाएगी जो आगेष्टी चल ब्लाक को वाउत ब्लाक के पास दो मीटर से अधिक जाने से रोकेंगी।

(7) रिंग को खोलते समय धूल शीर्ष का किसी चीज की फिसलने या गिरने से मुक्त सखे सुरक्षित किया जाएगा।

(8) अगर से घटको को जिसके अन्तर्गत नट, बाण्ट और क्लीट भी है, या तो एक बंडल में या आधातों से सुरक्षापूर्वक नीचे उतारा जाएगा।

41. पंक टंकियों और पंक पम्पे (1) पंक टंकियों को हम प्रकार से डिजाइन और स्थापित किया जाएगा जिससे कि पंक पंपों के लिए पाजिटिव चूषण की व्यवस्था हो सके।

(2) वेधन रिंग से लगे हुए सभी पंक पंपों से सुरक्षा दाब मोबन बाल्व और पद्धति में एक प्रचालन गेज लगाया जाएगा। बाल्व को पम्प, पाइप और फिटिंगों के स्थापित कार्यकरण दाब से अधिक दाब पर विमर्जन करने के लिए, नियत नहीं किया जाएगा।

(3) सुरक्षा दाब मोबन बाल्व से होने वाले विमर्जन को वाष्प से ऐसे स्थान पर ले जाया जाएगा जहाँ वह व्यक्तियों को संकटापन्न नहीं करेगा।

(4) किसी पंप और उसके सुरक्षा दाब मोबन बाल्व के बीच कोई बाल्व नहीं होगा।

42. विफल बिस्फोट निरोध उपस्कर: (1) किसी रूप में पृष्ठीय केसिंग नियत किए जाने के पश्चात कोई वेधन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि विफल बिस्फोट निरोध उपस्कर सुरक्षित रूप से स्थापित नहीं कर दिया जाता और उसे बनाए नहीं रखा जाता।

(2) विफल बिस्फोट उपस्कर में कम से कम निम्नलिखित होंगे:—

(क) हम बात को ध्यान में लाए बिना कि वेधन उपस्कर छिद्र में है या नहीं, बंद करने के लिए एक पैलारूप निरोधक:

(ख) किसी खुले छिद्र को बंद करने के लिए एक अप्रत्यक्ष रैम निरोधक और

(ग) छिद्र में उपयोग में वेधन उपस्कर को बंद करने के लिए अप्रत्यक्ष रैम निरोधक के नीचे अवस्थित एक पाइप रैम निरोधक।

(3) विफल बिस्फोट निरोध उपस्कर के अन्तर्गत कम से कम 50 मिलीमीटर व्यास की दो सीबतहीन इम्पान की पाठवें एक दाब के स्तरण लिए और एक कूप के हजन के लिए होगी और वे विफल बिस्फोट निरोधक समजन से जुड़ी होंगी। पाइपें सीधी होंगी और वेधन मंच की दूसरी ओर ले जाई जाएगी। प्रत्येक पाइपलाइन, विफल बिस्फोट निरोधकों के कम से कम एक सेट के नीचे अवस्थित की जाएगी।

(4) प्रत्येक पाइप लाइन में ऐसे संघट होंगे जिनका कार्यकरण दाब, विफल बिस्फोट निरोधक के बराबर होगा।

(5) स्त्राव लाइन को जकड़ कर बांधा जाएगा और किसी ऐसे उपयुक्त वृद्धमुख से जोड़ा जाएगा जो बहाव, को, किसी पूर्ण खुली लाइन से या दो लाइनों में से किसी लाइन से, प्रत्येक लाइन समायोज्य बोक से युक्त और पंक गैस पृथक्त्र द्वारा किसी पंक-टंकी से जुड़ी होगी, मुक्त जाने देगा।

43. विफल बिस्फोट निरोधकों के लिए नियंत्रण पद्धति:— (1) यात्रिक रूप से प्रचालित विफल बिस्फोट निरोधकों के लिए सभी हस्तचालित नियंत्रण डेगिक अवसंतचना के बाहर कम से कम 0.60 मीटर पर अवस्थित होंगे। नियंत्रण प्रचालित करने के लिए अनुदेश नियंत्रण बक के निकट प्रमुख रूप से विषयाए जायेंगे।

(2) शक्ति प्रवासित विपुल विस्फोट निरोधकों के सभी नियंत्रण, डेरिक फ्लोर पर वेधक के निकट अवस्थित होंगे।

(3) विफल विस्फोट निरोधकों के लिए दृश्य नियंत्रण पैनल भी डेरिक फ्लोर से गुरुत्वाकर्षण अंतराल पर भूतल स्तर पर संस्थापित किया जाएगा।

(4) विफल विस्फोट निरोधकों के लिए सभी नियंत्रण, उपयुक्त विज्ञान को से स्पष्ट रूप से परिलक्षित जाएंगे।

4.4. विफल विस्फोट उपस्कर का परीक्षण : (1) विफल विस्फोट निरोध उपस्कर जिसके अन्तर्गत पाइपें और नियंत्रण वाल्व भी है दाब परीक्षण होगा :—

(क) कार्यकरण दाब के लिए आरम्भिक संस्थापन और पश्चातवर्ती संस्थापनों के दौरान, कार्यकरण दाब के 70 प्रतिशत तक धैराध्य निरोधक।

(ख) किसी स्ट्रिंग के कैमिंग से सीमित का वेधन करने के पूर्व उस अधिभारण मर्यादा दाब तक, जिस तक कैमिंग को रखा जा सकता हो।

(ग) की जाने वाली सरसम जो कार्यकरण दाब तक किसी दाब सील के वियोजन की अपेक्षा करती है, कार्यकरण दाब के 70 प्रतिशत तक धैराध्य निरोधक।

(2) विफल विस्फोट निरोध उपस्कर का, जिसके अन्तर्गत पाइप से और नियंत्रण वाल्व भी है, परीक्षण निम्नलिखित रूप में किया जाएगा :—

(क) अप्रत्यक्ष रैमरूप निरोधकों का प्रत्येक ट्रिप में एक बार।

(ख) पाइप रैमरूप निरोधकों का प्रतिदिन कम से कम एक बार।

(ग) वेधन पाइप पर के धैराध्य रूप निरोधकों का गान दिन में एक बार।

(3) उपर उल्लिखित सभी परीक्षणों की पूर्ण विनिर्दिष्ट दैनिक रिपोर्टें में अभिलिखित की जाएगी और दाब परीक्षण की दशा में उपयोजित शब्द और परीक्षण की अवधि भी अभिलिखित की जाएगी।

(4) यदि परीक्षण के दौरान कोई विफल विस्फोट निरोध उपस्कर लुप्टपूर्ण पाया जाता है तो उसे मरिचियाएं आरंभ करने के पूर्व काम में लाने योग्य बनाए जाएगा।

4.5. विफल विस्फोट मध्ये पूर्वावधानिया :—(1) वेधन पंक पद्धति के लिए निम्नलिखित नियंत्रण उपस्कर, वेधन संक्रियाओं के दौरान संस्थापित किए जाएंगे :—

(क) वेधन पंक मात्रा में वृद्धि या कमी रजिस्टर करने वाला गत स्तर सूचक। इसके अन्तर्गत वेधक स्टैंड के निकट दृश्य और श्रव्य चेतावनी युक्ति होगी।

(ख) कूप को सब समय भरा रखने के लिए अश्रित पंक की मात्रा को ठीक-ठीक माप करने के लिए युक्ति ;

(ग) मुख्य गेल प्रकृतित्र के पास एक गैस संसूचक या विस्फोट मीटर, जो वेधन स्टैंड के निकट श्रव्य या दृश्य गैसलेक में जुड़ा होगा।

(घ) जब स्ट्रिंग को खींचा जा रहा हो तब कूप का पंक में सतत भरा जाता सुनिश्चित करने के लिए एक युक्ति

(ङ) जब कूप प्रतिक्षेप करता है तब पंक पंप बंद करने के लिए वेधन-स्टैंड के निकट एक नियंत्रण युक्ति।

(च) यदि उपर उल्लिखित नियंत्रण उपस्कर यह सूचित करता है कि गैससमूह तरल कूप में प्रवेश कर रहे हैं तो कूप को नियंत्रण करने के लिए तुरन्त कार्रवाई की जाएगी।

(2) (क) प्रत्येक ऐसी खान का, जिसमें विफल विस्फोट निरोध उपस्कर संस्थापित किया जाता है, प्रबंधक, इन नियमों के प्रबन्ध होने

के 60 दिन के भीतर या किंगो नग संस्थापन की दशा में संस्थापन के 30 दिन के भीतर किसी कूप के प्रतिअंतर करने की दशा में को जानेवाली कार्रवाई और गिंग पर नियोजित प्रत्येक व्यक्ति तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों के आ, विफल विस्फोट ट्रिपों और ब्रान्चविक आपातस्थितियों के लिए आवश्यक हो कल्पित विनिर्दिष्ट करने हुए स्थायी आदेश प्रादेशिक निरोधक को प्रस्तुत करेगा।

(ख) प्रादेशिक निरोधक, लिखित आदेश द्वारा या जो उसे प्रस्तुत रूप में या ऐसे परिश्रवों और परिवर्तनों सहित जो वह ठीक समझे, ऐसे स्थायी आदेशों का अनुमोदन कर सकेगा; इस प्रकार अनुमोदित स्थायी आदेश खान में प्रवर्तित किए जाएंगे।

(ग) स्थायी आदेशों की एक प्रति गिंग के निकट प्रमुख रूप से निषकाई जाएगी।

(3) किसी गिंग पर नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को किसी प्रतिअंतर के चेतावनी संकेत, स्थायी आदेशों, विफल विस्फोट निरोध उपस्कर को पर्याप्त समझ होगा और वह विफल विस्फोट निरोध के लिए नियंत्रणों को प्रवर्तित करने में समर्थ होगा। इस प्रयोजन के लिए विफल विस्फोट निरोध दृष्टि का सात दिन में एक बार संचालित किया जाएगा।

(4) (क) उपयुक्त नियंत्रण वाल्व कूप के निकट उपलब्ध रहेंगे जिसका उपयोग आपात की दशा में कूप को नियंत्रण करने के लिए किया जाएगा।

(ख) जब नलिकाओं के अन्तर चलाया जाए या बाहर खींचा जाए तब एक द्वारा घालव और नलिका डैगर को पूर्व-समजित किया जाएगा और कूप के पास मृदवता से उपलब्ध रहेगा।

(ग) वेधन के दौरान एक पक्ष दाब वाल्व उपलब्ध रहेगा जिसे ड्रिल पार्टी के शीर्ष पर जोश जा सकता है।

4.6. विफल विस्फोट घटित हो जाने के पश्चात की पूर्वावधानिया :—

(1) इस सूचना के संकेत का लाभ होने पर किसी कूप में विफल विस्फोट हो रहा है, उन व्यक्तियों से जिनको उपस्थित विफल विस्फोट नियंत्रण करने के लिए आवश्यक समझा जाता है, भिन्न सभी व्यक्तियों को कूप से तुरन्त हटा लिया जाएगा।

(2) गश्त समय के दौरान जब किसी विफल विस्फोट नियंत्रण करने का कोई काम चल रहा हो, निम्नलिखित पूर्वावधानिया बरती जाएंगी—

(क) एक सक्षम व्यक्ति उस स्थान पर शुरू में अब तक उपस्थित रहेगा ;

(ख) कूप के 500 मीटर के भीतर के क्षेत्र को संकट क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया जाएगा।

(ग) संकट क्षेत्र के भीतर के सभी विद्युत संस्थापनों को अविश्वशील कर दिया जाएगा।

(घ) संकट क्षेत्र के भीतर केवल अनुमोदित निरापद लैम्प या टार्च का उपयोग किया जाएगा।

(ङ) संकट के क्षेत्र के भीतर कोई अनावृत्त रॉप या यार्नीय यातायात अनुज्ञान नहीं किया जाएगा ;

(च) जहाँ तक व्यक्तियों की सुरक्षा का संबंध है, कोई सक्षम व्यक्ति संबन्धन की स्थिति और अनुमोदित उपकरण में गैसों की उपस्थिति का अभिनिश्चय करेगा ;

(छ) उस स्थान पर उसके निकट आपात स्थिति में उपयोग के लिए दो संबन्ध परिपथ रेस्पेक्टर उपलब्ध रहेंगे ;

(ज) पर्याप्त अग्नि शामक उपस्कर उपलब्ध किया जाएगा।